Drishti IAS

एडिटोरियल

(संग्रह)

मार्च 2024

Drishti, 641, First Floor,
Dr. Mukharjee Nagar,
Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440,
Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

- प्राथमिक शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन 3
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रवर्तन 7
- मराठा आरक्षण की मांग 12
- महत्त्वपूर्ण खनिजों की पहेली 22
- WUEGA का अधिनियमन: महिला शहरी रोज़गार गारंटी अधिनियम 28
- WTO का 13वाँ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 32
- बेंगलुरु जल संकट: भारत के लिये चेतावनी 38
- बिना सर्वाइकल कैंसर वाले भविष्य हेतु प्रयास 42
- AYUSH और आधुनिक चिकित्सा का एकीकरण 46
- नवीन उपभोग सर्वेक्षण का पुनर्मापन 51
- भारत में अंतर-समूह जाति आरक्षण 55
- भारत की अनुसंधान एवं विकास निधि का पुनरुत्थान 59
- भारत-EFTA डील: व्यापार समझौतों में एक नया अध्याय 63
- भूटान का गेलेफू गैम्बिट 69
- AI: एक दोधारी तलवार 72
- MIRV प्रौद्योगिकी को अपनाना 76
- नेबरहुड फर्स्ट नीति पर पुनर्विचार 80
- गैर व्यक्तिगत डेटा का पुनर्वलोकन 85
- विश्व जल दिवस, 2024 90
- निर्वाचन आयोग को सशक्त बनाना 95
- भारत में क्षय रोग (TB) 99
- गाज़ा में युद्ध विराम 105
- चीन-ताइवान संघर्ष 110
- चंडीगढ़ का मेयर चुनाव: नगर निगम सुधारों का उत्प्रेरक 115
- दृष्टि एडिटोरियल अभ्यास प्रश्न 120

नोट :

प्राथमिक शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन

प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (Early Childhood Care and Education- ECCE) में दशकों से कम निवेश और कम अन्वेषण की स्थिति रही है, जबकि जनसांख्यिकीय लाभांश, शिक्षा एवं रोज़गार अवसरों पर देश के के केंद्रित ध्यान को देखते हुए यह बेहद स्पष्ट प्रतीत होता है कि भारत के बच्चों पर पर्याप्त आर्थिक निवेश किया जाए।

ECCE प्राय: घरेलू या पारिवारिक दायरे तक ही सीमित रहा है, संभवत: इसलिये कि इसे परंपरागत रूप से महिलाओं का कार्य माना जाता रहा है। महिला नेतृत्व वाले विकास पर सरकार के बढ़ते केंद्रित ध्यान के साथ अब देखभाल कार्य और प्रारंभिक बाल्यावस्था को अंतत: देश की व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण कार्य के एक हिस्से के रूप में देखा जा रहा है।

ECCE की वर्तमान स्थिति:

- **नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा:**
  - संविधान में राज्य की नीति के निदेशक तत्व (DPSP) के अनुच्छेद 45 के तहत उपबंध किया गया था कि "राज्य, इस संविधान के प्रारंभ से दस वर्ष की अवधि के भीतर सभी बच्चों के लिये, चौदह वर्ष की आयु पूरी करने तक, नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिये उपबंध करने का प्रयास करेगा।"
- **सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrolment Ratio- GER) में सुधार:**
  - ECCE में निवेश बढ़ाने का तर्क बेहद बुनियादी है जहाँ माना जाता है कि मानव संसाधन किसी राष्ट्र की नींव का निर्माण करते हैं और प्रारंभिक बाल्यावस्था मानव की नींव का निर्माण करती है। धीरे-धीरे, लेकिन निश्चित रूप से, भारतीय विकासशील राज्य ने शिक्षा के लिये माता-पिता की आकांक्षाओं को बढ़ावा दिया है और उन्हें पूरा किया है, जहाँ प्रथम अभिगम्यता को लक्षित करते हुए प्राथमिक स्तर पर 100% GER को पार कर लिया गया है।
- **अधिगम प्रतिफल से संबद्ध दुविधाएँ:**
  - हाल के समय में अधिगम प्रतिफल (लर्निंग आउटकम) के मापन पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) के 75वें दौर के आँकड़े और अधिगम प्रतिफल पर NCERT (राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2023) के अध्ययन के साथ ही ASER रिपोर्ट 2023 से पता चलता है कि भारत के बच्चे प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त अधिगम प्राप्त करने में विफल रहते हैं और उच्च स्तर पर जाने पर पाठ्यक्रम को समझने में संघर्ष करते हैं।
- **छह वर्ष से कम आयु के बच्चों पर केंद्रित ध्यान में वृद्धि:**
  - सरकार ने जीवन चक्र के आरंभिक हिस्से, यानी छह वर्ष से कम आयु के बच्चों पर ध्यान केंद्रित करने में महत्त्वपूर्ण प्रगति की है, जहाँ बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के लिये 'बेहतर समझ और संख्यात्मक ज्ञान के साथ पढ़ाई में प्रवीणता के लिये राष्ट्रीय पहल- निपुण' (National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy- NIPUN) भारत मिशन और आँगनवाड़ी प्रणाली के माध्यम से ECCE गुणवत्ता में सुधार के लिये 'पोषण भी, पढ़ाई भी' कार्यक्रम जैसी पहल की गई है।

नोट:

'पोषण भी, पढाई भी':

उद्देश्य:

- पहले हज़ार दिनों के दौरान आरंभिक उत्प्रेरण को बढ़ावा देना और 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिये ECCE की सुविधा प्रदान करना।
- आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ECCE पाठ्यक्रम और शैक्षणिक दृष्टिकोण की मूलभूत समझ प्रदान कर उनकी क्षमताओं को बढ़ाना। यह उन्हें ज़मीनी स्तर पर उच्च गुणवत्तापूर्ण खेल-आधारित ECCE प्रदान करने में सक्षम बनाता है।
  - आँगनवाड़ी भारत में एक प्रकार का ग्रामीण बाल देखभाल केंद्र है। इसकी स्थापना एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) कार्यक्रम के एक भाग के रूप में की गई थी।
- आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को विकास के विभिन्न क्षेत्रों (शारीरिक एवं क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, सामाजिक-भावनात्मक-नैतिक, सांस्कृतिक/कलात्मक) और मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान (Foundational Literacy and Numeracy- FLN) के विकास के साथ-साथ संबंधित मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाना।
- पोषण 2.0 एवं सक्षम आँगनवाड़ी जैसी पहलों और पोषण क्षेत्र में विभिन्न नवाचारों, पोषण ट्रैकर, फीडिंग विधियाँ,सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी आदि के संबंध आँगनवाड़ी सहायिकाओं के ज्ञान को सुदृढ़ करना।

नोट :

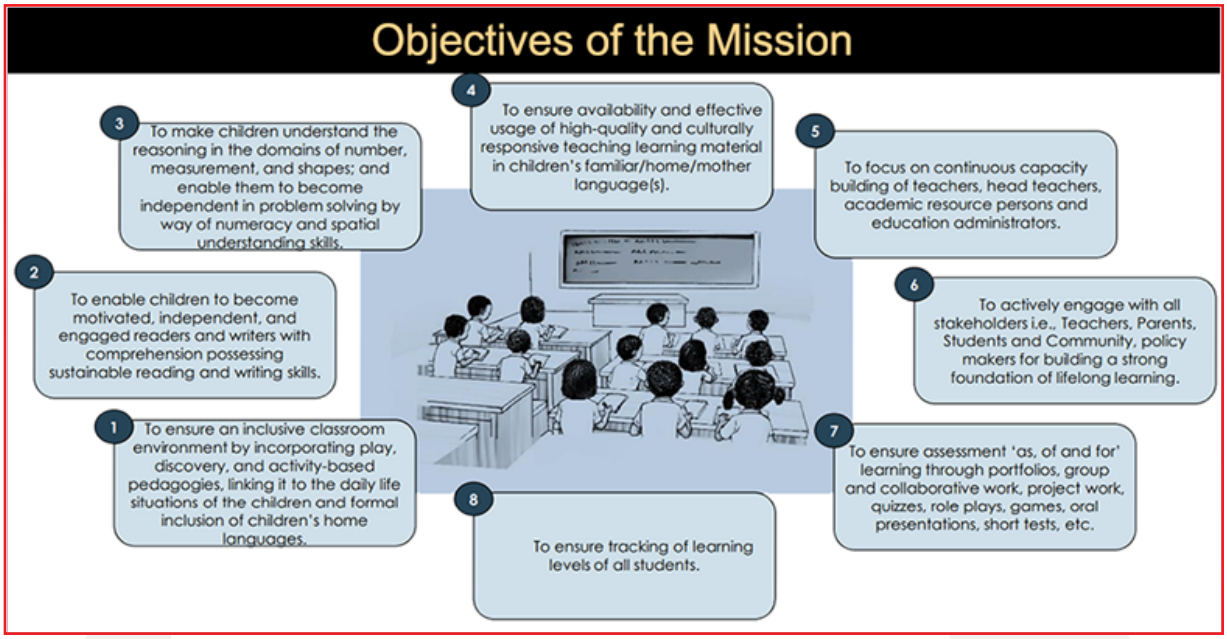

- **बजटीय आवंटन:**
  - 14 लाख आँगनवाड़ी केंद्रों द्वारा छह वर्ष से कम आयु के निर्धनतम आठ करोड़ बच्चों की देखभाल को देखते हुए वर्ष 2023 में शिक्षण-अधिगम सामग्री का परिव्यय तीन गुना कर दिया गया (लगभग 140 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 420 करोड़ रुपए प्रति वर्ष)।
  - अंतरिम बजट 2024 में सक्षम आँगनवाड़ी के उन्नयन में तेज़ी लाने का वादा और आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ASHA) एवं सहायकों के लिये आयुष्मान भारत सेवाएँ प्रदान करना उत्साहजनक है।
- **उच्च शिक्षा की तुलना में निधि आवंटन में असमानताएँ:**
  - केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर वर्ष 2024-25 का बजटीय व्यय, जो केंद्र-राज्य वित्तीय हस्तांतरण का एक बड़ा हिस्सा है, 5.01 लाख करोड़ रुपए है। इसमें से आँगनवाड़ी प्रणाली को लगभग 21,200 करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैं, जो ग्रामीण सड़कों (12,000 करोड़ रुपए) और सिंचाई (11,391 करोड़ रुपए) को आवंटित राशि से कहीं अधिक है।
    - लेकिन यह राष्ट्रीय शिक्षा मिशन (37,500 करोड़ रुपए) और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (38,183 करोड़ रुपए) की तुलना में कम है। उल्लेखनीय है कि उच्च शिक्षा विभाग को लगभग चार करोड़ नामांकित शिक्षार्थियों (जो निस्संदेह भारतीय समाज के अधिक विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों से आते हैं) के लिये 47,619 करोड़ रुपए प्राप्त होते हैं।

भारत में ECCE के समक्ष विद्यमान विभिन्न चुनौतियाँ:

- **सामर्थ्य/वहनीयता:**
  - हालिया शोध के अनुसार, भारत में 3 से 17 वर्ष की आयु के एक बच्चे को निजी स्कूल में पढ़ाने की कुल लागत 30 लाख रुपए है। भारत में प्रारंभिक शिशु देखभाल लागत प्राय: 20-30% के आसपास हो सकती है। इन खर्चों का वित्तीय बोझ ECCE में निवेश करने में बाधा उत्पन्न करता है।
  - NSSO की 75वें दौर की रिपोर्ट से पता चलता है कि लगभग 37 मिलियन बच्चों की किसी भी प्रकार की प्रारंभिक शिक्षा सेवा (सार्वजनिक या निजी) तक पहुँच नहीं है।
- **अभिगम्यता:**
  - भौगोलिक स्थिति या पारंपरिक बाल-पालन अभ्यासों जैसे कारकों के कारण प्री-स्कूल एवं डे-केयर जैसे पारंपरिक प्रारंभिक शिक्षा प्रारूप हमेशा सभी परिवारों के लिये अभिगम्य/सुलभ नहीं होते हैं। इसके अलावा, भारत को अधिक कुशल प्रारंभिक शिक्षा शिक्षकों और आवश्यक अवसंरचना की आवश्यकता है।
- **उपलब्धता:**
  - हालाँकि भारत में ECCE में सरकारी निवेश में वृद्धि हुई है, जिसमें डिजिटल लैब और बुनियादी ढाँचे की स्थापना

नोट :

करना भी शामिल है, लेकिन चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं। देश में ECCE नियामक अंतराल, विखंडन और लक्षित पहल की आवश्यकता से चिह्नित होता है, जो वृद्धि के अवसरों को रेखांकित करता है।

- **माता-पिता की कम संलग्नता:**
  - माता-पिता बच्चे के पहले शिक्षक होते हैं और वे अपने बच्चे को पढ़ना, लिखना या गिनती सिखाने के रूप में उनकी लर्निंग में कई तरीकों से मदद कर सकते हैं। घर पर या बाहर समुदाय के साथ समय बिताने के रूप में वे बच्चों के सामाजिक कौशल के विकास में भी भी मदद कर सकते हैं।
  - हालाँकि, उन्हें प्राय: अपने बच्चों की शिक्षा में संलग्न हो सकने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि कार्य व्यस्तता, परिवहन की कमी, कम साक्षरता कौशल या इस जानकारी का अभाव कि वे प्रारंभिक बाल्यावस्था संबंधी शिक्षा कार्यक्रमों के बारे में कहाँ से या कैसे सूचना प्राप्त करें।
- **शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) 2009 में व्याप्त खामियाँ:**
  - 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम,2002 ने प्राथमिक शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21(A) के तहत एक मूल अधिकार बना दिया। इस संशोधन का उद्देश्य छह से चौदह वर्ष की आयु के बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना था।
    - इसे बच्चों के नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम (जिसे RTE अधिनियम भी कहा जाता है) द्वारा समर्थित किया गया, जो वर्ष 2009 में पारित हुआ और वर्ष 2010 में लागू हुआ।
  - हालाँकि इस अधिनियम में 6 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों के लिये मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा के लिये पर्याप्त उपबंध शामिल नहीं किये गए।
- **कम सार्वजनिक व्यय:**
  - इंचियोन घोषणा (Incheon Declaration), जिसका भारत भी हस्ताक्षरकर्ता है, में अपेक्षा की गई है कि सदस्य देश सतत विकास लक्ष्य-4 (गुणवत्तापूर्ण शिक्षा) की प्राप्ति के लिये अपने सकल घरेलू उत्पाद का 4-6% शिक्षा पर खर्च करेंगे।
  - लेकिन केंद्रीय बजट 2024 में शिक्षा के लिये सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 2.9% आवंटित किया गया है, जो वैश्विक औसत 4.7% से पर्याप्त कम है।

ECCE में सुधार के लिये सुझाव:

- **'डिजिटल पैठ' का उपयोग :**
  - आकर्षक और आयु अनुरूप कंटेंट प्रदान करना: स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्टिविटी की उपलब्धता उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है। डिजिटल लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म गतिशील साधन के रूप में उभर रहे हैं जो विशेष रूप से आरंभिक शिक्षार्थियों के लिये उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं।
    - ये ऐप्स आकर्षक और आयु अनुरूप कंटेंट प्रदान करते हैं, जो बाल मस्तिष्क के लिये एक समृद्ध शैक्षिक अनुभव सुनिश्चित करते हैं।
    - यह कनेक्टिविटी शैक्षिक सामग्री को प्रत्यक्ष रूप से माता-पिता और देखभालकर्ताओं तक पहुँचाने की अनुमति देती है, जिससे उनके बच्चों की प्रारंभिक शिक्षण की यात्रा में संलग्न हो सकने की उनकी क्षमता बढ़ जाती है।
  - समावेशिता और अभिगम्यता को बढ़ावा देना: इंटरैक्टिव गतिविधियों, जीवंत विज़ुअल और अनुरूप पाठ्यक्रम के माध्यम से, ये प्लेटफ़ॉर्म बच्चों की 'लर्निंग जर्नी' को आकार प्रदान करते हैं।
    - डिजिटलीकरण के माध्यम से पेश किये जाते लर्निंग मॉड्यूल लागत-प्रभावशीलता और कहीं से भी सुविधाजनक पहुँच प्रदान करते हैं, जिससे विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के बच्चों एवं योग्य शिक्षकों तक इनकी अभिगम्यता सुनिश्चित होती है।
    - इनका उभार भौतिक बाधाओं को तोड़कर और बच्चों एवं शिक्षकों की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुँच बनाकर गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा को अधिक समावेशी बनाता है।
- **बुनियादी ढाँचे की कमी को पूरा करना:**
  - इसके लिये आवश्यक बुनियादी ढाँचे में निवेश के साथ-साथ स्थापित संस्थानों के माध्यम से व्यापक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम और करियर प्रगति रणनीतियाँ शुरू करने की आवश्यकता है।
    - इसके अतिरिक्त, आरंभिक शिक्षार्थियों के लिये विशेष प्रयोगशालाओं, आधुनिक शिक्षण केंद्र, प्ले एरिया, डिजिटल संसाधन और नवोन्मेषी शिक्षण सामग्री के निर्माण से ECE को व्यापक लाभ प्राप्त होगा।
  - भारत की बढ़ती आबादी को समायोजित करने और संरचित पाठ्यक्रम, सुप्रशिक्षित शिक्षकों एवं स्पष्ट अधिगम उद्देश्यों को शामिल करने के लिये ECE केंद्रों का विस्तार करना होगा। ये मूलभूत तत्व मौजूदा बाधाओं को दूर करने के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।

नोट :

- **दृष्टिकोणों की विविधता को चिह्नित करना:**
  - प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा बहुमुखी प्रकृति रखती है जो विभिन्न पारिवारिक परिस्थितियों एवं प्राथमिकताओं को समायोजित करती है। इसमें संभावनाओं का एक स्पेक्ट्रम शामिल है, जिसमें घर पर माता-पिता द्वारा देखभाल एवं शिक्षा प्रदान करने से लेकर अनौपचारिक या औपचारिक गेमिफ़ाइड लर्निंग विधियों का लाभ उठाना शामिल है।
  - बड़े प्री-स्कूल सेटअप भी संरचित शिक्षण अनुभव प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दृष्टिकोणों में इस विविधता को चिह्नित करना बच्चों की देखभाल और प्रारंभिक शिक्षा के लिये एक व्यापक एवं समावेशी ढाँचे के निर्माण हेतु महत्त्वपूर्ण है।
- **निवेश की आवश्यकता:**
  - आँगनवाड़ी केंद्रों में निवेश: हाल के शोध केंद्र और राज्यों द्वारा आवंटन एवं व्यय के विस्तार के लिये तर्कपुष्ट कारण प्रदान करते हैं।
    - मौजूदा सर्वेक्षण डेटा का उपयोग कर अर्द्ध-प्रायोगिक प्रभाव मूल्यांकन से पुष्टि हुई है कि आँगनवाड़ी जाने वाले बच्चों में अन्य बच्चों की तुलना में संज्ञानात्मक एवं क्रियात्मक (मोटर) कौशल में अधिक सुधार हुआ। इसने विशेष रूप से लिंग और आय से संबंधित अंतर को कम किया है।
    - वर्ष 2020 में आयोजित एक अध्ययन के अनुसार, शून्य से तीन वर्ष की आयु तक आँगनवाड़ी प्रणाली के संपर्क में आने वाले बच्चे स्कूल की 0.1-0.3 ग्रेड और पूरी करते हैं।
- **ECCE प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिये:**
  - यह निर्धारित करने के लिये कि बुनियादी ढाँचे, क्षमता निर्माण, सामग्री और कर्मी नियुक्ति में से किस पर व्यय किया जाए, सतर्क एवं व्यापक योजना निर्माण की आवश्यकता है।
  - सुदृढ़ ECCE के सिद्ध व्यक्तिगत लाभों से सकल घरेलू उत्पाद में संभावित लाभ का अनुमान करना आवश्यक है। महिलाओं के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, जीवन काल, सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय, बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि, उनके शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य और यहाँ तक कि सामाजिक अशांति में सुधार का आकलन आवश्यक है।
    - नोबेल पुरस्कार विजेता हेकमैन (Heckman) के पेरी प्री-स्कूल अध्ययन में पाया गया कि जिन बच्चों को उच्च गुणवत्तापूर्ण ECCE प्राप्त हुआ, वे कम हिंसक वयस्कों में विकसित हुए। आरंभिक आयु में विकसित किये गए सुदृढ़ सामाजिक-भावनात्मक कौशल भविष्य में छात्र आत्महत्या को रोकने में भी मदद कर सकते हैं।
- **ECCE में अनुसंधान की आवश्यकता:**
  - प्रारंभिक बाल्यावस्था के विकास के व्यापक आर्थिक एवं सामाजिक प्रभावों पर अग्रणी शिक्षाविदों के अध्ययन के आधार पर भारतीय संदर्भ में व्यवस्थित सघन शोध करने की आवश्यकता है।

नोट :

- साक्ष्य-आधारित नीति तैयार करने के लिये, प्रारंभिक बाल्यावस्था के विषय में भौतिक संसाधनों, धन एवं उच्च गुणवत्तापूर्ण प्रतिभा के अपर्याप्त आवंटन की अवसर लागत को समझना महत्त्वपूर्ण है।

- प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल के प्रभाव का पता लगाने के लिये अनुदैर्ध्य अध्ययन करने की आवश्यकता है। इसमें आँगनवाड़ी प्रणाली का अध्ययन करना भी शामिल है ECCE के लिये दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक प्रावधान प्रणाली बनी हुई है।

- **NEP 2020 के अधिदेश को प्रभावी ढंग से लागू करना:**
  - NEP 2020 के अनुसार बच्चे के मस्तिष्क का 85% से अधिक संचयी विकास आरंभिक छह वर्षों में संपन्न होता है, जो बच्चे के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिये शुरुआती वर्षों में मस्तिष्क को सही देखभाल एवं उत्प्रेरण प्रदान करने की आवश्यकता को उजागर करता है।
  - इस अद्यतन नीति में कहा गया है कि सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित परिवारों के बच्चों पर विशेष ध्यान देने के साथ, सभी छोटे बच्चों को उच्च गुणवत्तापूर्ण ECCE तक राष्ट्रव्यापी पहुँच प्रदान करने की तत्काल आवश्यकता है।

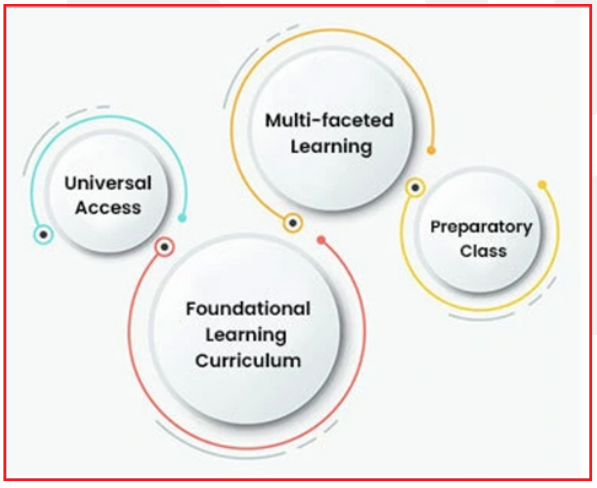

- **मूलभूत शिक्षण पाठ्यक्रम:** पाठ्यक्रम को 3 से 8 वर्ष की आयु के लिये दो खंडों में विभाजित किया गया है: 3-6 वर्ष की आयु के ECCE छात्रों के लिये बुनियादी शिक्षण पाठ्यक्रम और 6-8 वर्ष की आयु के प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के लिये कक्षा I और II।
- सार्वभौमिक पहुँच: 3-6 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्री-स्कूलों, आँगनवाड़ियों और बालवाटिका में नि:शुल्क, सुरक्षित एवं उच्च गुणवत्तापूर्ण ECCE तक पहुँच प्राप्त हो।
- प्रारंभिक कक्षा: पाँच वर्ष की आयु से पहले प्रत्येक बच्चे को 'प्रारंभिक कक्षा' या 'बालवाटिका' (कक्षा 1 से पहले) में स्थानांतरित कर दिया जाये, जहाँ ECCE-योग्य शिक्षक खेल-आधारित शिक्षा प्रदान करें।
- बहुआयामी शिक्षण: मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान (FLN) के निर्माण के लिये खेल, गतिविधि और पूछताछ-आधारित शिक्षा पर वृहत रूप से बल देने वाली एक लचीली शिक्षण पद्धति अपनाई जाए।

निष्कर्ष:

ECCE में निवेश भारत के भविष्य के लिये महत्त्वपूर्ण है, फिर भी वर्षों से इसकी अनदेखी की गई है। सरकार ने ECCE को मानव विकास के लिये आधारभूत मानते हुए इस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया है, जिसकी 'निपुण भारत' और 'पोषण भी, पढ़ाई भी' जैसी पहलों से पुष्टि होती है। ECCE के लिये हाल का बजटीय आवंटन एक सकारात्मक प्रवृत्ति को दर्शाता है, लेकिन बेहतर संज्ञानात्मक कौशल और शैक्षिक उपलब्धि जैसे सिद्ध लाभों को देखते हुए अभी और विभिन्न प्रयासों की आवश्यकता है।

संपूर्ण प्रभाव को समझने और प्रभावी नीतियाँ बनाने के लिये भारतीय संदर्भ में शोध आवश्यक है। चूँकि भारत अभूतपूर्व विकास का लक्ष्य रखता है, ECCE में निवेश उसके बच्चों और राष्ट्र के लिये समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण सिद्ध होगा।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रवर्तन

तीन नए अधिनियमित आपराधिक कानून—भारतीय न्याय संहिता (भारतीय दंड संहिता-IPC को प्रतिस्थापित करने के लिये), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (दंड प्रक्रिया संहिता-CrPC को प्रतिस्थापित करने के लिये) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (भारतीय साक्ष्य अधिनियम-IEA 1872 को प्रतिस्थापित करने के लिये) 1 जुलाई 2024 से लागू होंगे।

जहाँ तक नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) का प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में मामूली बदलाव किया गया है। हालाँकि, BSA में द्वितीयक साक्ष्य का दायरा थोड़ा विस्तृत किया गया है और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य से संबंधित प्रावधानों में कुछ बदलाव किये गए हैं।

नोट:

आपराधिक न्याय प्रणाली का विकास:

- भारत के पूरे इतिहास में अलग-अलग शासकों के अधीन अलग-अलग क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न आपराधिक न्याय प्रणालियाँ विकसित हुईं और देशकाल में उनका प्रभुत्व रहा।
  - ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में आपराधिक कानूनों को संहिताबद्ध किया गया जो अभी हाल तक प्राय: अपरिवर्तित बना रहा था।

नोट :

- भारतीय दंड संहिता (IPC) भारत की आधिकारिक दंड संहिता है जिसे चार्टर अधिनियम, 1833 के तहत वर्ष 1834 में स्थापित पहले विधि आयोग की अनुशंसा के अनुरूप वर्ष 1860 में तैयार किया गया था और यह 1 जनवरी 1862 से लागू हुआ।
- IEA, जिसे मूल रूप से ब्रिटिश राज के दौरान वर्ष 1872 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा भारत में पारित किया गया था, भारतीय न्यायालयों में साक्ष्य की स्वीकार्यता को नियंत्रित करने वाले नियमों और संबद्ध मुद्दों का एक समुच्चय प्रदान करता है।
  - इसी क्रम में, CrPC भारत में आपराधिक कानून के प्रशासन के लिये प्रक्रियाएँ प्रदान करता है। यह वर्ष 1973 में अधिनियमित हुआ और 1 अप्रैल 1974 से लागू हुआ।
- भारतीय संसद ने दिसंबर 2023 में भारतीय न्याय प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिये भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक 2023 के रूप में तीन महत्त्वपूर्ण विधेयक पारित किये।

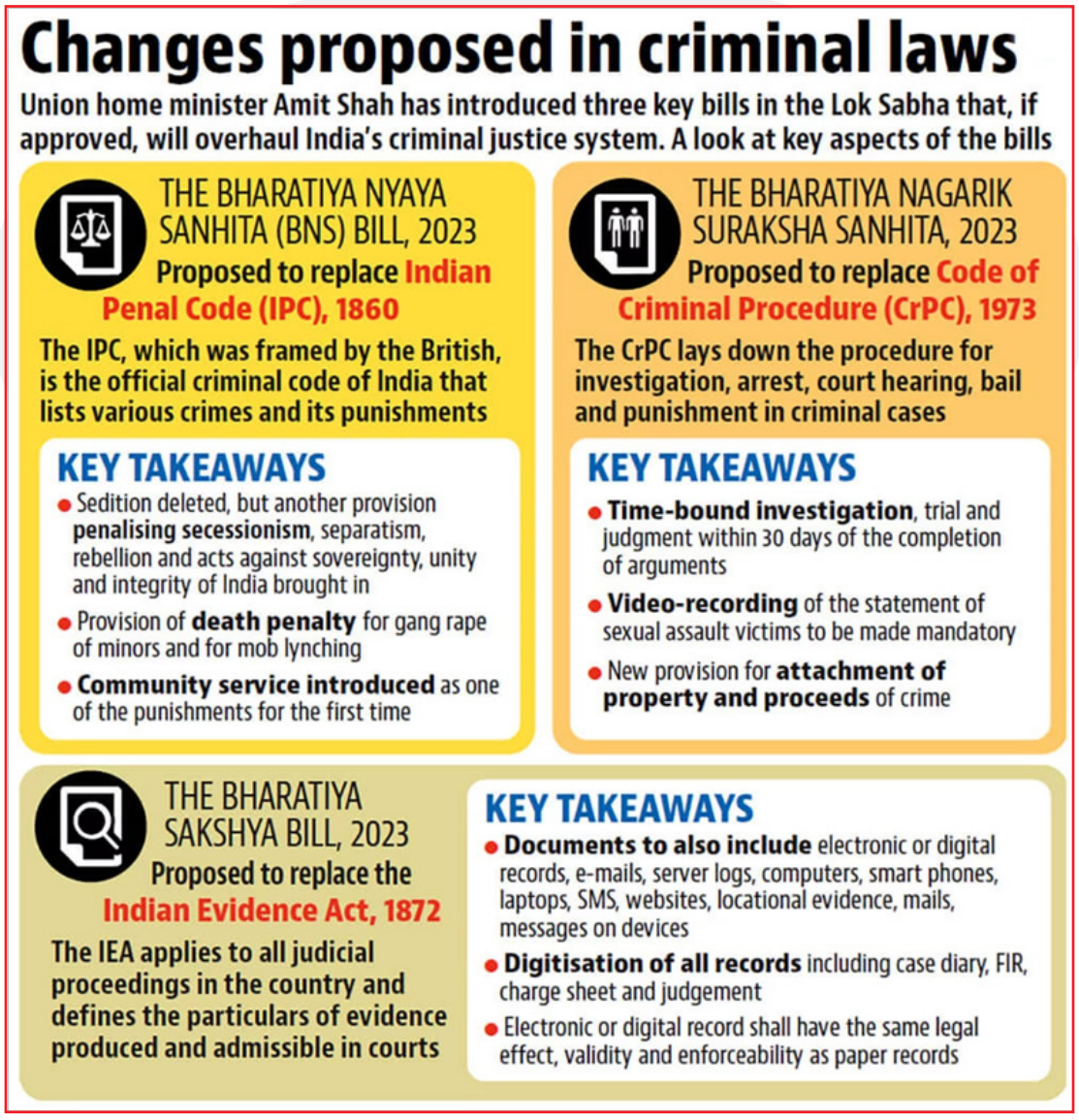

नोट :

भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) 2023 के विभिन्न प्रावधान क्या हैं?

- BSA 2023 भारतीय साक्ष्य अधिनियम (IEA) 1872 के अधिकांश प्रावधानों को बरकरार रखता है। इसमे शामिल हैं:
  - स्वीकार्य या ग्राह्य साक्ष्य (Admissible Evidence): कानूनी कार्यवाही में शामिल पक्षकार केवल ग्राह्य साक्ष्य ही प्रस्तुत कर सकते हैं। ग्राह्य साक्ष्य को या तो 'विवाद्यक तथ्य' (facts in issue) या 'सुसंगत तथ्य' (relevant facts) के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।
    - विवाद्यक तथ्य ऐसे किसी तथ्य को संदर्भित करते हैं जो कानूनी कार्यवाही में दावा किये गए या अस्वीकार किये गए किसी भी अधिकार, दायित्व या अशक्तता के अस्तित्व, प्रकृति या सीमा को निर्धारित करते हैं।
    - सुसंगत तथ्य वे तथ्य हैं जो किसी दिए गए मामले में प्रासंगिक हैं। IEA दो प्रकार के साक्ष्य प्रदान करता है- दस्तावेज़ी साक्ष्य और मौखिक साक्ष्य (documentary and oral evidence)।
  - सिद्ध तथ्य (Proven Fact): एक तथ्य को तब 'सिद्ध' माना जाता है, जब प्रस्तुत किये गए साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय यह मानता है कि यह या तो: (i) अस्तित्व में है, या (ii) इसके अस्तित्व की इतनी संभावना है कि एक विवेकशील व्यक्ति को ऐसे कार्य करना चाहिये जैसे कि यह मामले के परिदृश्यों में अस्तित्व में है।
  - पुलिस संस्वीकृति या इकबालिया बयान (Police Confessions): किसी पुलिस अधिकारी के सामने की गई कोई भी संस्वीकृति/इकबालिया बयान/कबूलनामा अग्राह्य या अस्वीकार्य है। पुलिस हिरासत या अभिरक्षा (custody) में की गई संस्वीकृति भी अस्वीकार्य है, जब तक कि उसे मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज नहीं किया जाए।
    - हालाँकि, यदि अभिरक्षा में किसी आरोपी से प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप किसी सूचना का पता चलता है तो उस सूचना को स्वीकार किया जा सकता है यदि वह स्पष्ट रूप से पता चले तथ्य से संबंधित हो।
- **BSA 2023 में लाये गए प्रमुख बदलाव:**
  - दस्तावेज़ी साक्ष्य: IEA के तहत दस्तावेज़ में लेख, मानचित्र और कैरिकेचर शामिल होते हैं। BSA में इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड को भी दस्तावेज़ के रूप में शामिल किया गया है। दस्तावेज़ी साक्ष्य में प्राथमिक और द्वितीयक साक्ष्य शामिल हैं।
    - प्राथमिक साक्ष्य में मूल दस्तावेज़ और उसके अंग, जैसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एवं वीडियो रिकॉर्डिंग शामिल हैं।
    - द्वितीयक साक्ष्य में ऐसे दस्तावेज़ और मौखिक विवरण शामिल होते हैं जो मूल दस्तावेज़ की सामग्री को साबित कर सकते हैं।
    - BSA निम्नलिखित को शामिल करने के लिये द्वितीयक साक्ष्य का विस्तार करता है: (i) मौखिक और लिखित स्वीकृति/स्वीकारोक्ति; और (ii) उस व्यक्ति की गवाही जिसने दस्तावेज़ की जाँच की है और दस्तावेज़ों की जाँच करने में कुशल है।
  - मौखिक साक्ष्य: IEA के तहत मौखिक साक्ष्य में जाँच के अधीन किसी तथ्य के संबंध में साक्षियों द्वारा अदालतों के समक्ष दिये गए बयान शामिल हैं। BSA मौखिक साक्ष्य को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करने की भी अनुमति देता है।
    - इससे साक्षियों, आरोपी व्यक्तियों और पीड़ितों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से गवाही देने की अनुमति मिल जाएगी।
  - साक्ष्य के रूप में इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड की ग्राह्यता: दस्तावेज़ी साक्ष्य में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की जानकारी शामिल होती है जो कंप्यूटर द्वारा उत्पादित ऑप्टिकल या मैग्नेटिक मीडिया में मुद्रित या संग्रहित की गई है।
    - ऐसी जानकारी कंप्यूटर या विभिन्न कंप्यूटरों के संयोजन द्वारा संग्रहीत या संसाधित की जा सकती है।
  - संयुक्त विचारण (Joint Trials): संयुक्त विचारण से तात्पर्य एक ही अपराध के लिये एक से अधिक व्यक्तियों के विचारण या ट्रायल से है। IEA के अनुसार, संयुक्त विचारण में किसी एक आरोपी द्वारा की गई संस्वीकृति जो अन्य आरोपियों को भी प्रभावित करती है, साबित हो जाती है तो इसे दोनों के विरुद्ध संस्वीकृति माना जाएगा।
    - BSA इस प्रावधान में एक स्पष्टीकरण शामिल करता है जिसमें कहा गया है कि कई व्यक्तियों के विचारण में, किसी एक आरोपी के फरार रहने या गिरफ़्तारी वारंट का जवाब नहीं देने की स्थिति में भी इसे संयुक्त विचारण ही माना जाएगा।

नोट :

BSA 2023 द्वारा लाये गए विभिन्न महत्त्वपूर्ण बदलाव कौन-से हैं?

- **'दस्तावेज़' की सटीक परिभाषा:** 'दस्तावेज़' (जिसमें इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल रिकॉर्ड शामिल हैं) की परिभाषा में दृष्टांत से स्पष्ट किया गया है कि ईमेल पर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, सर्वर लॉग, कंप्यूटर या लैपटॉप या स्मार्टफोन पर मौजूद दस्तावेज़, संदेश, वेबसाइट, लोकेशन संबंधी साक्ष्य और डिजिटल उपकरणों पर संग्रहित वॉइस मेल मैसेज दस्तावेज़ हैं।
- **प्राथमिक (इलेक्ट्रॉनिक) साक्ष्य के संबंध में स्पष्टता:** इसमें कहा गया है कि जहाँ किसी वीडियो रिकॉर्डिंग को एक ही समय इलेक्ट्रॉनिक रूप में संग्रहित किया जाता है और दूसरे को प्रेषित या प्रसारित या स्थानांतरित किया जाता है, वहाँ प्रत्येक संग्रहित रिकॉर्डिंग प्राथमिक साक्ष्य होगी।
  - इससे जाँच एजेंसियों को किसी साइबर अपराधी की अभियोज्यता (culpability) तय करने में मदद मिल सकती है, भले ही वह आरोपों से इनकार करने के लिये अपने मूल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को नष्ट कर दे, क्योंकि साक्ष्य को इसके महत्त्व में किसी कमी के बिना अन्य स्रोतों से संग्रहित किया जा सकता है।
- **IT एक्ट, 2000 से तादात्म्य:** इसकी धारा 63, जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की ग्राह्यता से संबंधित है, में बेहतर दृश्यता के लिये 'सेमीकंडक्टर मेमोरी' और 'कोई भी संचार उपकरण' जैसे शब्द शामिल हैं।
  - हालाँकि, इससे प्रावधान का प्रभाव नहीं बदलता है क्योंकि IT अधिनियम, 2000 में दी गई 'इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म' की परिभाषा में 'कंप्यूटर मेमोरी' में उत्पन्न, प्रेषित, प्राप्त या संग्रहित जानकारी शामिल है।

BSA 2023 के प्रावधानों के संबंध में विभिन्न चिंताएँ क्या हैं?

- **इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से संबंधित मुद्दे:**
  - इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से छेड़छाड़:
    - वर्ष 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड छेड़छाड़ और हेरफेर के प्रति संवेदनशील हैं। उसने कहा है कि पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना, यदि पूरा विचारण इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के साक्ष्य पर आधारित हो, तो इससे न्याय हास्यास्पद बन सकता है।
  - ई-रिकॉर्ड की ग्राह्यता में अस्पष्टता:
    - BSA इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की ग्राह्यता का उपबंध करता है और न्यायालय को ऐसे साक्ष्यों पर विचार करने के लिये इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य परीक्षक (Examiner of Electronic Evidence) से परामर्श करने की विवेक शक्ति सौंपता है।
    - BSA दस्तावेज़ की परिभाषा में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को शामिल करता है। यह IEA के इस प्रावधान को बरकरार रखता है कि सभी दस्तावेज़ प्राथमिक साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होने चाहिये, जब तक कि वे द्वितीयक साक्ष्य के रूप में योग्य न हों (यदि मूल साक्ष्य नष्ट हो गया हो या उस व्यक्ति के पास हो जिसके विरुद्ध दस्तावेज़ सिद्ध किया जाना है।
- **पुलिस अभिरक्षा में प्राप्त जानकारी सिद्धि-योग्य हो सकती है:** IEA में प्रावधान है कि यदि पुलिस अभिरक्षा में किसी आरोपी से प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप किसी तथ्य का पता लगाया जाता है तो उस जानकारी को स्वीकार किया जा सकता है यदि वह स्पष्ट रूप से पता लगाये गए तथ्य से संबंधित हो। BSA में इस प्रावधान को बनाये रखा गया है।
  - सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न विधि आयोग की रिपोर्टों ने इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि संभव है कि अभिरक्षा में तथ्यों का पता लगाने के लिये अभियुक्तों पर दबाव बनाया गया हो या उन्हें यातना दी गई हो।
- **पुलिस अभिरक्षा के अंदर और बाहर अभियुक्त के बीच भेदभाव:** IEA के तहत, पुलिस अभिरक्षा में किसी अभियुक्त से प्राप्त जानकारी ग्राह्य या स्वीकार्य है यदि यह पता लगाये गए तथ्य से संबंधित है, जबकि समान जानकारी ग्राह्य नहीं है यदि यह पुलिस अभिरक्षा के बाहर किसी अभियुक्त से प्राप्त हुई हो। BSA ने भी यह अंतर बरकरार रखा है।

BSA को अधिक प्रभावशील बनाने के लिये कौन-से कदम उठाये जाने की आवश्यकता है?

- **गृह मामलों की स्थायी समिति की रिपोर्ट:** गृह मामलों की स्थायी समिति (2023) ने इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड की प्रामाणिकता एवं अखंडता की सुरक्षा के महत्त्व पर ध्यान दिया क्योंकि उनमें छेड़छाड़ की संभावना होती है।
  - इसने अनुशंसा की कि जाँच के दौरान साक्ष्य के रूप में संग्रहित सभी इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल रिकॉर्ड को अभिरक्षा की उचित शृंखला के माध्यम से सुरक्षित रूप से प्रबंधित एवं संसाधित किया जाए।
- **कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा तैयार किये गए दिशानिर्देश:** वर्ष 2021 में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की

नोट :

खोज और जब्ती के दौरान न्यूनतम सुरक्षा उपायों के लिये दिशानिर्देश पेश किये। इनमें शामिल हैं:

- यह सुनिश्चित करना कि एक योग्य फोरेंसिक परीक्षक खोज दल के साथ रहे,
- जाँच अधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की खोज और जब्ती के दौरान जब्त किये गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के उपयोग से निषिद्ध करना,
- किसी भी इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस (जैसे पेन ड्राइव या हार्ड ड्राइव) को जब्त करना और उन्हें 'फैराडे बैग' में पैक करना।
  - फैराडे बैग विद्युत-चुंबकीय संकेतों के संचरण को अवरुद्ध करते हैं, जो डिवाइस में संग्रहित डेटा को अवरुद्ध या नष्ट कर सकते हैं।

- **यूरोपीय संघ (EU) के निर्देशात्मक प्रस्ताव को शामिल करना:** यूरोपीय संघ में आपराधिक कार्यवाही में साक्ष्य एवं इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की पारस्परिक ग्राह्यता के लिये निर्देशात्मक प्रस्ताव के मसौदे (Draft Directive Proposal for a Mutual Admissibility of Evidence and Electronic Evidence) का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के उपयोग के लिये समान न्यूनतम मानक स्थापित करना है। इसके प्रमुख सिद्धांतों में शामिल हैं:
  - इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के उपयोग को केवल तभी अनिवार्य करना जब इस बात के पर्याप्त साक्ष्य हों कि इसमें हेरफेर या जालसाजी नहीं की गई है,
  - यह सुनिश्चित करना कि प्रस्तुत करने के समय से लेकर अभिरक्षा की शृंखला तक साक्ष्य किसी हेरफेर के विरुद्ध पर्याप्त रूप से सुरक्षित हैं, और
  - आरोपी के अनुरोध पर आईटी विशेषज्ञों की भागीदारी की आवश्यकता।
- **विधि आयोग 2003 की अनुशंसाएँ:**
  - पुलिस अभिरक्षा में किसी भी धमकी, बलप्रयोग, हिंसा या यातना का उपयोग कर अभियुक्त से के पाए गए तथ्य सिद्धि-योग्य नहीं होने चाहिये।
  - तथ्य सुसंगत होने चाहिये, चाहे वे पुलिस अभिरक्षा में पाए गए हों या अभिरक्षा से बाहर।
  - एक नया प्रावधान शामिल किया जाए जिसमें उपबंध हो कि यदि पुलिस अभिरक्षा में कोई व्यक्ति घायल हो जाता है तो यह माना जाएगा कि पुलिस ने उसे घायल किया है। यहाँ साक्ष्य का भार प्राधिकारी पर होगा।
  - पुलिस अभिरक्षा में किसी व्यक्ति को शारीरिक आघात पहुँचाने के लिये पुलिस अधिकारी पर मुक़दमा चलाने से संबंधित एक नया प्रावधान शामिल किया जाए। न्यायालय यह मानते हुए सुनवाई करेगा कि आघात अधिकारी द्वारा पहुँचाया गया है। न्यायालय यह मानने से पहले निम्नलिखित परिदृश्यों पर विचार करेगा:
    - अभिरक्षा की अवधि
    - आघात के बारे में पीड़ित द्वारा दिये गए बयान
    - किसी चिकित्सक द्वारा जाँच
    - मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया गया कोई भी बयान।
- **मलिमथ समिति 2003 की अनुशंसाएँ:** समिति ने आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिये इसके विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए अनुशंसाएँ कीं। कुछ प्रमुख अनुशंसाएँ इस प्रकार थीं:
  - छोटे-मोटे अपराधों के लिये 'सामाजिक कल्याण अपराध' (social welfare offences) नामक अपराधों की एक नई श्रेणी शुरू की जाए, जिनसे जुर्माना लगाकर या सामुदायिक सेवा कराने के रूप में निपटा जा सकता है।
  - वाद-विवाद या एडवर्सियल प्रणाली (adversarial system) को एक 'मिश्रित प्रणाली' से प्रतिस्थापित किया जाए जिसमें जाँच-पड़ताल या इन्क्वीसीटोरियल प्रणाली (inquisitorial system) के कुछ तत्व शामिल हों, जैसे कि न्यायाधीशों को साक्ष्य एकत्र करने और साक्षियों की जाँच करने में सक्रिय भूमिका निभाने की अनुमति देना।
  - दोषसिद्धि के लिये आवश्यक साक्ष्य के मानक को 'उचित संदेह से परे' ('beyond reasonable doubt) से घटाकर 'स्पष्ट एवं ठोस साक्ष्य' (clear and convincing evidence) की ओर ले जाना।
  - वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई संस्वीकृति को साक्ष्य के रूप में ग्राह्य बनाना।

निष्कर्ष:

भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की परिभाषा एवं ग्राह्यता में स्पष्टता लेकर आता है, जहाँ विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के सुरक्षित उपयोग के लिये विशेषज्ञ प्रमाणीकरण एवं 'हैश एल्गोरिदम' के महत्त्व पर बल दिया गया है। हालाँकि, इससे साइबर प्रयोगशालाओं के लिये चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि उनके कार्यभार में व्यापक वृद्धि होगी।

नोट :

प्रवर्तन एजेंसियों के लिये एन्क्रिप्शन विधियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और कानूनों के प्रभावी होने से पहले आवश्यक बुनियादी ढाँचे को सुनिश्चित करना भी महत्त्वपूर्ण है। कुल मिलाकर, ये बदलाव डिजिटल युग में उभरती चुनौतियों से निपटने के लिये भारत में आपराधिक कानूनों को आधुनिक बनाने की प्रतिबद्धता को परिलक्षित करते हैं।

■■■

मराठा आरक्षण की मांग

सेवानिवृत्त न्यायाधीश सुनील बी. शुक्रे के नेतृत्व वाले महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (MSBCC) की एक रिपोर्ट के आधार पर महाराष्ट्र राज्य विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक विधेयक पारित किया जो मराठा समुदाय को शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण प्रदान करता है।

एक दशक के समयांतराल में ऐसे विधान निर्माण का यह तीसरा प्रयास है जहाँ मराठों को कोटा प्रदान करने के ऐसे पिछले दो प्रयासों को विधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। इस परिदृश्य में अब अहम सवाल यह है कि क्या सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिये महाराष्ट्र राज्य आरक्षण विधेयक, 2024 (Maharashtra State Reservation for Socially and Educationally Backward Classes Bill, 2024) न्यायिक संवीक्षा पर खरा उतर सकेगा।

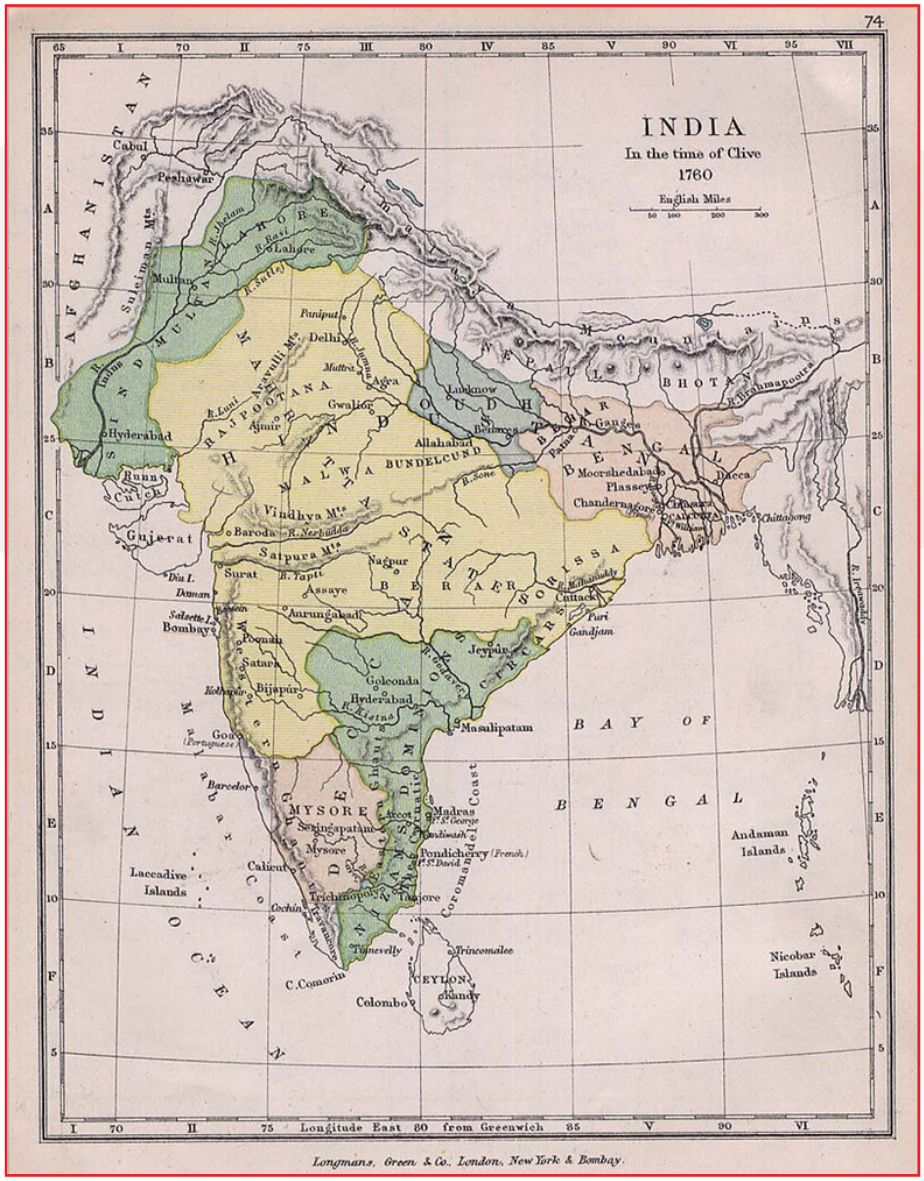

नोट :

भारत में मराठा समुदाय के बारे में प्रमुख तथ्य

- **योद्धाओं और शासकों की विरासत:** मराठा भारत में एक प्रमुख समुदाय है, जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है। ऐतिहासिक रूप से वे इस क्षेत्र के योद्धा और शासक रहे थे, जो 17वीं शताब्दी में शिवाजी द्वारा स्थापित मराठा साम्राज्य के तहत अपने सैन्य कौशल एवं नेतृत्व के लिये जाने जाते थे।
- **सामाजिक संरचना:** समय के साथ मराठे कृषि, व्यापार एवं राजनीति सहित विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय हुए। जबकि मराठों के ऊपरी वर्ग (देशमुख, भोंसले, मोरे, शिर्के, जाधव आदि) क्षत्रिय हैं, शेष अन्य मुख्य रूप से कुणबी (Kunbi) नामक कृषक उपजाति से संबंधित हैं।
- **महाराष्ट्र से बाहर प्रभाव:** गायकवाड़ (बड़ौदा, गुजरात), सिंधिया (ग्वालियर, मध्य प्रदेश) और भोंसले (तंजावुर, तमिलनाडु) महाराष्ट्र के बाहर बस गए शक्तिशाली मराठा राजवंशों के कुछ उदाहरण हैं।

मराठा आरक्षण विधेयक की मुख्य बातें क्या हैं?

- **मराठा समुदाय के लिये आरक्षण:** यह विधेयक मराठा समुदाय को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के रूप में चिह्नित करता है तथा इस वर्ग को सरकारी नौकरियों के लिये भर्ती और सार्वजनिक एवं निजी शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के मामले में 10% आरक्षण प्रदान करता है।
  - विधेयक निर्दिष्ट करता है कि मराठा समुदाय के लिये 10% आरक्षण राज्य में मौजूदा अधिनियमों के तहत विभिन्न समुदायों के लिये आरक्षित सीटों के अतिरिक्त होगा।
- **'क्रीमी लेयर':** आरक्षण केवल उन्हीं व्यक्तियों के लिये उपलब्ध होगा जो 'क्रीमी लेयर' वर्ग में नहीं आते हैं।
  - क्रीमी लेयर का तात्पर्य पारिवारिक आय स्तर जैसे मानदंडों से है, जिसके ऊपर स्थित कोई व्यक्ति आरक्षण का लाभ पाने के लिये पात्र नहीं है।
- **रिक्तियों का आगे उपयोग:** यदि कोई आरक्षित सीट किसी वर्ष रिक्त रह जाती है तो इस रिक्ति को अगले पाँच तक के लिये उपयोग किया जा सकता है।
- **जुर्माना:** अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के साथ प्राप्त प्रवेश या नियुक्तियाँ अमान्य होंगी।
- **जाति और वैधता प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया:** मौजूदा अधिनियमों के तहत जाति प्रमाणपत्र प्रदान करने से संबंधित प्रावधान मराठा समुदाय पर भी लागू होंगे।

मराठा आरक्षण विधेयक का संवैधानिक आधार क्या है?

यह विधेयक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342A (3) के तहत मराठा समुदाय को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के रूप में निर्दिष्ट करता है। यह संविधान के अनुच्छेद 15(4), 15(5) और 16(4) के तहत इस वर्ग के लिये आरक्षण प्रदान करता है।

- अनुच्छेद 342A (3) में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य या केंद्रशासित प्रदेश सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBCs) की एक सूची तैयार कर सकता है और उसका प्रयोग कर सकता है। ये सूचियाँ केंद्रीय सूची से भिन्न हो सकती हैं।
- अनुच्छेद 15(4) राज्य को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिये या अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिये विशेष उपबंध करने का अधिकार देता है।
- अनुच्छेद 15(5) राज्य को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिये या अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिये शैक्षणिक संस्थानों (अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर) में प्रवेश के विषय में सीटों के आरक्षण का उपबंध करने में सक्षम बनाता है।
- अनुच्छेद 16(4) राज्य को नागरिकों के किसी भी ऐसे पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिये उपबंध करने का अधिकार देता है जिसका राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।

मराठा आरक्षण के पक्ष में क्या तर्क हैं?

- **विभिन्न समिति एवं आयोगों द्वारा आरक्षण की अनुशंसा:**
  - नारायण राणे समिति: वर्ष 2014 में नारायण राणे के नेतृत्व वाली समिति ने चुनावों से पहले मराठों के लिये 16% आरक्षण की अनुशंसा की थी, जिसे बाद में चुनौती दी गई और बॉम्बे हाई कोर्ट न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी।
  - गायकवाड़ आयोग: वर्ष 2018 में महाराष्ट्र सरकार ने गायकवाड़ आयोग के निष्कर्षों के आधार पर सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग (SEBC) अधिनियम बनाया, जिसके तहत मराठों को 16% आरक्षण प्रदान किया गया।
    - बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसे घटाकर शिक्षा में 12% और नौकरियों में 13% कर दिया। बाद में 50% आरक्षण सीमा के उल्लंघन के कारण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया।

नोट :

- महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (MSBCC): सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिये महाराष्ट्र राज्य आरक्षण विधेयक 2024 को महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया।
  - इस रिपोर्ट ने मराठों को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के रूप में चिह्नित किया और इनके लिये आरक्षण को उचित माना।
  - आयोग की रिपोर्ट में 'अभूतपूर्व परिस्थितियों एवं असाधारण स्थितियों' ("exceptional circumstances and extraordinary situations) का हवाला देते हुए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित 50% की सीमा से बाहर जाकर मराठा समुदाय के लिये आरक्षण को उचित ठहराया गया।
- ऐतिहासिक वंचना: मराठों का तर्क है कि महाराष्ट्र में ऐतिहासिक रूप से प्रभुत्वशाली एवं प्रभावशाली समुदाय होने के बावजूद उन्हें शिक्षा, रोज़गार एवं अन्य क्षेत्रों में वंचना का सामना करना पड़ा है। उनका मानना है कि आरक्षण से ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने और समुदाय के उत्थान में मदद करेगी।
  - गायकवाड़ आयोग ने पाया कि 76.86% मराठा परिवार कृषि एवं कृषि मजदूरी से संलग्न थे; लगभग 50% मिट्टी के घरों में रहते थे; केवल 35.39% के पास व्यक्तिगत नल जल कनेक्शन था; 13.42% मराठा निरक्षर थे एवं केवल 35.31% ने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की थी, जबकि 43.79% ने HSC एवं SSC उत्तीर्ण की थी।
- आर्थिक असमानताएँ: मराठों की एक उल्लेखनीय संख्या (विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में) आर्थिक चुनौतियों का सामना करती है और सामाजिक-आर्थिक उन्नति के अवसरों तक पहुँच की कमी रखती है। आरक्षण को उन्हें शिक्षा एवं रोज़गार के अवसरों तक बेहतर पहुँच प्रदान करने के एक साधन के रूप में देखा जाता है।
  - शुक्रे आयोग ने चरम गरीबी, कृषि आय में गिरावट और भूमि जोत में विखंडन को मराठों की कमज़ोर स्थिति का कारण बताया है। आयोग ने यह भी पाया कि राज्य में आत्महत्या से मरने वाले 94% किसान मराठा समुदाय के थे।
- सार्वजनिक सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व: मराठा आरक्षण की मांग शिक्षा एवं रोज़गार तक पहुँच को लेकर उत्पन्न चिंताओं के कारण बढ़ी है, विशेष रूप से प्रतिस्पर्द्धी परीक्षाओं के संबंध में जहाँ सीमित सीटें उपलब्ध हैं।
  - शुक्रे आयोग ने पाया कि सार्वजनिक सेवाओं के सभी क्षेत्रों में मराठा समुदाय का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है और माना कि मराठा अपने पिछड़ेपन के कारण 'मुख्यधारा से पूरी तरह से बाहर' रहे हैं।
- सामाजिक गतिशीलता: मराठों के लिये आरक्षण को समुदाय के भीतर ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता को सुविधाजनक बनाने के साधन के रूप में देखा गया है, जो वंचित पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को समग्र सामाजिक उन्नति तक पहुँचने में सक्षम बनाएगा।
  - शुक्रे आयोग ने पाया कि राज्य की आबादी में मराठों की हिस्सेदारी 28% है, जबकि उनमें से 84% पिछड़े हुए हैं। आयोग ने माना कि इतने बड़े पिछड़े समुदाय को OBC श्रेणी में नहीं जोड़ा जा सकता और इनके लिये अलग श्रेणी की आवश्यकता है।

मराठा आरक्षण के विपक्ष में क्या तर्क हैं?

- **सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन का अभाव:**
  - मराठों को ऐतिहासिक रूप से उल्लेखनीय भूमि स्वामित्व एवं राजनीतिक शक्ति प्राप्त रही थी। आलोचकों का तर्क है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े होने के आधार पर आरक्षण के मानदंडों की पूर्ति नहीं करते हैं।
  - मराठों के पास राज्य में 75% से अधिक भूमि के साथ-साथ 86 चीनी कारख़ानों (कुल 105 में से) का स्वामित्व है। इसके अलावा, वे लगभग 55% शैक्षणिक संस्थानों और 70% से अधिक सहकारी निकायों पर नियंत्रण रखते हैं।
  - राजनीतिक क्षेत्र में भी मराठों का वर्चस्व रहा है जहाँ राज्य के 20 मुख्यमंत्रियों में से 11 इसी समुदाय के रहे हैं, जबकि वर्ष 1962 से महाराष्ट्र की विधानसभा के सभी सदस्यों में से 60% से अधिक मराठा समुदाय के रहे हैं।
- **विस्तृत जाँच की आवश्यकता:**
  - आयोग ने अपना सर्वेक्षण 9 दिनों की अवधि (23 जनवरी से 31 जनवरी 2024 तक) के भीतर पूरा किया। हालाँकि, चूँकि रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है, इसलिये नमूना डिज़ाइन, प्रयुक्त प्रश्नावली या डेटा विश्लेषण के लिये नियोजित पद्धति के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है।
  - नवीन विधेयक मराठों को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग घोषित करता है, लेकिन शुक्रे आयोग की रिपोर्ट से उपलब्ध विवरण मुख्य रूप से समुदाय के आर्थिक

नोट :

पिछड़ेपन को उजागर करते हैं। उनके सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन के बारे में लगभग कुछ भी ठोस रूप से उपलब्ध नहीं है।

- आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट में यह निष्कर्ष दिया गया है कि 84% मराठे 'क्रीमी लेयर' की श्रेणी से बाहर हैं, 21.22% मराठा परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं और आत्महत्या करने वाले 94% किसान मराठा हैं। ये तीनों ही विवादास्पद दावे हैं।

- **विधिक चिंताएँ:**
  - महाराष्ट्र में वर्तमान में 52% आरक्षण लागू है, जिसमें SC, ST, OBC, विमुक्त जाति, खानाबदोश जनजाति एवं अन्य जैसी विभिन्न श्रेणियाँ शामिल हैं। मराठों के लिये 10% आरक्षण के साथ राज्य में कुल आरक्षण अब 62% तक पहुँच जाएगा।
  - सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित 50% की आरक्षण सीमा से अधिक इसे बढ़ाना विधिक चिंताएँ पैदा करता है।
  - उच्च न्यायालयों में कानूनी चुनौतियों और अंततः असफलताओं का सामना करने वाले पिछले मराठा आरक्षण प्रयासों के इतिहास को देखते हुए, नवीन विधेयक की न्यायिक संवीक्षा का सामना कर सकने की क्षमता के बारे में संदेह बना हुआ है, विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय के पिछले निर्णय के आलोक में, जहाँ कोटा के 50% सीमा से अधिक विस्तार को उचित ठहराने वाले अपर्याप्त अनुभवजन्य डेटा के कारण मराठा आरक्षण को रद्द कर दिया गया था।
- **कुणबी प्रमाणपत्र विवाद:**
  - 'सगे सोयरे' (कुनबी वंशावली वाले मराठों के विस्तारित संबंधी) को 'कुणबी' के रूप में मान्यता देने (जिससे वे OBC आरक्षण के पात्र बन जाते हैं) का प्रस्ताव करने वाली एक मसौदा अधिसूचना से विवाद उत्पन्न हो गया है।
    - विपक्षी दलों ने नए आरक्षण की व्यवहार्यता और मौजूदा OBC आरक्षण पर इसके संभावित प्रभाव के बारे में सवाल उठाये हैं।
- **राजनीतिक प्रेरणाएँ:**
  - कुछ आलोचक मराठा आरक्षण को आगे बढ़ाने के लिये चुने गए समय और राजनीतिक प्रेरणाओं को लेकर सवाल उठा रहे हैं।
  - उनका तर्क है कि यह निर्णय सामाजिक न्याय के लिये वास्तविक चिंताओं के बजाय चुनावी विचारों से प्रेरित हो सकता है।

आगे की राह

- **व्यापक सामाजिक-आर्थिक जनगणना की आवश्यकता:**
  - मराठों जैसे राजनीतिक रूप से प्रभावशाली समूहों (जिनमें आय एवं शैक्षणिक परिणामों के संदर्भ में महत्त्वपूर्ण अंतर-सामुदायिक भिन्नताओं के कारण स्तरीकरण मौजूद है) की मांगों को संबोधित करने के लिये एक व्यापक सामाजिक-आर्थिक जनगणना की आवश्यकता है।
  - इस तरह की जनगणना राज्यों में विभिन्न समूहों के पिछड़ेपन एवं भेदभाव की वास्तविक प्रकृति को स्थापित करेगी और यह सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के प्रति अडिग बने हुए डेटा-आधारित सकारात्मक कार्रवाई (affirmative action) प्रदान करने के एक नए साधन को भी स्पष्ट कर सकती है।
- **साक्ष्य-आधारित विधान:** सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित 50% कोटा सीमा से परे आरक्षण को उचित ठहराने के लिये ठोस अनुभवजन्य डेटा प्रदान करने के माध्यम से सुनिश्चित किया जाए कि मराठा आरक्षण विधेयक कानूनी रूप से सुदृढ़ और न्यायिक संवीक्षा का सामना कर सकता है।
- **व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता:**
  - जबकि आरक्षण तात्कालिक चिंताओं का समाधान कर सकता है, यह मराठों के पिछड़ेपन के मूल कारणों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने में अक्षम सिद्ध हो सकता है।
  - रोज़गार अवसरों के वृहत विस्तार को प्रायः आरक्षण नीतियों के विस्तार से अधिक आवश्यक माना जाता है।
  - सरकार को ऐसी एकीकृत नीतियाँ अपनानी चाहिये जो मराठों के लिये समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिये आरक्षण को लक्षित कल्याण कार्यक्रमों, कौशल विकास पहल और अवसंरचना परियोजनाओं के साथ संयुक्त करे।
- **भेदभावरहित निष्पक्ष प्रतिस्पर्द्धा सुनिश्चित करना:**
  - यह सुनिश्चित करना कि सभी व्यक्तियों के साथ उचित एवं भेदभावरहित व्यवहार किया जाए, समानता को बढ़ावा देने का एक बुनियादी पहलू है। इसका तात्पर्य यह है कि लोगों को उनकी पृष्ठभूमि (जैसे कि उनके माता-पिता की स्थिति) के आधार पर अलाभ या विशेषाधिकार प्राप्त नहीं हो।
  - समान स्तर पर प्रतिस्पर्द्धा को प्रोत्साहित करना महत्त्वपूर्ण है, जहाँ व्यक्तियों को अपने कौशल, क्षमताओं एवं प्रयासों के आधार पर सफल होने के समान अवसर प्राप्त होते हैं। यह व्यक्तियों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के लिये प्रेरित करने के माध्यम से उत्कृष्टता को बढ़ावा देता है।

नोट :

- **आरक्षण और योग्यता को संतुलित करना:** समुदायों को आरक्षण देते समय प्रशासन की दक्षता को भी देखना होगा। सीमा से अधिक आरक्षण से योग्यता की अनदेखी होगी जिससे समग्र प्रशासन प्रभावित होगा।
  - आरक्षण का मुख्य उद्देश्य कम सुविधा प्राप्त समुदायों के साथ हुई ऐतिहासिक गलतियों के मुद्दे को संबोधित करना है, लेकिन एक निश्चित बिंदु से परे योग्यता की भी अनदेखी नहीं की जानी चाहिये।

निष्कर्ष:

आरक्षण नीति भारत में एक सबल एवं समावेशी समाज को बढ़ावा देने के लिये एक महत्त्वपूर्ण साधन के रूप में कार्य करती है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता समाज के सबसे हाशिये पर स्थित वर्गों के उत्थान की क्षमता पर निर्भर करती है। हालाँकि, जब व्यक्तिगत लाभ के लिये आरक्षण लाभों का दुरुपयोग या हेरफेर किया जाता है तो यह नीति की अखंडता को कमज़ोर कर सकता है और असमानताओं को बनाये रख सकता है।

भारत वंचितों के वास्तविक कल्याण पर ध्यान केंद्रित कर और सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण के लिये पूरक उपायों को लागू कर ऐसे भविष्य की ओर आगे बढ़ सकता है जहाँ सभी के लिये समानता, अवसर और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त हो।

भारतीय हिमालय क्षेत्र में प्लास्टिक अपशिष्ट संकट

उच्चतम पर्वत शिखरों से लेकर गहनतम समुद्री खाइयों तक, प्लास्टिक सर्वव्यापी स्थिति रखता है। इसे मानव फेफड़ों और प्लेसेंटा के अंदर भी पाया गया है। अनुचित तरीके से निपटाए गए प्लास्टिक के बड़े टुकड़ों के क्षरण एवं विखंडन से प्लास्टिक के सूक्ष्म कणों या 'माइक्रोप्लास्टिक' (Microplastics) का निर्माण होता है। हिमालय के पहाड़ों, नदियों, झीलों और जलधाराओं में माइक्रोप्लास्टिक का जमाव एवं संचय पाया गया है।

भारतीय हिमालय क्षेत्र (Indian Himalayan Region- IHR) उपमहाद्वीप में जल का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत है, जो भारत की कई प्रमुख नदियों को जल प्रदान करता है। इसमें सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणालियाँ शामिल हैं। अवैज्ञानिक प्लास्टिक निपटान से IHR में मृदा एवं जल प्रदूषण हो रहा है और क्षेत्र की जैव विविधता पर असर पड़ रहा है। इसका ताज़े जल के स्रोतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जिन पर अनुप्रवाह क्षेत्र के समुदाय निर्भर हैं।

भारतीय हिमालय क्षेत्र (IHR):

- यह भारत के उस पर्वतीय क्षेत्र को संदर्भित करता है जो देश के भीतर संपूर्ण हिमालय शृंखला को दायरे में लेता है। यह भारत के उत्तर-पश्चिमी भाग में जम्मू-कश्मीर से लेकर भूटान, नेपाल और तिब्बत (चीन) जैसे देशों के सीमावर्त्ती पूर्वोत्तर राज्यों तक विस्तृत है।
- IHR में 11 राज्य (हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड , सिक्किम, सभी पूर्वोत्तर राज्य और पश्चिम बंगाल) और 2 केंद्रशासित प्रदेश (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख) शामिल हैं।

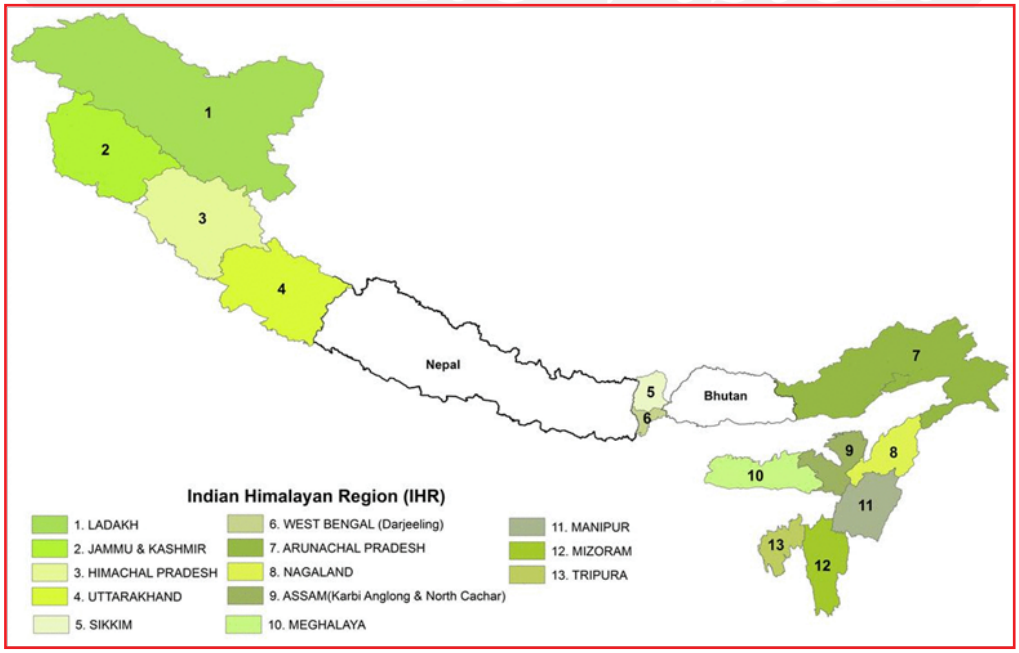

नोट :

IHR में बढ़ते प्लास्टिक प्रदूषण के हालिया संकेतक क्या हैं?

- **SDC की रिपोर्ट:**
  - सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटीज़ (SDC) फाउंडेशन (देहरादून) की एक हालिया रिपोर्ट, जिसमें प्लास्टिक अपशिष्ट में दबते उत्तराखंड के शहरों की दुर्दशा को उजागर किया गया है, इस संकट की ओर गंभीर ध्यान आकर्षित करता है।
- **NGT के निष्कर्ष:**
  - नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने पर्यटकों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों में अपशिष्ट निपटान के संबंध में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC), केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) तथा हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी किया।
    - इससे पर्यटकों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा बिना किसी रोक-टोक के अपशिष्ट निपटान का मामला सुर्खियों में आया है।
- **रामसर स्थल दीपोर बील (Deepor Beel) का अवलोकन:**
  - असम में दीपोर बील रामसर स्थल पर ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क या गरुड़ आर्द्रभूमि में मछली के बजाय भराव-क्षेत्र (लैंडफिल) में प्लास्टिक अपशिष्ट खाते देखे गए हैं। मणिपुर में नंबुल सहित विभिन्न नदियों में बढ़ते प्रदूषण की व्यापक रूप से रिपोर्टिंग की गई है।
- **हिमालयन क्लीन अप (वर्ष 2018-21) के ऑडिट परिणाम:**
  - 'इंटीग्रेटेड माउंटेन इनिशिएटिव' (Integrated Mountain Initiative) और 'ज़ीरो वेस्ट हिमालयाज़' (Zero Waste Himalayas) द्वारा आयोजित हिमालयन क्लीन अप (Himalayan Clean up) तथा राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (National Productivity Council-NPC) के अपशिष्ट एवं ब्रांड ऑडिट द्वारा से पता चलता है कि IHR में प्लास्टिक अपशिष्ट, विशेष रूप से गैर-पुनर्चक्रण योग्य (non-recyclables) अपशिष्ट, की वृद्धि हो रही है।
    - हिमालयन क्लीन अप (2022) अपशिष्ट ऑडिट परिणामों से पता चला कि अपशिष्टों का 92.7% प्लास्टिक था, जिसमें 72% अपशिष्ट गैर-पुनर्चक्रण योग्य प्लास्टिक था।

भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित चिंताएँ क्या हैं?

- **अति उच्च कुप्रबंधित अपशिष्ट सूचकांक (Mismanaged Waste Index- MWI):**
  - भारत ने वर्ष 2023 में 6 जनवरी को 'प्लास्टिक ओवरशूट डे' (plastic overshoot day) की स्थिति प्राप्त कर ली, जो विशेष रूप से इसलिये चौंकाने वाला रहा क्योंकि CPCB के विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (Extended Producer Responsibility-EPR) पोर्टल का दावा है कि प्लास्टिक अपशिष्ट से निपटने के लिये एक प्रणालीगत क्षमता मौजूद है। भारत विश्व में (केन्या, नाइजीरिया और मोज़ाम्बिक के बाद) 98.55% के स्तर साथ उच्चतम MWI में से एक रखता है, जो अपशिष्ट प्रबंधन क्षमता एवं प्लास्टिक की खपत में अंतर को प्रकट करता है।
- **अति निम्न अपशिष्ट पुनर्चक्रण दर (Waste Recycling Rate):**
  - भारत सरकार का दावा है कि वह 60% प्लास्टिक अपशिष्ट का पुनर्चक्रण करती है। 'सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट' (CSE) द्वारा CPCB डेटा का उपयोग कर किये गए सांख्यिकीय विश्लेषण में पाया गया कि भारत अपने प्लास्टिक अपशिष्ट के केवल 12% का पुनर्चक्रण (मैकेनिकल रीसाइक्लिंग के माध्यम से) कर रहा है।
    - इस अपशिष्ट के लगभग 20% भाग का एंड-ऑफ-लाइफ समाधानों- जैसे कि सह-भस्मीकरण (co-incineration), प्लास्टिक से ईंधन निर्माण और सड़क निर्माण के लिये उपयोग किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि हम अपने प्लास्टिक अपशिष्ट के 20% का दहन कर रहे हैं लेकिन इसे पुनर्चक्रण कह रहे हैं, जबकि 68% प्लास्टिक अपशिष्ट गणना से बाहर है।
- **पहाड़ों की आवश्यकताओं को चिह्नित करने का अभाव:**
  - ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम (SWM) 2016, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (PWM) नियम 2016 और EPR 2022 भारत के लिये प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन हेतु नियामक ढाँचे का गठन करते हैं।
  - SWM द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं को चिह्नित किया जाता है, लेकिन स्थानीय निकायों और उत्पादकों, आयातकों एवं ब्रांड मालिकों (Producers,

नोट :

Importers and Brand Owners-PIBOs) दोनों के लिये अधिदेश बनाते समय इसे ध्यान में नहीं रखा जाता है, जबकि PWM और EPR तो पहाड़ों की विशेष आवश्यकताओं को चिह्नित तक नहीं करते हैं।

- **भराव-क्षेत्र (लैंडफिल) से निक्षालन:**
  - अपशिष्ट पृथक्करण (Waste segregation) बस कागज पर मौजूद है, निकट अवलोकन से लैंडफिल मिश्रित अपशिष्ट से भरे हुए दिखाई देते हैं। मिश्रित अपशिष्ट से होने वाला निक्षालन (Leachate) मृदा एवं भूजल प्रदूषण का कारण बनता है, जबकि ऐसे मिश्रित अपशिष्ट कचरे से निकलने वाली गैस वायु प्रदूषण का कारण बनती है। पुनर्चक्रण-योग्य प्लास्टिक अपशिष्ट की भारी मात्रा लैंडफिल में पड़ी रहती है।

IHR में बढ़ते प्लास्टिक प्रदूषण के पीछे के विभिन्न कारण क्या हैं?

- **अपशिष्ट संग्रहण की अकुशल अवसंरचना:**
  - नीति आयोग और विश्व बैंक की विभिन्न रिपोर्ट का अनुमान है कि IHR वर्तमान में प्रति वर्ष पाँच से आठ मिलियन मीट्रिक टन से अधिक अपशिष्ट उत्पन्न करता है। वर्ष 2010 के बाद से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में 400 मिलियन से अधिक पर्यटकों का आगमन हुआ और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के मामले में ये सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल हैं।
    - अकुशल अपशिष्ट संग्रहण और अवसंरचना के कारण 60% से अधिक अपशिष्ट गंगा, यमुना एवं सतलज जैसी प्रमुख नदियों में फेंक दिये जाते हैं, उन्हें जला दिया जाता है या नदी अनुप्रवाह में बहा दिया जाता है।
    - अपशिष्ट के निपटान का स्थानीय वनस्पतियों एवं जीवों की 30,000 से अधिक प्रजातियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जिनमें से कुछ दुर्लभ हैं और विलुप्त होने के कगार पर हैं।
- **ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोग पैटर्न में बदलाव:**
  - हाल के दशकों में टिकाऊ एवं उपभोग्य वस्तुएँ (durables and consumables)—विशेष रूप से बहुस्तरीय प्लास्टिक पैकेजिंग में उपलब्ध फास्ट-मूविंग उपभोक्ता वस्तुएँ (FMCGs), हिमालय क्षेत्र के अधिकांश ग्रामों तक पहुँच गई हैं। कपड़े, लकड़ी, पत्ते, बाँस और अन्य स्थानीय सामग्रियों से बने घरेलू उत्पाद बड़े पैमाने पर सस्ते प्लास्टिक उत्पादों से प्रतिस्थापित होते जा रहे हैं।
    - उदाहरण के लिये, उत्तरकाशी में गोविंद वन्यजीव अभयारण्य (एक हिम तेंदुआ संरक्षण क्षेत्र) के अंदर बसी आबादी और हर वर्ष वहाँ आने वाले हज़ारों पर्यटक प्रति माह 15 मीट्रिक टन से अधिक शुष्क अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं, जिन्हें या तो जंगल/नदी/पहाड़ में डंप कर दिया जाता है या उन्हें जलाया जाता है।
- **पर्यटकों की भारी आमद और एकल-उपयोग उत्पाद:**
  - सड़क, ट्रेन और हवाई मार्ग से यात्रा के विकल्पों की वृद्धि के साथ हिमालयी राज्यों में पर्यटकों का आगमन तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके अतिरिक्त, वे अधिक सुदूर ग्रामीण स्थलों और ट्रैकिंग मार्गों पर जाने लगे हैं। उनके शहरी उपभोग पैटर्न स्थानीय निवासियों को प्रेरित करते हैं कि वे पर्यटन, खाद्य एवं आतिथ्य क्षेत्रों द्वारा उत्पन्न बड़ी मांग को पूरा करने के लिये पैकेज्ड FMCGs, पॉलीइथाइलीन टेरेफ्थेलेट (PET) बोतलें और एकल-उपयोग प्लास्टिक की खरीद-बिक्री से संलग्न हों। इससे पर्यटन क्षेत्रों में और उसके आसपास बड़े पैमाने पर कूड़ा-कचरा फैलाने, उनकी डंपिंग और उनके दहन की स्थिति बनी है।
- **लॉजिस्टिक्स आदि के लिये दुर्गम क्षेत्र:**
  - दुर्गम हिमालयी इलाके दैनिक परिचालन की लागत को बढ़ाते हैं, परिवहन लॉजिस्टिक्स को जटिल बनाते हैं और निकटतम रीसाइक्लिंग कारख़ानों तक पहुँच को कठिन बनाते हैं। IHR में सूखे अपशिष्ट प्रसंस्करण (सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाओं) और गीले अपशिष्ट प्रसंस्करण (खाद या बायोगैस इकाइयों) की कमी है। निर्दिष्ट अनौपचारिक डंपिंग पॉइंट आमतौर पर नदी तट के आसपास होते हैं ताकि मानसून के दौरान अपशिष्ट बह सके।
- **विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) की पहुँच का अभाव:**
  - भले ही पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत EPR अधिदेश के एक हिस्से के रूप में FMCG ब्रांडों के लिये अपने प्लास्टिक अपशिष्ट के लिये रिवर्स लॉजिस्टिक्स (reverse logistics) की स्थापना एवं समर्थन को अनिवार्य बनाया है, लेकिन अधिकांश ब्रांड संग्रह की उच्च लागत के कारण पहाड़ी क्षेत्र में रिवर्स लॉजिस्टिक्स में निवेश नहीं करते हैं।
    - इसके अलावा, इन ग्रामों में उपलब्ध कई उत्पाद स्थानीय ब्रांडों द्वारा उत्पादित किये जाते हैं, जिनके पास

नोट :

रिवर्स लॉजिस्टिक्स में निवेश करने की क्षमता नहीं है। पर्यटक अपने साथ अधिक लोकप्रिय ब्रांडों के उत्पाद लेकर आते हैं और जो अपशिष्ट वे छोड़ जाते हैं, उसका संग्रहण या पुनर्चक्रण नहीं किया जाता है।

- **नीति प्रवर्तन और अभिसरण का अभाव:**
  - IHR में अपशिष्ट संग्रह व्यवस्थित नहीं है और अपशिष्ट को तुरंत या तो निर्दिष्ट स्थलों पर फेंक दिया जाता है (जहाँ पर्यावरणीय मंज़ूरी नहीं होती है) या सीधे नदी अनुप्रवाह में बहा दिया जाता है। अनौपचारिक कचरा बीनने वाले और स्क्रैप डीलर सामग्री पुनर्प्राप्ति में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, लेकिन वे केवल पीईटी प्लास्टिक, धातु, कार्डबोर्ड एवं काँच जैसी उच्च मूल्य वाली सामग्री में ही रुचि रखते हैं।
    - इसके अतिरिक्त, इस तरह का कचरा उठाव शहरी एवं पर्यटन क्षेत्रों तक ही सीमित है। स्थानीय और अस्थायी आबादी द्वारा तेज़ी से बढ़ते अपशिष्ट उत्पादन का प्रबंधन कर सकने के लिये अधिकांश ग्राम पंचायतें एवं ग्राम या प्रखंड विकास पदाधिकारी पर्याप्त साधनों का अभाव रखते हैं।

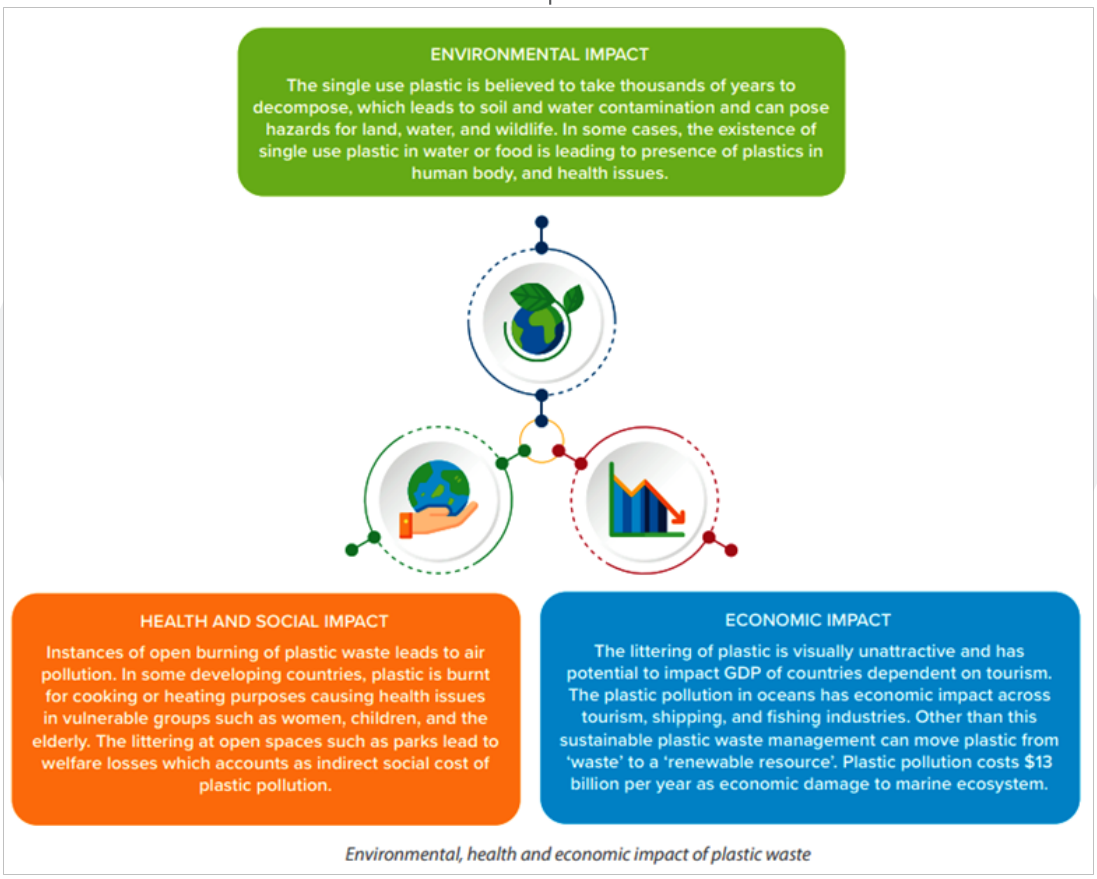

Environmental, health and economic impact of plastic waste

- **सरकारी विभागों के बीच अप्रभावी सहयोग :**
  - विभिन्न सरकारी विभागों के बीच प्रभावी सहयोग की कमी एक बड़ी चुनौती है। उदाहरण के लिये, पेयजल और स्वच्छता विभाग 'स्वच्छ भारत मिशन- ग्रामीण' की निगरानी करता है, जो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई के निर्माण के लिये प्रति प्रखंड 16 लाख रुपए प्रदान करता है। इन निधियों का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी पंचायती राज विभाग को सौंपी गई है।
    - हालाँकि, स्वजल (SWAJAL) की भूमिका इकाई के निर्माण तक ही सीमित है और इस बारे में अनिश्चितता है कि इसके संचालन का प्रबंधन कौन करेगा। ग्राम प्रधान इन अनुदानों का उपयोग रोज़मर्रा के कार्यों के लिये करने में संकोच रखते हैं क्योंकि ऐसी गतिविधियों के लिये इसके पूरा होने के प्रमाण (जियोटैगिंग के माध्यम से) की आवश्यकता होती है, जो नियमित कार्यों के लिये संभव नहीं है।

नोट :

- **सामाजिक कलंक और अनौपचारिक आजीविका:**
  - आजीविका के साधन के रूप में कचरा बीनने से एक सामाजिक कलंक जुड़ा हुआ है। अधिकांश शहरी क्षेत्रों में अनौपचारिक प्रवासी श्रमिक अपशिष्ट संग्रहण एवं पृथक्करण के कार्य में संलग्न होते हैं। हालाँकि, ग्रामीण क्षेत्र इन प्रवासी श्रमिकों को आकर्षित नहीं करते हैं, जिससे संकट और बढ़ जाता है जो युद्ध स्तर पर तत्काल निवारण की आवश्यकता रखता है।
- **अपर्याप्त वित्तपोषण क्षमता:**
  - ध्यान देने योग्य एक अन्य महत्त्वपूर्ण कारक यह है कि 'स्वच्छ भारत मिशन- ग्रामीण' के दिशानिर्देशों के तहत केंद्र सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों को प्रदान की जाने वाली प्रति व्यक्ति राशि अधिक जनसंख्या घनत्व वाले मैदानी क्षेत्र के गाँवों की तुलना में पहाड़ी क्षेत्रों में व्यापक रूप से फैली आबादी और दुर्गम इलाके के खर्च को पूरा करने के लिये अपर्याप्त है।

IHR में संकट के शमन के लिये किन क़दमों की आवश्यकता हैं?

- **पर्याप्त निवेश सुनिश्चित करना:**
  - समस्या की प्रणालीगत प्रकृति का अर्थ यह है कि इसके लिये किसी एक संस्था या हितधारक को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। निश्चित रूप से, IHR में अपशिष्ट प्रबंधन समस्या को हल करने की तत्काल आवश्यकता है, लेकिन इस दिशा में मौजूदा प्रयास मुद्दे के पैमाने के अनुरूप नहीं हैं।
  - समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने में महत्त्वपूर्ण वैश्विक निवेश से प्रेरणा ग्रहण करते हुए, यह उपयुक्त समय है कि हम वृहत हिमालय की रक्षा के लिये भी आवश्यक संसाधनों का निवेश करें।
- **ग्रामीण निवासियों के साथ समन्वय:**
  - अपशिष्ट प्रदूषण के कारण होने वाली पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के अलावा, ग्राम पंचायतों, ग्राम विकास अधिकारियों और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जैसी राष्ट्रीय संस्थाओं को इस कलंक को दूर करने के लिये ग्रामीण निवासियों के साथ समन्वयन एवं कार्य करना चाहिये तथा उनके लिये अपशिष्ट संग्रहण संचालन, सामग्री पुनर्प्राप्ति और वैकल्पिक उत्पादों के लिये बाज़ार संपर्क के विषय में आजीविका के अवसर पैदा करने के प्रयासों का समर्थन करना चाहिये।
- **KGGTF के सहयोग से विश्व बैंक का अध्ययन:**
  - विश्व बैंक ने कोरियन ग्रीन ग्रोथ ट्रस्ट फंड (KGGTF) के सहयोग से डेटा अंतराल को दूर करने और भारत, नेपाल एवं पाकिस्तान के पर्वतीय क्षेत्रों में वर्तमान प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (PWM) स्थिति का विश्लेषण करने के लिये एक क्षेत्रीय अध्ययन आयोजित किया।
  - अध्ययन की एक प्रमुख अनुशंसा एक व्यवस्थित एवं चरणबद्ध दृष्टिकोण अपनाना है जो भारत, नेपाल और पाकिस्तान के पर्वतीय क्षेत्रों में PWM सेवाओं में सुधार पर लक्षित हो।
  - वह दृष्टिकोण सबसे उपयुक्त होगा जिसमें चरणबद्ध तरीके से कार्य किया जाता है, क्योंकि SWM से संबंधित कई ऐसी गतिविधियाँ हैं जो एक साथ की जाती हैं।
  - एक बहु-स्तरीय प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि सरकार और अन्य भागीदार अपशिष्ट प्रबंधन चक्र में सभी गतिशील भागों का प्रबंधन करने में सक्षम हैं, जिसमें संस्थागत क्षमता, नीति निर्माण एवं प्रवर्तन, अपशिष्ट उत्पादकों के व्यवहार को प्रभावित करना और प्रौद्योगिकियों में सुधार करना शामिल है।
- **राज्य विशिष्ट पहलों को अपनाने की आवश्यकता:**
  - IHR के राज्य भी इस संकट के शमन के लिये विधि निर्माण सहित विभिन्न पहलें कर रहे हैं, जिन्हें अन्य राज्यों द्वारा भी अपनाये जाने की आवश्यकता है।
  - हिमाचल प्रदेश और सिक्किम में प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले विशेष राज्य कानून लागू किये गए हैं।
  - हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2019 से गैर-पुनर्चक्रण योग्य और एकल-उपयोग प्लास्टिक अपशिष्ट के लिये एक पुनर्खरीद या 'बाय बैक' नीति (buy back policy) अपनाई गई है।
  - सिक्किम ने जनवरी 2022 से पैकेज्ड मिनरल वाटर के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है और इस दिशा में एक मज़बूत नियामक प्रणाली रखता है।
  - मिज़ोरम नियामक मोर्चे पर पर्याप्त सक्रिय रहा है जहाँ आइज़ोल नगर निगम ने वर्ष 2019 में PWM के तहत उपनियम बनाए।
  - त्रिपुरा ने नीति में बदलाव किये हैं, नगरपालिका उपनियम बनाए हैं और एकल उपयोग प्लास्टिक के उन्मूलन के लिये एक राज्य-स्तरीय कार्यबल स्थापित किये हैं।

नोट :

- **विभिन्न प्रकार के प्लास्टिकों का पृथक्करण:**
  - SWM/PWM/EPR के सामूहिक अधिदेश के तहत स्रोत पर अपशिष्ट पृथक्करण की आवश्यकता होती है। वैज्ञानिक एवं संवहनीय तरीके से प्लास्टिक अपशिष्ट के निपटान की किसी भी रणनीति के लिये न केवल प्लास्टिक का अन्य अपशिष्टों से बल्कि विभिन्न प्रकार के प्लास्टिकों का पृथक्करण एक पूर्व-शर्त है।
  - अपशिष्ट का पृथक्करण और इस प्रयास में लोगों की भागीदारी के साथ ही सतत जनजागरूकता अभियान अनिवार्य शर्त है।
- **स्थानीय निकायों को शक्तियाँ हस्तांतरित करना:**
  - SWM, PWM और EPR के तहत अपशिष्ट प्रबंधन (उनके संग्रहण से लेकर वैज्ञानिक निपटान तक) करना स्थानीय निकायों का कर्तव्य है। वे प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना और संचालन के लिये PIBOs से मदद ले सकते हैं, जैसा EPR के तहत निर्दिष्ट है। स्थानीय निकाय देश में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की धुरी हैं, लेकिन उन्हें अभी भी शक्ति का आनुपातिक हस्तांतरण नहीं किया गया है।
  - IHR में PIBO द्वारा अर्जित EPR प्रमाणपत्र का मूल्य (संसाधित प्रति टन प्लास्टिक अपशिष्ट के लिये) देश के शेष हिस्सों में अर्जित प्रमाणपत्र से अधिक हो सकता है।
- **पारंपरिक संस्थानों को शामिल करना:**
  - IHR के संबंध में पारंपरिक संस्थानों को स्थानीय निकायों की परिभाषा में शामिल करने की आवश्यकता है (जैसा पूर्वोत्तर के कई राज्यों में प्रचलित है)। यह ध्यान रखना महत्त्वपूर्ण है कि स्वच्छ भारत मिशन (SBM) और पंद्रहवें वित्त आयोग के तहत इन पारंपरिक संस्थानों को धन आवंटित किया गया था।
  - कुछ ही राज्यों ने मॉडल उप-कानून बनाए हैं और कुछ ही स्थानीय निकायों ने अधिदेश को क्रियान्वित करने के लिये स्वयं उप-कानून बनाए हैं। स्थानीय निकायों और PIBOs के बीच सहयोग सुनिश्चित करने के अधिदेश के संबंध में स्पष्टता का अभाव है।
- **समृद्ध जैव विविधता को अपशिष्ट प्रबंधन के साथ एकीकृत करना:**
  - उचित संसाधन आवंटन और समर्थन की आवश्यकता है जो पर्वतीय अपशिष्ट प्रबंधन की विशिष्ट भौगोलिक चुनौतियों को ध्यान में रखने के अलावा IHR की समृद्ध जैव विविधता, पारिस्थितिक संवेदनशीलता एवं भंगुरता को ध्यान में रखे और इसे प्रतिबिंबित करे।
- **डेटा अंतराल को दूर करना:**
  - भारतीय हिमालयी क्षेत्र के राज्यों में उत्पन्न अपशिष्ट की मात्रा एवं गुणवत्ता के संदर्भ में डेटा अंतराल को दूर किया जाना चाहिये। SBM जैसे पहले से मौजूद कार्यक्रमों में अभिसरण, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम 2005 और वित्त आयोग के अनुदान का उपयोग बुनियादी ढाँचे के निर्माण, रखरखाव एवं परिचालन के क्रियान्वयन के लिये किया जा सकता है।
- **त्वरित आधार पर संसाधन वृद्धि:**
  - परोपकारी योगदान और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि के प्रणालीगत प्रबंधन के लिये स्थापित 'स्वच्छ भारत कोष ट्रस्ट' का उपयोग संसाधन वृद्धि (Resource augmentation) के लिये भी किया जा सकता है।
  - कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिये अटल मिशन (AMRUT) और स्मार्ट सिटी योजना— जिसके तहत भारतीय हिमालयी क्षेत्र के कई शहरों का चयन किया गया है, वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन और भारतीय हिमालयी क्षेत्र के शहरों को प्लास्टिक मुक्त बनाने के मुद्दे पर भी अभिसरण में कार्य कर सकते हैं।

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विभिन्न पहलें कौन-सी हैं?

- **भारत में:**
  - प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2022 (Plastic Waste Management (Amendment) Rules, 2022)
  - विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (Extended Producer Responsibility- EPR)
  - एकल उपयोग प्लास्टिक के उन्मूलन और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर राष्ट्रीय डैशबोर्ड (National Dashboard on Elimination of Single Use Plastic and Plastic Waste Management)
  - भारत प्लास्टिक समझौता (India Plastics Pact)
  - प्रोजेक्ट 'रीप्लान' (Project REPLAN)
- **विश्व में:**
  - एकल-उपयोग प्लास्टिक पर यूरोपीय संघ का निर्देश (European Union' Directive on Single-Use Plastics)

नोट :

- 'क्लोजिंग द लूप' (Closing the loop)
- वैश्विक पर्यटन प्लास्टिक पहल (The Global Tourism Plastics initiative)

निष्कर्ष:

उच्चतम पर्वत शिखरों से लेकर गहनतम समुद्री खाइयों तक और यहाँ तक कि मानव शरीर के अंदर भी प्लास्टिक की सर्वव्यापी उपस्थिति कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है। प्लास्टिक के अनुपयुक्त निपटान से माइक्रोप्लास्टिक का निर्माण होता है जो भारतीय उपमहाद्वीप के हिमालय पर्वतमाला और नदियों, झीलों, जलधाराओं में पाए जा रहे हैं। बेहतर डेटा संग्रह और संसाधन आवंटन, विशेष रूप से पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील हिमालयी क्षेत्र में, की प्रबल आवश्यकता है। सफल अपशिष्ट पृथक्करण एवं प्रबंधन के लिये सार्वजनिक शिक्षा और सामुदायिक भागीदारी महत्त्वपूर्ण है। पर्वतीय क्षेत्रों में उच्च मूल्य युक्त EPR प्रमाणपत्रों की संभावना को देखते हुए स्थानीय निकायों और उत्पादकों के बीच सहयोग भी आवश्यक है।

■■■

महत्त्वपूर्ण खनिजों की पहेली

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2023 में महत्त्वपूर्ण खनिजों (Critical Minerals) के विषय में दो महत्त्वपूर्ण कदम उठाये गए। पहला कदम यह रहा कि जुलाई 2023 में 30 महत्त्वपूर्ण खनिजों (दुर्लभ मृदा तत्त्व के अलावा, जिन्हें आवर्त सारणी में स्पष्ट रूप से चिह्नित किया गया है) की एक सूची की पहचान की गई, जबकि दूसरा कदम यह रहा कि महत्त्वपूर्ण खनिजों/दुर्लभ मृदा तत्वों के 20 ब्लॉकों की नीलामी में निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति देने के लिये नवंबर 2023 में मौजूदा खनन कानूनों में संशोधन किया गया।

खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2023:

- मूल अधिनियम (वर्ष 1957 का अधिनियम) के तहत कुछ निर्दिष्ट मामलों को छोड़कर रियायतों की नीलामी राज्य सरकारों द्वारा की जाती थी।
- वर्ष 2023 के संशोधित अधिनियम में कहा गया है कि निर्दिष्ट महत्त्वपूर्ण एवं रणनीतिक खनिजों के लिये समग्र लाइसेंस और खनन पट्टे की नीलामी केंद्र सरकार द्वारा आयोजित की जाएगी।
- इन खनिजों में लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, फॉस्फेट, पोटाश, टिन आदि शामिल हैं। हालाँकि रियायतें अभी भी राज्य सरकार की ओर से प्रदान की जाएँगी।

दुर्लभ मृदा तत्व (Rare Earth Elements-REEs):

- दुर्लभ पृथ्वी तत्व आवर्त सारणी में 17 रासायनिक तत्वों का एक समूह है—विशेष रूप से स्कैंडियम (scandium) और येट्रियम (yttrium) के साथ 15 लैंथेनाइड्स (lanthanides) का समूह। दुर्लभ मृदा तत्व जैसे उनके नाम के बावजूद वस्तुत: वे पृथ्वी के क्रस्ट में अपेक्षाकृत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन वे शायद ही कभी ऐसी सांद्रता में पाए जाते हैं कि उनका आर्थिक रूप से दोहन किया जा सके।
- REEs में कुछ विशिष्ट गुण पाए जाते हैं जो उन्हें स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक वाहन, विंड टरबाइन और रक्षा प्रणालियों सहित आधुनिक प्रौद्योगिकियों की एक विस्तृत श्रृंखला में महत्त्वपूर्ण घटक बनाते हैं। उनका उपयोग चुंबक, उत्प्रेरक (catalysts), फॉस्फोरस और ऐसे कई अन्य अनुप्रयोगों में किया जाता है जहाँ उनके विशिष्ट गुण आवश्यक होते हैं।

महत्त्वपूर्ण खनिज (Critical Minerals) क्या हैं?

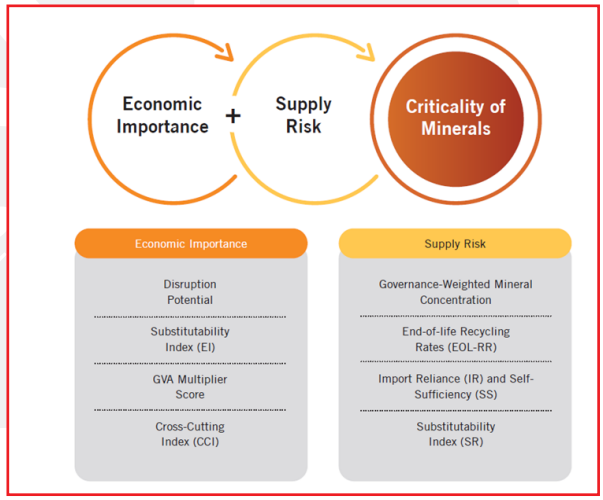

- **परिचय:**
  - महत्त्वपूर्ण खनिज ऐसे खनिज हैं जो आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये आवश्यक हैं; इन खनिजों की उपलब्धता की कमी या कुछ भौगोलिक स्थानों में निष्कर्षण या प्रसंस्करण की एकाग्रता से आपूर्ति श्रृंखला की भेद्यता और यहाँ तक कि आपूर्ति में व्यवधान की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
    - महत्त्वपूर्ण खनिजों की कोई विशेष परिभाषा नहीं है और विभिन्न देश अपने स्वयं के मानदंडों का उपयोग कर अपने लिये महत्त्वपूर्ण खनिजों की पहचान करते हैं।

नोट :

- **महत्त्वपूर्ण खनिजों की घोषणा:**
  - यह एक गतिशील प्रक्रिया है और यह समय के साथ नई प्रौद्योगिकियों, बाज़ार की गतिशीलता एवं भू-राजनीतिक विचारों के उभार के साथ विकसित हो सकती है।
  - विभिन्न देशों के पास अपनी विशिष्ट परिस्थितियों और प्राथमिकताओं के आधार पर महत्त्वपूर्ण खनिजों की अपनी विशिष्ट सूची हो सकती है।
    - अमेरिका ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा या आर्थिक विकास में कुछ खनिजों की भूमिका के मद्देनजर 50 खनिजों को महत्त्वपूर्ण खनिज घोषित किया है।
    - जापान ने 31 खनिजों के एक समूह को अपनी अर्थव्यवस्था के लिये महत्त्वपूर्ण खनिज माना है।
    - इसी प्रकार, यूके ने 18, यूरोपीय संघ ने 34 और कनाडा 31 खनिजों को महत्त्वपूर्ण खनिज घोषित किया है।
- **भारत के लिये महत्त्वपूर्ण खनिज:**
  - भारत ने अपने महत्त्वपूर्ण खनिजों की पहचान उनकी व्यवधान क्षमता, प्रतिस्थापन क्षमता, विभिन्न क्षेत्रों में क्रॉस-कटिंग उपयोग, आयात निर्भरता, पुनर्चक्रण दरों आदि के आधार पर की है।
  - खान मंत्रालय के तहत विशेषज्ञ समिति ने भारत के लिये 30 महत्त्वपूर्ण खनिजों के एक समूह की पहचान की है। इनमें शामिल हैं:
    - एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्मथ, कोबाल्ट, कॉपर, गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, हेफनियम, इंडियम, लिथियम, मोलिब्डेनम, नायोबियम, निकेल, PGE, फॉस्फोरस, पोटाश, REE, रेनियम, सिलिकॉन, स्ट्रोंटियम, टैंटलम, टेल्यूरियम, टिन, टाइटेनियम, टंगस्टन, वैनेडियम, ज़िरकोनियम, सेलेनियम और कैडमियम।
  - जिन राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में ये 30 चिह्नित महत्त्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं, वे हैं: बिहार, गुजरात, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और जम्मू-कश्मीर।
    - समिति ने खान मंत्रालय के तहत महत्त्वपूर्ण खनिजों के लिये उत्कृष्टता केंद्र (Centre of Excellence for Critical Minerals (CECM) के गठन की भी सिफ़ारिश की है। CECM आवधिक रूप से भारत के लिये महत्त्वपूर्ण खनिजों की सूची को अद्यतन करेगा और समय-समय पर महत्त्वपूर्ण खनिज रणनीति को अधिसूचित करेगा।

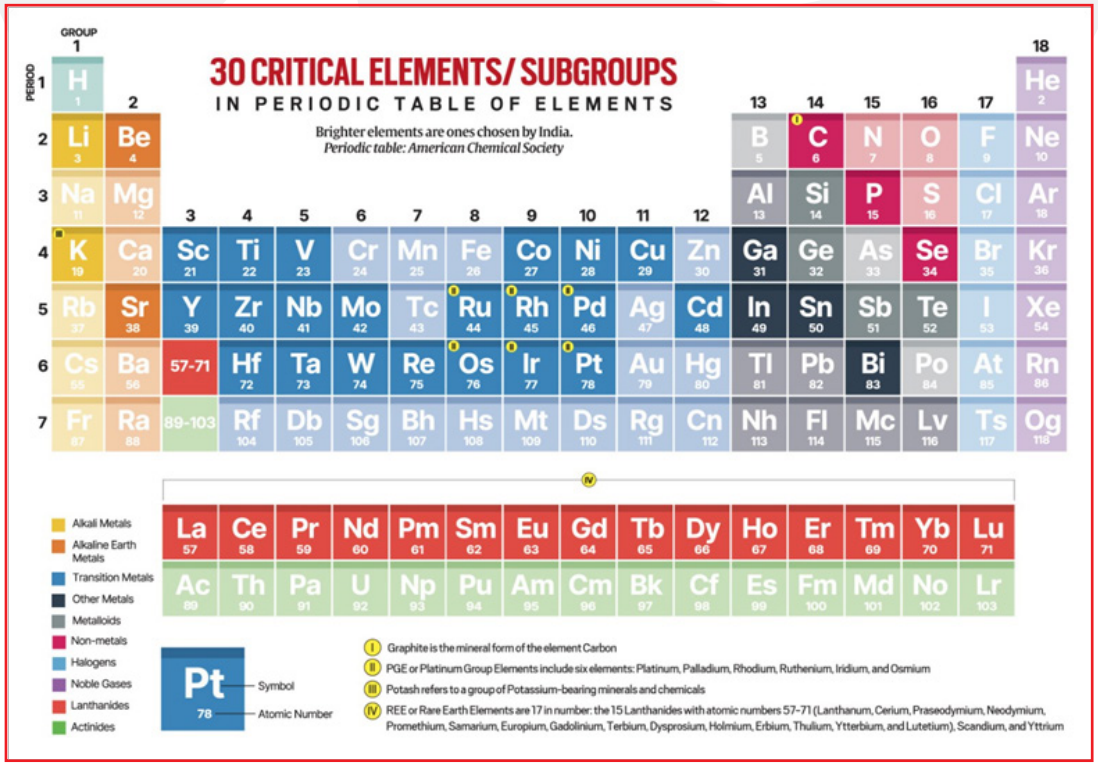

नोट :

विश्व भर में महत्त्वपूर्ण खनिजों के लिये वर्तमान परिदृश्य क्या है?

- **महत्त्वपूर्ण खनिजों की मांग और बाज़ार में तेज़ वृद्धि:**
  - वर्ष 2017 से 2022 के बीच लिथियम की मांग में तीन गुना वृद्धि हुई, जबकि कोबाल्ट की मांग में 70% और निकेल की मांग में 40% की वृद्धि देखी गई। इन खनिजों की मांग में वृद्धि मुख्यत: ऊर्जा क्षेत्र की मांग से अभिप्रेरित थी।
  - अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) ने अनुमान लगाया है कि पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने के लिये अगले दो दशकों में महत्त्वपूर्ण खनिजों की कुल मांग में स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की हिस्सेदारी तांबे एवं दुर्लभ मृदा तत्वों के लिये 40%, निकेल एवं कोबाल्ट के लिये 60-70% और लिथियम के लिये 90% से अधिक होगी।
    - जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिये स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिये खनिज की मांग वर्ष 2040 तक कम से कम चार गुना बढ़ जाएगी।
- **नीतिगत उपायों के माध्यम से वैश्विक प्रयास:**
  - महत्त्वपूर्ण खनिज आपूर्ति की उपलब्धता ऊर्जा परिवर्तन की वहनीयता और गति को वृहत रूप से प्रभावित करेगी। अनिश्चित वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं के शमन के लिये विभिन्न देश अपनी खनिज आपूर्ति में विविधता लाने के लिये नई नीतियाँ लागू कर रहे हैं।
  - संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया ने नियामक कानून बनाये हैं, जबकि इंडोनेशिया, नामीबिया और ज़िम्बाब्वे जैसे संसाधन संपन्न देशों ने असंसाधित खनिज अयस्कों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है।
- **चुनिंदा देशों में महत्त्वपूर्ण खनिजों की सांद्रता:**
  - ये संसाधन कुछ देशों में संकेंद्रित हैं और लिथियम, कोबाल्ट एवं दुर्लभ मृदा तत्वों के मामले में विश्व के शीर्ष तीन उत्पादक देश वैश्विक उत्पादन के लगभग तीन-चौथाई भाग पर नियंत्रण रखते हैं।
  - विशेष रूप से, विश्व में ऑस्ट्रेलिया 55% लिथियम भंडार, चीन 60% दुर्लभ मृदा तत्व भंडार, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (DRC) 75% कोबाल्ट भंडार, इंडोनेशिया 35% निकेल भंडार और चिली 30% तांबा भंडार रखता है।
- **भू-राजनीतिक तनाव और संसाधन राष्ट्रवाद:**
  - इन चुनौतियों का समाधान करना महत्त्वपूर्ण है क्योंकि राष्ट्रों के बीच वैश्विक संबंध अधिक ध्रुवीकृत हो गए हैं, विशेष रूप से अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध और रूस-यूक्रेन युद्ध जैसी घटनाओं के कारण। इन संघर्षों के कारण स्थापित व्यापार पैटर्न में प्रतिबंध और व्यवधान की स्थिति उत्पन्न हुई है।
- **आपूर्ति-मांग की गतिशीलता:**
  - आपूर्ति से अधिक मांग की वृद्धि के कारण तांबे जैसी महत्त्वपूर्ण औद्योगिक धातुओं की कीमतें आने वाले वर्षों में बढ़ सकती हैं। सामग्री कीमतों में इस वृद्धि से सौर पैनलों और इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे उपकरणों की उत्पादन लागत प्रभावित होने की संभावना है।

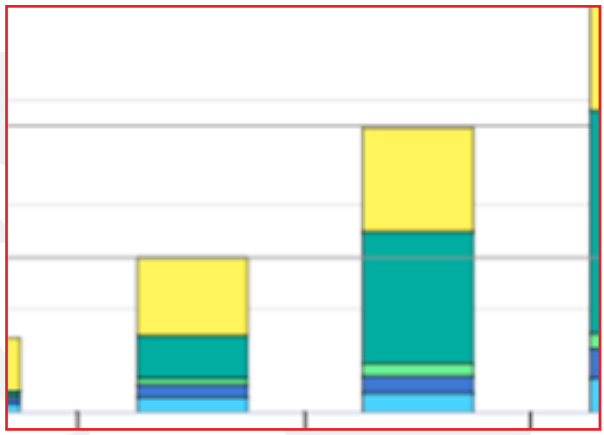

महत्त्वपूर्ण खनिजों का क्या महत्त्व है?

- **जैसा कि पूर्ववर्ती योजना आयोग ने रेखांकित किया था:**
  - भारत में देश के लिये महत्त्वपूर्ण खनिजों की पहचान करने के लिये अतीत में कुछ प्रयास किये गए थे, जिनमें वर्ष 2011 में भारत के योजना आयोग की एक पहल भी शामिल थी जिसने महत्त्वपूर्ण खनिजों की आवश्यकता को रेखांकित किया था।
    - उस रिपोर्ट में धात्विक, अधात्विक, कीमती रत्नों एवं धातुओं और रणनीतिक खनिजों जैसी श्रेणियों के तहत खनिजों के 11 समूहों का विश्लेषण किया गया था। वर्ष 2017 से 2020 के बीच देश में दुर्लभ मृदा तत्वों की खोज एवं विकास के अध्ययन पर विशेष रूप से बल दिया गया था।
- **आर्थिक विकास:**
  - हाई-टेक इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, परिवहन और रक्षा जैसे उद्योग इन खनिजों पर बहुत अधिक निर्भर हैं। इसके अतिरिक्त, सौर पैनल, पवन टरबाइन, बैटरी और इलेक्ट्रिक वाहनों जैसी हरित प्रौद्योगिकियों के लिये भी महत्त्वपूर्ण खनिज आवश्यक हैं।

नोट :

- महत्त्वपूर्ण खनिज डीकार्बोनाइज़ेशन (decarbonisation) में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन इनकी भूमिका यहीं तक सीमित नहीं है। उर्वरक, निर्माण, उद्योगों के लिये चुंबक, परिवहन, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा आदि क्षेत्रों में भी इनकी आवश्यकता होती है।
- इन क्षेत्रों में भारत की बड़ी घरेलू मांग और क्षमता को देखते हुए, उनकी वृद्धि से रोज़गार सृजन, आय सृजन और नवाचार को बढ़ावा मिल सकता है।

- **राष्ट्रीय सुरक्षा:**
  - ये खनिज रक्षा, एयरोस्पेस, परमाणु और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिये महत्त्वपूर्ण हैं, जहाँ चरम स्थितियों का सामना करने और जटिल कार्य करने में सक्षम उच्च गुणवत्तापूर्ण एवं विश्वसनीय सामग्रियों के उपयोग की आवश्यकता होती है।
  - रक्षा तत्परता और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिये भारत को महत्त्वपूर्ण खनिजों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी।
- **पर्यावरणीय संवहनीयता:**
  - चूँकि भारत वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य (net-zero by 2070) अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखता है, इसके लिये महत्त्वपूर्ण खनिजों (और दुर्लभ मृदा तत्वों) की उपलब्धता महत्त्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त, भारत वर्ष 2030 तक 500 गीगावॉट गैर-जीवाश्म ईंधन बिजली उत्पादन क्षमता स्थापित करने का भी लक्ष्य रखता है।
    - भारत 30% निजी कारों, 70% वाणिज्यिक वाहनों और 80% दो/तीन पहिया वाहनों को इलेक्ट्रिक करने की भी मंशा रखता है। इलेक्ट्रिक वाहनों हेतु बैटरी निर्माण के लिये आवश्यक लिथियम एवं अन्य खनिजों के स्थिर स्रोत के बिना यह संभव नहीं हो सकेगा।
- **उर्ध्वाधर एकीकरण के माध्यम से औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देना:**
  - इन खनिजों की पहचान करना औद्योगिक उत्पादन और सुदृढ़ आपूर्ति-शृंखला नेटवर्क में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है क्योंकि ये खनिज विभिन्न रणनीतिक मूल्य शृंखलाओं के आवश्यक घटक हैं, जिनमें शून्य-उत्सर्जन वाहन, पवन टरबाइन एवं सौर पैनल जैसी स्वच्छ प्रौद्योगिकी पहलें; सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (सेमीकंडक्टर सहित); और उन्नत विनिर्माण इनपुट एवं सामग्री (जैसे रक्षा अनुप्रयोग, स्थायी चुंबक, सिरेमिक आदि) शामिल हैं।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:**
  - इन सहयोगों से भारत को अपने आयात स्रोतों में विविधता लाने, चीन पर निर्भरता कम करने और खनिज सुरक्षा एवं प्रत्यास्थता बढ़ाने में सक्षमता प्राप्त हो रही है। इसने अमेरिका के नेतृत्व वाली खनिज सुरक्षा साझेदारी (Minerals Security Partnership- MSP) के गठन का मार्ग प्रशस्त किया है।
    - भारत भी MSP में शामिल हुआ है। MSP का उद्देश्य महत्त्वपूर्ण खनिज आपूर्ति शृंखला को सुदृढ़ करना है। MSP में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्वीडन एवं नॉर्वे जैसे देश शामिल हैं, जिनके पास महत्त्वपूर्ण खनिजों के भंडार हैं, जबकि जापान एवं दक्षिण कोरिया जैसे देश भी शामिल हैं जिनके पास प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी तक पहुँच है।

भारत में महत्त्वपूर्ण खनिजों से संबंधित विभिन्न चिंताएँ क्या हैं?

- **सीमित घरेलू भंडार:**
  - भारत में लिथियम, कोबाल्ट और अन्य दुर्लभ मृदा तत्वों जैसे महत्त्वपूर्ण खनिजों के सीमित भंडार हैं। इनमें से अधिकांश खनिजों का आयात किया जाता है, जिससे भारत इसकी आपूर्ति के लिये अन्य देशों पर अत्यधिक निर्भर हो जाता है।
  - आयात पर यह निर्भरता मूल्य में उतार-चढ़ाव, भू-राजनीतिक कारकों और आपूर्ति में व्यवधान के मामले में भेद्यता उत्पन्न कर सकती है। भारत महत्त्वपूर्ण खनिजों के लिये आयात पर बहुत अधिक निर्भर है (लिथियम एवं निकेल के लिये 100%, जबकि तांबे के लिये 93% आयात निर्भरता)।
- **खनिजों की बढ़ती मांग:**
  - नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के निर्माण और इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर आगे बढ़ने के लिये बड़ी मात्रा में तांबा, मैंगनीज, जस्ता, लिथियम, कोबाल्ट और दुर्लभ मृदा तत्वों जैसे खनिजों की आवश्यकता होती है।
  - उल्लेखनीय है कि सौर पीवी संयंत्र या पवन फार्म या इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण के संबंध में उनके जीवाश्म ईंधन समकक्षों की तुलना में अधिक खनिजों की आवश्यकता होती है।
    - एक पारंपरिक कार की तुलना में एक इलेक्ट्रिक कार को छह गुना अधिक खनिज संसाधनों की और ऑन-शोर पवन संयंत्र को गैस से संचालित संयंत्र की तुलना में नौ गुना अधिक खनिज संसाधनों की आवश्यकता होती है।

नोट :

Sl. No.	Critical Mineral	Percentage (2020)	Major Import Sources (2020)
1.	Lithium	100%	Chile, Russia, China, Ireland, Belgium
2.	Cobalt	100%	China, Belgium, Netherlands, US, Japan
3.	Nickel	100%	Sweden, China, Indonesia, Japan, Philippines
4.	Vanadium	100%	Kuwait, Germany, South Africa, Brazil, Thailand
5.	Niobium	100%	Brazil, Australia, Canada, South Africa, Indonesia
6.	Germanium	100%	China, South Africa, Australia, France, US
7.	Rhenium	100%	Russia, UK, Netherlands, South Africa, China
8.	Beryllium	100%	Russia, UK, Netherlands, South Africa, China
9.	Tantalum	100%	Australia, Indonesia, South Africa, Malaysia, US
10.	Strontium	100%	China, US, Russia, Estonia, Slovenia
11.	Zirconium(zircon)	80%	Australia, Indonesia, South Africa, Malaysia, US
12.	Graphite(natural)	60%	China, Madagascar, Mozambique, Vietnam, Tanzania
13.	Manganese	50%	South Africa, Gabon, Australia, Brazil, China
14.	Chromium	2.5%	South Africa, Mozambique, Oman, Switzerland, Turkey
15.	Silicon	<1%	China, Malaysia, Norway, Bhutan, Netherlands

- **अमेरिका के नेतृत्व वाली MSP की सीमित सदस्यता:**
  - उल्लेखनीय है कि MSP में चिली, DRC, इंडोनेशिया (जो कुछ महत्त्वपूर्ण खनिजों से समृद्ध हैं) जैसे देश शामिल नहीं हैं, जिससे इसकी प्रभावशीलता के बारे में चिंताएँ बढ़ जाती हैं। MSP का मूल आधार 'फ्रेंड शोरिंग' (friend shoring) है, जिसका अर्थ है विनिर्माण को सत्तावादी एवं अमित्र राज्यों से दूर सहयोगियों की ओर ले जाना।
- **चीन द्वारा प्रस्तुत चुनौतियाँ:**
  - दुर्लभ मृदा तत्व में बड़ी हिस्सेदारी: चीन के पास न केवल दुर्लभ मृदा तत्व का एक बड़ा हिस्सा मौजूद है, बल्कि उसने इन खनिजों की प्रसंस्करण क्षमता पर भी पूरी तरह से एकाधिकार कर रखा है। चीन विश्व के 35% निकेल, 50-70% लिथियम एवं कोबाल्ट और लगभग 90% दुर्लभ मृदा तत्व का प्रसंस्करण करता है।
    - चीनी कंपनियों ने उन खनिजों की प्राप्ति के लिये ऑस्ट्रेलिया, चिली, इंडोनेशिया और DRC में निवेश किया है जिनमें स्वयं चीन पर्याप्त रूप से समृद्ध नहीं है।
  - तैयार उत्पादों के विनिर्माण पर एकाधिकार: चीन ने तैयार उत्पादों के विनिर्माण पर भी एकाधिकार कायम किया है जहाँ वह दुर्लभ मृदा तत्वों से निर्मित 78% कैथोड, 85% एनोड, 70% बैटरी सेल और 95% स्थायी चुंबक की आपूर्ति करता है।
  - राजनीतिक प्रतिशोध में अपनी स्थिति का इस्तेमाल करना: चीन दुर्लभ मृदा तत्वों पर अपने एकाधिकारपूर्ण स्थिति का उपयोग अमेरिका और जापान जैसे देशों के साथ उनके निर्यात एवं संबंधित प्रौद्योगिकी को प्रतिबंधित करने के रूप में राजनीतिक प्रतिशोध के लिये कर रहा है।
    - महत्त्वपूर्ण खनिजों के कारोबार में चीन की प्रमुख स्थिति और अन्य देशों पर दबाव डालने की उसकी इच्छा ने विश्व समुदाय को स्पष्ट रूप से चिंतित किया है।
- **अंतिम उत्पादों के प्रसंस्करण और विनिर्माण का अभाव:**
  - भारत ने ऑस्ट्रेलिया में लिथियम और कोबाल्ट संपत्तियों का संयुक्त रूप से पता लगाने के लिये ऑस्ट्रेलिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। समस्या यह है कि खनिजों

नोट :

की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है। इसे संसाधित करने और अंतिम उत्पाद का निर्माण करने की आवश्यकता होती है जिसके लिये प्रौद्योगिकी तक पहुँच आवश्यक है।

- इसकी परियोजना पूरी होने की अवधि (gestation period) लगभग 15 वर्ष या उससे अधिक की मानी जाती है। एक बड़ा भय यह है कि महत्त्वपूर्ण खनिजों तक पहुँच की कमी भारत के डीकार्बोनाइज़ेशन की दिशा में सबसे बड़ी बाधा सिद्ध हो सकती है।

महत्त्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिये कौन-से कदम आवश्यक हैं?

- **संसाधन उपलब्धता सुनिश्चित करना:**
  - संसाधन के पहलू को संबोधित करना महत्त्वपूर्ण है। स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिये आवश्यक महत्त्वपूर्ण सामग्रियों की उपलब्धता एवं पहुँच का आकलन करना आवश्यक है। इसमें महत्त्वपूर्ण खनिजों के घरेलू भंडार का आकलन करना और विविध अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों से उनके स्थायी निष्कर्षण या 'सोर्सिंग' के अवसर तलाशना शामिल है।
  - इसके अतिरिक्त, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में संभावित व्यवधानों से जुड़े जोखिमों को कम करते हुए, इन सामग्रियों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये रणनीतियाँ विकसित की जानी चाहिये।
- **वित्तीय विचार:**
  - स्वच्छ ऊर्जा की ओर संक्रमण के लिये प्राय: बुनियादी ढाँचे के विकास, अनुसंधान एवं विकास और नीति समर्थन में महत्त्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता होती है। ऐसे वित्तपोषण तंत्र, प्रोत्साहन (incentives) और वित्तपोषण मॉडल की आवश्यकता है जो सार्वजनिक एवं निजी दोनों निवेशों को आकर्षित कर सके।
  - एक सफल ऊर्जा संक्रमण के लिये आवश्यक पूंजी जुटाने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के अवसरों की पहचान करना और नवीन वित्तपोषण विकल्पों की खोज करना भी महत्त्वपूर्ण होगा।
- **प्रमुख चालक के रूप में प्रौद्योगिकी:**
  - प्रौद्योगिकी हमारे ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विश्व के लिये यह आवश्यक है कि वह घरेलू तकनीकी क्षमताओं को बढ़ावा देने, अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करने और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में नवाचार को समर्थन देने पर ध्यान केंद्रित करे।
    - प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, शिक्षा जगत एवं उद्योग के साथ सहयोग और एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की आवश्यकता है जो नवोन्मेषी स्वच्छ ऊर्जा समाधानों के विकास, अंगीकरण एवं विस्तार का समर्थन करता हो।
- **विशेष निकाय की स्थापना करना:**
  - खान मंत्रालय के तहत गठित विशेषज्ञ समिति ने ऑस्ट्रेलिया के CSIRO (जो ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा खनिज अनुसंधान एवं विकास संगठन है और इस क्षेत्र में विश्व के सबसे बड़े संगठनों में से एक है) की तर्ज पर देश में महत्त्वपूर्ण खनिजों पर एक राष्ट्रीय संस्थान या उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की आवश्यकता जताई है।
    - खान मंत्रालय में एक प्रभाग को महत्त्वपूर्ण खनिजों के लिये उत्कृष्टता केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सकता है। यह प्रस्तावित केंद्र आवधिक रूप से भारत के लिये महत्त्वपूर्ण खनिजों की सूची को अद्यतन करेगा और समय-समय पर महत्त्वपूर्ण खनिज रणनीति को अधिसूचित करेगा।

उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये भारत द्वारा हाल ही में कौन-से कदम उठाये गए हैं?

- **पहचान के लिये एक सुदृढ़ त्रि-चरणीय प्रक्रिया अपनाना:**
  - पैनल ने भारत के लिये महत्त्वपूर्ण खनिजों की पहचान करने के लिये अपने त्रि-चरणीय मूल्यांकन के तहत पहले चरण में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, यूके, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे विभिन्न देशों की रणनीतियों पर विचार किया।
  - दूसरे चरण में विभिन्न मंत्रालयों के साथ उनके क्षेत्रों के लिये महत्त्वपूर्ण खनिजों की पहचान करने के लिये एक अंतर-मंत्रालयी परामर्श का आयोजन किया गया।
  - तीसरे चरण में यूरोपीय संघ की कार्यप्रणाली का संज्ञान लेते हुए खनिजों की गंभीरता का मूल्यांकन करने के लिये एक अनुभवजन्य सूत्र प्राप्त करना था, जिसमें दो प्रमुख कारकों- आर्थिक महत्त्व एवं आपूर्ति जोखिम, पर विचार किया गया।
- **GSI द्वारा किया गया अन्वेषण:**
  - खान मंत्रालय से संलग्न एक कार्यालय GSI ने जम्मू-कश्मीर के रियासी ज़िले के सलाल-हैमना क्षेत्रों में फील्ड सीज़न 2020-21 और 2021-22 के दौरान G3 स्टेज खनिज अन्वेषण (G3 stage mineral exploration) किया है और लिथियम अयस्क के 5.9 मिलियन टन के अनुमानित संसाधन का अनुमान लगाया है।

नोट :

- मानचित्रण परिणाम के आधार पर भविष्य में जम्मू-कश्मीर सहित देश के विभिन्न हिस्सों में लिथियम सहित अन्य खनिज संसाधनों पर अन्य कई अन्वेषण कार्यक्रम शुरू किये जाएँगे।

- **खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड (KABIL) की स्थापना:**
  - इसे लिथियम, कोबाल्ट और अन्य महत्त्वपूर्ण एवं रणनीतिक प्रकृति के विदेशी खनिज संपत्तियों की पहचान करने और अधिग्रहित करने का कार्य सौंपा गया है ताकि आपूर्ति पक्ष आश्वस्ति सुनिश्चित की जा सके।
  - KABIL ने लिथियम, कोबाल्ट और दुर्लभ मृदा तत्वों सहित विभिन्न खनिज संपत्ति हासिल करने के लिये विदेश मंत्रालय और अर्जेंटीना एवं ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में स्थित भारतीय दूतावासों के माध्यम से शॉर्टलिस्ट किये गए स्रोत देशों के विभिन्न राज्य स्वामित्व वाले संगठनों के साथ संलग्नता शुरू की है।

निष्कर्ष:

महत्त्वपूर्ण खनिजों के संबंध में सरकार की हाल की कार्रवाइयाँ इन आवश्यक संसाधनों की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति देने के लिये खनन कानूनों में संशोधन के साथ-साथ 30 महत्त्वपूर्ण खनिजों की पहचान करना इनकी संभावित कमी को दूर करने की दिशा में एक सक्रिय दृष्टिकोण को परिलक्षित करती है। हालाँकि, कुछ देशों में संसाधनों का संकेंद्रण और प्रसंस्करण एवं विनिर्माण में चीन की प्रमुख स्थिति जैसी कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं। वर्ष 2070 तक डीकार्बोनाइज़ेशन और शुद्ध-शून्य लक्ष्यों को प्राप्त करने का मार्ग इन चुनौतियों पर काबू पाने और महत्त्वपूर्ण खनिजों की स्थायी आपूर्ति सुनिश्चित करने पर निर्भर करता है।

■■■

WUEGA का अधिनियमन: महिला शहरी रोज़गार गारंटी अधिनियम

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act- MGNREGA) अकुशल शारीरिक कार्य के लिये प्रति वर्ष कम से कम 100 दिनों के रोज़गार की गारंटी देकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करने में सहायक रहा है। हालाँकि इसकी शहरी वास्तविकताएँ भिन्न हैं।

शहरी क्षेत्रों में बेरोज़गारी दर ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक है, जो शहरी महिलाओं के बीच रोज़गार की उच्च अपूर्ण मांग को दर्शाती है। इस परिदृश्य में, भारत में महिलाओं के बीच शहरी बेरोज़गारी की चुनौतियों का समाधान करने के लिये एक राष्ट्रीय महिला शहरी रोज़गार गारंटी अधिनियम (Women's Urban Employment Guarantee Act- WUEGA) का प्रस्ताव किया गया है।

प्रस्तावित महिला शहरी रोज़गार गारंटी अधिनियम (WUEGA):

- **परिचय:** महिला शहरी रोज़गार गारंटी अधिनियम (WUEGA) एक प्रस्तावित विधान है जिसका उद्देश्य शहरी बेरोज़गारी को, विशेष रूप से महिलाओं के लिये, संबोधित करना है। यह विशेष रूप से शहरी महिलाओं के लिये रोज़गार के अवसरों की गारंटी देने की मंशा रखता है।
- **उद्देश्य:** WUEGA का लक्ष्य शहरों में पुरुषों और महिलाओं के बीच रोज़गार के अवसरों में अंतराल को दूर करना होगा। WUEGA एक सुरक्षा जाल (safety net) और आय सुरक्षा प्रदान करने के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने और शहरी कार्यबल में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करने का प्रयास करेगा।
- **संभावित विशेषताएँ:**
  - रोज़गार की गारंटी: WUEGA महिलाओं को प्रति वर्ष न्यूनतम कार्यदिवस (उदाहरण के लिये, 150 दिन) की गारंटी देने का प्रस्ताव करता है।
  - स्थानीय कार्य: महिला के निवास से उचित दूरी (जैसे, 5 किमी) के भीतर कार्य अवसर सृजित किये जाएँगे।
  - अभिगम्य अवसंरचना: कामकाजी माताओं के समक्ष विद्यमान चुनौतियों का समाधान करने के लिये कार्यस्थलों पर बाल देखभाल केंद्रों जैसी आवश्यक सुविधाओं के प्रावधान भी शामिल हो सकते हैं।
  - कौशल विकास: प्रस्ताव में उपलब्ध कार्य अवसरों और आवेदक समूह में महिलाओं की योग्यता के बीच किसी भी कौशल अंतराल को दूर करने के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शामिल हो सकते हैं।
  - महिला-नेतृत्वकारी प्रबंधन: यह प्रस्ताव करता है कि WUEGA प्रबंधन कर्मचारियों में एक उल्लेखनीय भाग महिलाओं का हो; WUEGA के अंतर्गत कार्यक्रम प्रबंधन कर्मचारी की कम से कम 50% (आदर्श रूप से 100%) महिलाएँ हो।

- समर्थनकारी उपाय: कल्याण बोर्डों में स्वचालित समावेशन जैसे प्रोत्साहन उपाय अपनाये जा सकते हैं; ये मातृत्व अधिकार और पेंशन प्रदान करने वाली एजेंसियों के रूप में कार्य कर सकते हैं तथा आपातकालीन निधि के लिये स्रोत के रूप में कार्य कर सकते हैं।

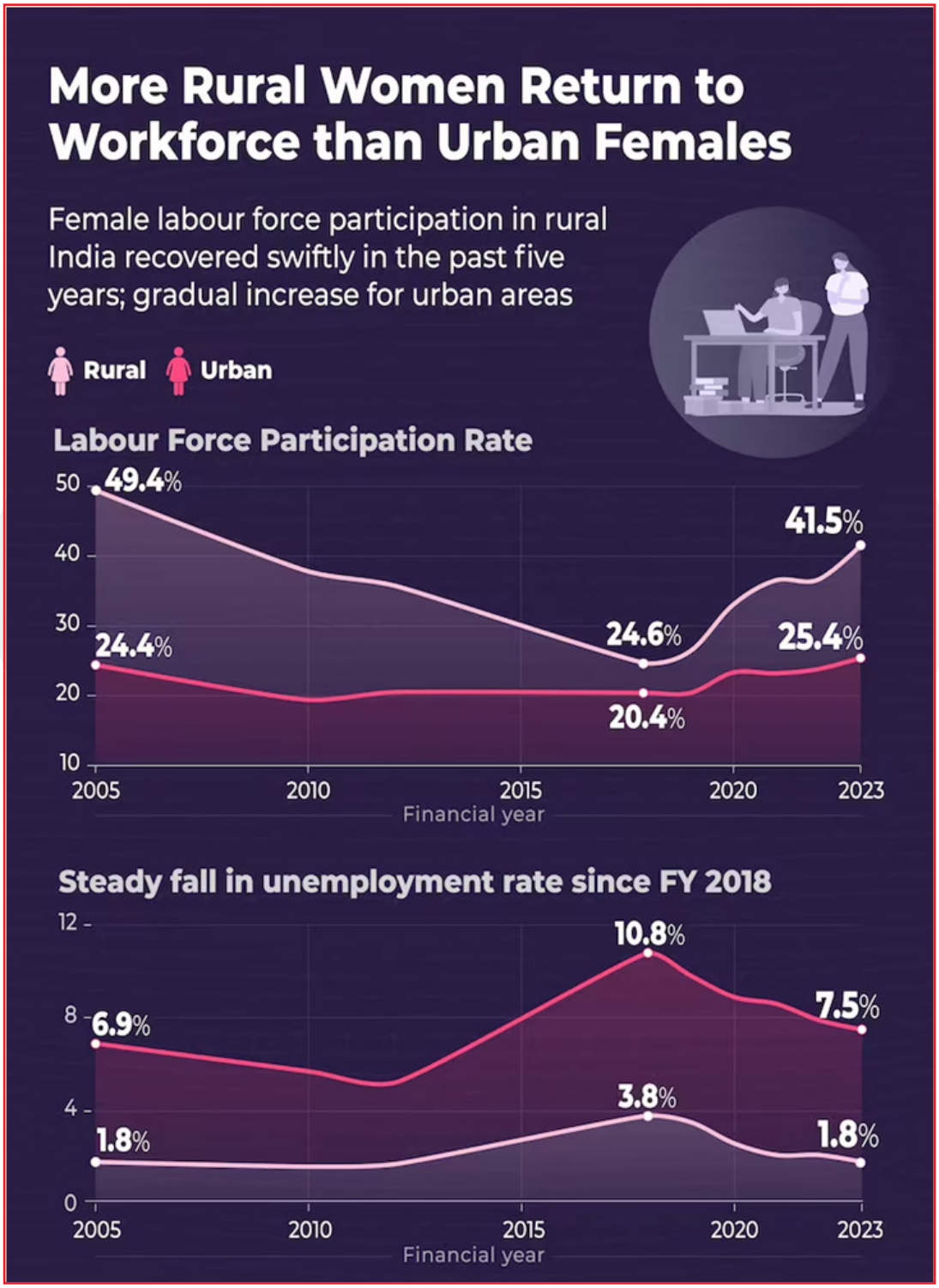

नोट :

महिला शहरी रोज़गार गारंटी अधिनियम (WUEGA) की आवश्यकता क्यों है?

- **शहरी रोज़गार में लैंगिक असमानताएँ:**
  - शहरी क्षेत्रों में रोज़गार के अवसरों में प्राय: लिंग-आधारित असमानताएँ देखी जाती हैं। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के अनुसार, वर्ष 2023 की अंतिम तिमाही में केवल 22.9% शहरी महिलाएँ ही कार्यरत थीं।
    - शहरी क्षेत्रों में कार्यबल से बाहर मौजूद महिलाओं (15-59 आयु वर्ग) की संख्या लगभग 10.18 करोड़ है।
  - मौजूदा शहरी रोज़गार योजनाएँ महिलाओं के समक्ष विद्यमान इन विशिष्ट चुनौतियों को उपयुक्त रूप से संबोधित नहीं करती हैं।
- **आर्थिक सशक्तीकरण और सतत विकास लक्ष्य:**
  - WUEGA शहरी महिलाओं को गारंटीकृत रोज़गार के अवसर प्रदान कर सशक्त बनाएगा। न्यूनतम कार्यदिवस सुनिश्चित करने से यह महिलाओं को अपने घरों और समुदायों में योगदान कर सकने में सक्षम बनाता है।
  - लैंगिक समानता और आर्थिक सशक्तीकरण सहित सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये महिलाओं के रोज़गार को बढ़ावा देना अत्यंत आवश्यक है।
- **बच्चों की देखभाल और समर्थनकारी अवसंरचना:**
  - शहरी महिलाओं के बीच शिक्षा के उच्च स्तर के बावजूद सामाजिक मानदंडों, सुरक्षा चिंताओं और परिवहन तक सीमित पहुँच जैसे विभिन्न कारकों के कारण कार्यबल में उनकी भागीदारी कम बनी हुई है।
  - WUEGA कार्यस्थलों पर बाल देखभाल सुविधाओं की आवश्यकता पर बल देता है । ये प्रावधान महिलाओं को उनकी देखभाल संबंधी ज़िम्मेदारियों से समझौता किये बिना रोज़गार में भाग ले सकने में सक्षम बनाते हैं।
- **सफल ग्रामीण रोज़गार योजनाओं से सबक लेना:**
  - WUEGA मनरेगा (MGNREGA) जैसी सफल ग्रामीण रोज़गार योजनाओं से प्रेरणा ग्रहण करते हुए शहरी संदर्भों के लिये सदृश मॉडल को अपना सकता है।
  - WUEGA मौजूदा ढाँचे और अनुभवों का लाभ उठाकर कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिये सिद्ध रणनीतियों का निर्माण कर सकता है।
- **आर्थिक वृद्धि और विकास की संभावना:**
  - महिलाओं की रोज़गार दर में वृद्धि श्रम शक्ति का विस्तार और उत्पादकता को प्रोत्साहित करने के रूप में आर्थिक विकास के लिये उत्प्रेरक का कार्य कर सकती है।
  - WUEGA में शहरी महिलाओं की प्रतिभा एवं सक्षमताओं का उपयोग करते हुए व्यापक आर्थिक विकास लक्ष्यों में योगदान कर सकने की क्षमता है।

महिला शहरी रोज़गार गारंटी अधिनियम (WUEGA) को लागू करने में संभावित चुनौतियाँ:

- **वित्तीय बोझ:**
  - गारंटीकृत रोज़गार प्रदान करने से वेतन/मज़दूरी, अवसंरचना विकास (उदाहरण के लिये, कार्यस्थलों पर बाल देखभाल सुविधाएँ) और कार्यक्रम प्रशासन के संबंध में उल्लेखनीय लागत उत्पन्न होती है।
  - उदाहरण के लिये, यदि 500 रुपए दैनिक मज़दूरी के साथ प्रति वर्ष 150 दिनों के कार्य की कल्पना करें, जिसका वित्तपोषण केंद्र सरकार द्वारा किया जाना है, तो इस पर सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1.5% व्यय करना होगा।
- **स्थानीय क्षेत्र में रोज़गार सृजन:**
  - किसी महिला के निवास से उचित दूरी (उदाहरण के लिये, 5 किमी) के भीतर पर्याप्त विविध कार्य अवसर का सृजन करना, विशेष रूप से सघन आबादी वाले शहरों में, चुनौतीपूर्ण सिद्ध हो सकता है।
  - कार्यक्रम में उपयुक्त कार्य विकल्पों की अभिकल्पना के लिये स्थानीय आवश्यकताओं एवं आधारभूत संरचनाओं पर विचार करने की आवश्यकता होगी।
- **सुरक्षा संबंधी चिंताएँ:**
  - शहरी परिवेश में महिलाओं के लिये, विशेष रूप से कार्य के लिये आवागमन के दौरान, सुरक्षा एक महत्त्वपूर्ण चिंता का विषय है।
  - सार्वजनिक स्थानों पर उत्पीड़न या हिंसा का भय महिलाओं को रोज़गार के अवसर तलाशने से हतोत्साहित कर सकता है, जिससे कार्यबल में उनकी भागीदारी सीमित हो सकती है।
  - NCRB की वार्षिक अपराध रिपोर्ट 'भारत में अपराध 2022' के आँकड़ों के अनुसार, प्रति एक लाख जनसंख्या पर महिलाओं के विरुद्ध अपराध की दर 66.4 थी, जबकि ऐसे मामलों में आरोप पत्र दाखिल करने की दर 75.8 दर्ज की गई थी।

नोट :

- **कौशल अंतराल:**
  - कई शहरी महिलाओं में औपचारिक रोज़गार के अवसरों के लिये आवश्यक कौशल एवं अनुभव की कमी हो सकती है।
  - गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों तक उनकी पहुँच सीमित हो सकती है, जिससे कौशल स्तरों में असमानताएँ उत्पन्न हो सकती हैं और महिलाओं की रोज़गार क्षमता (employability) में बाधा आ सकती है।
- **क्षमता निर्माण:**
  - सभी स्तरों पर कार्यक्रम प्रबंधन में कम से कम 50% महिलाओं की उपस्थिति सुनिश्चित करना आरंभ में कठिन सिद्ध हो सकता है।
  - कार्यक्रम के प्रबंधन के लिये एक सुदृढ़ महिला कार्यबल के निर्माण के लिये केंद्रित क्षमता-निर्माण पहल की आवश्यकता हो सकती है।
- **कानूनी और नौकरशाही संबंधी बाधाएँ:**
  - कुशल कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिये पंजीकरण, नौकरी आवंटन, शिकायत निवारण एवं निगरानी के प्रबंधन हेतु एक सुव्यवस्थित नौकरशाही की आवश्यकता होगी।
  - ऐसे व्यक्तियों या समूहों द्वारा विरोध की स्थिति बन सकती है जो परिवर्तन के प्रतिरोधी हैं और यथास्थिति बनाए रखने की वकालत करते हैं। यह महिलाओं के रोज़गार अधिकारों को बढ़ाने के उद्देश्य से कानून के पारित होने में बाधा उत्पन्न कर सकता है।
- **सामाजिक मानदंड और लैंगिक रूढ़िवादिता:**
  - गहरी जड़ें जमा चुकी सामाजिक अपेक्षाएँ कार्यबल में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को स्वीकार करने में बाधक बन सकती हैं, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में जहाँ पारंपरिक लिंग भूमिकाएँ अधिक प्रकट हैं।
  - देखभालकर्ता या गृहिणी के रूप में महिलाओं की भूमिकाओं के संबंध में प्रचलित रूढ़िवादिता औपचारिक रोज़गार में उनकी भागीदारी के लिये प्रतिरोध पैदा कर सकती है।

भारत में शहरी रोज़गार के लिये की गई सरकारी पहलें:

- **केंद्र सरकार द्वारा:**
  - दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM)
  - प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम SVANidhi)
- **राज्य सरकारों द्वारा:**
  - केरल देश के पहले राज्यों में से एक था जिसने 'अय्यंकाली शहरी रोज़गार गारंटी योजना' (Ayyankali Urban Employment Guarantee Scheme-AUEGS) के माध्यम से 100 व्यक्ति-दिवस का गारंटीकृत वेतन रोज़गार प्रदान किया था, जिसे वर्ष 2011 में लॉन्च किया गया था। योजना दिशानिर्देशों के अनुसार केरल में शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को महिलाओं को इस प्रकार प्राथमिकता देने की आवश्यकता है कि वे योजना के लाभार्थियों में कम से कम 50% हिस्सेदारी रखती हों।
  - हिमाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना वर्ष 2020 में लॉन्च की गई जो एक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक परिवार को 120 दिनों की गारंटीकृत वेतन रोज़गार प्रदान करने के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा बढ़ाने पर लक्षित है।
  - झारखंड में मुख्यमंत्री श्रमिक योजना वर्ष 2020 में लॉन्च की गई जो एक वित्तीय वर्ष में गारंटीकृत 100 दिन का वेतन रोज़गार प्रदान कर राज्य में आजीविका सुरक्षा बढ़ाने पर लक्षित है।

WUEGA के प्रभावी अधिनियमन के लिये आगे की राह:

- **लिंग-विभेदीकृत डेटा एकत्रित करना:**
  - लिंग-विभेदीकृत डेटा (Gender-disaggregated data) नीति निर्माताओं को शहरी महिलाओं के समक्ष रोज़गार तक पहुँच और कार्यरत बने रहने में विद्यमान विशिष्ट चुनौतियों के बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।
  - संग्रहित डेटा में पसंद की जाती नौकरियों के रुझान, वर्ष के वे दिन जब महिलाएँ इन कार्य अवसरों से संलग्न होती हैं, योजना का चयन करने वाली महिलाओं की शिक्षा का स्तर इत्यादि को दर्ज किया जाना चाहिये।
- **लैंगिक दृष्टि से शहरी रोज़गार योजना तैयार करना:**
  - महिला शहरी रोज़गार गारंटी अधिनियम (डब्ल्यूयूईजीए) को एक सर्वव्यापी कानून के रूप में प्रारूपित किया जाए, जो लिंग-विभेदीकृत डेटा के आधार पर सरकार और प्राप्तकर्ताओं दोनों के अधिकारों, विशेषाधिकारों एवं उत्तरदायित्वों को निरूपित करता हो।

नोट :

- विधान में समान कार्य के लिये समान वेतन अनिवार्य किया जाना चाहिये, जहाँ यह सुनिश्चित करना चाहिये कि महिलाओं को समान कार्य भूमिकाओं एवं ज़िम्मेदारियों के लिये अपने पुरुष समकक्षों के समान वेतन प्राप्त हो।

- **संसाधन आवंटन और क्षमता निर्माण:**
  - WUEGA के कार्यान्वयन के लिये पर्याप्त वित्तीय संसाधन आवंटित किया जाए ताकि वेतन, प्रशासनिक व्यय, अवसंरचना विकास और क्षमता निर्माण पहल के लिये पर्याप्त धन उपलब्ध हो।
  - WUEGA के प्रभावी कार्यान्वयन एवं प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिये सरकारी अधिकारियों, कार्यक्रम प्रशासकों और लाभार्थियों के लिये प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम प्रदान किये जाएँ।
- **कार्यान्वयन के लिये चरणबद्ध दृष्टिकोण:**
  - WUEGA को लागू करने की व्यवहार्यता का परीक्षण करने के लिये चुनिंदा शहरी क्षेत्रों में पायलट कार्यक्रम शुरू किये जाएँ। विभिन्न शहरी क्षेत्रों की तैयारी का आकलन करने और संभावित चुनौतियों एवं अवसरों की पहचान करने के लिये व्यवहार्यता अध्ययन आयोजित किये जाएँ।
  - WUEGA का कार्यान्वयन चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाए। इसका आरंभ शहरी क्षेत्रों से हो जहाँ अवसंरचना एवं समर्थनकारी प्रणालियाँ अपेक्षाकृत सुविकसित होती हैं और फिर धीरे-धीरे इसे अन्य क्षेत्रों में विस्तारित किया जाए।
- **कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी करना:**
  - रोज़गार सृजन, आय वृद्धि और कौशल विकास जैसे परिणामों पर ध्यान देने के साथ कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी करने, कार्यक्रम की प्रभावशीलता का आकलन करने तथा सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने के लिये सुदृढ़ निगरानी एवं मूल्यांकन तंत्र स्थापित किये जाएँ।
- **सुरक्षा संबंधी चिंताओं का समाधान करना:**
  - सुरक्षा चिंताओं को कम करने और अधिक कार्यबल भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिये सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के उपाय लागू किये जाएँ, जिनमें पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, निगरानी प्रणाली एवं पुलिस गश्त बढ़ाना शामिल है।
- **महिला उद्यमियों का समर्थन करना:**
  - महिला उद्यमियों को अपना व्यवसाय शुरू करने और उसे आगे बढ़ाने के लिये सहायता एवं प्रोत्साहन प्रदान किया जाए, जिसमें वित्तीय संसाधनों, परामर्श कार्यक्रमों एवं नेटवर्किंग अवसरों तक पहुँच शामिल है, ताकि रोज़गार और आर्थिक सशक्तीकरण के लिये वैकल्पिक अवसर सृजित किये जा सकें।
- **साझेदारी और सहयोग:**
  - नागरिक समाज संगठनों, सामुदायिक समूहों, निजी क्षेत्र के हितधारकों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ साझेदारी का निर्माण किया जाए।
- **जागरूकता बढ़ाना और दृष्टिकोण में बदलाव लाना:**
  - लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देने, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और कार्यबल में महिलाओं की भूमिकाओं एवं क्षमताओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण को बदलने के लिये जागरूकता अभियान एवं संवेदीकरण कार्यक्रम संचालित किये जाएँ।

निष्कर्ष:

भारत का संविधान समानता एवं सामाजिक न्याय के सिद्धांतों का समर्थन करता है, जहाँ रोज़गार में लैंगिक असमानताओं को दूर करने के लिये सकारात्मक कार्रवाई का उपबंध किया गया है। WUEGA को लागू करना लैंगिक समानता और सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के इन संवैधानिक अधिदेशों एवं और नैतिक दायित्वों के अनुरूप है।

■■■

WTO का 13वाँ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन

हाल ही में विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization- WTO) का 13वाँ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC13) संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में संपन्न हुआ। इस अवसर पर विभिन्न देशों के मंत्रियों ने विकास के विभिन्न स्तरों और अलग-अलग भू-राजनीतिक दृष्टिकोणों से महत्त्वपूर्ण विषयों की एक विस्तृत शृंखला—जिनमें खाद्य सुरक्षा, ई-कॉमर्स, मात्सियिकी सब्सिडी, WTO सुधार, सेवाओं के घरेलू विनियमन एवं निवेश को सुविधाजनक बनाने सहित विभिन्न विषय शामिल थे—को संबोधित करने के लिये बैठकें कीं।

वैश्विक व्यापार संबंधी चुनौतियों से निपटने के प्रयासों और इस क्रम में सुदीर्घ चर्चाओं के बावजूद इस दिशा में न्यूनतम प्रगति के साथ सम्मेलन का समापन हुआ।

WTO मंत्रिस्तरीय सम्मेलन क्या है?

- **परिचय:**
  - WTO मंत्रिस्तरीय सम्मेलन विश्व व्यापार संगठन (WTO) के सदस्य देशों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन है।
  - यह विश्व व्यापार संगठन के सर्वोच्च निर्णयकारी निकाय के रूप में कार्य करता है और इसका आयोजन आम तौर पर प्रत्येक दो वर्ष पर किया जाता है।

नोट :

- **उद्देश्य:**
  - WTO की गतिविधियों एवं वार्ताओं के लिये एजेंडा निर्धारित करना
  - बाज़ार पहुँच, सब्सिडी और विवाद समाधान जैसे विभिन्न व्यापार-संबंधित विषयों पर चर्चा एवं वार्ता का आयोजन करना
  - वैश्विक व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिये नीतियाँ बनाना
  - व्यापार नियमों और विनियमों पर सदस्य देशों के बीच समझौतों को सुविधाजनक बनाना
  - सम्मेलन में ऐसे समझौते संपन्न हो सकते हैं या ऐसी घोषणाएँ की जा सकती हैं जो सदस्य देशों की व्यापार नीतियों का मार्गदर्शन करती हैं
  - सम्मेलन के दौरान चिह्नित विशिष्ट चुनौतियों के समाधान के लिये कार्ययोजनाओं का विकास करना।

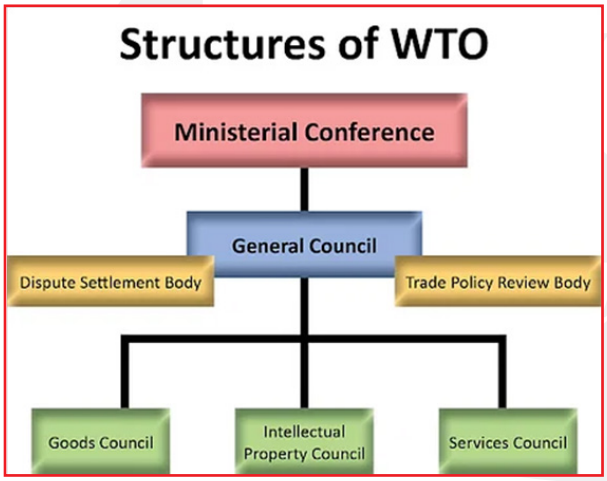

WTO के 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की प्रमुख उपलब्धियाँ क्या रहीं?

- **सदस्यता ग्रहण:**
  - भागीदार मंत्रियों ने दो सबसे कम विकसित देशों- कोमोरोस और तिमोर-लेस्ते के लिये विश्व व्यापार संगठन में सदस्यता का समर्थन किया। उनके शामिल होने के साथ इससे संगठन की सदस्य संख्या अब 166 हो गई है, जो विश्व व्यापार के 98% भाग का प्रतिनिधित्व करती है।
- **विचार-विमर्श और समझौता वार्ता कार्यकरण में सुधार:**
  - MC13 में मंत्रियों ने निम्नलिखित विषयों में हुए कार्यों का स्वागत किया:
    - WTO परिषदों, समितियों और वार्ता समूहों की कार्यप्रणाली में सुधार;
    - संगठन की दक्षता एवं प्रभावशीलता को बढ़ाना; और
    - विश्व व्यापार संगठन के कार्य में सदस्यों की भागीदारी को सुगम बनाना।
  - उन्होंने अधिकारियों को 'रिफॉर्म बाय डूइंग' (reform by doing) प्रक्रिया को जारी रखने और 14वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC14) में इसकी प्रगति रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया।
  - MC13 में मंत्रियों ने वर्ष 2024 तक सभी सदस्यों के लिये सुलभ एक पूर्ण कार्यात्मक विवाद निपटान प्रणाली प्राप्त कर लेने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
- **ई-कॉमर्स:**
  - MC13 में मंत्रियों ने ई-कॉमर्स मोरेटोरियम (e-commerce moratorium) को MC14 या 31 मार्च 2026 तक (इनमें जो भी पहले हो) नवीनीकृत करने का निर्णय लिया।
- **ट्रिप्स ग़ैर-उल्लंघन और परिदृश्य शिकायतें (TRIPS Non-Violation and Situation Complaints):**
  - एक निर्णय में, जिसे प्राय: ई-कॉमर्स मोरेटोरियम (e-commerce moratorium) से जोड़ा गया है, मंत्रियों ने ट्रिप्स समझौते (TRIPS Agreement) के तहत तथाकथित 'ग़ैर-उल्लंघन' और 'परिदृश्य' शिकायतों पर मोरेटोरियम का विस्तार करने का भी निर्णय लिया।
  - ऐसी शिकायतें अन्यथा सदस्यों को WTO विवाद निपटान तंत्र में ऐसे IP संबधी उपायों को चुनौती देने की अनुमति देंगी जो ट्रिप्स दायित्वों के साथ असंगत नहीं हैं, लेकिन फिर भी समझौते से अपेक्षित लाभ को कम कर देते हैं।
- **कोविड-19 से संबंधित ट्रिप्स छूट:**
  - MC12 में मंत्रियों ने विशेष नियम अपनाए थे जिससे कोविड-19 टीकों के उत्पादन के लिये अनिवार्य लाइसेंस की उपलब्धता का विस्तार हुआ। उन्होंने इस बात पर भी वार्ता का अधिदेश दिया कि इन विशेष नियमों के उत्पाद कवरेज को कोविड-19 डायग्नोस्टिक्स एवं थेरेप्यूटिक्स तक विस्तारित किया जाए या नहीं।
  - MC13 में मंत्रियों ने संपन्न हुए कार्यों और उत्पाद के दायरे के विस्तार पर आम सहमति की कमी पर भी ध्यान दिया।

नोट :

तदनुसार, ये विशेष नियम कोविड 19 डायग्नोस्टिक्स एवं थेरेप्यूटिक्स के उत्पादन के लिये अनिवार्य लाइसेंसिंग पर लागू नहीं होंगे।

- **विशेष एवं विभेदक उपचार:**
  - मंत्रियों ने 'विशेष एवं विभेदक उपचार' (Special and Differential Treatment- S&DT) उपबंधों के उपयोग में सुधार करने का निर्णय लिया, विशेष रूप से 'व्यापार में तकनीकी बाधाओं पर समझौते' (Agreement on Technical Barriers to Trade) और 'स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता उपायों पर समझौते' (Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures) के मामले में।

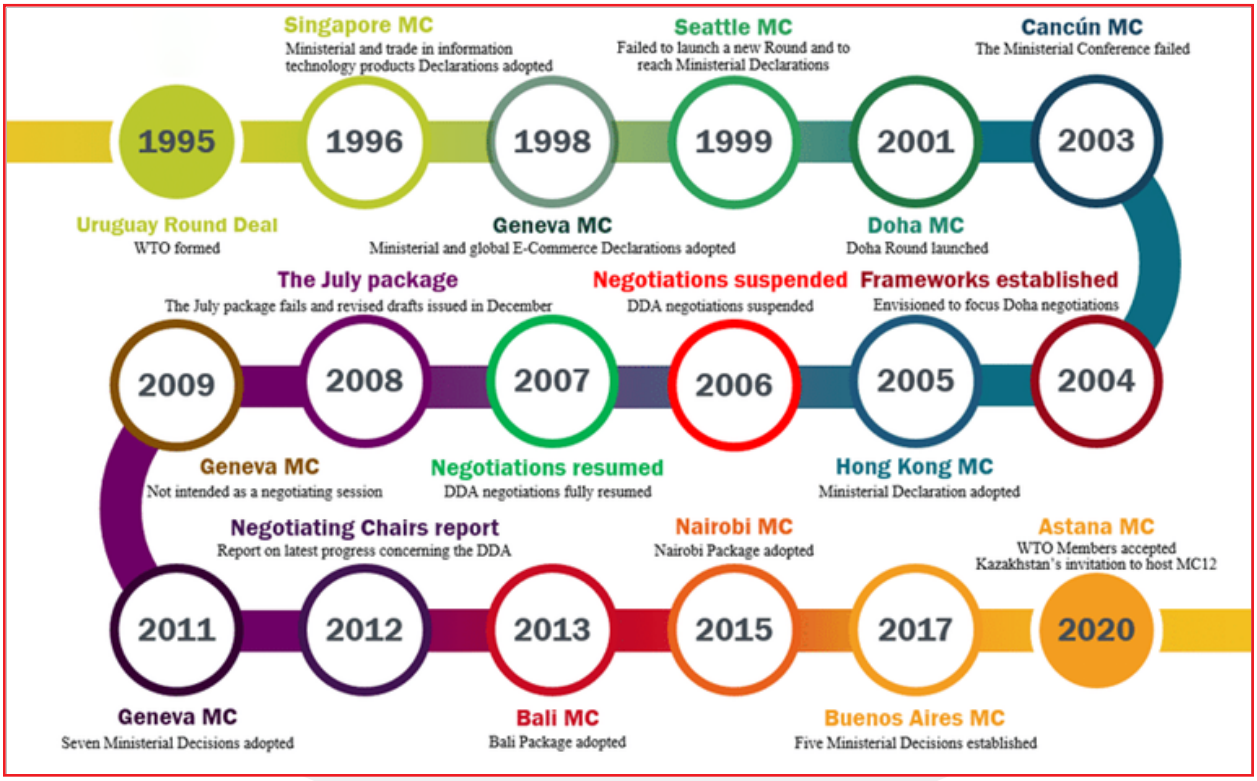

- **बहुपक्षीय समझौते एवं पहलें:**
  - WTO की बहुपक्षीय पहलें (Plurilateral Initiatives) संगठन में आयोजित वे विचार-विमर्श हैं जिनमें केवल सदस्यों का एक उपसमूह भागीदारी करता है। वे नए नियमों के निर्माण, टैरिफ के पारस्परिक उदारीकरण को सुनिश्चित करने, एक नई प्रक्रिया का निर्माण करने या बातचीत शुरू करने पर लक्षित हो सकते हैं।
  - MC13 में ऐसे कई बहुपक्षीय पहलों पर समझौते संपन्न हो गए या उन्होंने महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में अपने कार्य के परिणामों पर रिपोर्ट सौंपी।
  - इनमें एक महत्त्वपूर्ण बहुपक्षीय पहल विकास के लिये निवेश सुविधा (Investment Facilitation for Development- IFD) से संबंधित है।
- **सेवाओं का घरेलू विनियमन:**
  - घरेलू विनियमन के लिये नए विषयों को लागू करने और उन्हें WTO ढाँचे में एकीकृत करने पर हुए समझौते को MC13 की एक व्यावसायिक रूप से महत्त्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा गया है।
  - इन विषयों को नियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और सरल बनाकर सेवाओं में व्यापार को सुगम बनाने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
- **संवहनीयता-संबंधी पहल:**
  - सदस्य देश संवहनीयता-संबंधी पहलों (Sustainability-Related Initiatives) की एक श्रृंखला पर कार्य करने के लिये विभिन्न समूहों के रूप में एक साथ आए हैं।

नोट :

- 78 सदस्यों की एक पहल 'प्लास्टिक प्रदूषण और पर्यावरण की दृष्टि से संवहनीय प्लास्टिक व्यापार पर संवाद' (Dialogue on Plastics Pollution and Environmentally Sustainable Plastics Trade) ने प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिये व्यापार और व्यापार से संबंधित उपायों एवं नीतियों की पहचान की।
- 48 सदस्यों ने जीवाश्म ईंधन सब्सिडी सुधार की दिशा में प्रगति पर रिपोर्ट सौंपी।

- **मात्स्यिकी सब्सिडी:**
  - MC12 में सदस्यों ने मात्स्यिकी सब्सिडी पर समझौता (Agreement on Fisheries Subsidies-AFS) संपन्न किया, जो अवैध, असूचित एवं अनियमित (illegal, unreported, and unregulated- IUU) मत्स्य ग्रहण या ओवरफिश्ड स्टॉक के मत्स्य ग्रहण से संलग्न निकायों को सब्सिडी अनुदान प्रदान करने या इसे बनाए रखने पर रोक लगाता है।
  - MC13 में मंत्रियों ने AFS के लागू होने की दिशा में पिछले 20 माहों में हुई प्रगति का स्वागत किया। 1 मार्च 2024 तक 71 सदस्यों ने इस समझौते की पुष्टि कर दी है।

वर्तमान में कौन-सी चुनौतियाँ WTO की प्रभावशीलता को कमज़ोर कर रही हैं?

- **बहुपक्षीयता का क्षरण:**
  - हाल के वर्षों में व्यापार विवादों में वृद्धि और एकतरफा व्यापार कार्रवाइयों के उभार के साथ बहुपक्षीयता (multilateralism) का उल्लेखनीय क्षरण हुआ है।
  - यह प्रवृत्ति व्यापार संघर्षों को सुलझाने और व्यापार समझौतों पर वार्ता के सार्थक मंच के रूप में WTO की प्रभावशीलता को कमज़ोर करती है।
  - MC13 मात्स्यिकी सब्सिडी जैसे प्रमुख मुद्दों पर भी प्रगति करने में विफल रहा, जो 166 सदस्य देशों के बीच गंभीर मतभेद को दर्शाता है।
- **संरक्षणवाद और व्यापार युद्ध:**
  - टैरिफ, कोटा एवं अन्य व्यापार बाधाओं का प्रसार मुक्त व्यापार के सिद्धांतों को कमज़ोर करता है तथा नियम-आधारित व्यापार प्रणाली के लिये खतरा उत्पन्न करता है।
  - उदाहरण के लिये, अमेरिका और चीन के बीच व्यापार विवाद ने बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को तनावपूर्ण बना दिया है और WTO की मध्यस्थता तथा ऐसे संघर्षों को हल कर सकने की क्षमता को चुनौती दी है।
- **विवाद निपटान तंत्र संकट:**
  - WTO का विवाद निपटान तंत्र (Dispute Settlement Mechanism), जिसे प्राय: संगठन का 'मुकुट रत्न' माना जाता है, को हाल के वर्षों में संकट का सामना करना पड़ा है।
  - व्यापार विवादों पर निर्णय लेने के लिये ज़िम्मेदार अपीलीय निकाय, निकाय में नई नियुक्तियों पर अमेरिका के व्यवधान के कारण निष्क्रिय हो गया है।
  - एक कार्यशील विवाद निपटान तंत्र की अनुपस्थिति बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली में भरोसे को कम करती है और एकपक्षीयता को प्रोत्साहित करती है।
- **विकास अंतराल और विशेष एवं विभेदक व्यवहार:**
  - विकासशील देशों को लचीलापन एवं सहायता प्रदान करने पर लक्षित विशेष एवं विभेदक उपचार (S&D) के सिद्धांत के बावजूद, व्यापार वार्ता में प्रभावी ढंग से भाग लेने और व्यापार-संबंधी सुधारों को लागू करने की उनकी क्षमता में असमानताएँ बनी हुई हैं।
  - अल्प-विकसित देशों ((LDCs) के पास प्राय: व्यापार के अवसरों का लाभ उठाने के लिये आवश्यक संसाधनों एवं तकनीकी सहायता की कमी होती है, जिससे वे वैश्विक अर्थव्यवस्था में लगातार हाशिये पर बने रहते हैं।
- **डिजिटल व्यापार और ई-कॉमर्स:**
  - डिजिटल व्यापार और ई-कॉमर्स की तीव्र वृद्धि WTO के लिये अवसर और चुनौतियाँ दोनों प्रस्तुत करती है। जबकि डिजिटल प्रौद्योगिकियों में व्यापार दक्षता बढ़ाने और आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाने की क्षमता है, वे ऐसे नए नियामक एवं नीतिगत मुद्दे भी खड़े करते हैं जो पारंपरिक व्यापार समझौतों के दायरे से बाहर हैं।
  - WTO को सभी सदस्य देशों के लिये समान अवसर सुनिश्चित करते हुए डिजिटल व्यापार की उभरती प्रकृति को समायोजित करने के लिये अपने नियमों एवं समझौतों को अनुकूलित करने की चुनौती का सामना करना पड़ता है।
- **पर्यावरण और संवहनीयता संबंधी चिंताएँ:**
  - WTO को अपने व्यापार नियमों और समझौतों में पर्यावरण एवं संवहनीयता संबंधी विचारों को शामिल करने के लिये

नोट :

लगातार बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि और अन्य पर्यावरणीय चुनौतियों का वैश्विक व्यापार स्वरूपों एवं अभ्यासों पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

- व्यापार उदारीकरण लक्ष्यों के साथ पर्यावरणीय उद्देश्यों को संतुलित करने के लिये आर्थिक विकास और पर्यावरणीय संवहनीयता दोनों को बढ़ावा देने वाले नियम विकसित करने के लिये WTO सदस्यों के बीच नवोन्मेषी दृष्टिकोण एवं सहयोग की आवश्यकता है।

- **सार्वजनिक स्वास्थ्य और दवाओं तक पहुँच:**
  - कोविड-19 महामारी ने व्यापार नीति में सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी विचारों के महत्त्व को उजागर किया। सस्ती दवाओं और चिकित्सा आपूर्ति तक पहुँच अब एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा है, विशेष रूप से विकासशील देशों के लिये जो आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल उत्पादों की खरीद में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।
  - WTO को विशेष रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों के दौरान सभी के लिये दवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने की आवश्यकता के साथ बौद्धिक संपदा अधिकारों के बीच सामंजस्य बिठाने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।
- **कृषि एवं खाद्य सुरक्षा:**
  - हालाँकि कृषि पर WTO विषयों को अद्यतन करना वर्ष 2000 से ही सदस्यों के एजेंडे में रहा है, लेकिन इस दिशा में बहुत कम प्रगति हुई है। MC13 में कृषि वार्ता के दायरे, संतुलन और समयसीमा पर आम सहमति तक पहुँचने में सदस्य देश एक बार फिर विफल रहे।
  - यह विफलता विशेष रूप से 'खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों के लिये सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग' (public stockholding for food security purposes) के मुद्दे पर व्यापक असहमति के परिणामस्वरूप हाथ लगी।

विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत भारत की प्राथमिक चिंताएँ क्या हैं?

- **कृषि सब्सिडी और खाद्य सुरक्षा:**
  - भारत अपने किसानों की आजीविका एवं खाद्य सुरक्षा पर विकसित देशों द्वारा अपनाई गई कृषि सब्सिडी और घरेलू सहायता उपायों के प्रभाव को लेकर गंभीर चिंता रखता है।
  - भारत खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों के लिये सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग पर स्थायी समाधान की आवश्यकता के बारे में मुखर रहा है, ताकि विकासशील देशों को व्यापार प्रतिबंधों का सामना किये बिना कृषि उत्पादन पर सब्सिडी देने की अनुमति मिल सके।
  - कृषि समझौते (Agreement on Agriculture) पर WTO की समझौता वार्ता के दौरान इस मुद्दे को प्रमुखता मिली, जहाँ भारत अपने खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों को WTO नियमों के तहत उत्पन्न चुनौती से बचाने की इच्छा रखता है।
- **बाज़ार पहुँच और ग़ैर-टैरिफ बाधाएँ:**
  - भारत विकसित देशों में अपनी वस्तुओं एवं सेवाओं के लिये बेहतर बाज़ार पहुँच चाहता है। इसके साथ ही भारत ग़ैर-टैरिफ बाधाओं को दूर करने के उपाय भी चाहता है जो उसके निर्यात के लिये बाधाकारी हैं।
    - ग़ैर-टैरिफ बाधाएँ—जैसे तकनीकी नियम, स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता उपाय और प्रतिबंधात्मक लाइसेंसिंग प्रक्रियाएँ, भारत की निर्यात प्रतिस्पर्द्धात्मकता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती हैं।
  - भारत ने व्यापार वार्ताओं में एक सतर्क एवं अंशशोधित दृष्टिकोण पर बल दिया है जहाँ यूरोपीय संघ (EU) के कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (Carbon Border Adjustment Mechanism) जैसे ग़ैर-व्यापार मुद्दों के बारे में चिंताओं को संबोधित करते हुए WTO सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित किया जाए।
- **बौद्धिक संपदा अधिकार (Intellectual Property Rights- IPR) व्यवस्था:**
  - भारत WTO ढाँचे के भीतर एक संतुलित एवं विकासोन्मुख बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था की वकालत करता है। यह सस्ती दवाओं तक पहुँच को बढ़ावा देने, नवाचार को प्रोत्साहित करने और पारंपरिक ज्ञान एवं जैव विविधता की रक्षा करने की अपनी क्षमता की रक्षा करना चाहता है।
  - इसका एक उल्लेखनीय उदाहरण ट्रिप्स समझौते (TRIPS agreement) पर भारत का रुख है, जहाँ उसने अपनी आबादी के लिये आवश्यक दवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिये लचीलेपन एवं सुरक्षा उपायों की वकालत की है।
- **अमेरिका द्वारा भारत की पहलों में बाधा:**
  - वे विवाद जिनमें भारत एक शिकायतकर्ता या वादी पक्ष है:
    - भारतीय इस्पात उत्पादों पर अमेरिका द्वारा प्रतिकारी शुल्क लगाना

नोट :

- गैर-आप्रवासी वीज़ा के संबंध में अमेरिका के उपाय
- अमेरिका के नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम
- अमेरिका द्वारा इस्पात और एल्यूमीनियम उत्पादों पर आयात शुल्क का अधिरोपण

◆ विश्व व्यापार संगठन के वे विवाद जिनमें भारत एक प्रतिवादी पक्ष है:

- पोल्ट्री और पोल्ट्री उत्पादों के आयात पर भारत द्वारा प्रतिबंध पर अमेरिका द्वारा दर्ज शिकायत
- कुछ सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी वस्तुओं पर भारत के आयात शुल्क पर यूरोपीय संघ, जापान और ताइवान द्वारा दर्ज शिकायत।

- **विशेष एवं विभेदक उपचार (S&D):**
  - भारत WTO समझौतों के सभी क्षेत्रों में S&D प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन पर बल देता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकासशील देश बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली से पूरी तरह से लाभान्वित हो सकें।
  - उदाहरण के लिये, भारत ने वैश्विक व्यापार संबंधों में विषमताओं को दूर करने के लिये टैरिफ कटौती प्रतिबद्धताओं, व्यापार सुविधा उपायों और विवाद निपटान प्रक्रियाओं जैसे क्षेत्रों में विभेदक उपचार की वकालत की है।

विश्व व्यापार संगठन (WTO) में कौन-से सुधार आवश्यक हैं ?

- **विवाद निपटान तंत्र को पुनर्जीवित करना :**
  - व्यापार विवादों का समय पर और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के लिये अपीलीय निकाय की कार्यक्षमता को पुनर्बहाल करना अत्यंत आवश्यक है।

नोट :

- अपीलीय निकाय में नए सदस्यों की नियुक्ति में गतिरोध को दूर करने और WTO के विवाद निपटान तंत्र की अखंडता को बनाए रखने के लिये तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है।

- **दंड के लिये उपयुक्त प्रावधान:**
  - यदि किसी देश ने कुछ गलत किया हो तो उसे शीघ्रता से अपनी गलतियों को सुधारना चाहिये। यदि वह किसी समझौते का उल्लंघन जारी रखता है तो उसे मुआवजे की पेशकश करनी चाहिये या ऐसी उचित प्रतिक्रिया का सामना करना चाहिये जिसमें कुछ उपचार (remedy) शामिल हो। यह वस्तुत: दंड नहीं है, बल्कि एक 'उपचार' है, जहाँ अंतिम लक्ष्य यह है कि संबद्ध देश निर्णय का पालन करे।
  - ऐसे दोषी देशों को हरित जलवायु कोष (Green Climate Fund) में अनिवार्य रूप से एक विशेष राशि जमा करने के लिये बाध्य किया जा सकता है।
- **आधुनिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिये व्यापार नियमों को अद्यतन करना:**
  - डिजिटल व्यापार, ई-कॉमर्स और पर्यावरणीय संवहनीयता जैसे उभरते मुद्दों के को संबोधित करने के लिये WTO के नियमों और समझौतों को अद्यतन करने की आवश्यकता है।
  - यहाँ तात्कालिक सुधारों को नई प्रौद्योगिकियों को समायोजित करने, सतत विकास को बढ़ावा देने और समावेशी आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाने के लिये व्यापार नियमों को आधुनिक बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।
- **S&D प्रावधानों को सुदृढ़ करना:**
  - विकासशील और अल्प-विकसित देशों के विकास उद्देश्यों का समर्थन करने के लिये S&D प्रावधानों की प्रभावशीलता को बढ़ाना आवश्यक है।
  - यहाँ तात्कालिक सुधारों का लक्ष्य S&D प्रावधानों को विकासशील देशों के समक्ष विद्यमान विशिष्ट आवश्यकताओं एवं चुनौतियों (विशेष रूप से कृषि, IPR एवं सेवा व्यापार जैसे क्षेत्रों में) के प्रति अधिक क्रियाशील एवं उत्तरदायी बनाना होना चाहिये।
- **व्यापार विकृतियों और सब्सिडी को संबोधित करना:**
  - व्यापार-विकृतिकारी अभ्यासों—जिसमें सब्सिडी भी शामिल है जो बाज़ार प्रतिस्पर्द्धा को विकृत करती है और निष्पक्ष व्यापार को कमज़ोर करती है, को संबोधित करने के लिये तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है,
  - यहाँ सुधारों को WTO के सभी सदस्यों के लिये समान अवसर सुनिश्चित करने के लिये सब्सिडी और सरकारी समर्थन के अन्य रूपों पर नियंत्रण मज़बूत करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।
- **समावेशी निर्णयन को बढ़ावा देना:**
  - WTO के भीतर समावेशी निर्णयन प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करना इसकी वैधता एवं प्रभावशीलता को सुदृढ़ करने के लिये आवश्यक है।
  - यहाँ तत्काल सुधारों को WTO वार्ताओं, समितियों और निर्णयकारी निकायों में विकासशील एवं अल्प-विकसित देशों सहित सभी सदस्य देशों की अधिक भागीदारी एवं प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।

निष्कर्ष:

तेज़ी से विकसित हो रही वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी वैधता और केंद्रीय भूमिका को बनाए रखने के लिये विश्व व्यापार संगठन (WTO) को दूरदर्शी सुधार करने चाहिये। इसमें सभी सदस्य देशों की आवाज़ के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिये समावेशिता को प्राथमिकता देना, आधुनिकीकरण एवं नवाचार के माध्यम से उभरती चुनौतियों एवं अवसरों के प्रति तेज़ी से अनुकूलित होना और हितधारकों के बीच भरोसा निर्माण के लिये पारदर्शिता एवं जवाबदेही को बनाए रखना शामिल है।

■■■

बेंगलुरु जल संकट: भारत के लिये चेतावनी

बेंगलुरु गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में जल की गंभीर कमी की स्थिति बनी है। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार, कर्नाटक के 236 तालुकों में से 223 सूखे से प्रभावित हैं, जिनमें मांड्या और मैसूरु ज़िले भी शामिल हैं जो बेंगलुरु के लिये जल के दो प्रमुख स्रोत हैं।

जैसे-जैसे गर्मी बढ़ रही है, आने वाले माहों में कर्नाटक के लगभग 7,082 ग्रामों में पेयजल संकट उत्पन्न हो सकता है।

बेंगलुरु के गंभीर जल संकट के पीछे प्रमुख कारण:

- **वर्षा की कमी और खाली जल भंडार:**
  - पिछले कुछ मानसून मौसमों में शहर में अपर्याप्त वर्षा की स्थिति रही है। इससे शहर के लिये जल के प्राथमिक स्रोत कावेरी नदी के जल स्तर पर वृहत प्रभाव पड़ा है। नदी के निम्न जल स्तर से पेयजल और कृषि के लिये जल की कमी उत्पन्न हुई है।
  - कर्नाटक में अक्टूबर-दिसंबर माह के बीच उत्तर-पूर्वी मानसून वर्षा में 38% की कमी दर्ज की गई। इसी प्रकार, राज्य में जून-सितंबर माह के बीच दक्षिण-पश्चिम मानसून की वर्षा में 25% की कमी दर्ज की गई थी।

नोट :

- कर्नाटक राज्य प्राकृतिक आपदा प्रबंधन केंद्र (KSNDMC) की सूचना के अनुसार वर्ष 2024 के आरंभिक माहों में हरंगी, हेमवती और काबिनी जैसे कावेरी बेसिन जलाशयों में जल स्तर उनकी कुल क्षमता का मात्र 39% ही था।

- **भूजल स्रोतों का ह्रास:**
  - बेंगलुरु की अत्यंत तेज़ वृद्धि के परिणामस्वरूप क्षेत्र के उन प्राकृतिक भूदृश्यों के कंक्रीटीकरण की स्थिति बनी है जो वर्षा जल को अवशोषित किया करते थे। भूदृश्यों के ऐसे कंक्रीटीकरण से भूजल पुनर्भरण कम हो जाता है और सतही अपवाह बढ़ जाता है, जिससे जल का मृदा के अंदर अंत:श्रवण कम हो जाता है।
  - स्थानीय नागरिक जल की आपूर्ति के लिये बोरवेल पर निर्भर हैं। लेकिन वर्षा की कमी और अत्यधिक दोहन के कारण भूजल स्तर तेज़ी से गिर रहा है, जिससे कई बोरवेल सूख गए हैं।

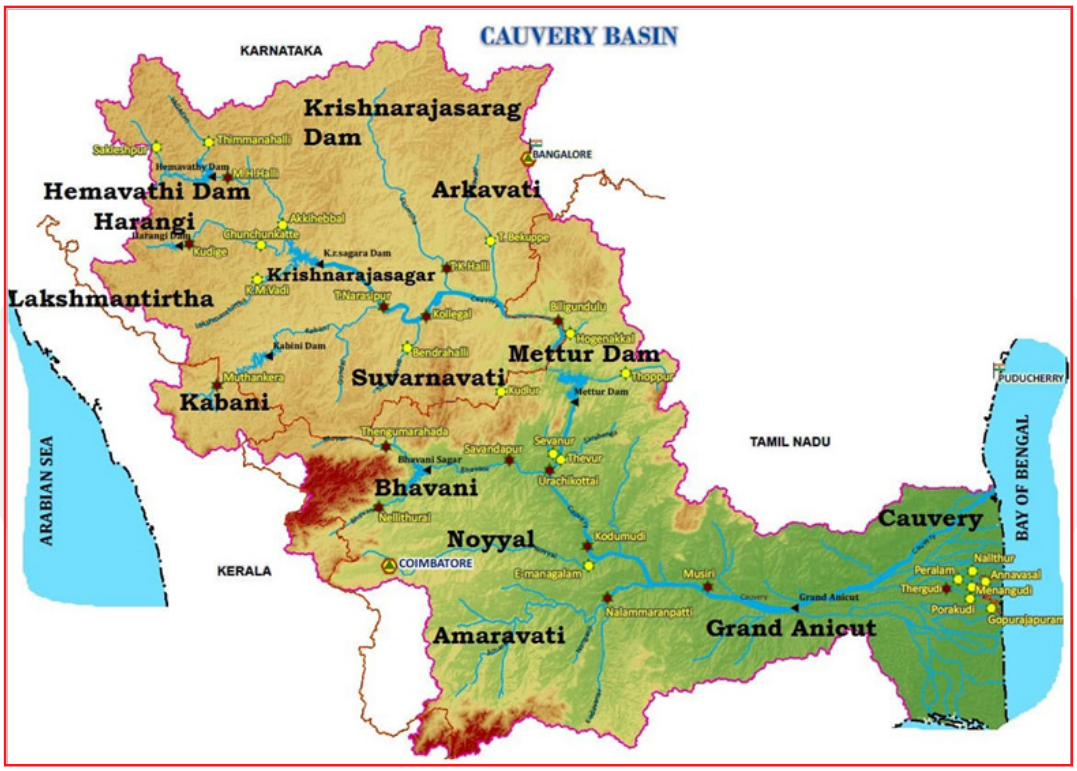

- **अपर्याप्त अवसंरचना:**
  - शहर की आधारभूत संरचना, जल आपूर्ति प्रणालियों और सीवेज नेटवर्क सहित, इसके तीव्र विकास के साथ तालमेल नहीं बिठा सकी है। यह अपर्याप्तता बढ़ती आबादी की मांगों को पूरा करने के लिये जल को कुशलतापूर्वक वितरित कर सकने की चुनौतियों को बढ़ा देती है।
  - 12 लाख लोगों को प्रतिदिन 110 लीटर पेयजल उपलब्ध कराने के लिये डिज़ाइन की गई कावेरी परियोजना के चरण-5 के मई 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है।

- **जलवायु परिवर्तन:**
  - जलवायु परिवर्तन के कारण अनियमित वर्षा और लंबे समय तक सूखे की स्थिति सहित बदलते मौसम पैटर्न ने बेंगलुरु के जलाशयों और प्राकृतिक जल निकायों में जल की उपलब्धता कम कर दी है।
  - भारतीय मौसम विभाग ने इस भूभाग में कम वर्षा के लिये अल नीनो की परिघटना को ज़िम्मेदार माना है।

- **जल निकायों का प्रदूषण:**
  - औद्योगिक बहि:स्राव, अनुपचारित सीवेज और ठोस अपशिष्ट निपटान से उत्पन्न प्रदूषण ने जल स्रोतों को दूषित कर दिया है, जिससे वे उपभोग के लिये अनुपयुक्त हो गए हैं और उपलब्ध जल आपूर्ति में और कमी आई है।
  - पर्यावरण प्रबंधन और नीति अनुसंधान संस्थान (EMPRI)

नोट :

द्वारा आयोजित एक अध्ययन के अनुसार बेंगलुरु के लगभग 85% जल निकाय औद्योगिक अपशिष्ट, सीवेज और ठोस अपशिष्ट निपटान से प्रदूषित हैं।

- **कुप्रबंधन और असमान वितरण:**
  - जल संसाधनों की बर्बादी, रिसाव और असमान वितरण सहित अकुशल जल प्रबंधन अभ्यास जल की कमी के संकट की गंभीरता में योगदान करते हैं, जहाँ कुछ क्षेत्रों को अपर्याप्त या अनियमित जल आपूर्ति प्राप्त होती है।
- **कानूनी और राजनीतिक चुनौतियाँ:**
  - कर्नाटक और पड़ोसी राज्यों के बीच जल बँटवारे पर जारी विवाद, विशेष रूप से कावेरी जैसी नदियों के संबंध में, बेंगलुरु के निवासियों के लिये जल संसाधनों के प्रबंधन तथा उन्हें सुरक्षित करने के प्रयासों को और जटिल बना देता है।
  - कर्नाटक में सूखे की स्थिति से निपटने के लिये धन के वितरण एवं आवंटन को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच खींचतान जारी है।

भारत में भूजल संकट की वर्तमान स्थिति:

- **जल उपलब्धता का अभाव:**
  - विश्व की 17% आबादी के वहन के बावजूद भारत के पास विश्व के मीठे जल संसाधनों का केवल 4% मौजूद है, जिससे इसकी विशाल आबादी की जल आवश्यकताओं को पूरा करना चुनौतीपूर्ण हो गया है।
  - नीति आयोग (NITI Aayog) द्वारा जून 2018 में प्रकाशित 'समग्र जल प्रबंधन सूचकांक' (CWMI) शीर्षक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि भारत अपने इतिहास में सबसे गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है; इसके लगभग 600 मिलियन लोग चरम जल तनाव का सामना कर रहे हैं; और सुरक्षित जल की अपर्याप्त पहुँच के कारण हर वर्ष लगभग 200,000 लोग मृत्यु का शिकार हो रहे हैं।
- **भूजल का अति उपयोग या अत्यधिक दोहन:**
  - भारत विश्व में भूजल का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता देश है, जिसका अनुमानित उपयोग प्रति वर्ष लगभग 251 BCM है, जो कुल वैश्विक उपयोग के एक चौथाई भाग से अधिक है।
  - 60% से अधिक सिंचित कृषि और 85% पेयजल आपूर्ति भूजल पर निर्भर है तथा बढ़ते औद्योगिक/शहरी उपयोग के साथ यह बेहद महत्त्वपूर्ण संसाधन है।
  - अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2025 में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता लगभग 1400 m3 तक कम हो जाएगी और वर्ष 2050 तक यह 1250 m3 तक कम हो जाएगी।
- **भूजल संदूषण:**
  - भूजल संदूषण (Groundwater contamination) घरेलू सीवेज सहित मानवीय गतिविधियों के कारण जल में बैक्टीरिया, फॉस्फेट और भारी धातुओं जैसे प्रदूषकों की उपस्थिति है।
  - नीति आयोग की रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत जल गुणवत्ता सूचकांक में 122 देशों की सूची में 120वें स्थान पर है, जिसका लगभग 70% जल संदूषित है।
  - भारत के कुछ हिस्सों में भूजल में प्राकृतिक रूप से आर्सेनिक, फ्लोराइड, नाइट्रेट और आयरन का उच्च स्तर भी पाया जाता है, जिनकी सांद्रता में जल स्तर की गिरावट के साथ वृद्धि की संभावना है।
- **सुरक्षित पेयजल तक पहुँच का अभाव:**
  - लाखों भारतीयों की सुरक्षित पेयजल और बेहतर स्वच्छता तक पहुँच नहीं है, जिससे जलजनित बीमारियों के मामले बढ़ रहे हैं।
    - भारत में जल संकट विशेष रूप से तेज़ी से बढ़ते मध्यम वर्ग की ओर से स्वच्छ जल की बढ़ती मांग और खुले में शौच के व्यापक अभ्यासों के कारण बढ़ गया है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ पैदा हो रही हैं।
  - विश्व बैंक के कुछ आँकड़े देश की दुर्दशा को उजागर करते हैं:
    - 163 मिलियन भारतीयों की सुरक्षित पेयजल तक पहुँच नहीं है।
    - 210 मिलियन भारतीयों की बेहतर स्वच्छता तक पहुँच नहीं है।
    - 21% संचारी रोग असुरक्षित जल से संबद्ध हैं।
    - भारत में हर दिन पाँच वर्ष से कम आयु के 500 बच्चे डायरिया से मर जाते हैं।
- **भविष्य के अनुमान:**
  - नीति आयोग की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2030 तक देश की जल की मांग उपलब्ध आपूर्ति से दोगुनी हो जाएगी, जिससे लाखों लोगों के लिये जल की गंभीर कमी उत्पन्न होगी और अंततः देश की जीडीपी को नुकसान होगा।
  - एक नई रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2041-2080 के दौरान भारत में भूजल की कमी की दर 'ग्लोबल वार्मिंग' के साथ वर्तमान दर से तीन गुना अधिक होगी।

नोट :

- विभिन्न जलवायु परिवर्तन परिदृश्यों में, शोधकर्ताओं ने पाया है कि वर्ष 2041 से 2080 तक भूजल स्तर (GWL) में गिरावट का उनका अनुमान वर्तमान गिरावट दर का औसतन 3.26 गुना (1.62-4.45 गुना) होगा जो जलवायु मॉडल और प्रतिनिधि सांद्रता मार्ग (Representative Concentration Pathway- RCP) परिदृश्य पर निर्भर करेगा।

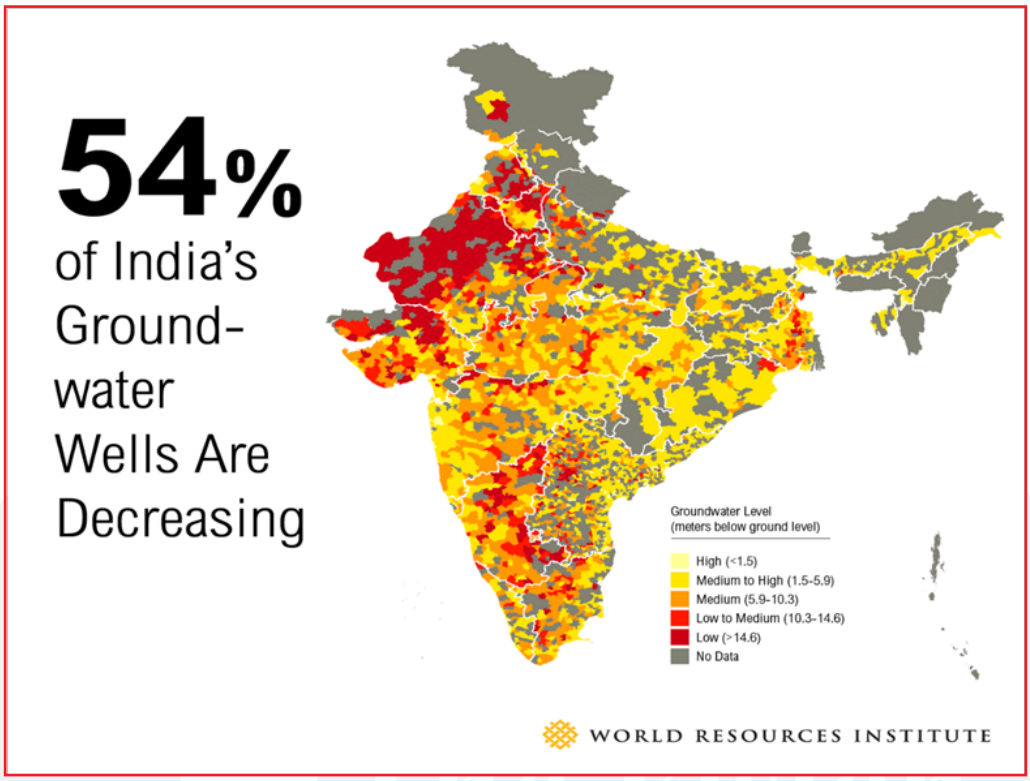

भारत में भूजल संकट से निपटने के लिये प्रमुख सरकारी योजनाएँ:

- जल संरक्षण के लिये मनरेगा
- जल क्रांति अभियान
- राष्ट्रीय जल मिशन
- अटल भूजल योजना (ABHY)
- जल जीवन मिशन (JJM)
- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG)

भारत में जल संकट से निपटने के लिये आवश्यक कदम:

- **नदियों को जोड़ना:**
  - इसमें यह विचार शामिल है कि नदियों को आपस में जोड़ा जाना चाहिये, ताकि जल की कमी के मुद्दे को हल करने के लिये जल अधिशेष वाली नदियों एवं क्षेत्रों से जल को इसकी कमी वाली नदियों एवं क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जा सके।
- **जल संरक्षण को बढ़ावा देना:**
  - व्यक्तिगत, सामुदायिक और राष्ट्रीय स्तर पर जल संरक्षण उपायों को लागू करना अत्यंत आवश्यक है।
  - इसमें वर्षा जल संचयन, कुशल सिंचाई तकनीकों को बढ़ावा देना और घरेलू, औद्योगिक एवं कृषि क्षेत्रों में जल की बर्बादी को कम करना शामिल है।
- **अवसंरचना में निवेश करना:**
  - जल अवसंरचना विकास, रखरखाव और पुनर्वास के लिये पर्याप्त वित्तीय संसाधन आवंटित किया जाए।
  - जल परियोजनाओं हेतु धन जुटाने के लिये सार्वजनिक-निजी भागीदारी, जल शुल्क और उपयोगकर्ता शुल्क जैसे नवीन वित्तपोषण तंत्र पर विचार किया जाए।
- **सतत कृषि को बढ़ावा देना:**
  - किसानों को ड्रिप सिंचाई, परिशुद्ध कृषि, फसल चक्र और कृषि वानिकी जैसी जल-कुशल कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिये प्रोत्साहित किया जाए।

नोट :

- जल-बचत प्रौद्योगिकियों को लागू करने के लिये प्रोत्साहन और सब्सिडी प्रदान करने के माध्यम से इस संक्रमण को सुविधाजनक बनाया जा सकता है।
- 'जल की प्रति बूंद अधिक फसल एवं आय' पर एम.एस. स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट (2006) के अनुसार, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई से फसल की खेती में लगभग 50% जल की बचत की जा सकती और फसलों की पैदावार 40-60% तक बढ़ सकती है।

- **प्रदूषण को संबोधित करना:**
  - औद्योगिक बहि:स्राव, सीवेज उपचार और कृषि अपवाह पर सख्त नियम लागू कर जल प्रदूषण का मुकाबला किया जाए।
  - अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों की स्थापना करने और पर्यावरण-अनुकूल अभ्यासों को अपनाने से नदियों, झीलों एवं भूजल स्रोतों में प्रदूषण के स्तर को कम करने में मदद मिल सकती है।
- **विधान और शासन:**
  - जल-संबंधी विधान, नीतियों और नियामक तंत्रों को अधिनियमित एवं लागू कर जल प्रशासन ढाँचे को सुदृढ़ किया जाए।
  - स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय जल प्रबंधन प्राधिकरणों की स्थापना से जल प्रबंधन रणनीतियों के समन्वित निर्णयन एवं कार्यान्वयन की सुविधा मिल सकती है।
  - कम जल-गहन फसलों के लिये न्यूनतम समर्थन नीतियाँ (minimum support policies) शुरू करने से कृषि जल के उपयोग पर दबाव कम हो सकता है।
- **सामाजिक सहभागिता:**
  - भूजल प्रशासन में सामुदायिक भागीदारी और अधिकारों को सशक्त करने से भूजल प्रबंधन में सुधार हो सकता है।
  - प्रायद्वीपीय भारत में भूजल प्रशासन के लिये विश्व बैंक की परियोजनाएँ सहभागी भूजल प्रबंधन (Participatory Groundwater Management- PGM) दृष्टिकोण लागू करने के माध्यम से कई मोर्चों पर सफल रहीं।
- **'वन वाटर एप्रोच' को अपनाना:**
  - वन वाटर एप्रोच (One Water Approach), जिसे एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन (IWRM) भी कहा जाता है, इस बात की मान्यता है कि सभी जल का मूल्य है, चाहे उसका स्रोत कुछ भी हो।
  - इसमें पारिस्थितिक एवं आर्थिक लाभ के लिये समुदाय, व्यापारिक नेताओं, उद्योगों, किसानों, संरक्षणवादियों, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और अन्य लोगों को शामिल करते हुए उस स्रोत को एकीकृत, समावेशी एवं संवहनीय तरीके से प्रबंधित करना शामिल है।

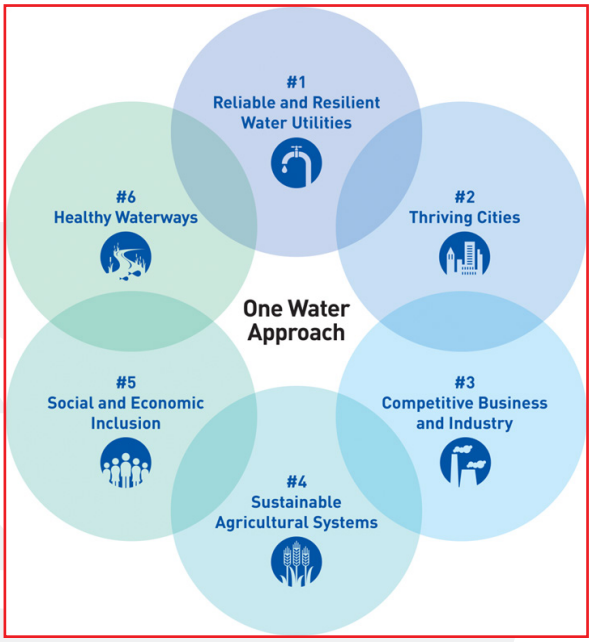

निष्कर्ष:

सभी हितधारकों की समावेशी भागीदारी को बढ़ावा देकर और अल्पकालिक लाभ पर दीर्घकालिक संवहनीयता को प्राथमिकता देने वाली ठोस नीतियों को लागू कर, भारत एक ऐसे भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकता है जहाँ हर भारतीय की सुरक्षित एवं भरोसेमंद भूजल तक पहुँच हो।

■■■

बिना सर्वाइकल कैंसर वाले भविष्य हेतु प्रयास

भारत में सर्वाइकल कैंसर (Cervical Cancer) एक बड़ा स्वास्थ्य खतरा बना हुआ है जो निवारक उपायों की आवश्यकता को उजागर करता है। भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर के खतरे के शमन के उद्देश्य से 9-14 वर्ष की बालिकाओं के लिये ह्यूमन पैपिलोमावायरस (HPV) के विरुद्ध त्रि-चरणीय टीकाकरण अभियान शुरू करने की मंशा रखती है।

हालाँकि, इस रोकथाम योग्य बीमारी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिये जोखिम कारकों, टीकाकरण विकल्पों, स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल और प्री-कैंसर स्थितियों के प्रबंधन को समझना महत्त्वपूर्ण है।

नोट :

सर्वाइकल कैंसर:

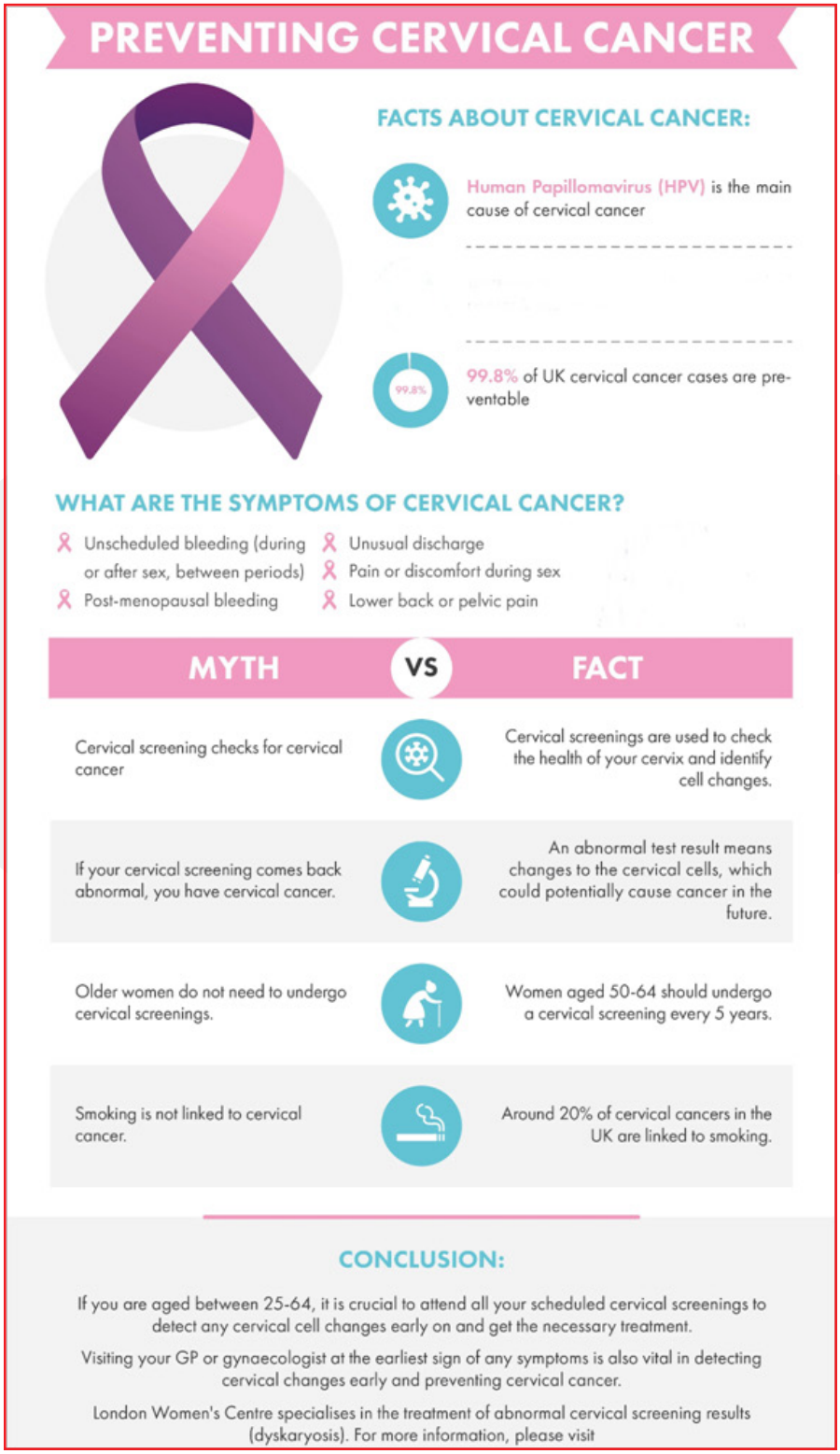

नोट :

- **परिचय:**
  - सर्वाइकल कैंसर महिलाओं के गर्भाशय ग्रीवा (cervix) में विकसित होता है। यह वैश्विक स्तर पर महिलाओं में होने वाला चौथा सबसे आम प्रकार का कैंसर है।
  - सर्वाइकल कैंसर के लगभग सभी मामले (99%) उच्च जोखिमपूर्ण ह्यूमन पैपिलोमावायरस (HPV) के संक्रमण से जुड़े हैं, जो यौन संपर्क के माध्यम से संचारित होने वाला एक बेहद आम विषाणु या वायरस है।
- **स्ट्रेन के प्रकार:**
  - कुछ उच्च जोखिमपूर्ण HPV स्ट्रेन या उपभेदों के लगातार संक्रमण से लगभग 85% सर्वाइकल कैंसर उत्पन्न होते हैं।
  - कम से कम 14 HPV प्रकारों की पहचान 'ऑन्कोजेनिक' (oncogenic) या कैंसरकारी के रूप में की गई है।
    - इनमें से HPV प्रकार 16 एवं 18, जिन्हें सबसे अधिक 'ऑन्कोजेनिक' माना जाता है, वैश्विक स्तर पर सभी सर्वाइकल कैंसर के लगभग 70% मामलों के लिये ज़िम्मेदार पाये गए हैं।

सर्वाइकल कैंसर से संघर्ष भारत के लिये क्यों महत्त्वपूर्ण है?

- **उच्च प्रसार और मृत्यु दर:** सर्वाइकल कैंसर भारत में महिलाओं में पाया जाने वाला दूसरा सबसे आम कैंसर है, जिसके प्रति वर्ष लगभग 1.27 लाख मामले सामने आते हैं और इससे हर वर्ष लगभग 80,000 महिलाओं की मौत हो जाती है।
- **सहरुग्णताएँ (Comorbidities) और जोखिम कारक:** HPV संक्रमण, जो मुख्य रूप से यौन संपर्क के माध्यम से फैलता है, भारत में सर्वाइकल कैंसर का एक प्रमुख कारण है।
  - HIV/AIDS जैसी सहरुग्णताओं का उच्च प्रसार और अल्पायु विवाह, कई साथियों से यौन संबंध तथा गर्भनिरोधक के उपयोग की कमी जैसे जोखिम कारक सर्वाइकल कैंसर के उन्मूलन के प्रयासों को और जटिल बनाते हैं।
- **वंचित समुदायों पर असंगत प्रभाव:** स्वास्थ्य सुविधाओं तक सीमित पहुँच, अपर्याप्त जागरूकता और सामाजिक-आर्थिक कारकों के कारण सर्वाइकल कैंसर वंचित एवं हाशिये पर स्थित समुदायों की महिलाओं को असंगत रूप से प्रभावित करता है।
- **आर्थिक बोझ:** सर्वाइकल कैंसर उल्लेखनीय आर्थिक बोझ भी उत्पन्न करता है जहाँ निदान, उपचार एवं देखभाल से जुड़ी लागत स्वास्थ्य देखभाल संसाधनों पर दबाव डालती है और प्रभावित व्यक्तियों एवं उनके परिवारों के लिये वित्तीय कठिनाइयों को बढ़ाती है।
- **महिलाओं के कल्याण पर प्रभाव:** सर्वाइकल कैंसर मुख्य रूप से महिलाओं को उनके 'प्राइम' वर्षों (prime years) के दौरान प्रभावित करता है, जिससे फिर वे असामयिक मृत्यु की शिकार होती हैं, जो परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिरता और बच्चों के कल्याण (well-being) को प्रभावित करता है।
- **मानवाधिकार संबंधी मुद्दा:** महिलाओं के स्वास्थ्य एवं कल्याण के अधिकार की पूर्ति के लिये HPV टीकाकरण एवं सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग सहित वहनीय एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच आवश्यक है।
- **दीर्घकालिक लाभ:** सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम एवं नियंत्रण प्रयासों में निवेश करने से सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं सतत् विकास के लिये दीर्घकालिक लाभ प्राप्त होते हैं; यह जीवन प्रत्याशा में सुधार, बेहतर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परिणामों और सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्राप्ति की दिशा में प्रगति में योगदान देता है।

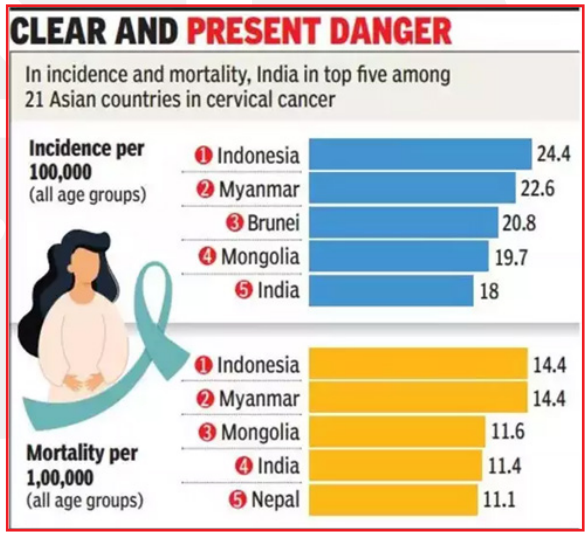

भारत में सर्वाइकल कैंसर के उन्मूलन की राह में प्रमुख बाधाएँ:

- **सीमित जागरूकता:** लोगों में, विशेष रूप से ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में, सर्वाइकल कैंसर, इसके जोखिम कारकों और HPV टीकाकरण एवं नियमित जाँच जैसे निवारक उपायों के बारे में जागरूकता की कमी है।
- **अपर्याप्त स्क्रीनिंग कार्यक्रम:** भारत में व्यापक एवं सुलभ सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग कार्यक्रमों की कमी है, जिसके कारण निदान में देरी होती है और अक्षम उपचार परिणाम प्राप्त होते हैं।

नोट :

- **औपचारिक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच का अभाव:** अपर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, सर्वाइकल कैंसर की शीघ्र पहचान, निदान एवं उपचार में बाधा उत्पन्न करता है।
  - आंध्र प्रदेश में एक अध्ययन से उजागर हुआ कि 68% रोगियों ने पहले पारंपरिक चिकित्सकों की मदद ली और केवल 3% का ही HPV टीकाकरण हुआ था।
- **कुशल कर्मियों की कमी:** सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम, जाँच एवं उपचार में प्रशिक्षित स्त्रीरोग विशेषज्ञों (gynecologists) और कैंसर विशेषज्ञों (oncologists) सहित कुशल स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की कमी है।
- **कलंक और सांस्कृतिक बाधाएँ:** महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों (सर्वाइकल कैंसर सहित) से जुड़ी सामाजिक-सांस्कृतिक वर्जनाएँ महिलाओं को समय पर चिकित्सा देखभाल प्राप्त करने या स्क्रीनिंग कार्यक्रमों में भाग लेने से अवरुद्ध करती हैं।
- **टीके को लेकर झिझक:** HPV टीकाकरण के बारे में भ्रामक सूचना एवं गलत धारणाएँ माता-पिता और देखभालकर्ताओं के बीच टीके को लेकर झिझक पैदा करती हैं, जिससे टीकाकरण कवरेज दर प्रभावित होती है।
- **वहनीयता और अभिगम्यता:** HPV टीकों, स्क्रीनिंग परीक्षणों और उपचार विकल्पों की लागत कई व्यक्तियों, विशेष रूप से निम्न-आय पृष्ठभूमि वाले लोगों के लिये निषेधात्मक सिद्ध हो सकती है।
- **भौगोलिक असमानताएँ:** भारत के विभिन्न क्षेत्रों में सर्वाइकल कैंसर की घटनाओं और मृत्यु दर में व्यापक भिन्नता देखी जाती है, जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में प्राय: उच्च रोग बोझ और स्वास्थ्य देखभाल संसाधनों की कमी अनुभव की जाती है।
- **सीमित सरकारी वित्तपोषण:** सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रमों के लिये अपर्याप्त वित्तपोषण व्यापक रणनीतियों एवं हस्तक्षेपों को लागू करने के प्रयासों में बाधा उत्पन्न करता है।
- **सीमित अनुसंधान और नवाचार:** भारतीय संदर्भ के अनुरूप वहनीय एवं प्रभावी स्क्रीनिंग उपकरण, नैदानिक तकनीक और उपचार उपायों को विकसित करने के लिये अधिक अनुसंधान और नवाचार की आवश्यकता है।

कैंसर के उपचार से संबंधित प्रमुख सरकारी पहलें:

- कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPCDCS)
- राष्ट्रीय कैंसर ग्रिड
- राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस
- HPV वैक्सीन
- कैंसर स्क्रीनिंग के लिये सरकारी पहलें: भारत सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में विज़ुअल टेस्ट और HPV टेस्ट सहित कैंसर स्क्रीनिंग का क्रियान्वयन करती है ।

भारत सर्वाइकल कैंसर के खतरे से किस प्रकार मुक़ाबला कर सकता है?

- **HPV टीकाकरण:**
  - लगातार उच्च जोखिमपूर्ण HPV संक्रमण, निम्न सामाजिक-आर्थिक स्थितियों और धूम्रपान जैसे अन्य कारकों के साथ सर्वाइकल कैंसर का प्रमुख कारण है।
    - HPV टीकाकरण, जाँच और समय पर उपचार के माध्यम से इस रोग को रोका जा सकता है तथा इसका उपचार किया जा सकता है।
- **'अर्ली डिटेक्शन' और उपचार का अवसर:**
  - सर्वाइकल कैंसर में 10-15 वर्ष का 'प्री-इनवेसिव' चरण होता है, जो शीघ्र पता लगा सकने (early detection) और बाह्य रोगी उपचार (outpatient treatment) के लिये एक अवसर प्रदान करता है।
    - प्रारंभिक चरण के प्रबंधन से रोगमुक्ति दर (cure rate) 93% से अधिक हो जाती है, जो समय पर हस्तक्षेप के महत्त्व को उजागर करता है।
- **स्वदेशी टीका विकास:**
  - भारत द्वारा स्वदेशी क्वाड्रिवेलेंट वैक्सीन सर्वावैक (CERVAVAC) का विकास एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है जो आम आबादी के लिये टीके की अभिगम्यता एवं वहनीयता बढ़ाएगी।
  - सर्वावैक भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित क्वाड्रिवेलेंट ह्यूमन पैपिलोमावायरस (qHPV) टीका है, जिसके बारे में कहा गया है कि यह वायरस के चार प्रकारों- टाइप 6, टाइप 11, टाइप 16 और टाइप 18 के विरुद्ध प्रभावी है।
  - 2,000 रुपए प्रति खुराक की कीमत के साथ यह टीका HPV संक्रमण और सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध संघर्ष के लिये आशाजनक है।

नोट :

- **HPV टीकाकरण की वैश्विक सफलता से प्रेरणा ग्रहण करना:**
  - वैश्विक स्तर पर 100 से अधिक देशों ने सफल HPV टीकाकरण कार्यक्रम लागू किया है, जिससे सर्वाइकल कैंसर के मामलों में उल्लेखनीय गिरावट आई है।
  - स्कॉटलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अध्ययन HPV टीकों के व्यावहारिक प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं, जिनसे सर्वाइकल कैंसर की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है।
  - रवांडा का सफल HPV टीकाकरण अभियान सर्वाइकल कैंसर से निपटने के लिये टीकाकरण को प्राथमिकता देने के महत्त्व को रेखांकित करता है।
  - WHO का '90-70-90' का लक्ष्य: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने '90-70-90' का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है, जहाँ 90% बालिकाओं का 15 वर्ष की आयु तक पूर्ण HPV टीकाकरण, 70% महिलाओं का 35-45 की आयु तक सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट और सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित 90% महिलाओं का वर्ष 2030 तक उपचार का लक्ष्य रखा गया है।
- **तकनीकी प्रगति की भूमिका:**
  - एकल-खुराक HPV टीकाकरण, HPV परीक्षण के लिये स्व-नमूनाकरण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) प्रौद्योगिकियों जैसे नवाचार सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम को बेहतर बनाते हैं।
    - HPV टीकों के बढ़ते उपयोग के साथ ये प्रगतियाँ संसाधन-सीमित परिदृश्यों के लिये बेहद आशाजनक हैं।
- **जनसंख्या-स्तर जागरूकता और रणनीतियाँ:**
  - सर्वाइकल कैंसर से निपटने के लिये जागरूकता बढ़ाने, HPV टीकों को बढ़ावा देने, संकोच पर काबू पाने, आयु-उपयुक्त जाँच को लागू करने और प्री-कैंसर उपचार प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।
  - स्कूलों में स्वास्थ्य शिक्षा पाठ्यक्रम में HPV संबंधी सूचनाओं को शामिल करना बालिकाओं के बीच टीके के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने में भूमिका निभा सकता है।

निष्कर्ष:

सर्वाइकल कैंसर के बढ़ते मामले और मृत्यु के चिंताजनक आँकड़े निवारक उपायों की तत्काल आवश्यकता को उजागर करते हैं। स्क्रीनिंग और HPV टीकाकरण के माध्यम से शीघ्र या समय-पूर्व पता लगाना (Early detection) एक महत्त्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है, जहाँ प्रारंभिक चरणों में रोग के प्रबंधन से उच्च रोगमुक्ति दर प्राप्त होती है। सर्वाइकल कैंसर के सफल उन्मूलन के लिये सटीक निदान, सुदृढ़ कैंसर रजिस्ट्रियाँ, कम वित्तीय बोझ और मज़बूत स्वास्थ्य प्रणालियों हेतु नियमित एवं सुसंगत प्रयासों की आवश्यकता है।

■■■

AYUSH और आधुनिक चिकित्सा का एकीकरण

आधुनिक चिकित्सा से संलग्न चिकित्सकों से आग्रह किया जा रहा है कि वे पारंपरिक या वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालियों (AYUSH) के साथ कार्य करने के लिये अधिक खुला रुख रखें और रोगियों के व्यापक हित में एकीकृत चिकित्सा की ओर आगे बढ़ें। यह विचार सैद्धांतिक रूप से तो आकर्षक है, लेकिन इससे संलग्न व्यावहारिक मुद्दों की पड़ताल करना उपयुक्त होगा। एकीकरण के स्तर के आधार पर, चिकित्सा की इन दो प्रणालियों के अस्तित्व के विभिन्न परिदृश्यों का पता लगाया जा सकता है।

हाल के समय में आयुष दवाओं और पूरकों (सप्लीमेंट्स) के उत्पादन में तेज़ वृद्धि देखी गई है। इस क्षेत्र का राजस्व वर्ष 2014 में 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2020 में 18 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। वर्ष 2023 में 24 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुमानित वृद्धि ने इसके वित्तीय प्रभाव को प्रदर्शित किया है। इसके अलावा, आयुष-आधारित स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों को व्यापक प्रतिक्रिया मिल रही है जहाँ इसके 7,000 परिचालन केंद्रों में वर्ष 2022 तक 8.42 करोड़ मरीजों ने स्वास्थ्य सेवा प्राप्त की थी। मरीजों ने 2022 तक सेवाओं का लाभ उठाया। आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों में इसके एकीकरण में भी वृद्धि देखी जा रही है।

चिकित्सा की पारंपरिक प्रणालियों की सकारात्मक विशेषताओं में शामिल हैं:

- विविधता और लचीलापन;
- अभिगम्यता;
- वहनीयता;
- आम लोगों के एक बड़े वर्ग द्वारा व्यापक स्वीकृति;
- बढ़ता आर्थिक मूल्य,
- लोगों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने की व्यापक संभावनाएँ।

नोट :

AYUSH Systems of Medicine

AYUSH encompasses Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha, Sowa Rigpa, and Homeopathy, with Ayurveda having a documented history of 5000+ years.

Ayurveda

Lord Brahma is believed to be the 1st proponent of Ayurveda

- **Samhita Period (1000 BC):** Emerged as mature medical system
  - **Charaka Samhita:** Oldest and most authoritative text
  - **Sushruta Samhita:** Gives fundamental principles and therapeutic methods in eight specialties
- **Main Schools:**
  - **Punarvasu Atreya -** School of physicians
  - **Divodasa Dhanvantari -** School of surgeons

Branches of Ayurveda:

- Kayachikitsa (internal medicine)
- Shalya Tantra (surgery)
- Shalakya Tantra (disease of supra-clavicular origin)
- Kaumarabhritya (paediatrics)
- Agada Tantra (toxicology)
- Bhootavidya (psychiatry)
- Rasayana Tantra (rejuvenation and geriatrics)
- Vajikarana (eugenics & science of aphrodisiac)

Yoga & Naturopathy

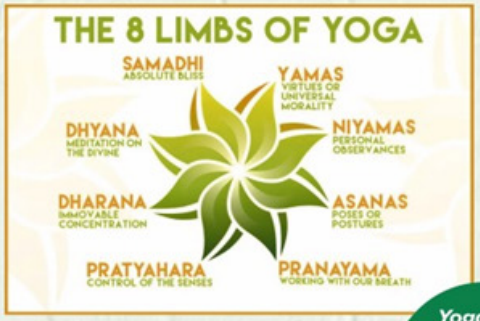

Yoga first propounded by Maharishi Patanjali in systematic form Yogsutra

- **Naturopathy:** Healing with help of 5 natural elements - Earth, Water, Air, Fire and Ether
  - Based on theories of self-healing capacity of body and principles of healthy living
  - Encourages a **person-centred approach** rather than disease-centred

Unani

Pioneered in Greece, developed by Arabs as 7 principles (Umoor-e-Tabbiya)

- Based on the framework of teachings of **Buqrat** (Hippocrates) and **Jalinoos** (Galen)
  - Hippocratic theory of **four humors** viz. blood, phlegm, yellow bile, and black bile
- **Recognised by WHO** and granted official status by India as an alternative health system

Siddha

Dates back to 10000 – 4000 BC; Siddhar Agasthiyar - Father of Siddha Medicine

- Preventive, promotive, curative, rejuvenative, and rehabilitative health care
- **4 Components:** Latro-chemistry, Medical practice, Yogic practice & Wisdom
- Diagnosis based on 3 humors **(Mukkuttram)** and 8 vital tests **(Ennvagai Thervu)**

Sowa Rigpa

Origin: Lord Buddha in India before 2500 years

- Traditional medicine in Himalayan regions of Ladakh, Himachal Pradesh, Arunachal Pradesh, etc.
- Recognised in India by Indian Medicine Central Council Act,1970 (As amended in 2010)

Homeopathy

German physician Dr. Christian F. S. Hahnemann codified its fundamental principles

- Medicines prepared mainly from natural substances (plant products, minerals, animal sources)
- Brought in India by European missionaries - 1810; official recognition - 1948
- **3 Key Principles:**
  - *Similia Similibus Curentur* (let likes be cured by likes)
  - Single Medicine
  - Minimum Dose

Drishti IAS

नोट :

आधुनिक और आयुष चिकित्सा के विभिन्न संभावित हाइब्रिड मॉडल:

संभावित हाइब्रिड परिदृश्यों को मान्यता देते हुए उन्हें सरलता के लिये प्रतिस्पर्द्धी, सह-अस्तित्वकारी और सहकारी के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

- **प्रतिस्पर्द्धी मॉडल (Competitive Model):**
  - इस मॉडल में चिकित्सा की दोनों प्रणालियाँ प्रतिद्वंद्विता प्रदर्शित करती हैं। इसमें व्यक्तिगत चिकित्सा पेशेवर अपनी इच्छानुसार कार्य कर सकते हैं, लेकिन प्रणालियों के स्तर पर या पेशेवर संघ के स्तर पर एक-दूसरे के दोष बताना भी शामिल होगा।
  - व्यावसायिक संघ/परिषद एक-दूसरे के विरुद्ध खड़े होंगे और मुकदमेबाजी शुरू करेंगे। दोनों प्रणालियाँ अपनी सामर्थ्य और अन्य प्रणालियों की कमज़ोरियों को इंगित कर मरीजों को अपने तंत्र में लाने के लिये प्रतिस्पर्द्धा करेंगी।
    - ये प्रभावशीलता, उनके उत्पादों के दुष्प्रभावों और व्यावसायिकता जैसे बाहरी कारकों से संबंधित हो सकते हैं। संक्षेप में, इसमें 'ऑल इज़ फेयर इन वार' के तर्ज पर प्रतिस्पर्द्धा होगी।
- **सह-अस्तित्वकारी मॉडल (Co-existence Model):**
  - इस मॉडल में दोनों प्रणालियाँ एक-दूसरे की वैधता को मान्यता देंगी और यह सुनिश्चित करने के लिये स्पष्ट सीमाओं का निर्धारण करेंगी कि वे दूसरों के डोमेन या दायरे का अतिक्रमण किये बिना सह-अस्तित्व में बने रहें।
  - अधिकांश आधुनिक चिकित्सक मरीजों को आयुष उपचार प्राप्त करने या न करने के संबंध में निर्णय की स्वतंत्रता देते हैं। वे मरीज़ों को दवाएँ जारी रखने या उन्हें बंद करने की ज़िम्मेदारी स्वयं लेने की सलाह दे सकते हैं। यदि आयुष उपचार प्रभावी हो तो आधुनिक दवा की खुराक अपने आप कम हो जाएगी।
    - आयुर्वेद और होम्योपैथी चिकित्सक आमतौर पर मरीजों को सलाह देते हैं कि उनकी प्रणाली क तहत अपनी चिकित्सा शुरू करने से पहले वे आधुनिक दवाओं का सेवन बंद कर दें। इस मॉडल में इन चिकित्सकों को एक प्रतिष्ठान में सह-अवस्थित किया जा सकता है, जहाँ प्रत्येक थेरेपी की एक अलग प्रणाली होगी। हालाँकि, यहाँ कोई पारस्परिक रेफरल प्रणाली नहीं होगी।
- **सहयोग मॉडल (Cooperation Model):**
  - यह आदर्श एकीकृत चिकित्सा मॉडल है जहाँ दोनों धाराएँ एक-दूसरे की अच्छी चीज़ों को स्वीकार करती हैं और रोगी को सर्वोत्तम संभव देखभाल प्रदान करने के लिये एक टीम के रूप में संयुक्त रूप से कार्य करती हैं। इसमें आधुनिक चिकित्सा के निवारक एवं प्रोत्साहक घटक में सुधार करने की क्षमता है जो कि अत्यधिक दवा-केंद्रित है।

हाइब्रिड मॉडल को अपनाने की राह की विभिन्न चुनौतियाँ:

- **दोनों प्रणालियों के बीच विश्वास की कमी:**
  - ऐसे कई मरीज़ों के उदाहरण सामने आए हैं जिन पर एक चिकित्सा का अच्छा या बुरा नियंत्रण रहा था और जब उन्होंने वैकल्पिक उपचार की ओर रुख किया तो उनकी बीमारी और बिगड़ गई या उनमें सुधार आया।
    - इनमें से अधिकांश वास्तविक साक्ष्य हैं और किसी भी दृष्टिकोण को सही ठहराने के लिये इन्हें उद्धृत किया जा सकता है। लेकिन आयुष समर्थकों द्वारा मधुमेह या कैंसर के प्रभावी इलाज के दावों के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य नहीं दे सकने से फिर संदेह की उत्पत्ति होती है।
- **मौजूदा तकनीकी चुनौतियाँ:**
  - तकनीकी चुनौती यह है कि आयुष एक विषमरूप या विविध समूह है और इनमें से प्रत्येक चिकित्सा प्रणाली से अलग-अलग संबोधित होने और अलग-अलग निर्णय लेने की आवश्यकता होगी। विभिन्न स्वास्थ्य स्थितियों के प्रबंधन एवं रोकथाम के लिये योग (Yoga) की प्रभावशीलता पर उपलब्ध साक्ष्यों में वृद्धि के परिणामस्वरूप आधुनिक चिकित्सा पेशेवरों के बीच इसकी स्वीकार्यता बढ़ रही है।

नोट :

- आयुर्वेद/होम्योपैथी आदि प्रणालियों में नुस्खा (prescription) विवाद का विषय बना रहेगा। उदाहरण के लिये, इस बारे में आशंकाएँ हैं कि आयुर्वेद द्वारा प्रस्तावित दोष-आधारित प्रबंधन, उन मानक प्रबंधन प्रोटोकॉल के साथ प्रभावी ढंग से कार्य कर सकेगा या नहीं जिन्हें आधुनिक चिकित्सा में आगे बढ़ाया जा रहा है।

दोष-आधारित प्रबंधन:

- दोष-आधारित प्रबंधन आयुर्वेद की पारंपरिक भारतीय चिकित्सा प्रणाली में निहित स्वास्थ्य देखभाल का एक समग्र दृष्टिकोण है। इसमें किसी व्यक्ति के अद्वितीय संघटन या प्रकृति की पहचान करना शामिल है, जो तीन मूलभूत ऊर्जाओं या दोषों- वात, पित्त और कफ के संतुलन से निर्धारित होता है।
- इस मूल्यांकन के आधार पर, इन दोषों के संतुलन को बनाए रखने या पुनर्स्थापित करने, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और बीमारी को रोकने के लिये आहार, जीवनशैली एवं हर्बल उपचार के संबंध में वैयक्तिकृत सलाह दी जाती है।
- **परिचालन संबंधी चुनौतियाँ:**
  - परिचालन संबंधी चुनौतियों के संदर्भ में, टीम-आधारित दृष्टिकोण की सफलता के लिये टीम के सदस्यों को अपनी सीमाएँ पता होनी चाहिये और उस क्षेत्र में दूसरों की सामर्थ्य को स्वीकार करना चाहिये। आधुनिक चिकित्सा के चिकित्सकों को आयुष धाराओं के बारे में कोई जानकारी नहीं है और वे इस संबंध में कोई सूचित निर्णय लेने में अक्षम सिद्ध हो सकते हैं।
    - उन्हें आयुष चिकित्सकों की बातों को महज उनके दावों के आधार पर स्वीकार करना होगा, जो विश्वास की कमी को देखते हुए कठिन है। मरीजों के पास स्वयं इन निर्णयों के लिये पर्याप्त जानकारी नहीं होती है और उन्हें स्वयं के भरोसे छोड़ना उचित नहीं होगा।
- **विनियमन में चुनौतियाँ:**
  - इस एकीकरण का सबसे चुनौतीपूर्ण पहलू इसका विनियमन होगा। कई आधुनिक चिकित्सक आयुर्वेदिक दवाओं की क्रिया पद्धति को समझे बिना ही उसकी सलाह दे देते हैं। यह स्वीकार्य नहीं है और इसी तरह आयुष चिकित्सकों को भी आधुनिक चिकित्सा का अभ्यास नहीं करना चाहिये।
    - विभिन्न चिकित्सा प्रणालियों का यह एकीकरण उचित तो प्रतीत होता है, लेकिन वर्तमान में इसका कार्यान्वयन अधिक नहीं हो रहा। ये विषय संबंधित व्यावसायिक परिषदों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। दुर्भाग्य से ये परिषदें पेशेवर जवाबदेही प्राप्त करने में भरोसा जगाने में अभी तक विफल रही हैं।

दो चिकित्सा प्रणालियों के एकीकरण के सुझाव:

- **बेहतर साक्ष्य की उपलब्धता सुनिश्चित करना:**
  - पहला कदम यह होगा कि आयुष उपचार के लिये बेहतर साक्ष्य प्राप्त किया जाए। केवल यही भरोसे की कमी को दूर कर सकता है। इसके अलावा, इस अवसर का उपयोग आयुष में विद्यमान अप्रभावी उपचारों की समाप्ति के लिये किया जाए। यदि साक्ष्य उपलब्ध हो तो ऐसे समग्र मानक उपचार दिशानिर्देश का निर्माण करना संभव हो सकता है जो दोनों धाराओं के सर्वोत्तम अभ्यासों का संयोग करे।
    - आधुनिक चिकित्सा पर लागू साक्ष्य बेंचमार्क आयुष उपचारों पर भी समान रूप से लागू होना चाहिये। यह इस बहस के प्रमुख दोषों में से एक रहा है। यदि बाहरी विचारों से प्रभावित हुए बिना साक्ष्यों को देखा जाए तो कुछ गंभीर स्वास्थ्य स्थितियों के लिये आम सहमति बनाई जा सकती है। एक बड़े विमर्श में प्रवेश के लिये यह उपयुक्त आरंभिक बिंदु हो सकता है।
- **आधुनिक चिकित्सकों को आयुष की शिक्षा देना और आयुष चिकित्सकों को आधुनिक चिकित्सा के बुनियादी ज्ञान से संपन्न करना:**
  - आयुर्वेद पाठ्यक्रम में कुछ आधुनिक चिकित्सा अवधारणाओं की शिक्षा दी जाती है। प्रश्न है कि क्या एमबीबीएस छात्रों को भी सभी आयुष विषय पढ़ाए जाने चाहिये? आयुष शिक्षा के साथ ऐसा एमबीबीएस पाठ्यक्रम अत्यंत जटिल हो जाएगा और इसमें कुछ विषयों पर अधिक बल देने का कभी न समाप्त होने वाला दबाव बना रहेगा।
    - एमबीबीएस में आयुष विषयों को जोड़ने से स्थिति और खराब हो जाएगी। एक तरीका यह हो सकता है कि इन्हें वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ाया जाए और इन विषयों की परीक्षा नहीं ली जाए। हालाँकि, इसमें फिर इस बात की पूरी संभावना है कि उन्हें पढ़ा ही नहीं जाएगा और इन्हें शामिल करने का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा।
- **एक सक्षम नियामक ढाँचा अपनाना:**
  - एक सक्षम नियामक ढाँचे की आवश्यकता है जो विभिन्न प्रणालियों के चिकित्सकों के बीच सहयोग, संचार एवं रेफरल के लिये नियम/दिशानिर्देश स्थापित करे और

जवाबदेही की स्पष्ट अभिव्यक्ति के साथ रोगियों के लिये समन्वित एवं सुरक्षित देखभाल सुनिश्चित करे। इसे स्वीकार्य हस्तक्षेप और इसके निर्धारण के तौर-तरीकों को परिभाषित करने की आवश्यकता होगी।

- अन्य नियामक मुद्दे बीमा भुगतान, मुआवजे और औषधीय उत्पादों एवं दवाओं की गुणवत्ता से संबंधित होंगे। यह भारत में पहले से ही उपलब्ध स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी मूल्यांकन ढाँचे के भीतर स्थापित हो सकता है।

- **राष्ट्रीय आयुष मिशन (NAM) में आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों को एकीकृत करने की आवश्यकता :**
  - राष्ट्रीय आयुष मिशन को आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों के साथ एकीकृत करने से कई तरीकों से स्वास्थ्य सेवा वितरण की संवृद्धि हो सकती है:
    - आयुष प्रणालियाँ शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक पहलुओं पर विचार करते हुए समग्र स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करती हैं, जो आधुनिक चिकित्सा के रोग-केंद्रित दृष्टिकोण को पूरकता प्रदान कर सकती है।
    - आयुष जीवनशैली में सुधार, आहार परिवर्तन और प्राकृतिक उपचारों के माध्यम से निवारक स्वास्थ्य देखभाल पर बल देता है, जिससे आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों पर बोझ कम होता है।
    - प्रणालियों का एकीकरण रोगियों को उपचार के व्यापक विकल्प प्रदान करता है, जिससे व्यक्तिगत प्राथमिकताओं और स्वास्थ्य स्थितियों के आधार पर वैयक्तिकृत देखभाल की अनुमति मिलती है।

राष्ट्रीय आयुष मिशन:

- **आरंभ:**
  - इसे राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के माध्यम से कार्यान्वयन के लिये 12वीं योजना के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत आयुष विभाग द्वारा सितंबर 2014 में लॉन्च किया गया।
  - अब इसे आयुष मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
- **परिचय:**
  - योजना में भारतीयों के समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिये आयुष क्षेत्र का विस्तार करना शामिल है।
  - यह मिशन देश में, विशेष रूप से पिछड़े और दूर-दराज के क्षेत्रों में, आयुष स्वास्थ्य सेवाएँ/शिक्षा प्रदान करने के लिये राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारों के प्रयासों का समर्थन करने के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं में विद्यमान अंतराल को संबोधित करता है।
- **राष्ट्रीय आयुष मिशन के घटक:**
  - अनिवार्य घटक (Obligatory Components):
    - आयुष सेवाएँ
    - आयुष शैक्षणिक संस्थान
    - ASU&H औषधियों (आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी एवं होम्योपैथी) का गुणवत्ता नियंत्रण
    - औषधीय पौधे
  - लचीले घटक (Flexible Component):
    - योग और प्राकृतिक चिकित्सा सहित आयुष कल्याण केंद्र
    - टेली-मेडिसिन
    - सार्वजनिक निजी भागीदारी सहित आयुष में नवाचार
    - IEC (Information, Education and Communication) गतिविधियाँ
    - स्वैच्छिक प्रमाणन योजना: परियोजना आधारित आदि
- **अपेक्षित परिणाम:**
  - बढ़ी हुई स्वास्थ्य सुविधाओं और दवाओं एवं प्रशिक्षित जनशक्ति की बेहतर उपलब्धता के माध्यम से आयुष स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुँच।
  - सुसज्जित आयुष शिक्षण संस्थानों की संख्या में वृद्धि के माध्यम से आयुष शिक्षा में सुधार लाना।
  - स्वास्थ्य देखभाल की आयुष प्रणालियों का उपयोग कर लक्षित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के माध्यम से संचारी/गैर-संचारी रोगों को कम करने पर ध्यान केंद्रित करना।

आयुष से संबंधित विभिन्न योजनाएँ:

- राष्ट्रीय आयुष मिशन
- आयुष क्षेत्र पर नए पोर्टल
- आयुष उद्यमिता कार्यक्रम
- आयुष कल्याण केंद्र
- ACCR पोर्टल और आयुष संजीवनी ऐप

निष्कर्ष:

पारंपरिक आयुष पद्धतियों के साथ आधुनिक चिकित्सा का एकीकरण स्वास्थ्य देखभाल वितरण को बढ़ाने की अपार संभावनाएँ रखता है। जबकि प्रतिस्पर्द्धी मॉडल प्रतिद्वंद्विता और एक दूसरे के तिरस्कार को जन्म दे सकता है, सह-अस्तित्वकारी मॉडल परस्पर मान्यता एवं स्पष्ट सीमाओं की अनुमति देता है। सहयोग मॉडल एक आदर्श दृष्टिकोण है जहाँ दोनों प्रणालियाँ एक साथ कार्य करती हैं, हालाँकि यह विश्वास की कमी, तकनीकी अनुकूलता, परिचालन

नोट :

समन्वय और नियामक मुद्दों जैसी चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है। आयुष उपचारों के लिये साक्ष्य अंतराल को दूर करना, सहयोग के लिये नियामक ढाँचे को सुनिश्चित करना और साक्ष्य-आधारित अभ्यासों को बढ़ावा देना एक अधिक एकीकृत एवं प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

■■■

नवीन उपभोग सर्वेक्षण का पुनर्मापन

हाल ही में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (National Sample Survey Office- NSSO) द्वारा आयोजित घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (Household Consumption Expenditure Survey- HCES), 2022-23 के सारांश निष्कर्ष: जारी किये गए। ये निष्कर्ष: गरीबी के मामले में चिह्नित किये गए रुझानों से संबंधित तीन मुद्दों के विश्लेषण की मांग करते हैं, जो हैं: NSSO द्वारा और राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (National Accounts Statistics- NAS) द्वारा प्रस्तुत निजी उपभोग व्यय के आँकड़ों के बीच अंतर; उपभोग पैटर्न में बदलाव; और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) एवं मौद्रिक नीति के लिये इसके निहितार्थ।

HCES की मुख्य बातें

- **परिचय:**
  - HCES आमतौर पर प्रत्येक 5 वर्ष पर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (National Statistical Office- NSO) द्वारा आयोजित किया जाता है। उल्लेखनीय है कि CSO और NSSO के विलय के साथ वर्ष 2019 में NSO का गठन किया गया।
  - इसे परिवारों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
  - HCES में संग्रहित डेटा का उपयोग सकल घरेलू उत्पाद (GDP), गरीबी दर और CPI जैसे विभिन्न मैक्रोइकोनॉमिक संकेतकों को प्राप्त करने के लिये भी किया जाता है।
  - नीति आयोग (NITI Aayog) ने कहा है कि नवीनतम उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि देश में गरीबी घटकर 5% रह गई है।
  - वर्ष 2017-18 में आयोजित पिछले HCES के निष्कर्ष सरकार द्वारा 'डेटा गुणवत्ता' पर सवाल उठाने के बाद जारी नहीं करने का निर्णय लिया गया था।
- **सूचना सृजन:**
  - यह वस्तुओं (खाद्य एवं गैर-खाद्य वस्तुओं सहित) और सेवाओं, दोनों पर सामान्य व्यय की सूचना प्रदान करता है।
  - इसके अतिरिक्त, यह घरेलू मासिक प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय (Monthly Per Capita Consumer Expenditure- MPCE) के अनुमानों की गणना करने और विभिन्न MPCE श्रेणियों में परिवारों एवं व्यक्तियों के वितरण का विश्लेषण करने में सहायता करता है।
- **नवीनतम सर्वेक्षण की एक मुख्य विशेषता:** इसमें औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय का अनुमान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसे विभिन्न सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के माध्यम से परिवारों द्वारा प्राप्त मुफ्त वस्तुओं के मूल्य आँकड़ों को शामिल किये बिना किया गया।

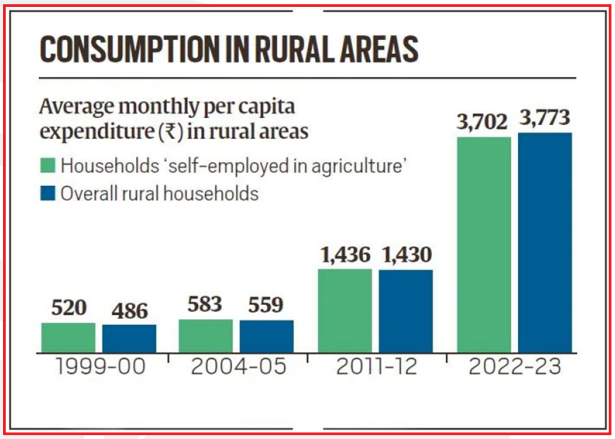

- **MPCE में वृद्धि:**
  - इससे उजागर होता है कि वर्ष 2011-12 के बाद से शहरी परिवारों में MPCE में 33.5% की वृद्धि हुई है, जो 3,510 रुपए तक पहुँच गई है, जबकि ग्रामीण भारत का MPCE 40.42% बढ़कर 2,008 रुपए हो गया है।
  - वर्ष 2022-23 में ग्रामीण घरेलू व्यय का 46% और शहरी घरेलू व्यय का 39% खाद्य पदार्थों पर हुआ।
- **जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर MPCE का वितरण:**
  - MPCE द्वारा रैंक किये गए भारत की ग्रामीण आबादी के निचले 5% का औसत MPCE 1,373 रुपए है जबकि शहरी क्षेत्रों में समान श्रेणी की जनसंख्या के लिये यह 2,001 रुपए है।
  - MPCE द्वारा रैंक किये गए भारत की ग्रामीण और शहरी आबादी के शीर्ष 5% का औसत MPCE क्रमशः 10,501 रुपए 20,824 रुपए है।
- **राज्यवार MPCE भिन्नताएँ:**
  - सिक्किम में ग्रामीण (7,731 रुपए) और शहरी क्षेत्रों

नोट :

(12,105 रुपए) दोनों में अधिकतम MPCE है, जबकि छत्तीसगढ़ में ग्रामीण परिवारों के लिये 2,466 रुपए और शहरी परिवारों के लिये 4,483 रुपए के साथ यह न्यूनतम है।

- औसत MPCE के मामले में ग्रामीण-शहरी अंतराल मेघालय (83%) में सबसे अधिक है, जिसके बाद छत्तीसगढ़ (82%) है।

- **केंद्रशासित प्रदेशों में MPCE भिन्नताएँ:**
  - केंद्रशासित प्रदेशों में, चंडीगढ़ में अधिकतम MPCE (ग्रामीण 7,467 रुपए एवं शहरी 12,575 रुपए), जबकि लद्दाख (4,035 रुपए) और लक्षद्वीप (5,475 रुपए) में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिये क्रमशः न्यूनतम MPCE पाया गया।
- **खाद्य पर व्यय के रुझान:**
  - वर्ष 1999-2000 के सर्वेक्षण के बाद से, खाद्य पर व्यय का हिस्सा धीरे-धीरे कम होता गया है और शहरी एवं ग्रामीण दोनों परिवारों के लिये गैर-खाद्य वस्तुओं का हिस्सा बढ़ गया है।
  - खाद्य व्यय में गिरावट को आय में वृद्धि के रूप में समझा जाता है, जिसका अर्थ है चिकित्सा, कपड़े, शिक्षा, परिवहन, टिकाऊ वस्तुओं, ईंधन, मनोरंजन जैसे अन्य व्ययों के लिये अधिक धन होना।
  - हालिया सर्वेक्षण परिणाम से पता चला है कि ग्रामीण और शहरी दोनों घरों में कुल खाद्य उपभोग व्यय में अनाज एवं दालों की हिस्सेदारी कम हो रही है।
  - गैर-खाद्य वस्तुओं में, परिवहन पर व्यय की हिस्सेदारी सबसे अधिक थी।
  - वर्ष 2022-23 तक गैर-खाद्य वस्तुओं में ईंधन और प्रकाश पर सर्वाधिक उपभोग व्यय किया जा रहा था।
- **पिछले सर्वेक्षण की तुलना में पद्धति (methodology) में परिवर्तन :**
  - HCES 2022-23 में उपभोग व्यय के पिछले सर्वेक्षणों की तुलना में कुछ बदलाव किये गए। ये हैं:
    - शामिल वस्तुओं का दायरा (आइटम कवरेज);
    - प्रश्नावली में परिवर्तन;
    - डेटा संग्रह के लिये एकाधिक दौरे और पेन-पेपर साक्षात्कार की तुलना में CAPI (computed assisted personal interviews) का प्रयोग।

गरीबी के आकलन में चिह्नित किये गए रुझानों से संबंधित तीन भिन्न मुद्दे:

- **NSSO और NAS द्वारा प्रदान किये गए उपभोग पैटर्न में परिवर्तन:**
  - पहला मुद्दा उपभोग व्यय पर नई सूचना का उपयोग कर गरीबी में बदलाव का परीक्षण करना है:
    - विशेषज्ञ समूह (तेंदुलकर) पद्धति के आधार पर वर्ष 2011-12 के लिये गरीबी रेखा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिये क्रमशः 816 रुपए और 1,000 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह निर्धारित की गई थी।
  - SBI की एक रिपोर्ट में गरीबी रेखा को अद्यतन कर वर्ष 2022-23 में गरीबी अनुपात का अनुमान लगाया गया है। नई अद्यतन गरीबी रेखा ग्रामीण क्षेत्रों के लिये 1,622 रुपए और शहरी क्षेत्रों के लिये 1,929 रुपए है।
  - SBI की इस रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी वर्ष 2011-12 में 25.7% से घटकर वर्ष 2022-23 में 7.2% हो गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 13.7% से घटकर 4.6% हो गई। ग्रामीण और शहरी आबादी की हिस्सेदारी का उपयोग करते हुए तेंदुलकर समिति पद्धति के आधार पर देखें तो कुल गरीबी अनुपात 6.3% है।
    - विशेषज्ञ समूह (रंगराजन) पद्धति के आधार पर वर्ष 2011-12 के लिये गरीबी रेखा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिये क्रमशः 972 रुपए और 1,407 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह थी।
  - CPI का उपयोग करते हुए गरीबी रेखा को अद्यतन किया गया जो वर्ष 2022-23 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिये 1,837 रुपए और शहरी क्षेत्रों के लिये 2,603 रुपए है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी अनुपात वर्ष 2011-12 में 30.9% से घटकर 2022-23 में 12.3% हो गया।
  - शहरी क्षेत्रों के लिये, यह वर्ष 2011-12 में 26.4% से घटकर 2022-23 में 8% हो गया। उल्लेखनीय है कि विशेषज्ञ समूह (तेंदुलकर) पद्धति का उपयोग कर प्राप्त गरीबी अनुपात की तुलना में विशेषज्ञ समूह (रंगराजन) पद्धति से प्राप्त गरीबी अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों में 71% और शहरी क्षेत्रों में 74% अधिक है।
  - रंगराजन पद्धति से गणना करें तो वर्ष 2022-23 के लिये समग्र गरीबी अनुपात 10.8% होगा। जबकि इस पद्धति के तहत गरीबी अनुपात अधिक है, ग्रामीण क्षेत्रों में दोनों पद्धतियों के तहत दोनों अवधियों के बीच प्रतिशत अंकों में गिरावट का क्रम समान है। लेकिन शहरी क्षेत्रों में इस पद्धति के तहत देखें तो अधिक गिरावट आई है।

नोट :

- हालाँकि, वर्ष 2022-23 में उपभोग व्यय का डेटा पूर्व के सर्वेक्षणों से वास्तविक रूप से तुलनीय नहीं है। तुलनीय डेटा ने संभवत: रंगराजन समिति पद्धति के तहत, विशेषकर शहरी क्षेत्रों के लिये, अधिक उच्च गरीबी के आँकड़े दिए होते।

- **NSSO और NAS द्वारा प्रस्तुत कुल निजी उपभोग व्यय के बीच अंतर:**
  - दूसरा मुद्दा NSSO द्वारा प्रस्तुत कुल निजी उपभोग व्यय और NAS द्वारा प्रदत्त आँकड़ों के बीच चिंताजनक अंतर है:
    - चिंता की बात यह है कि निजी व्यय को नियंत्रित करने के लिये पर्याप्त पद्धतिगत बदलाव के बावजूद वर्ष 2022-23 में NSSO की हिस्सेदारी में मामूली वृद्धि ही हुई।
  - हालाँकि, उपभोग के ये दोनों अनुमान (NSSO एवं NAS) किसी भी देश में मेल नहीं खाते हैं और भारत भी इसका अपवाद नहीं है।
    - हैरान करने वाली बात यह है कि भारत में NSS और NAS उपभोग के बीच का अंतर समय के साथ बढ़ता जा रहा है। यह वर्ष 1970 के दशक के अंत में 10% से कम के अंतर से बढ़ता हुआ वर्ष 2011-12 में 53% हो गया है।
  - वर्ष 2022-23 में यह अंतर मामूली रूप से घटकर 52% हुआ। हालाँकि, 50% से अधिक के अंतर के जारी रहने के साथ, अंतर में योगदान देने वाले कारकों के गहन विश्लेषण का समय आ गया है। इतने बड़े अंतर का गरीबी अनुपात की गणना पर प्रभाव पड़ता है।

1. POVERTY LINE AND POVERTY RATIOS FOR 2011-12 AND 2022-23

Year	Poverty Line (Rs.)		Poverty Ratio (%)	
	Rural	Urban	Rural	Urban
Expert Group (Rangarajan)				
2011-12	972	1407	30.9	26.4
2022-23	1837	2603	12.3	8.0
Expert Group (Tendulkar)				
2011-12	816	1000	25.7	13.7
2022-23	1622	1929	7.2	4.6

2. PRIVATE CONSUMER EXPENDITURE OF NSS AS PERCENT OF NATIONAL ACCOUNTS STATISTICS

MRP: Mixed reference period; MMRP: Modified mixed recall period;

- **उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के लिये HCES 2022-23 के निहितार्थ:**
  - तीसरा मुद्दा CPI के लिये HCES 2022-23 का निहितार्थ है। नवीनतम आँकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 2011-12 और 2022-23 के बीच उपभोग पैटर्न में कुछ बदलाव हुए हैं।

नोट :

- ग्रामीण क्षेत्रों में मासिक प्रति व्यक्ति व्यय (MPCE) में खाद्य की हिस्सेदारी वर्ष 2011-12 में 52.9% से घटकर वर्ष 2022-23 में 46.4% हो गया, जो 11 वर्षों में 6.5 प्रतिशत अंक की गिरावट को सूचित करता है।
- शहरी क्षेत्रों में इसी अवधि के दौरान कुल व्यय में खाद्य की हिस्सेदारी 42.6% से घटकर 39.2% हो गई जो 11 वर्षों में 3.5 प्रतिशत अंक की गिरावट को सूचित करती है।
- औसत MPCE में अनाज की हिस्सेदारी में ग्रामीण क्षेत्रों में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है, जो वर्ष 2011-12 में 10.8% से घटकर वर्ष 2022-23 में 4.9% हो गई। शहरी क्षेत्रों में इसी अवधि में यह 6.7% से घटकर 3.6% हो गई।
- खाद्य पदार्थों में फल, पेय पदार्थ और प्रसंस्कृत खाद्य की हिस्सेदारी ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बढ़ी है जबकि सब्जियों की हिस्सेदारी में कुछ कमी आई है।
- गैर-खाद्य वस्तुओं में, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्रसाधन सामग्री एवं घरेलू वस्तुओं, परिवहन साधन और टिकाऊ वस्तुओं की हिस्सेदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

- CPI और मुद्रास्फीति में खाद्य और गैर-खाद्य वस्तुओं के भार के निहितार्थ:
  - यह नया डेटा CPI बास्केट में भार (weights) को समायोजित करने में मदद कर सकता है जो वर्तमान में वर्ष 2011-12 के भार पर आधारित है। खाद्य वस्तुओं के भार में गिरावट एक अच्छा संकेत है, क्योंकि खाद्य पदार्थों की कीमतें अस्थिर होती हैं और गैर-खाद्य वस्तुओं की तुलना में कई गुना अधिक होती हैं।
  - हालाँकि, सवाल यह है कि क्या खाद्य हिस्सेदारी में मौजूदा गिरावट मुद्रास्फीति के स्तर पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव डालने के लिये पर्याप्त है।
  - ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में खाद्य की हिस्सेदारी अभी भी क्रमशः 46% और 39% के उच्च स्तर पर है। अनाज, सब्जियों एवं खाद्य तेलों की हिस्सेदारी में गिरावट आई है लेकिन फलों की हिस्सेदारी बढ़ गई है, जबकि अंडा, मछली एवं मांस की हिस्सेदारी पूर्ववत बनी हुई है।
  - खाद्य हिस्सेदारी में गिरावट से मुद्रास्फीति पर कुछ प्रभाव पड़ेगा। मौद्रिक नीति समिति को एक नए मूल्य सूचकांक पर विचार करना होगा।

HCES डेटा को अधिक सुदृढ़ एवं सूचक बनाने के लिये क्या किया जा सकता है?

- **सभी समूहों का समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना:**
  - HCES 2022-23 में नमूना पद्धति में, स्तर और द्वितीय-चरण स्तर सहित, महत्त्वपूर्ण बदलाव लाया गया है। HCES 2022-23 के लिये ग्रामीण स्तर (rural stratum) में केवल दो स्तर (strata) शामिल हैं। पहले स्तर में ज़िला मुख्यालय से 5 किलोमीटर की दूरी के भीतर के ग्राम शामिल हैं, जबकि शेष अन्य दूसरे स्तर में हैं। शहरी स्तर को 'जनसंख्या' के साथ-साथ 'समृद्धि' (affluence) की स्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया गया है।
    - नमूनाकरण इस तरह किया जाना चाहिये कि विभिन्न आर्थिक श्रेणियों के परिवारों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो, क्योंकि प्रतीत होता है कि HCES 2022-23 के नमूनाकरण दृष्टिकोण में संपन्न समूहों का अधिक प्रतिनिधित्व हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप उच्च उपभोग व्यय नज़र आता है और ज़मीनी वास्तविकता की अनदेखी हुई है।
- **वास्तविकता को श्रम बाज़ार दशाओं से समक्रमिक करना:**
  - नीति आयोग (NITI Aayog) द्वारा विकास के समावेशी एवं व्यापक होने तथा असमानता के कम होने के दावे में ग्रामीण आर्थिक संकट की अनदेखी की गई है और इसे श्रम बाज़ार के परिणामों के परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाना चाहिये। कार्यशील गरीबों की संख्या और वास्तविक मज़दूरी में गिरावट भारत में श्रम बाज़ार दशाओं की पड़ताल करने की आवश्यकता का संकेत देता है। इसके बाद ही यह दावा किया जा सकता है कि भारत अपनी गरीबी दूर करने में सफल हुआ है।
- **सर्वेक्षण में ऋण और बचत को अलग-अलग करना:**
  - बैंक ऋण, समान मासिक किस्तों (EMIs) या किसान क्रेडिट कार्ड पर प्राप्त की गई कोई भी टिकाऊ या गैर-टिकाऊ वस्तु अंततः उपभोग का हिस्सा होगी, लेकिन इससे परिवारों का कर्ज़ भी बढ़ेगा।
  - NAS स्पष्ट रूप से बताता है कि वर्ष 2016 से घरेलू उपभोग की हिस्सेदारी घट रही है और घरेलू ऋण बढ़ रहा है। इसके साथ ही, वर्तमान सरकार के कार्यकाल में सकल घरेलू उत्पाद के हिस्से के रूप में बचत में गिरावट आई है। इस परिदृश्य में, ऋण विस्तार को परिवारों के उपभोग आँकड़े के मापन में शामिल नहीं किया जाना चाहिये।

नोट :

- **खाद्य उपभोग व्यय आँकड़े पर अत्यधिक निर्भरता से बचना:**
  - अर्थशास्त्र में यह सुस्थापित अवधारणा है कि आर्थिक विकास और प्रगति के साथ कुल घरेलू व्यय में खाद्य उपभोग व्यय का हिस्सा कम होता जाता है। ग्रामीण परिवारों में कुल व्यय में खाद्य व्यय वर्ष 2011-12 में 52.90% से घटकर 2022-23 में 46.38% हो गया है, जबकि शहरी परिवारों में यह वर्ष 2011-12 में 42.62% से घटकर 39.17% हो गया है। आर्थिक प्रगति के आकलन में इस बात पर सतर्कता से विचार किया जाना चाहिये।
    - कुल उपभोक्ता व्यय में खाद्य की हिस्सेदारी संयुक्त राज्य अमेरिका के लिये केवल 6.4% (वर्ष 2018), सिंगापुर के लिये 6.9% (2018), यूनाइटेड किंगडम के लिये 7.9% (2019) और स्विट्ज़रलैंड के लिये 8.9% (2019) है।
    - अन्य विकसित देशों की तुलना में खाद्य व्यय में हमारी हिस्सेदारी उच्च बनी हुई है और संयुक्त राज्य अमेरिका एवं स्विट्ज़रलैंड के उपभोग व्यय के स्तर तक पहुँचने में हमें अभी लंबा रास्ता तय करना है। HCES 2022-23 के आधार पर ऐसे दावे नहीं किये जाने चाहिये जो इसमें मौजूद नहीं हो या जिसके बारे में यह कोई अनुमान प्रदान नहीं करता हो।

निष्कर्ष:

NSSO द्वारा जारी HCES 2022-23 ने कई महत्त्वपूर्ण मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। सर्वप्रथम, विभिन्न पद्धतियों का उपयोग कर लगाये गए पूर्व के अनुमानों से तुलना करें तो नवीन सर्वेक्षण विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी दर में उल्लेखनीय गिरावट को उजागर करता है। दूसरा, NSSO और NAS के निजी उपभोग व्यय अनुमानों के बीच बढ़ता अंतर चिंता पैदा करता है और इन आँकड़ों के सामंजस्य के लिये गहन विश्लेषण की आवश्यकता रखता है। अंत में, बदलता उपभोग पैटर्न (खाद्य पदार्थों से दूसरी ओर एक उल्लेखनीय बदलाव के साथ) CPI और मुद्रास्फीति गणना के लिये निहितार्थ रखता है, जो CPI बास्केट में समायोजन की आवश्यकता प्रकट करता है। कुल मिलाकर, ये निष्कर्ष: उपभोग आँकड़े को सटीक रूप से संग्रहित करने और नीति-निर्माण एवं आर्थिक विश्लेषण के लिये इसके निहितार्थ को रेखांकित करते हैं।

■■■

भारत में अंतर-समूह जाति आरक्षण

भारत के सर्वोच्च न्यायालय (SC) की सात-न्यायाधीशों की पीठ 'पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह' मामले में विधि के उस प्रश्न पर अपना निर्णय देगी, जो संविधान के अंतर्गत सकारात्मक कार्रवाई (affirmative action) और आरक्षण के भविष्य के लिये अत्यधिक महत्त्वपूर्ण सिद्ध होगी। अनुसंधान और आँकड़ों से संकेत मिलता है कि जबकि अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) को प्राय: सार्वभौमिक श्रेणियों के रूप में देखा जाता है, लेकिन इन समूहों के भीतर उल्लेखनीय असमानताएँ मौजूद हैं, जहाँ कुछ जातियों को दूसरों की तुलना में अधिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है।

क्या राज्य सरकारों को इन अंतर-समूह विभेदों को संबोधित करने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिये? दविंदर सिंह मामले में आगामी निर्णय का उद्देश्य इसी मुद्दे को संबोधित करना होगा, जो संभावित रूप से एक ऐसे विधिक क्षेत्र में एक अत्यंत आवश्यक स्पष्टता लेकर आएगा जहाँ लंबे समय से सुधार की प्रतीक्षा की जा रही है। केंद्र सरकार ने सबसे पिछड़े समुदायों के लिये लाभ, योजनाओं और पहलों के समतामूलक वितरण के लिये एक पद्धति का मूल्यांकन एवं निर्माण करने के लिये कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है।

पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह, 2020:

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष यह मामला पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के उस निर्णय के विरुद्ध एक अपील के रूप में लाया गया जहाँ उस राज्य विधि को निरस्त कर दिया गया था जो सरकार को कोटा प्रदान करने के लिये SC/ST को उप-वर्गीकृत करने का अधिकार सौंपता था।
- उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में पंजाब सरकार के उस सर्कुलर को रद्द कर दिया था, जिसमें प्रावधान था कि SC के लिये आरक्षित सीटों में से 50% सीटें बाल्मीकि और मज़हबी सिखों को प्रदान की जाएँगी।
- इस निर्णय में उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष पर पहुँचने के लिये चिन्नैया निर्णय (Chinnaiah judgement) का सहारा लिया था।

जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण (Sub-Categorisation within Castes):

- **परिचय:**
  - जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण आरक्षण और सकारात्मक कार्रवाई के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBCs) की मौजूदा श्रेणियों के भीतर उप-समूह के निर्माण की प्रक्रिया को संदर्भित करता है।
  - इस उप-वर्गीकरण का उद्देश्य अंतर-श्रेणी असमानताओं को संबोधित करना और समाज के सबसे वंचित और हाशिये पर स्थित वर्गों के बीच लाभ एवं अवसरों का अधिक न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करना है।

नोट :

- **उप-वर्गीकरण की वैधता:**
  - पूर्व के प्रयास: पंजाब, बिहार और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने पूर्व में उप-वर्गीकरण का प्रयास किया था जिन्हें कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा और वे मामले सर्वोच्च न्यायालय के विचारण के लिये लाए गए।
  - संवैधानिक दुविधा: ई.वी. चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य (2004) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केवल संसद के पास SC एवं ST सूची का निर्माण करने तथा इसे अधिसूचित करने का अधिकार है।
    - पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह (2020) मामले में पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया कि राज्य पहले से अधिसूचित SC/ST सूचियों में कोई 'छेड़छाड़' किये बिना लाभ की मात्रा पर निर्णय ले सकते हैं।
    - वर्ष 2004 और वर्ष 2020 के निर्णयों के बीच विरोधाभास के कारण वर्ष 2020 के निर्णय को विचरण के लिये एक बड़ी पीठ के पास भेजा गया।

उप-वर्गीकरण की राज्यों की शक्ति के बारे में मत:

- **पक्ष में तर्क:**
  - राज्यों के पास अनुच्छेद 15(4) एवं 16(4) और अनुच्छेद 341(1) एवं 342(1) के संदर्भ में SC/ST को आरक्षण लाभ देने की शक्ति है।
  - अनुच्छेद 15(4) राज्य को SC/ST जैसे समाज के सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के हितों और कल्याण को बढ़ावा देने के लिये विशेष व्यवस्था करने का अधिकार देता है।
  - जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण के लिये एक संवैधानिक अधिदेश एवं न्यायिक समर्थन मौजूद है, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 16 (4) यह अधिकार देता है कि राज्य SC/ST के पक्ष में पदोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिये उपबंध कर सकता है, यदि राज्य के अधीन सेवाओं में उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है।
  - अनुच्छेद 341(1) एवं 342(1) के अनुसार, भारत का राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद, जातियों, मूलवंशों या जनजातियों अथवा जातियों, मूलवंशों या जनजातियों के भागों या उनमें से यूथों (या कुछ हिस्सों) को विनिर्दिष्ट कर सकेगा उस राज्य में SC एवं ST माना जाएगा।
- **विपक्ष में तर्क:**
  - चिन्नैया निर्णय में पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने आंध्र प्रदेश अनुसूचित जाति (आरक्षण का युक्तिकरण) अधिनियम 2000 को इस आधार पर रद्द कर दिया कि यह संविधान के अनुच्छेद 341 का उल्लंघन करता है।
  - आंध्र प्रदेश के कानून में राष्ट्रपति की सूची से चार अलग-अलग श्रेणियाँ बनाने का प्रयास किया गया था और प्रत्येक श्रेणी को उसके पिछड़ेपन के आधार पर एक अलग कोटा प्रदान किया गया था।
    - न्यायालय ने माना कि राज्य सरकार के पास सूची के साथ छेड़छाड़ करने की कोई शक्ति नहीं है क्योंकि अनुच्छेद 341 के पाठ से यह स्पष्ट है कि ऐसा अधिकार केवल संसद के पास है।
    - निर्णय में राष्ट्रपति की विनिर्दिष्ट सूची के बचाव में बी.आर. अंबेडकर के भाषण की ओर भी संकेत किया गया, जहाँ उन्होंने चेतावनी दी थी कि यदि राज्य सरकारों को सूची में संशोधन करने की अनुमति दी गई तो पूरी तरह से राजनीतिक विचारों के आधार पर इसके अभ्यास का जोखिम उत्पन्न होगा।

कैबिनेट सचिव के अधीन उच्चाधिकार प्राप्त समिति का अधिदेश:

- समिति का प्राथमिक उद्देश्य देश भर में विभिन्न SC समुदायों की शिकायतों के समाधान के लिये वैकल्पिक पद्धतियों का पता लगाना है।
- तेलंगाना के मडिगा (Madiga) समुदाय की चिंताओं के जवाब में गठित की गई समिति का दायरा किसी एक समुदाय या राज्य से परे तक विस्तृत है।
  - मडिगा समुदाय का संघर्ष: मडिगा समुदाय, जो तेलंगाना में अनुसूचित जाति के 50% भाग का निर्माण करता है, को माला (Mala) समुदाय के प्रभुत्व के कारण अनुसूचित जाति के लिये मौजूद सरकारी लाभों तक पहुँचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।
  - मडिगा समुदाय की शिकायत है कि उनकी बड़ी आबादी के बावजूद उन्हें SC से संबंधित पहलों से अपवर्जित रखा गया है।
  - वे अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण के लिये वर्ष 1994 से संघर्ष कर रहे हैं और यही वह मांग थी जिसके कारण वर्ष 1996 में न्यायमूर्ति पी. रामचन्द्र राजू आयोग का गठन किया गया और बाद में वर्ष 2007 में एक राष्ट्रीय आयोग का गठन हुआ।

नोट :

- इसका उद्देश्य देश भर में 1,200 से अधिक अनुसूचित जातियों (जहाँ अपेक्षाकृत अगड़ों और प्रभुत्वशाली जातियों का वर्चस्व है) के बीच सबसे पिछड़े समुदायों के लिये लाभ, योजनाओं एवं पहलों के समतामूलक वितरण के लिये एक पद्धति का मूल्यांकन एवं निर्माण करना है।

भारत में अनुसूचित जाति के उप-वर्गीकरण से संबंधित प्रमुख पहलू:

- **SC/ST की पहचान करना:**
  - संविधान में समता की प्राप्ति के लिये SC एवं ST के साथ विशेष व्यवहार का प्रावधान to किया गया है, लेकिन उन जातियों और जनजातियों को निर्दिष्ट नहीं किया गया है जिन्हें SC एवं ST कहा जाएगा।
  - अनुच्छेद 341 के तहत यह शक्ति केंद्रीय कार्यपालिका (जिसका प्रधान राष्ट्रपति है) को सौंपी गई है:
    - अनुच्छेद 341 के अनुसार, राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित जातियों को SC एवं ST के रूप में जाना जाएगा। किसी एक राज्य में अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित कोई जाति किसी अन्य राज्य में अनुसूचित जाति नहीं भी हो सकती है।
- **उप-वर्गीकरण के पक्ष में तर्क:**
  - चूँकि भारत एक कल्याणकारी राज्य है, यह समुदाय के वंचित वर्ग की मुक्ति और असमानताओं को दूर करने का दायित्व रखता है।
    - जब आरक्षण स्वयं आरक्षित जातियों के बीच असमानता उत्पन्न कर रही हो फिर यह दायित्व राज्य पर आता है कि वह उप-वर्गीकरण करे और एक वितरणात्मक न्याय पद्धति अपनाए ताकि राज्य के संसाधन कुछ हाथों में संकेंद्रित न हों तथा सभी को समान न्याय प्रदान किया जा सके।
  - यदि उप-वर्गीकरण को अस्वीकृत किया जाता है तो यह असमान को समान मानते हुए (unequal as equal) समता के अधिकार को पराजित करेगा।
  - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची में असमान जातियाँ मौजूद हैं।
  - विभिन्न रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एक समरूप समूह का गठन नहीं करते हैं। अनुसूचित जातियों के भीतर असमानता को कई रिपोर्टों में रेखांकित किया गया है और इसे संबोधित करने के लिये विशेष कोटा तैयार किया गया है:
    - न्यायमूर्ति रामचंद्र राजू आयोग, 1997 ने अनुसूचित जाति को चार समूहों में विभाजित करने और प्रत्येक के लिये अलग-अलग आरक्षण आवंटित करने की अनुशंसा की।
    - आयोग ने यह भी अनुशंसा की कि अनुसूचित जाति के 'क्रीमी लेयर' को सार्वजनिक नियुक्तियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में किसी भी आरक्षण लाभ से बाहर रखा जाए।
- **उप-वर्गीकरण के विपक्ष में तर्क:**
  - प्रमुख तर्क यह है कि सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन का परीक्षण या आवश्यकता अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं की जा सकती।
  - अस्पृश्यता (untouchability) के कारण अनुसूचित जाति को विशेष उपचार दिया जाता है, जिससे वे सदियों से पीड़ित रहे हैं।
  - वर्ष 1976 में एन.एम. थॉमस बनाम केरल राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं माना था कि अनुसूचित जातियाँ जाति नहीं हैं बल्कि वे एक वर्ग हैं और इसलिये उन्हें एक वर्ग के रूप में देखा जाना चाहिये।
  - उप-वर्गीकरण का उपयोग SC/ST के बीच इधर-उधर के वोट-बैंक को ख़ुश करने के लिये किया जाएगा और इस प्रकार सामाजिक न्याय का राजनीतिकरण हो जाएगा।

पंजाब में SCs के उप-वर्गीकरण पर कानूनी संघर्ष का घटनाक्रम

- **वर्ष 1975:**
  - पंजाब सरकार ने एक अधिसूचना जारी करते हुए अपने 25% SC आरक्षण को दो श्रेणियों में विभाजित किया। यह किसी राज्य द्वारा मौजूदा आरक्षण को 'उप-वर्गीकृत' किये जाने का पहला उदाहरण था।
  - हालाँकि यह अधिसूचना लगभग 30 वर्षों तक लागू रही, वर्ष 2004 में यह कानूनी बाधाओं का शिकार हुई।
- **वर्ष 2004:**
  - सर्वोच्च न्यायालय ने ई.वी. चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में समता के अधिकार के उल्लंघन का हवाला देते हुए आंध्र प्रदेश अनुसूचित जाति (आरक्षण का युक्तिकरण) अधिनियम, 2000 को रद्द कर दिया और इस बात पर बल दिया कि SCs को एक एकल, सजातीय समूह के रूप में देखा जाना चाहिये।

नोट :

- बाद में डॉ. किशन पाल बनाम पंजाब राज्य मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने ई.वी. चिन्नैया निर्णय का समर्थन करते हुए वर्ष 1975 की अधिसूचना को रद्द कर दिया।

- **वर्ष 2006:**
  - पंजाब सरकार ने पंजाब अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग (सेवाओं में आरक्षण) अधिनियम, 2006 के माध्यम से उप-वर्गीकरण को फिर से शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन वर्ष 2010 में इसे निरस्त कर दिया गया।
- **वर्ष 2014:**
  - सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2004 के ई.वी. चिन्नैया निर्णय की यथातथ्यता (correctness) पर सवाल उठाते हुए मामले को पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास विचारण के लिये भेजा।
- **वर्ष 2020:**
  - संविधान पीठ ने माना कि वर्ष 2004 के निर्णय पर पुनर्विचार की आवश्यकता है; इसने SCs के एक सजातीय समूह होने के विचार को खारिज कर दिया गया और सूची के भीतर 'असमान' (unequal) के अस्तित्व को स्वीकार किया।
  - सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SCs/STs के लिये 'क्रीमी लेयर' की अवधारणा की भी सिफ़ारिश की गई।
- **वर्तमान समय:**
  - सात न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ इस मुद्दे पर सुनवाई कर रही है क्योंकि केवल बड़ी पीठ का निर्णय ही छोटी पीठ के निर्णय पर हावी हो सकता है।
  - उप-वर्गीकरण विभिन्न राज्यों में विभिन्न समुदायों को प्रभावित करेगा, जिनमें पंजाब में बाल्मीकि एवं मज़हबी सिख, आंध्र प्रदेश में मडिगा, बिहार में पासवान, उत्तर प्रदेश में जाटव और तमिलनाडु में अरुंधतियार शामिल हैं।

दविंदर सिंह मामले के विभिन्न घटनाक्रम

- **इंद्रा साहनी फैसले से संकेत ग्रहण करना:** मौजूदा दृष्टिकोण पर सवाल उठाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992) मामले (जो मंडल आयोग की रिपोर्ट से उत्पन्न हुआ मामला था) में लिये गए अपने निर्णय का हवाला दिया।
  - उस मामले में नौ न्यायाधीशों की पीठ ने माना था कि सरकार के अधीन सेवाओं के लिये सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों (OBCs) के भीतर उप-वर्गीकरण की अनुमति है।
- **के.सी. वसंत कुमार (1985) मामले के निर्णय का समर्थन:** न्यायाधीशों के बहुमत ने के.सी. वसंत कुमार बनाम कर्नाटक राज्य (1985) मामले में न्यायमूर्ति चिन्नाप्पा रेड्डी के निर्णय का समर्थन किया। इस मामले में न्यायमूर्ति रेड्डी ने निर्णय दिया था कि जबकि उप-वर्गीकरण करने का औचित्य प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर हो सकता है, लेकिन:
  - न्यायालय यह नहीं समझ पा रहे हैं कि सैद्धांतिक रूप से पिछड़े वर्गों और अधिक पिछड़े वर्गों में वर्गीकरण क्यों नहीं किया जा सकता है, यदि दोनों वर्ग न केवल कुछ पीछे हैं, बल्कि सबसे अगड़े वर्गों से बहुत पीछे हैं।
  - वास्तव में अधिक पिछड़े वर्गों की सहायता करने के लिये ऐसा वर्गीकरण आवश्यक होगा; अन्यथा पिछड़े वर्गों के वे लोग, जो अधिक पिछड़े वर्गों की तुलना में कुछ अधिक उन्नत हों, सभी सीटें जीत सकते हैं।
  - यदि आरक्षण अधिक पिछड़े वर्गों के लिये चिंतित है और कुछ अधिक उन्नत पिछड़े वर्गों के लिये कोई आरक्षण नहीं किया गया, तो सबसे उन्नत वर्ग सामान्य वर्ग के लिये उपलब्ध सभी सीटें जीत लेंगे और पिछड़े वर्गों के लिये कोई भी सीट नहीं छोड़ेंगे।

विभिन्न जाति समूहों को उप-वर्गीकृत करने के लिये विभिन्न सुझाव:

- **वास्तविक समता का वादा सुनिश्चित करना:**
  - मामले की जड़ में संविधान की समता के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता है। अनुच्छेद 14 से 16 में (जिन्हें एक साथ संहिता के रूप में पढ़ा जा सकता है) वास्तविक समता का वादा किया गया है।
    - समता की यह गारंटी मानती है कि भारत के इतिहास में व्यक्तियों के साथ उनकी जाति के आधार पर भेदभाव किया गया है।
  - इसलिये, हमारी संवैधानिक दृष्टि यह मांग रखती है कि हम समान व्यवहार सुनिश्चित करने के प्रयास में समूह हितों के प्रति सचेत रहें।
    - इस मॉडल के तहत, आरक्षण को समता की मूल धारणा के साथ टकराव में और इसके अपवाद के रूप में नहीं देखा जाना चाहिये, बल्कि इसके बजाय उस लक्ष्य को आगे बढ़ाने और सुदृढ़ करने के साधन के रूप में देखा जाना चाहिये।
- **राज्य सरकारों की भूमिका को स्वीकार करना:**
  - केरल राज्य बनाम एन.एम. थॉमस (1975) मामले में,

नोट :

सर्वोच्च न्यायालय ने कम से कम सैद्धांतिक रूप से यह स्वीकार किया है कि सरकारों के पास न केवल आरक्षण प्रदान करने और ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने की शक्ति है, बल्कि ग़ैर-भेदभाव सुनिश्चित करने का सकारात्मक कर्तव्य भी है।

- इस दृष्टिकोण से, यदि पंजाब सरकार को अपने अध्ययनों के आधार पर यह लगता है कि आरक्षण के उसके मौजूदा उपाय बाल्मीकि और मज़हबी सिखों तक पर्याप्त रूप से नहीं पहुँचे हैं तो वह यह सुनिश्चित करने के लिये संवैधानिक रूप से बाध्य है कि इन उपायों में सुधार किया जाए।

- **अनुच्छेद 341 की व्यापक व्याख्या की आवश्यकता:**
  - यदि अनुच्छेद 341 को उप-वर्गीकरण के विरुद्ध एक अवरोधक के रूप में देखा जाता है तो यह निषेध संविधान की समता संहिता के विरुद्ध जाएगा। वैसे भी, सीधे तौर पर पढ़ने पर भी, अनुच्छेद 341 इस तरह का कोई निषेध नहीं लगाता है।
    - यह केवल राज्य सरकारों को राष्ट्रपति की अनुसूचित जाति की सूची में जातियों को शामिल करने या बाहर करने से रोकता है।
  - यदि राज्य इस सूची में शामिल कुछ जातियों को विशेष उपाय प्रदान करते हैं, तो इसे अन्य जातियों को सूची में शामिल करने या बाहर करने का कृत्य नहीं माना जा सकता।
    - वे जातियाँ राज्य के सामान्य आरक्षण प्रावधानों की हक़दार बनी रहेंगी।
- **युक्तियुक्त वर्गीकरण का पालन करना:**
  - पंजाब के कानून के मामले में देखें तो यह निश्चित रूप से राष्ट्रपति की सूची को संशोधित नहीं करता है। यह केवल बाल्मीकि और मज़हबी सिखों को अधिक प्राथमिकता प्रदान करने के लिये सूची के भीतर अपेक्षाकृत अधिक पिछड़ेपन को संबोधित करना चाहता है।
  - यह उप-वर्गीकरण संविधान के उस समय-सिद्ध सिद्धांत के अनुरूप है जहाँ समता सुनिश्चित करने के लिये युक्तियुक्त वर्गीकरण की अनुमति है।
- **उप-वर्गीकरण को उसके अपने गुणों (मेरिट) के आधार पर आँकना:**
  - यदि SC और ST की सूचियों को समरूप/सजातीय श्रेणियों के रूप में नहीं देखा जाए, बल्कि विकास के विभिन्न स्तरों पर मौजूद विभिन्न जातियों की सूची के रूप में देखा जाए तो फिर उप-वर्गीकरण को उसके गुणों के आधार पर आँकना होगा।
  - अर्थात्, न्यायालय को केवल यह परीक्षण करना होगा कि क्या बाल्मीकि एवं मज़हबी सिख राष्ट्रपति की सूची के भीतर अन्य जातियों से स्पष्ट रूप से भिन्न हैं और उन्हें अधिमान्य उपचार प्रदान करना तथा इस तरह के अनुदान की सीमा उपयुक्त उपचार सुनिश्चित करने के कानून के बड़े उद्देश्य के साथ तर्कसंगत संबंध रखती है या नहीं।

निष्कर्ष:

उच्चस्तरीय समिति की अंतर्दृष्टि के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के सात न्यायाधीशों की पीठ का आगामी निर्णय अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण के लिये मार्ग प्रशस्त करेगा। समय आ गया है कि सर्वोच्च न्यायालय एन.एम. थॉमस मामले में इसके द्वारा मान्य दृष्टि को गंभीरता से ले कि सरकारों के पास न केवल आरक्षण प्रदान करने की शक्ति है, बल्कि यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य भी है कि समता का संवैधानिक स्वप्न साकार किया जाए।

इस दृष्टिकोण से, SC/ST के भीतर भेदभाव की सर्वाधिक शिकार जातियों के लिये विशेष उपाय प्रदान करने के राज्यों में निहित किसी भी अधिकार को समान अवसर के विचार को साकार करने के एक तरीके के रूप में देखा जाना चाहिये।

■■■

भारत की अनुसंधान एवं विकास निधि का पुनरुत्थान

देश के अंदर अनुसंधान एवं नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिये वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट में 1 लाख करोड़ रुपए के कोष की घोषणा ने वैज्ञानिक एवं अनुसंधान समुदायों के भीतर एक उत्साह को जन्म दिया है। 'जय जवान जय किसान' का नारा 'जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान' से आगे बढ़ता हुआ अब निर्वतमान प्रधानमंत्री द्वारा 'जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान' के नारे के रूप में पेश किया गया है जिसमें विकास के लिये अनुसंधान एवं नवाचार की नींव को सुदृढ़ करने का ध्येय निहित है।

भारत में R&D वित्तपोषण के विभिन्न सकारात्मक पहलू:

- **शैक्षणिक प्रतिभा पैदा करने का 'पावरहाउस':**
  - अनुसंधान एवं विकास पर समर्पित सकल घरेलू उत्पाद की तुलनात्मक रूप से कम हिस्सेदारी के बावजूद, भारत शैक्षणिक प्रतिभा पैदा करने में एक शक्ति केंद्र के रूप में उभरा है। भारत प्रति वर्ष 40,813 पीएचडी शोधार्थी तैयार करता है और विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका एवं चीन के बाद तीसरे स्थान पर है। यह उपलब्धि बौद्धिक पूंजी को बढ़ावा देने और वैश्विक अनुसंधान प्रयासों में महत्त्वपूर्ण योगदान करने की भारत की प्रतिबद्धता को परिलक्षित करती है।

- इसके अतिरिक्त, भारत का अनुसंधान उत्पादन उच्च स्तर पर बना हुआ है और वर्ष 2022 में 3,00,000 से अधिक प्रकाशनों के साथ यह वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर रहा। यह देश के सुदृढ़ अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र और विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता को प्रकट करता है।

- **पेटेंट अनुदान में सराहनीय प्रदर्शन:**
  - भारत ने पेटेंट अनुदान (Patent Grants) में भी सराहनीय प्रदर्शन किया है जहाँ वर्ष 2022 में 30,490 पेटेंट अनुदान के साथ वैश्विक स्तर पर छठे स्थान पर रहा। हालाँकि यह संख्या अमेरिका और चीन की तुलना में कम है, लेकिन यह भारत के विकसित हो रहे नवाचार परिदृश्य और बौद्धिक संपदा निर्माण में आगे बढ़ने की इसकी क्षमता को रेखांकित करता है।
- **स्वायत्त अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं और संस्थानों पर बल:**
  - R&D वित्तपोषण का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा सरकार से प्राप्त होता है, जिसमें एक बड़ा आवंटन सरकार द्वारा संचालित स्वायत्त R&D प्रयोगशालाओं को दिया जाता है। ये प्रयोगशालाएँ रणनीतिक निहितार्थों के साथ अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास को आगे बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
    - विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के R&D आँकड़ों (2022-23) के अनुसार, वर्ष 2020-21 में अनुसंधान एवं विकास में भारत का कुल निवेश 17.2 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया। इस राशि में से 54% (9.4 बिलियन डॉलर) सरकारी क्षेत्र को आवंटित किया जाता है और मुख्य रूप से निम्नलिखित चार प्रमुख वैज्ञानिक एजेंसियों द्वारा इसका उपयोग किया जाता है:
    - रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) (30.7%), अंतरिक्ष विभाग (18.4%), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) (12.4%) और परमाणु ऊर्जा विभाग (11.4%)।
- **अंतरिम बजट 2024-25 में प्रावधान:**
  - दीर्घावधिक वित्तपोषण या लंबी अवधि एवं कम या शून्य ब्याज दरों के साथ पुनर्वित्त प्रदान करने के लिये पचास वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के साथ 1 लाख करोड़ रुपए का एक कोष (corpus) स्थापित किया जाएगा। रक्षा उद्देश्यों के लिये डीप-टेक प्रौद्योगिकियों को सुदृढ़ करने और 'आत्मनिर्भरता' में तेज़ी लाने के लिये एक नई योजना शुरू करने पर भी विचार किया गया है।

भारत में R&D वित्तपोषण को लेकर विभिन्न चिंताएँ:

- **सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कम R&D निवेश:**
  - भारत के R&D में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा रही है, जहाँ अनुसंधान एवं विकास पर सकल व्यय (Gross Expenditure on Research and Development- GERD) में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जो वर्ष 2010-11 में 6,01,968 मिलियन रुपए से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 12,73,810 मिलियन रुपए हो गया।
  - हालाँकि, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में R&D निवेश के महज 0.64% होने के साथ भारत चीन (2.4%), जर्मनी (3.1%), दक्षिण कोरिया (4.8%) और संयुक्त राज्य अमेरिका (3.5%) जैसी प्रमुख विकसित एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं से बहुत पीछे है।

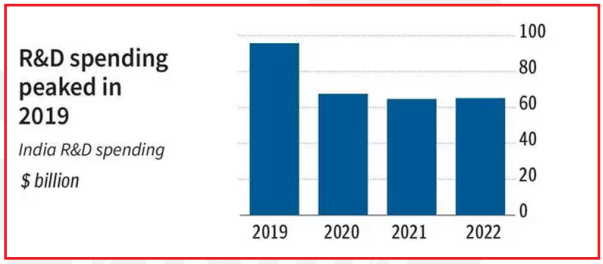

- **निजी क्षेत्र द्वारा कम योगदान:**
  - भारत में, GERD मुख्य रूप से सरकारी क्षेत्र द्वारा संचालित होता है, जिसमें केंद्र सरकार (43.7%), राज्य सरकारें (6.7%), उच्च शिक्षा संस्थान (8.8%) और सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग (4.4%) शामिल हैं। वर्ष 2020-21 के दौरान निजी क्षेत्र के उद्योगों का योगदान मात्र 36.4% रहा।
    - सरकार द्वारा इसे बढ़ाने की आवश्यकता के बारे में जागरूक होने के बावजूद R&D व्यय में इस कमी के कारण स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन ऐसा सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी और R&D व्ययों को प्राथमिकता देने के लिये मज़बूत राजनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता के कारण हो सकता है।
  - विकसित अर्थव्यवस्थाओं में निजी क्षेत्र का योगदान:
    - भारत में निजी उद्योगों का योगदान कई अन्य अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कम है। लगभग 6.2

बिलियन डॉलर के योगदान के साथ भारतीय व्यवसाय देश के GERD के 37% का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह वैश्विक रुझान के विपरीत है जहाँ व्यावसायिक उद्यम आम तौर पर R&D में 65% से अधिक का योगदान करते हैं।

- चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका जैसी अग्रणी नवोन्मेषी अर्थव्यवस्थाओं में R&D वित्तपोषण का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा (>70%) निजी उद्योगों से प्राप्त होता है, जो बाज़ार की शक्तियों एवं लाभ के उद्देश्यों से प्रेरित होता है और वास्तविक R&D गतिविधियाँ उच्च शैक्षणिक संस्थानों में संचालित की जाती हैं।

- **आवंटित निधि का कम उपयोग:**
  - वर्ष 2022-2023 में जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSSs)/परियोजनाओं पर अपने अनुमानित बजट आवंटन का केवल 72% उपयोग किया, जबकि DST ने केवल 61% आवंटन का उपयोग किया। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (DSIR), जिसे CSSs के लिये सबसे कम आवंटन प्राप्त होता है, ने अपने आवंटन का 69% खर्च किया।
    - कम-आवंटन की ही तरह इस कम-उपयोग के कारण स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन यह संवितरण की मंज़ूरी में जटिल नौकरशाही प्रक्रियाओं, परियोजनाओं का मूल्यांकन करने या स्पष्ट उपयोग प्रमाणपत्रों की क्षमता की कमी, वित्त मंत्रालय द्वारा विज्ञान क्षेत्र के वित्तपोषण को प्राथमिकता की कमी या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अनुरोधित धनराशि के लिये योजना या कार्यान्वयन रणनीति की अपर्याप्तता का संकेत हो सकता है।
- **राज्य सरकारों द्वारा पर्याप्त धन आवंटन का अभाव:**
  - RBI की 'राज्य वित्त: वर्ष 2023-24 के बजट का एक अध्ययन' शीर्षक रिपोर्ट में राज्य सरकारों के R&D व्यय पर एक समर्पित खंड शामिल किया गया था। अध्ययन में 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में से केवल 10 को शामिल किया गया, जिसका अर्थ है कि अनुसंधान अधिकांश राज्यों के लिये प्राथमिकता का विषय नहीं है। अधिकांश राज्यों में अनुसंधान पर वार्षिक व्यय पर्याप्त कम भी था (औसतन GSDP का 0.09%), हालाँकि राजस्थान इस मामले में सबसे आगे रहा।

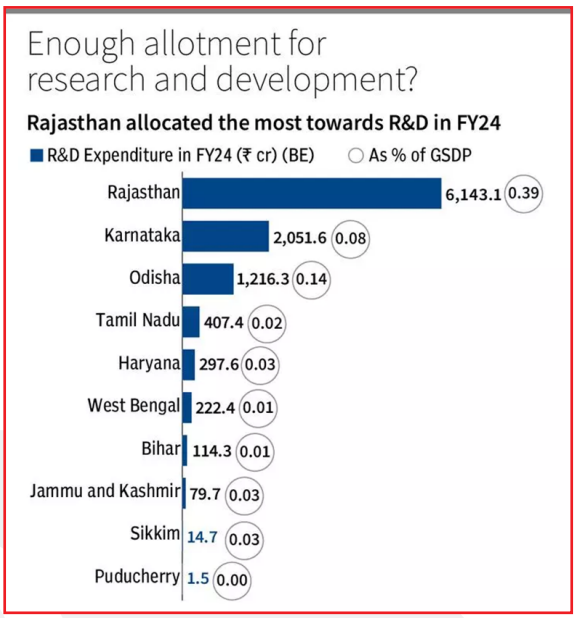

भारत में R&D वित्तपोषण बढ़ाने के लिये आवश्यक विभिन्न कदम:

- **निजी क्षेत्र के सहयोग को प्रोत्साहित करना:**
  - दक्षता के मामले में भारत के अनुसंधान एवं विकास पारिस्थितिकी तंत्र के अपने लाभ हैं, लेकिन निजी उद्यमों की मज़बूत संलग्नता और मज़बूत उद्योग-अकादमिक सहयोग से और अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है जहाँ ज्ञान हस्तांतरण की सुविधा मिलेगी तथा नवाचार को बढ़ावा प्राप्त होगा।
    - वर्ष 2013 की विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति (Science, Technology, and Innovation Policy) में कहा गया है कि GERD को GDP के 2% तक बढ़ाना कुछ समय से एक राष्ट्रीय लक्ष्य रहा है। वर्ष 2017-2018 के आर्थिक सर्वेक्षण के विज्ञान और प्रौद्योगिकी रूपांतरण संबंधी अध्याय में भी इसे दोहराया गया।
    - निजी निवेश के लिये प्रोत्साहन, जिसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDIs) में ढील, कर छूट और उत्पादों के लिये स्पष्ट नियामक रोडमैप शामिल हैं, निवेशकों का विश्वास बनाने में मदद करेंगे।
- **GDP के प्रतिशत के रूप में R&D व्यय में वृद्धि करना:**
  - आर्थिक विकास, तकनीकी प्रगति और वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ावा देने में अनुसंधान एवं नवाचार के महत्त्व को कम करके नहीं आँका जा सकता। हालाँकि,

नोट :

इसके प्रभाव को पूरी तरह से साकार करने के लिये भारत में वर्तमान R&D वित्तपोषण परिदृश्य और इसके परिणामी आउटपुट का आकलन करना अत्यंत आवश्यक है।

- वर्ष 2021 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) के सदस्य देशों ने R&D पर औसतन GDP का 2.7% व्यय किया। अमेरिका और यूके ने पिछले एक दशक से लगातार अपने GDP का 2% से अधिक R&D पर व्यय किया है।
  - इसलिये कई विशेषज्ञों ने भारत से आह्वान किया है कि वह विकास पर सार्थक प्रभाव डालने के लिये विज्ञान क्षेत्र में R&D पर वर्ष 2047 तक प्रत्येक वर्ष अपने GDP का कम से कम 1% (लेकिन आदर्शत: 3%) व्यय करे।

Comparison of research productivity and innovation metrics in selected countries (2021-22)

Country	Researchers per million inhabitants (2021) (FTE)	PhDs produced annually (2021) (Rank)	Publication output (2022) (Rank)	Top 1% most cited articles (% share)	Patents granted (2022) (Rank)
India	262	40,813 (3)	3,06,800 (3)	0.7	30,490 (6)
The U.S.	4,452	69,525 (1)	15,06,000 (1)	1.88	3,23,410 (2)
The U.K.	4,491	27,366 (5)	2,87,200 (4)	2.35	10,578 (15)
China	1,687	53,778 (2)	9,78,100 (2)	1.12	7,98,347 (1)
S. Korea	9,082	13,882 (11)	1,09,200 (16)	1.02	1,35,180 (4)
Japan	5,638	15,804 (10)	1,71,000 (9)	0.88	2,01,420 (3)

- **भारत में उच्च शिक्षा संस्थाओं (HEIs) के लिये बढ़ी हुई भूमिका सुनिश्चित करना:**
  - भारत में HEIs समग्र R&D निवेश में तुलनात्मक रूप से मामूली भूमिका निभाते हैं, जहाँ इनका योगदान 8.8% (1.5 बिलियन डॉलर) है। यह स्वीकार करना महत्त्वपूर्ण है कि R&D में उद्योग का योगदान बढ़ाना एक जटिल मुद्दा है जिसका कोई एक समाधान नहीं है। चुनौतियों का समाधान करने और HEIs के माध्यम से भारत की आर्थिक वृद्धि एवं प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ाने के लिये R&D की क्षमता को 'अनलॉक' करने के लिये विविध हितधारकों को संलग्न करने वाला एक बहु-आयामी दृष्टिकोण आवश्यक है।
- **भारत की विनिर्माण वास्तविकता और आकांक्षाओं के बीच के अंतराल को दूर करना:**
  - भारत की प्रौद्योगिकीय एवं विनिर्माण आकांक्षाएँ इसके R&D परिदृश्य में परिवर्तनकारी बदलाव पर निर्भर हैं। मौजूदा अंतराल को दूर करने के लिये एक दोहरी रणनीति की आवश्यकता है, यानी निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना और शिक्षा जगत के अनुसंधान अवसंरचना को सुदृढ़ करना।
  - राष्ट्रीय डीप टेक स्टार्टअप नीति (NDTSP) जैसी पहलें तकनीकी प्रगति और नवाचार के प्रति एक मज़बूत प्रतिबद्धता का संकेत देती हैं। यह नीति भारत के R&D पारिस्थितिकी तंत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने की क्षमता रखती है।
    - 'डीप टेक' के निर्माण में लगने वाले अधिक समय और तकनीकी अनिश्चितताओं के बावजूद, बौद्धिक संपदा की सुरक्षा और तकनीकी बाधाओं से निपटने के लिये संसाधनों का आवंटन अप्रयुक्त बाज़ारों को 'अनलॉक' कर सकता है।
  - हाल में अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF) अधिनियम, 2023 का अधिनियमन विकास की आधारशिला के रूप में अनुसंधान एवं नवाचार को उत्प्रेरित करने के प्रति सरकार के समर्पण को रेखांकित करता है।

नोट :

- यह विधायी कदम देश भर में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देगा। इस अधिनियम का उद्देश्य HEIs के भीतर एक प्रबल अनुसंधान संस्कृति का पोषण करते हुए भारत के चिरस्थायी R&D निवेश अंतराल को दूर करना है।
  - यह आशाजनक है, लेकिन इस पहल को समान निधि वितरण सुनिश्चित करने, अंत:विषय सहयोग को बढ़ावा देने और वैश्विक मानकों को बनाए रखने जैसी चुनौतियों से भी निपटना होगा।

- **आवंटित निधियों का उचित उपयोग निर्दिष्ट करना:**
  - केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लगातार अपने बजट का कम उपयोग किया है। इसलिये, जबकि सरकारी और निजी दोनों स्रोतों के माध्यम से वित्तपोषण की वृद्धि की मांग वैध है, विज्ञान के परिणामों को प्रभावित करने के लिये एक सुदृढ़ बजट उपयोग की भी आवश्यकता है।
    - R&D के लिये निर्धारित धनराशि के कम खर्च और कम उपयोग का शमन करना स्पष्ट रूप से प्राथमिक कदम होगा। इसके लिये R&D व्यय को राजनीतिक प्राथमिकता देने और इसे भारत की विकास यात्रा के एक प्रमुख, अपूरणीय तत्व के रूप में मान्यता देने की आवश्यकता है।
    - अंत में, भारत को विज्ञान परियोजनाओं का मूल्यांकन करने और आवंटन के बाद उपयोग की निगरानी करने के लिये नौकरशाही क्षमता की भी आवश्यकता है। वर्ष 2047 तक भारत को एक विज्ञान शक्ति बनाने के लिये ऐसी क्षमता का निर्माण करना एक पूर्वशर्त की स्थिति रखता है।

- **राज्य सरकारों के माध्यम से व्यय को प्राथमिकता देना:**
  - सार्वजनिक क्षेत्र के R&D व्यय को विशेष रूप से राज्य स्तर पर बढ़ाने की आवश्यकता है। इससे राज्य विश्वविद्यालयों में अनुसंधान सुविधाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा, जिससे फिर अनुसंधानकर्ताओं को यह स्वतंत्रता प्राप्त होगी कि वे स्थानीय रूप से प्रासंगिक समस्याओं अधिक कार्य कर सकेंगे।
  - व्यय को इस सीमा तक बढ़ाने की भी आवश्यकता है कि उपयुक्त नीतियों के साथ यह प्रयोगशाला से कारख़ाने तक अनुसंधान संबंधी लगातार बनी रहती बाधाओं को दूर करे। इस प्रवाह के बिना नवाचार का कोई महत्त्व नहीं होगा और यह निम्न-गुणवत्तापूर्ण प्रगति तक ही सीमित रहेगा।

निष्कर्ष:

भारत में R&D व्यय को बढ़ाने, अनुसंधान, नवाचार एवं उद्यमिता के लिये रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करने और निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिये सरकारी प्रयास जारी हैं। जबकि भारत का R&D क्षेत्र उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में GDP के प्रतिशत के रूप में R&D पर देश का कम निवेश चिंता का विषय बना हुआ है। NDTSP और ANRF अधिनियम, 2023 के साथ ही संयुक्त अंतरिम बजट (2024-25) निजी क्षेत्र के नेतृत्व में अनुसंधान एवं नवाचार को प्रोत्साहित करने (विशेष रूप से उभरते हुए उद्योगों में) की भारत की प्रतिबद्धता के बारे में सकारात्मक संकेत प्रदान करता है।

■■■

भारत-EFTA डील: व्यापार समझौतों में एक नया अध्याय

15 वर्षों तक चले समझौता वार्ता के बाद भारत ने हाल ही में यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (European Free Trade Association- EFTA) के साथ एक व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते (Trade and Economic Partnership Agreement- TEPA) पर हस्ताक्षर किये हैं। वर्तमान में EFTA में चार गैर-ईयू (non-EU) देश शामिल हैं– आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड।

यह समझौता दोनों पक्षों के लिये एक संभावित 'गेम-चेंजर' सिद्ध हो सकता है, जो आर्थिक विकास, रोज़गार अवसर और द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने में आशाजनक भूमिका निभा सकता है। हालाँकि, यह कई चुनौतियाँ भी प्रस्तुत करता है जिन्हें अधिक एकीकृत एवं समृद्ध वैश्विक अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ने के लिये संबोधित किया जाना चाहिये।

यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA):

- **परिचय:**
  - यह चार सदस्य राज्यों– आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड – और विश्व भर में उनके व्यापारिक भागीदारों के लाभ के लिये मुक्त व्यापार और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिये स्थापित एक अंतर-सरकारी संगठन है।
- **इतिहास:**
  - इसकी स्थापना 4 जनवरी 1960 को स्टॉकहोम में हस्ताक्षरित एक अभिसमय/कन्वेंशन द्वारा की गई थी।
  - यह उन यूरोपीय देशों के लिये एक वैकल्पिक व्यापार मंच के रूप में स्थापित किया गया जो तत्कालीन यूरोपीय आर्थिक समुदाय (European Economic Community- EEC)— यूरोपीय संघ (EU) की एक प्रमुख पूर्ववर्ती संस्था, में शामिल होने में असमर्थ या इसके प्रति अनिच्छुक थे।

नोट :

- **EFTA के मुख्य कार्य:**
  - EFTA कन्वेंशन—जो चार EFTA राज्यों के बीच आर्थिक संबंधों को नियंत्रित करता है, का आयोजन और इसका विकास करना।
  - यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र पर समझौते (Agreement on the European Economic Area- EEA Agreement) का प्रबंधन करना, जो यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों और तीन EFTA राज्यों (आइसलैंड, लिकटेंस्टीन और नॉर्वे) को एकल बाज़ार में एक साथ लाता है, जिसे 'आंतरिक बाज़ार' (Internal Market) भी कहा जाता है।
  - EFTA के मुक्त व्यापार समझौतों के विश्वव्यापी नेटवर्क का विकास करना।

- **भारत और EFTA:**
  - वर्ष 2022-23 के दौरान EFTA देशों को भारत का निर्यात 1.92 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था, जबकि आयात 16.74 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा।
  - वर्ष 2022-23 में भारत और EFTA के बीच द्विपक्षीय व्यापार 18.65 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा।
  - इन देशों में स्विट्ज़रलैंड भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जिसके बाद नॉर्वे का स्थान है।
  - स्विट्ज़रलैंड के साथ भारत वस्तुत: व्यापार घाटे की स्थिति रखता है जो मुख्य रूप से सोने के आयात के कारण है।
  - भारत और EFTA ने मार्च 2024 में एक व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते (TEPA) पर हस्ताक्षर किये।

नोट :

व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता (TEPA):

- **उद्देश्य:**
  - TEPA का उद्देश्य उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पर टैरिफ एवं गैर-टैरिफ बाधाओं को समाप्त या कम कर भारत और EFTA के बीच व्यापार एवं निवेश के अवसर पैदा करना है।
  - यह सेवा प्रदाताओं और निवेशकों के लिये उचित एवं पारदर्शी बाज़ार पहुँच दशाएँ सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखता है तथा बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण एवं प्रवर्तन पर सहयोग को बढ़ावा देगा।
  - TEPA का लक्ष्य विवाद समाधान के लिये प्रभावी तंत्र के साथ-साथ व्यापार प्रक्रियाओं और सीमा शुल्क सहयोग को सुविधाजनक बनाना है।

- **कवरेज:**
  - समझौते में 14 अध्याय शामिल हैं, जो माल व्यापार, स्रोत के नियम, बौद्धिक संपदा अधिकार (IPRs), सेवा व्यापार, निवेश प्रोत्साहन एवं सहयोग, सरकारी खरीद, व्यापार में तकनीकी बाधाएँ और व्यापार सुविधा से संबंधित हैं।
- **समझौते की मुख्य बातें:**
  - EFTA ने अगले 15 वर्षों में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के स्टॉक को 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने के लिये निवेश को बढ़ावा देने और ऐसे निवेशों के माध्यम से भारत में 1 मिलियन प्रत्यक्ष रोज़गार के सृजन की सुविधा प्रदान करने की प्रतिबद्धता जताई है।

नोट :

- उल्लेखनीय है कि इस समझौते के तहत FTAs के इतिहास में पहली बार लक्ष्य-उन्मुख निवेश को बढ़ावा देने और रोज़गार सृजन करने के लिये कानूनी प्रतिबद्धता जताई गई है।
- EFTA अपनी 92.2% टैरिफ लाइनों की पेशकश कर रहा है जो भारत के 99.6% निर्यात को कवर करता है।
- भारत अपनी 82.7% टैरिफ लाइनों की पेशकश कर रहा है, जो 95.3% EFTA निर्यात को कवर करता है, जिसमें 80% से अधिक आयात सोना (gold) का है। सोने पर प्रभावी शुल्क अछूता बना रहेगा।
- EFTA का बाज़ार पहुँच प्रस्ताव 100% गैर-कृषि उत्पाद को कवर करता और संसाधित कृषि उत्पाद (PAP) पर टैरिफ रियायत की पेशकश की गई है।
- भारत ने EFTA को 105 उप-क्षेत्रों की पेशकश की है और स्विट्ज़रलैंड से 128, नॉर्वे से 114, लिकटेंस्टीन से 107 और आइसलैंड से 110 उप-क्षेत्रों में प्रतिबद्धताएँ प्राप्त की हैं।
- TEPA में नर्सिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट आदि पेशेवर सेवाओं में पारस्परिक मान्यता समझौतों (Mutual Recognition Agreements) के प्रावधान शामिल हैं।

भारत-EFTA समझौता क्यों महत्त्वपूर्ण है?

आर्थिक विकास और रोज़गार सृजन:

- **निवेश को बढ़ावा:**
  - 15 वर्षों में EFTA देशों से प्रत्याशित 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का FDI भारत के आधारभूत संरचना के विकास, तकनीकी उन्नति और रोज़गार सृजन के लिये महत्त्वपूर्ण है।
  - TEPA अवसंरचना एवं कनेक्टिविटी, विनिर्माण, मशीनरी, फार्मास्यूटिकल्स, रसायन, खाद्य प्रसंस्करण, परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स, बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा और बीमा जैसे क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित कर 'मेक इन इंडिया' तथा 'आत्मनिर्भर भारत' को गति प्रदान करेगा।
- **व्यापार विस्तार:**
  - TEPA आईटी सेवाओं, व्यावसायिक सेवाओं, व्यक्तिगत, सांस्कृतिक, खेल एवं मनोरंजक सेवाओं, अन्य शिक्षा सेवाओं, ऑडियो-विज़ुअल सेवाओं आदि क्षेत्रों में हमारी सेवाओं के निर्यात को प्रोत्साहित करेगा।
- **बाज़ार पहुँच:**
  - भारत-EFTA मुक्त व्यापार समझौते के तहत भारतीय ग्राहकों को कम कीमत पर घड़ी, चॉकलेट, बिस्कुट जैसे उच्च गुणवत्तापूर्ण स्विस उत्पादों तक पहुँच प्राप्त होगी क्योंकि भारत व्यापार समझौते के तहत 10 वर्षों की अवधि में इन वस्तुओं पर सीमा शुल्क को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर देगा।

रणनीतिक और प्रौद्योगिकीय लाभ:

- **भू-राजनीतिक महत्त्व:**
  - यह समझौता यूरोप के साथ भारत के आर्थिक संबंधों को मज़बूत करता है और एक अधिक बहुध्रुवीय वैश्विक व्यापार परिदृश्य को बढ़ावा देता है। इससे किसी एक व्यापारिक भागीदार पर निर्भरता कम हो जाती है और भारत को रणनीतिक लाभ प्राप्त होता है।
- **ज्ञान साझेदारी और नवाचार:**
  - यह समझौता ज्ञान साझेदारी और संयुक्त अनुसंधान उद्यमों को बढ़ावा दे सकता है, जिससे भारत के प्रौद्योगिकीय विकास में तेज़ी आएगी।
  - यह प्रीसिज़न इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य विज्ञान, नवीकरणीय ऊर्जा, नवाचार और अनुसंधान एवं विकास (R&D) में अग्रणी वैश्विक प्रौद्योगिकियों तक प्रौद्योगिकी सहयोग एवं पहुँच की सुविधा प्रदान करेगा।

एक दृष्टांत या मिसाल कायम करना:

- **भविष्य के सौदों के लिये टेम्पलेट:**
  - भारत और EFTA के बीच TEPA का सफल कार्यान्वयन यूके जैसे अन्य यूरोपीय देशों और संभावित रूप से यूरोपीय संघ के साथ भविष्य के व्यापार समझौतों के लिये एक टेम्पलेट या नमूने के रूप में कार्य कर सकता है।
  - TEPA भारत को यूरोपीय संघ के बाज़ारों में एकीकृत होने का अवसर प्रदान करता है। स्विट्ज़रलैंड का 40% से अधिक वैश्विक सेवा निर्यात यूरोपीय संघ को होता है। भारतीय कंपनियाँ यूरोपीय संघ तक अपनी बाज़ार पहुँच बढ़ाने के लिये स्विट्ज़रलैंड को आधार के रूप में देख सकती हैं।
- **मुक्त व्यापार का 'चैंपियन':**
  - TEPA पर सफल वार्ता और हस्ताक्षर मुक्त व्यापार के अग्रणी देश या 'चैंपियन' के रूप में भारत की छवि को सुदृढ़ करता है। यह आगे विदेशी निवेश को आकर्षित कर सकता है और भारत को वैश्विक व्यापार क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर सकता है।

नोट :

व्यापार से परे अन्य क्षेत्रों में दीर्घकालिक लाभ:

- **सुव्यवस्थित प्रक्रियाएँ:**
  - यह समझौता टैरिफ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बौद्धिक संपदा अधिकार, सेवा व्यापार और सरकारी खरीद जैसे क्षेत्रों को भी संबोधित करता है। यह व्यापक दृष्टिकोण दीर्घकालिक लाभ के साथ एक सुदृढ़ आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा देता है।
  - TEPA में बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित प्रतिबद्धताएँ ट्रिप्स (TRIPS) स्तर की हैं।
- **सतत् विकास:**
  - TEPA व्यापार और निवेश में सतत विकास अभ्यासों को बढ़ावा देने संबंधी प्रावधानों को शामिल करता है। यह पर्यावरण के प्रति जागरूक विकास सुनिश्चित करता है और वैश्विक संवहनीया लक्ष्यों के साथ संरेखित है।

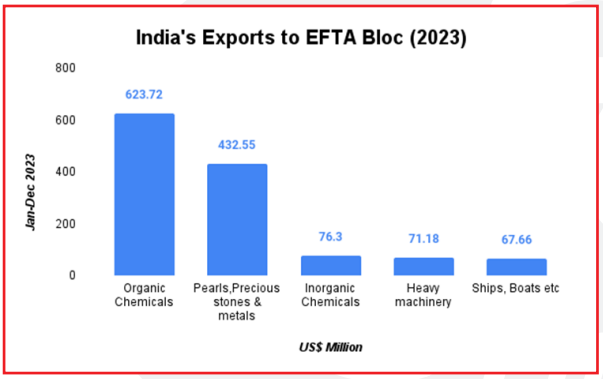

भारत-EFTA समझौते में संबद्ध प्रमुख मुद्दे:

- **FTA से अपवर्जन:**
  - भारत ने कृषि और डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को महत्त्वपूर्ण टैरिफ कटौती से बाहर रखा है। डेयरी, सोया, कोयला और संवेदनशील कृषि उत्पादों जैसे क्षेत्रों को अपवर्जन सूची में रखा गया है जहाँ इन वस्तुओं पर कोई शुल्क रियायत नहीं होगी।
  - FTA के तहत का भारत को अब तक का सबसे बड़ा निर्यात सोने का रहा है, जो मुख्यत: स्विट्ज़रलैंड से प्राप्त होता है। सोने पर प्रभावी शुल्क अछूता बना रहेगा।
  - इससे कुछ EFTA निर्यातकों के लाभ सीमित हो सकते हैं।
- **100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कानूनी प्रतिबद्धता:**
  - यदि 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की प्रतिबद्धता पूरी नहीं होती है (यदि प्रस्तावित निवेश किन्हीं कारणों से नहीं आता है) तो समझौते में प्रावधान है कि भारत इन चार देशों को प्राप्त शुल्क रियायतों को पुन: संतुलित या निलंबित कर सकता है।
- **'डेटा एक्सक्लूसिविटी':**
  - समझौते में एक अतिरिक्त IP बाधा—यानी डेटा एक्सक्लूसिविटी (Data Exclusivity- DE), पेश करने का प्रस्ताव है, जो संभावित रूप से एक निर्धारित अवधि के लिये नई दवाओं, बायोलॉजिक्स और निवारक HIV थेरेपी के जेनेरिक संस्करणों के निर्माण में (यहाँ तक कि दवाओं पर पेटेंट नहीं हो तो भी) देरी का कारण बन सकता है।
  - प्रस्तावित डेटा एक्सक्लूसिविटी प्रावधान, जिस पर EFTA देशों ने बल दिया है, घरेलू जेनेरिक दवा निर्माताओं को मूल पेटेंट धारकों द्वारा किये गए प्री-क्लिनिकल परीक्षणों एवं नैदानिक परीक्षणों के डेटा का उपयोग करने से अवरुद्ध कर देगा।
- **आय स्तर में अंतर:**
  - भारत (2,500 अमेरिकी डॉलर) और EFTA देशों (60,000-70,000 अमेरिकी डॉलर) के बीच प्रति व्यक्ति आय में बहुत बड़ा अंतर है।
  - इसलिये इस FTA को भारत को समान अवसर प्रदान करने के तरीकों एवं साधनों पर विचार करना होगा।
- **गैर-टैरिफ बाधाएँ (Non-Tariff Barriers-NTBs):**
  - भिन्न-भिन्न उत्पाद मानकों और तकनीकी नियमों जैसी गैर-टैरिफ बाधाओं को सुव्यवस्थित करना अत्यंत आवश्यक है। मौजूद विसंगतियाँ माल निर्यात का प्रयास करने वाले व्यवसायों के लिये बाधाएँ उत्पन्न कर सकती हैं, क्योंकि उन्हें प्रत्येक बाज़ार में नियमों का पालन करने के लिये उत्पादों को संशोधित करने की आवश्यकता हो सकती है।

नोट :

- **घरेलू प्रतिरोध:**
  - कुछ भारतीय क्षेत्र, विशेष रूप से वे जो EFTA आयात से प्रतिस्पर्द्धा का सामना कर रहे हैं, रोज़गार हानि या अनुचित प्रतिस्पर्द्धा के बारे में चिंता व्यक्त कर सकते हैं।

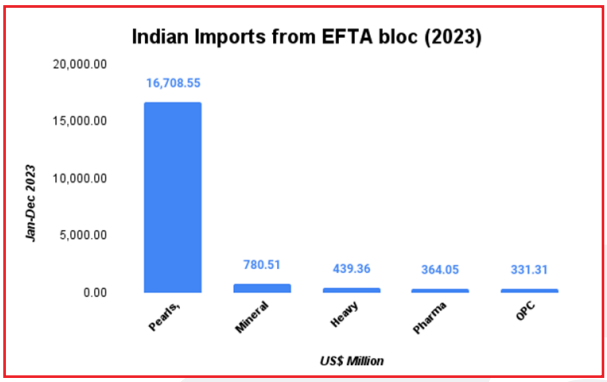

भारत-EFTA समझौते की सफलता सुनिश्चित करने के लिये आगे की राह:

- **साझा आधार ढूँढ़कर विषमताओं को संबोधित करना:**
  - निवेश सुरक्षा: इस समझौते में निवेश की सुरक्षा के प्रावधान शामिल होने चाहिये, जिससे व्यवसायों के लिये एक-दूसरे के बाज़ारों में निवेश एवं परिचालन हेतु अनुकूल माहौल सुनिश्चित हो सके।
  - चरणबद्ध कटौती: कृषि जैसे संवेदनशील क्षेत्रों के लिये भारत चरणबद्ध टैरिफ कटौती पर विचार कर सकता है, ताकि घरेलू उत्पादकों को समायोजित होने और अधिक प्रतिस्पर्द्धी बन सकने का समय मिल सके।
  - मुआवज़ा पैकेज: प्रभावित उद्योगों के लिये उपयुक्त मुआवजा पैकेज चिंताओं को कम कर सकते हैं और आवश्यक पुनर्गठन के लिये सहायता प्रदान कर सकते हैं।
  - विवाद समाधान तंत्र: व्यापार से संबंधित किसी भी विवाद को संबोधित करने और व्यापार संघर्षों में वृद्धि को रोकने के लिये एक प्रभावी विवाद समाधान तंत्र की स्थापना करना महत्त्वपूर्ण है।
- **दक्षता को सुव्यवस्थित कर विनियामक अंतराल को दूर करना:**
  - गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करना: तकनीकी विनियमों, मानकों और सीमा शुल्क प्रक्रियाओं जैसी गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करने के प्रयास किये जाने चाहिये जो व्यापार प्रवाह में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं।
  - पारस्परिक मान्यता समझौते (MRAs): विशिष्ट उत्पाद श्रेणियों के लिये MRAs स्थापित करने से यह सुनिश्चित हो सकता है कि एक देश के मानकों को पूरा करने वाले उत्पाद दूसरे देश द्वारा स्वत: स्वीकार कर लिये जाते हैं।
  - संयुक्त तकनीकी समितियाँ: तकनीकी विनियमों में सामंजस्य स्थापित करने के लिये समर्पित संयुक्त समितियों के निर्माण से प्रक्रिया में तेज़ी आ सकती है और स्थिरता को बढ़ावा मिल सकता है।
- **विकास के लिये साधन प्रदान कर क्षमता निर्माण:**
  - प्रशिक्षण और कौशल विकास: नई व्यापार व्यवस्था पर सीमा शुल्क अधिकारियों और व्यवसायों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निवेश करने से सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित होगा।
  - अवसंरचना का उन्नयन: सीमा शुल्क अवसंरचना और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क का उन्नयन व्यापार की मात्रा में प्रत्याशित वृद्धि के कुशलतापूर्वक प्रबंधन में सक्षम हो सकेगा।
- **एक साझा दृष्टिकोण के साथ सहयोग को बढ़ावा देना:**
  - नियमित हितधारक संवाद: सरकारों, व्यवसायों और नागरिक समाज के बीच नियमित संवाद बनाए रखने से विद्यमान एवं आसन्न चिंताओं को दूर किया जा सकता है और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकती है।
  - ज्ञान साझाकरण कार्यक्रम: सर्वोत्तम अभ्यासों और तकनीकी प्रगति जैसे क्षेत्रों में ज्ञान के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करने से दोनों क्षेत्रों को लाभ प्राप्त हो सकता है।

निष्कर्ष:

यह समझौता एक सुदृढ़ एवं अधिक एकीकृत साझेदारी बनाने का एक अनूठा अवसर प्रस्तुत करता है जो दोनों पक्षों को लाभान्वित करेगा और भविष्य के व्यापार समझौतों के लिये एक सकारात्मक

नोट :

मिसाल पेश करेगा। चूँकि भारत और EFTA देश इस रोमांचक यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं, सहयोगात्मक प्रयासों, खुले संचार और एक फलती-फूलती आर्थिक साझेदारी के लिये साझा दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित बना रहना चाहिये।

■■■

भूटान का गेलेफू गैम्बिट

कनेक्टिविटी पहलों, बड़े पैमाने की अवसंरचना परियोजनाओं और विश्व भर में स्मार्ट शहरों के विकास से चिह्नित हो रहे वर्तमान समय में भूटान के प्रधानमंत्री ने भारत की हाल की यात्रा के दौरान असम की सीमा पर अवस्थित भूटान के गेलेफू (Gelephu) शहर में एक क्षेत्रीय आर्थिक केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव रखा।

दिसंबर 2023 में भूटान के राजा द्वारा लॉन्च की गई इस योजना के तहत 1000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में अनूठे भूटानी वास्तुशिल्प ब्लूप्रिंट के साथ 'गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी' (Gelephu Mindfulness City- GMC) का निर्माण किया जाना है, जो निवेशक-अनुकूल कानूनों के साथ एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के रूप में स्थापित किया जाएगा।

भूटान से संबंधित मुख्य तथ्य:

- भूटान भारत और तिब्बत (जो चीन का एक स्वायत्त क्षेत्र है) के बीच अवस्थित एक स्थलरुद्ध देश है।
- देश में आयोजित पहले लोकतांत्रिक चुनाव के साथ वर्ष 2008 में भूटान एक लोकतांत्रिक देश बन गया जहाँ एक निर्वाचित प्रधानमंत्री के साथ भूटान के राजा को राज्य प्रमुख स्थिति प्राप्त है।
- भूटान में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित प्रमुख नदियों में टोरसा (अमो), वोंग (रैडाक), संकोश (मो) और मानस शामिल हैं। ये सभी नदियाँ वृहत हिमालय से दक्षिण की ओर बहती हैं और भारत में ब्रह्मपुत्र नदी में आकर मिल जाती हैं।
  - भूटान की सबसे लंबी नदी मानस नदी है जो दक्षिणी भूटान और भारत के बीच हिमालय की तलहटी में प्रवाहित एक सीमा-पारीय नदी है।

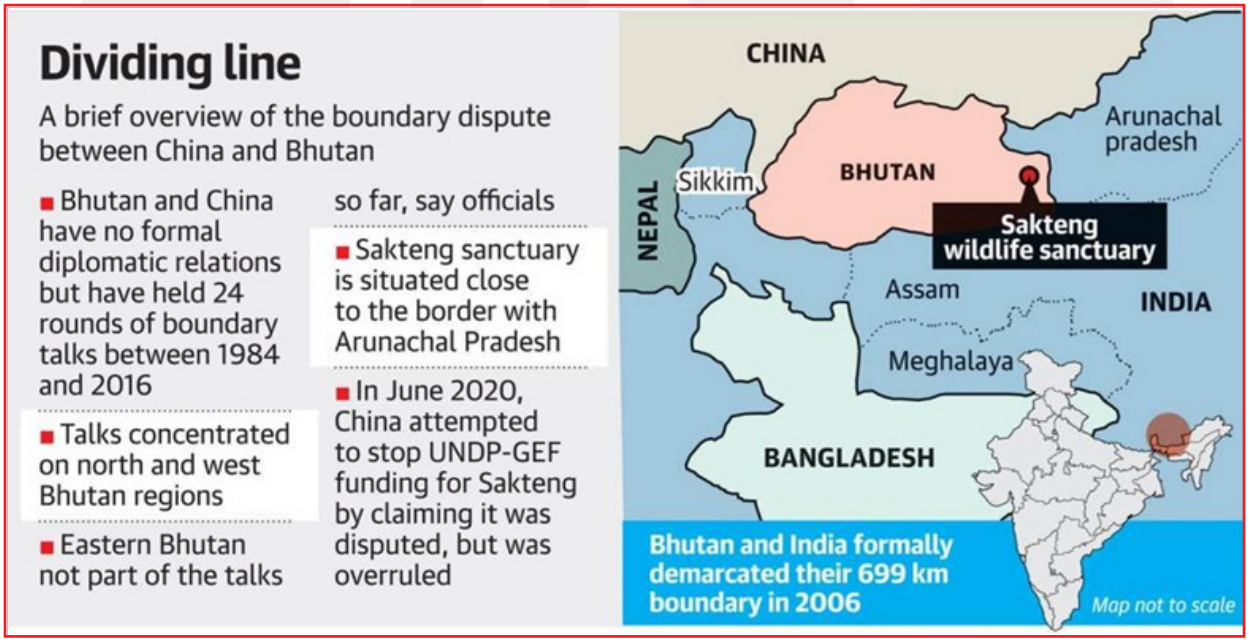

GMC के विकास के संबंध में विभिन्न तर्क:

- **समर्थन में तर्क:**
  - एक कार्बन-तटस्थ शहर:
    - एक कार्बन-तटस्थ शहर के रूप में गेलेफू में केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योग (मुख्य रूप से आईटी, शिक्षा, होटल एवं अस्पताल क्षेत्र) शामिल होंगे और इन्हें क्षेत्र के मध्य में एक निवेश गंतव्य तथा स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा।
  - इस दृष्टिकोण से यह दुबई, हांगकांग और सिंगापुर जैसे चमकती गगनचुंबी इमारतों वाले वित्तीय केंद्रों की तुलना में सऊदी अरब के निओम (Neom) और इंडोनेशिया के नुसंतारा (Nusantara) जैसे योजनाबद्ध शहरों जैसा होगा।

नोट :

- भारत की कनेक्टिविटी योजनाओं को गति प्राप्त होना:
  - यह भारत की 'एक्ट ईस्ट' (Act East) नीति के चौराहे पर स्थित होगा जिसके तहत भारत म्यांमार, आसियान (ASEAN) एवं हिंद-प्रशांत क्षेत्र के साथ संपर्क बढ़ाने की योजना रखता है। इसके साथ ही, यह बांग्लादेश से बंगाल की खाड़ी एवं हिंद महासागर के माध्यम से उत्तर-पूर्वी भारतीय राज्यों के बीच भारत-जापान कनेक्टिविटी की नई योजनाओं के लिये भी एक भूमिका रखेगा।
- पार्श्विक स्थल-आधारित कनेक्टिविटी की आवश्यकता को पूरा करना:
  - पर्थ (ऑस्ट्रेलिया) में आयोजित 7वें हिंद महासागर सम्मेलन (2024) में भारतीय विदेश मंत्रालय ने हिंद महासागर क्षेत्र में पार्श्विक स्थल-आधारित कनेक्टिविटी की आवश्यकता को उजागर किया जो भारत के पश्चिम में 'भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे' India-Middle East-Europe Economic Corridor- IMEC) और भारत के पूर्व में त्रिपक्षीय राजमार्ग (Trilateral Highway) जैसी पहलों के माध्यम से समुद्री आवाजाही को पूरकता प्रदान करने के लिये आवश्यक है।
  - GMC से भूटान को लाभ प्राप्त होगा और इसकी विभिन्न अवसंरचना परियोजनाओं को पूरकता मिलेगी। यह भविष्य में भूटान को IMEC में शामिल होने का अवसर भी प्रदान करेगा।

- **विरोध में तर्क:**
  - पर्वतीय क्षेत्र होने से उत्पन्न चुनौतियाँ: एक पर्वतीय देश में एक दुर्लभ विस्तृत मैदान के रूप में गेलेफू का भूगोल विभिन्न चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है। पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में गर्म तापमान के साथ मानसून के दौरान गेलेफू में कई माह तक उच्च मात्रा में वर्षा होती है, जिससे हर वर्ष बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है।
  - अवस्थिति संबंधी कारकों से जुड़े मुद्दे: आसपास के जंगल और वन्यजीव आबादी के साथ गेलेफू हाथी गलियारों के ठीक बीच में अवस्थित है। चूँकि गेलेफू स्थलरुद्ध क्षेत्र है, इसलिये यह विशेष प्रशासनिक क्षेत्र से बाहर व्यापार एवं परिवहन हेतु अवसंरचना प्रदान करने के लिये अन्य देशों, मुख्य रूप से भारत, पर निर्भर है।
  - उत्तर-पूर्वी राज्यों में उग्रवाद के कारण चिंताएँ: असम और उत्तर-पूर्वी राज्यों तथा म्यांमार में भारतीय सीमा के पास उग्रवाद की समस्या अतीत में बड़ी चिंता का कारण रही है। भूटान के पूर्व राजा द्वारा भारतीय सेना के सहयोग से क्षेत्र में शरण ले रहे उग्रवादी समूहों को खदेड़ने के लिये वर्ष 2003 में एक बड़ा सैन्य अभियान (Operation All Clear) भी चलाया गया था।

गेलेफू परियोजना का महत्त्व:

- **भूटान के लिये:**
  - पर्यटन को बढ़ावा: यदि भूटान अपने राजस्व को बढ़ाना चाहता है तो उसे अधिक पर्यटकों और आगंतुकों को संभाल सकने तथा बड़े विमानों को उतार सकने की अपनी क्षमता बढ़ानी होगी। इसके लिये वर्तमान में संकीर्ण पारो घाटी में स्थित हवाई अड्डे की तुलना में पर्याप्त बड़े हवाई अड्डे की आवश्यकता होगी।
    - गेलेफू परियोजना के पहले भाग में गेलेफू हवाई अड्डे और टरमैक को अंतर्राष्ट्रीय मानकों तक बेहतर बनाना शामिल है, जिसके लिये भारत से वित्तपोषण एवं विशेषज्ञता की आवश्यकता होगी।
  - रोज़गार को बढ़ावा: विदेशों में नौकरियों की तलाश में भूटानी युवाओं का बढ़ता 'पलायन' एक और चुनौती है तथा सरकार को उम्मीद है कि गेलेफू जैसी मेगा परियोजना रोज़गार अवसर सृजित कर इस पर रोक लगाएगी।
  - भूटान की भू-राजनीतिक चिंताओं को संबोधित करना: भूटान की सबसे गंभीर भू-राजनीतिक चिंता सीमा समाधान समझौता संपन्न करने और राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिये उस पर चीन द्वारा बनाया जा रहे दबाव से संबंधित है।
    - सुदूर दक्षिण में स्थित गेलेफू भूटान को शेष विश्व के लिये नियंत्रित तरीके से स्वयं को खोल सकने का एक अवसर प्रदान करता है, जबकि एक स्थिर सीमा के लिये वह बीजिंग के साथ वार्तारत भी है।
- **भारत के लिये:**
  - भूटान को भारत के निकट लाना: भारत और भूटान के बीच मित्रवत संबंध है जो पिछले 75 वर्षों में भूटान के प्रत्येक राजा और भारतीय प्रधानमंत्रियों के बीच मज़बूत समझ पर विकसित हुआ है। यह भारत का एकमात्र निकट पड़ोसी है जो वर्तमान में बीजिंग के प्रभाव-क्षेत्र में नहीं है।
    - भारत भूटान में निवेश का प्रमुख स्रोत है, जो इसके कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में 50% योगदान करता है।

नोट :

- भारत एक दशक पहले श्रीलंका के हंबनटोटा में अनुभव किये गए 'अवसर चूकने' के प्रति भी सतर्कता रखता है जहाँ एक निकट पड़ोसी चीन के पाले में चला गया और असंवहनीय ऋण का शिकार बना।

- भारत की क्षेत्रीय आवश्यकताओं को पूरा करना: जहाँ तक अवसंरचना में निवेश का सवाल है, गेलेफू की आवश्यकताएँ इस क्षेत्र के लिये भारत की स्वयं की योजनाओं के अनुरूप होंगी:
  - भूटान की सीमा तक रेलवे लाइनें;
  - म्यांमार और दक्षिण पूर्व एशिया तक 'त्रिपक्षीय राजमार्ग' को जोड़ने के लिये बेहतर सड़कें;
  - चट्टोग्राम और मोंगला बंदरगाहों तक पहुँच के लिये बांग्लादेश में सड़कों एवं पुलों के निर्माण में समन्वय के लिये जापान के साथ सहयोग;
  - कुशल व्यापार की अनुमति देने के लिये तीनों भूमि पड़ोसियों के साथ सीमा चौकियों को उन्नत करना।
- बिजली आपूर्ति की मांग को सुविधाजनक बनाना: जलवायु-अनुकूल सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन परियोजनाओं के अलावा, भारत एक दक्षिण एशियाई पावर ग्रिड की योजना रखता है जो नेपाल एवं भूटान से बिजली प्राप्त करेगा और बांग्लादेश एवं श्रीलंका को इसकी आपूर्ति करेगा। यह गेलेफू के लिये आवश्यक अधिक सुसंगत बिजली आपूर्ति भी प्रदान कर सकेगा।

भविष्य में पड़ोसी देशों के साथ संबंध मज़बूत करने के लिये भारत को क्या करना चाहिये?

- **पड़ोसी देशों के साथ सहमति के साझा आधार ढूँढ़ना:**
  - निश्चित रूप से, GMC के लिये परिकल्पित निवेश से तत्काल कोई रिटर्न प्राप्त नहीं होने के साथ ऐसे मेगा-स्मार्ट सिटी के लिये दशाएँ अभी इष्टतम नहीं दिखती हैं।
  - हालाँकि, जैसे-जैसे वैश्विक परिदृश्य अधिक ध्रुवीकृत होता जा रहा है और दुनिया के देश तेज़ी से 'ट्राइबल' विदेशी नीतियों (tribal foreign policies) का विकल्प चुन रहे हैं (जहाँ अपने पड़ोस में पारंपरिक सहयोगियों से अधिक आकर्षण होता है), भारत को भी दक्षिण एशिया में (एक ऐसा क्षेत्र जो भाषा, विश्वास, संस्कृति, भूगोल और जलवायु साझा करता है) अपनी 'ट्राइब' (tribe) ढूँढ़नी चाहिये।
- **श्रीलंका और बांग्लादेश के अनुभव से प्रेरणा ग्रहण करना:**
  - श्रीलंका के आर्थिक संकट के दौरान भारत के उदार समर्थन और बांग्लादेश के साथ दृढ़ संबंधों से उत्पन्न सद्भावना को अन्य दिशाओं में इसी तरह के प्रयासों से कई गुना बढ़ाया जा सकता है— जैसे कि नेपाल को ओवरफ्लाइट अधिकारों की अनुमति देकर उसके नए हवाई अड्डों की लागत चुकाने में मदद करना, मालदीव के साथ संबंधों में हाल की गिरावट के बावजूद वहाँ प्रतिबद्ध परियोजनाओं का कार्य जारी रखना और यहाँ तक कि पाकिस्तान के साथ एक नए अध्याय की शुरूआत करना।
- **संपूर्ण दक्षिण एशिया में डिजिटल अवसंरचना को बढ़ावा देना:**
  - सहयोग के पारंपरिक क्षेत्रों से परे नए क्षेत्रों में सहयोग—जैसे नई STEM-आधारित पहलें, 'थर्ड इंटरनेशनल इंटरनेट गेटवे' जैसी डिजिटल अवसंरचना की स्थापना, भारत के राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (National Knowledge Network) के साथ भूटान के 'DrukRen' का एकीकरण (जो ई-लर्निंग के क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण सहयोग है), डिजिटल रूपांतरण के भूटान के प्रयासों में ई-लाइब्रेरी परियोजना से पूरकता प्रदान करना आदि—सराहनीय है।
  - हालाँकि, आर्थिक एवं अवसंरचनात्मक एकीकरण को आगे और बढ़ावा देने तथा सद्भावना पैदा करने के लिये संपूर्ण दक्षिण एशियाई क्षेत्र में इसी तरह के प्रयास किये जाने की ज़रूरत है।
- **सहयोग के माध्यम से पर्यावरणीय संवहनीयता को बढ़ावा देना:**
  - भारत-भूटान संबंधों के संदर्भ में पर्यावरणीय संवहनीयता के महत्त्व को कम कर नहीं आँका जा सकता। भारत एवं भूटान दोनों के पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं और यह आवश्यक है कि वे भावी पीढ़ियों के लिये इन संसाधनों को सुरक्षित बनाये रखने के लिये मिलकर कार्य करें।
  - इसलिये, यह महत्त्वपूर्ण है कि भारत और भूटान अपने द्विपक्षीय संबंधों में पर्यावरणीय संवहनीयता को प्राथमिकता देना जारी रखें और सतत् विकास को बढ़ावा देने तथा प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने के अपने साझा लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में कार्य करें।

निष्कर्ष:

भारत-भूटान क्षेत्र के केंद्र में गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी (GMC) की स्थापना की भूटान की महत्त्वाकांक्षी योजना सतत् विकास के लिये एक साहसिक दृष्टिकोण को इंगित करती है। पर्यावरणीय कारकों और भू-राजनीतिक दबावों जैसी महत्त्वपूर्ण

नोट :

चुनौतियों के बावजूद, यह परियोजना आर्थिक विकास तथा कनेक्टिविटी की वृद्धि के लिये भूटान की आकांक्षाओं का प्रतीक है। इस प्रयास का समर्थन करने में भारत की महत्त्वपूर्ण भूमिका दोनों देशों के बीच गहरे संबंधों और क्षेत्रीय सहयोग की क्षमता को रेखांकित करती है। जबकि दोनों देश जटिल क्षेत्रीय गतिशीलता का सामना कर रहे हैं, गेलेफू परियोजना क्षेत्र में प्रगति एवं समृद्धि के लिये उनकी साझा प्रतिबद्धता के प्रमाण के रूप में खड़ी है।

■■■

AI: एक दोधारी तलवार

भारत में सात चरणों में प्रस्तावित आम चुनाव की घोषणा (जो 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक संपन्न होंगे) के परिप्रेक्ष्य में देखें तो राजनीतिक दलों और मतदाताओं द्वारा इस चुनाव से जुड़े कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence- AI) के आयाम की अनदेखी नहीं की जा सकती है। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष भारत, मैक्सिको, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के अलावा दुनिया भर के 50 अन्य देशों में भी चुनाव होने हैं।

AI की क्षमता पहले से ही स्पष्ट रही है। अमेरिका में OpenAI के सीईओ सैम ऑल्टमैन (Sam Altman) जैसे कई लोगों का मानना है कि यह इतिहास की सबसे महत्त्वपूर्ण प्रौद्योगिकी है। AI समर्थकों का यह भी मानना है कि AI लाखों मनुष्यों के जीवन स्तर को गति देने और इसमें नाटकीय सुधार लाने के लिये तैयार है। हालाँकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं है, जैसा कि कई लोग आशंका रखते हैं, कि AI मानवीय मूल्यों को कमज़ोर कर देगा और उन्नत AI 'अस्तित्व संबंधी जोखिम' उत्पन्न कर सकता है।

विश्व भर में चुनावों के लिये AI के निहितार्थ:

विश्व भर के चुनावों पर बड़े लैंग्वेज मॉडल्स (language models) की छाया मंडरा रही है और हितधारक इस बात से अवगत हैं कि AI-जनित दुष्प्रचार उपकरण की एक अपेक्षाकृत सफल तैनाती भी अभियान आख्यानों और चुनाव परिणामों दोनों को अत्यंत महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है।

- **AGI का उद्भव:**
  - AI में द्रुत तकनीकी प्रगति (विशेष रूप से इसकी नवीनतम अभिव्यक्ति, जैसे कि जेनरेटिव AI) में अपार संभावनाएँ to निहित हैं लेकिन इससे उत्तरदायित्व और जोखिम भी जुड़े हैं। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस (AGI)—एक AI सिस्टम जो मानवीय क्षमता का अनुकरण करता है, के संभावित प्रभाव पर अभी पूरी तरह से कुछ कहना जल्दबाजी हो सकती है, लेकिन यह सब चुनावी गतिशीलता के एक और आयाम का संकेत है जिसकी अनदेखी नहीं की जा सकती।
    - AI मॉडल के द्रुत विकास से पता चलता है कि विश्व मानव प्रगति के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण मोड़ पर है। जिस गति से नए कौशल का विकास हो रहा है, उससे स्पष्ट है कि वह दिन दूर नहीं जब जेनरेटिव AI AGI में बदल जाएगा, जो मानवीय क्षमताओं का अनुकरण कर सकता है।

AGI बनाम AI:

- **AGI वस्तुत: AI की एक उप-श्रेणी है और AGI को AI के उन्नत संस्करण के रूप में देखा जा सकता है:**
  - AI को प्राय: विशिष्ट कार्यों या एक ही संदर्भ तक सीमित कार्यों की शृंखला को पूरा करने के लिये डेटा पर प्रशिक्षित किया जाता है। AI के कई रूप अपने कार्यों को निर्देशित करने और एक निश्चित वातावरण में कार्य करने का तरीका सीखने के लिये एल्गोरिदम या प्री-प्रोग्राम्ड नियमों पर निर्भर होतेहैं।
  - दूसरी ओर, AGI तर्कसंगत सोच, समस्या-समाधान एवं निष्कर्ष देने में और नए वातावरण एवं विभिन्न प्रकार के डेटा के अनुकूल होने में सक्षम है। इसलिये कार्य करने के लिये पूर्व-निर्धारित नियमों पर निर्भर रहने के बजाय यह मानवों के समान समस्या-समाधान एवं अधिगम/लर्निंग के दृष्टिकोण को अपनाता है। अपने लचीलेपन के कारण, AGI विभिन्न उद्योगों और क्षेत्रों में वृहत कार्य संभालने में सक्षम है।
- **AIs : चुनावी व्यवहार में हेरफेर करने वाले 'गेम-चेंजर्स' के रूप में:**
  - वैश्विक समुदाय विभिन्न उद्योगों में ChatGPT, Gemini और Copilot जैसे AI मॉडल के उपयोग से तेज़ी से परिचित हो रहा है। वर्ष 2024 इस बात का साक्षी बनेगा कि नए AI मॉडल चुनावी व्यवहारों एवं परिणामों को किस प्रकार उल्लेखनीय रूप से प्रभावित कर सकते हैं।
    - चुनावी परिदृश्य पर AI के संभावित प्रभाव को कम आँकना एक गलती होगी। जो बात वर्ष 2024 में घटित नहीं होगी, वह भारत और विश्व भर में अगले दौर के चुनावों में घटित हो सकता है।
- **'डीप फेक इलेक्शन' को बढ़ावा:**
  - AI का उपयोग मतदाताओं को और अधिक भ्रमित करने के लिये पर्याप्त प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। जो परिदृश्य है, कई लोग पहले से ही दुनिया भर में वर्ष 2024 में होने वाले चुनावों को AI सॉफ्टवेयर द्वारा सृजित 'डीप फेक इलेक्शन' (Deep Fake Elections)' के रूप में संदर्भित कर रहे हैं।

नोट :

- यह बात पूरी तरह से सच हो या नहीं, 'डीप फेक सिंड्रोम' अपरिहार्य प्रतीत होता है, विशेष रूप से इस वस्तुस्थिति में कि प्रत्येक नया चुनाव प्रोपेगेंडा की नित्य नई तकनीकों का सहारा लेता है, जिसका उद्देश्य लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को भ्रमित करना और उलझाना होता है।

Fakes Around the World

ARGENTINA

Before the November 19, 2023 Argentina presidential election runoff, candidate Javier Milei posted a doctored image *(above)* of his rival Sergio Massa in Chinese communist military overalls. The allegedly AI-generated image got 3 mn views on X, a large number in a country of 46 mn. Milei is now Argentina's President.

INDIA

On January 21, 2024, the late M Karunanidhi 'told' a DMK youth wing meeting in Salem about the Centre's suppression of states' rights in an AI-generated video. Two days later, Karunanidhi, who died in 2018, appeared in another fake video *(screen-grab above)* and praised Chief Minister M K Stalin and DMK leader T R Baalu.

SLOVAKIA

In September 2023, before a key election, an audio surfaced online in which a top candidate was heard saying that he had bought the votes of a minority group, and that he would tax beer if voted to power. *AFP* fact checkers concluded that the audio was AI-generated. The candidate was eventually defeated.

- **दुष्प्रचार करना:**
  - विश्व आर्थिक मंच (WEF) का वैश्विक जोखिम धारणा सर्वेक्षण (Global Risks Perception Survey- GRPS) शीर्ष 10 जोखिमों में भ्रामक सूचना (misinformation) और दुष्प्रचार (disinformation) को स्थान देता है, जहाँ बड़े पैमाने के AI मॉडल के उपयोग में आसान इंटरफेस झूठी सूचना और 'सिंथेटिक' कंटेंट (परिष्कृत वॉइस क्लोनिंग से लेकर फेक वेबसाइटों तक) की वृद्धि को सक्षम बनाते हैं।

नोट :

- AI का उपयोग बड़े पैमाने पर वैयक्तिकृत प्रोपेगेंडा के साथ (जिसके समक्ष कैंब्रिज एनालिटिका स्कैंडल भी मामूली ही दिखेगा) मतदाताओं को लुभाने के लिये किया जा सकता है, क्योंकि AI मॉडल की प्रेरक क्षमता बॉट्स और ऑटोमेटेड सोशल मीडिया एकाउंट्स से बहुत अधिक बेहतर होगी जो आजकल दुष्प्रचार के प्रसार के आधारभूत साधन बन गए हैं।
- फेसबुक और ट्विटर जैसी सोशल मीडिया कंपनियों द्वारा अपने फैक्ट-चेकिंग कार्य और इलेक्शन इंटीग्रिटी टीमों में उल्लेखनीय कटौती करने से जोखिम और बढ़ गया है।

- **ऐसे मॉडलों में अंतर्निहित अशुद्धियाँ:**
  - Google से जुड़ी हाल की कई अशुद्धियों को मिला व्यापक प्रचार एक सामयिक अनुस्मारक है कि AI और AGI पर हर परिदृश्य में भरोसा नहीं किया जा सकता है। व्यक्तियों और शख्सियतों को गलत तरीके से, भ्रमित रूप से या अन्यथा प्रस्तुत करने के लिये भारत सहित दुनिया भर में Google AI मॉडल पर सार्वजनिक आक्रोश व्यक्त हुआ है। ये 'रन-अवे' AI के खतरों को भली-भांति उजागर करते हैं।
    - विसंगतियाँ एवं विश्वसनीयता की कमी कई AI मॉडलों पर हावी रहती हैं और समाज के लिये अंतर्निहित खतरे पैदा करती हैं। जैसे-जैसे इसकी क्षमता और उपयोग ज्यामितीय अनुपात में बढ़ता जाएगा, खतरे का स्तर भी बढ़ जाएगा।
- **AIs पर अति-निर्भरता:**
  - चूँकि दुनिया के देश अपनी चुनौतियों के समाधान के लिये AI समाधानों पर अपना भरोसा तेज़ी से बढ़ा रहे हैं, उस स्थिति को चिह्नित करना महत्त्वपूर्ण हो जाता है जिसे कई AI विशेषज्ञ AI के 'मतिभ्रम' (hallucinations) के रूप में वर्णित करते हैं।
  - विशेष रूप से AGI के संबंध में विशेषज्ञों का मानना है कि यह कभी-कभी नए मुद्दों को संबोधित करने के लिये सूचना को गढ़ता या 'फैब्रिकेट' करता है। ऐसे गढ़ंत या फैब्रिकेशन प्राय: संभाव्यतावादी (probabilistic) होते हैं और इन्हें स्वत: सटीक नहीं माना जा सकता। इन कारकों का निहितार्थ यह है कि विकास के इस चरण में AI सिस्टम पर अत्यधिक निर्भरता चुनौतियाँ पैदा कर सकती है।
- **अंतर्निहित प्रतिकूल क्षमताएँ:**
  - AI से संबद्ध विभिन्न अस्तित्वगत खतरों की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। इस दृष्टिकोण से संबद्ध खतरा डिजाइन एवं विकास में पूर्वाग्रह से उत्पन्न होने वाले खतरे से कहीं अधिक गंभीर है।
    - ऐसी वास्तविक चिंताएँ मौजूद हैं कि AI सिस्टम कई बार कुछ अंतर्निहित प्रतिकूल क्षमताओं को विकसित कर लेते हैं। इनके शमन के लिये अभी तक उपयुक्त अवधारणाएँ और विचार विकसित नहीं किये जा सके हैं।
  - प्रतिकूल क्षमताओं के प्रमुख प्रकार, जो अन्य अंतर्निहित कमज़ोरियों पर हावी हैं:
    - 'पॉइज़निंग' (Poisoning)—जो आम तौर पर प्रासंगिक अनुमान करने की AI मॉडल की क्षमता को कम कर देती है;
    - 'बैक डोरिंग' (Back Dooring)—जिसके कारण मॉडल गलत या हानिकारक परिणाम उत्पन्न करता है; और
    - 'इवेशन' (Evasion)—जिसमें एक मॉडल दुर्भावनापूर्ण या हानिकारक इनपुट को गलत तरीके से वर्गीकृत करता है, जिससे AI मॉडल की अपनी निर्धारित भूमिका निभाने की क्षमता कम हो जाती है।
- **प्रभावी विनियमन का अभाव:**
  - भारत को AI विनियमन में एक दुविधा का सामना करना पड़ रहा है। भारत सरकार स्वयं एक गैर-नियामक दृष्टिकोण और एक अधिक सतर्क दृष्टिकोण के बीच झूलती रही है, जहाँ उपयोगकर्ता हानि के शमन पर बल दिया गया है, जो दुरुपयोग के लिये उपजाऊ ज़मीन प्रदान करता है।
    - AI विनियमन के विरुद्ध तर्क नवाचार समर्थक रुख में निहित है, जहाँ नियामक उपायों के माध्यम से समाज में उनके विकास एवं एकीकरण को अवरुद्ध करने के बजाय AI प्रौद्योगिकियों की तीव्र उन्नति को बढ़ावा देने एवं अनुकूलित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।
- **दिग्गज AI प्लेटफॉर्मों द्वारा प्रभावी नियंत्रण का अभाव:**
  - अत्यंत लोकप्रिय विज़ुअल टूल रखने वाली जेनरेटिव AI कंपनियाँ उपयोगकर्ताओं को 'भ्रामक' तस्वीरें (इमेज) सृजित करने से रोकती हैं। हालाँकि, ब्रिटिश गैर-लाभकारी संस्था 'सेंटर फॉर काउंटरिंग डिजिटल हेट (CCDH)

नोट :

के शोधकर्ताओं ने चार सबसे बड़े AI प्लेटफॉर्म—Midjourney, OpenAI के ChatGPT Plus, Stability.ai के DreamStudio और Microsoft के Image Creator के परीक्षण में पाया कि वे 40% से अधिक बार चुनाव-संबंधी भ्रामक तस्वीरें बनाने में सफल रहे।

- एक सार्वजनिक डेटाबेस के अनुसार, Midjourney के उपयोगकर्ताओं ने ऐसी 'फेक' तस्वीरें बनाईं जहाँ राष्ट्रपति बाइडेन को इज़राइली प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को नकदी की गड्डी सौंपते हुए और ट्रम्प को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ गोल्फ खेलते हुए दिखाया गया।

चुनावों पर AI के प्रभाव से निपटने के लिये आवश्यक कदम:

- **वर्ष 2024 के चुनावों में AI के भ्रामक उपयोग से निपटने के लिये 'टेक एकॉर्ड':**
  - फ़रवरी 2024 में आयोजित म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में टेक दिग्गज एमेज़ॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसी 22 कंपनियों के साथ-साथ AI डेवलपर्स और सोशल प्लेटफॉर्मों ने टेक एकॉर्ड (Tech Accord) 2024 पर हस्ताक्षर किये, जहाँ कई देशों में चुनावों के इस वर्ष के दौरान लोकतंत्र के समक्ष मौजूद जोखिमों को संबोधित करने पर प्रतिबद्धता जताई गई। इसे निम्नलिखित सात प्रमुख लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिये सिद्धांतों और कार्यों के स्वैच्छिक ढाँचे के रूप में हस्ताक्षरित किया गया:
    - रोकथाम (Prevention): जानबूझकर उत्पन्न की जा रही भ्रामक AI चुनावी सामग्री (Deceptive AI Election Content) के जोखिमों को सीमित करने के लिये शोध करना, निवेश करना और/या उचित सावधानियाँ बरतना।
    - उद्गम (Provenance): जहाँ उचित और तकनीकी रूप से संभव हो, सामग्री/कंटेंट की उत्पत्ति की पहचान करने के लिये उद्गम संकेत (provenance signals) संलग्न करना।
    - पता लगाना (Detection): भ्रामक AI चुनावी सामग्री या प्रमाणित सामग्री का पता लगाने का प्रयास करना, जिसमें विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर उद्गम संकेतों को पढ़ने जैसे तरीके शामिल हैं।
    - उत्तरदायी सुरक्षा (Responsive Protection): भ्रामक AI चुनावी सामग्री के सृजन एवं प्रसार से जुड़ी घटनाओं पर त्वरित और आनुपातिक प्रतिक्रिया प्रदान करना।
    - मूल्यांकन (Evaluation): भ्रामक AI चुनावी सामग्री से निपटने के अनुभवों एवं परिणामों का मूल्यांकन करने और उनसे सीखने के लिये सामूहिक प्रयास करना।
    - सार्वजनिक जागरूकता (Public Awareness): जनता को मीडिया साक्षरता के सर्वोत्तम अभ्यासों (विशेष रूप से भ्रामक AI चुनावी सामग्री के संबंध में) और उन तरीकों जिनसे नागरिक स्वयं को इस सामग्री से भ्रम या धोखा खाने से बचा सकते हैं, के बारे में शिक्षित करने के लिये साझा प्रयासों में संलग्न होना।
    - प्रत्यास्थता (Resilience): सार्वजनिक चर्चा की सुरक्षा करने, लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अखंडता की रक्षा करने और भ्रामक AI चुनावी सामग्री के उपयोग के विरुद्ध समग्र समाज के स्तर पर प्रत्यास्थता में मदद करने के लिये AI साक्षरता एवं अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम, AI-आधारित समाधान (जहाँ उपयुक्त हो वहाँ ओपन-सोर्स टूल सहित) या प्रासंगिक सुविधाओं जैसे रक्षात्मक उपकरण एवं संसाधन विकसित करने तथा इन्हें उपलब्ध कराने के प्रयासों का समर्थन करना।
- **जोखिमों को कम करने के लिये प्रौद्योगिकी का विकास और कार्यान्वयन:**
  - वास्तविक AI-जनित छवियों की पहचान करने और/या सामग्री एवं उसके उद्गम की सत्यता प्रमाणित करने के रूप में भ्रामक AI चुनावी सामग्री से उत्पन्न होने वाले जोखिमों को कम करने के लिये तकनीकी नवाचारों के विकास का समर्थन करना, जहाँ यह समझ भी मौजूद हो कि ऐसे सभी समाधानों की अपनी सीमाएँ हैं।
  - ऑडियो, वीडियो और इमेज के लिये नई उद्गम प्रौद्योगिकी नवाचारों को आगे बढ़ाने में निवेश जारी रखना।
  - टेक एकॉर्ड के दायरे में आने वाले मॉडल पर उपयोगकर्ताओं द्वारा उत्पन्न वास्तविक AI-जनरेटेड ऑडियो, वीडियो एवं इमेज सामग्री के लिये मशीन-पठनीय जानकारी को उचित रूप से संलग्न करने की दिशा में कार्य करना।

नोट :

- **भ्रामक AI चुनावी सामग्री को उपयुक्त रूप से संबोधित करना:**
  - ऑनलाइन वितरण प्लेटफॉर्मों पर होस्ट की गई और सार्वजनिक वितरण के लिये लक्षित भ्रामक AI चुनावी सामग्री को स्वतंत्र अभिव्यक्ति एवं सुरक्षा के सिद्धांतों के अनुरूप उपयुक्त रूप से संबोधित करने का प्रयास करना।
  - इसमें नीतियों को अपनाना और प्रकाशित करना तथा यथार्थवादी AI-जनरेटेड ऑडियो, वीडियो या इमेज सामग्री पर प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने के लिये कार्य करना शामिल हो सकता है।
- **वैश्विक नागरिक समाज के साथ संलग्नता:**
  - वैश्विक नागरिक समाज संगठनों, शिक्षाविदों और अन्य प्रासंगिक विषय विशेषज्ञों के विविध समूह के साथ पहले से स्थापित चैनलों या आयोजनों के माध्यम से संलग्नता बनाए रखना, ताकि कंपनियों की वैश्विक जोखिम परिदृश्य के बारे में समझ को उनकी प्रौद्योगिकियों, टूल्स के स्वतंत्र विकास और वर्णित पहलों के एक भाग के रूप में सूचना-संपन्न किया जा सके।
- **जन जागरूकता को बढ़ावा देना:**
  - हेरफेर उपकरण, इंटरफ़ेस या प्रक्रियाओं के माध्यम से हो सकता है जो उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन देखी गई सामग्री की तुलना में सामग्री के बारे में अधिक उपयोगी संदर्भ प्रदान कर सकते हैं; इन जोखिमों को कम करने का प्रयास करने वाले अन्य लोगों का समर्थन करने के लिये ओपन सोर्स टूल विकसित एवं जारी किये जा सकते हैं अथवा इन जोखिमों पर प्रतिक्रिया से संलग्न संगठनों एवं समुदायों के कार्य का समर्थन किया जा सकता है।
  - भ्रामक AI चुनावी सामग्री के संबंध में सार्वजनिक जागरूकता और समग्र समाज के स्तर पर प्रत्यास्थता को बढ़ावा देने के प्रयासों का समर्थन करना। उदाहरण के लिये, जोखिमों के संबंधों में आम लोगों को जागरूक करने के लिये शिक्षा अभियानों एवं अन्य प्रयासों से उन्हें ऐसी सामग्री से भ्रम या धोखा खाने से बचने में सक्षम बनाया जा सकता है।

AI से संबंधित भारत की प्रमुख पहलें:

- INDIAai
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी (Global Partnership on Artificial Intelligence-GPAI)
- यूएस-भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता पहल (US India Artificial Intelligence Initiative)
- युवाओं के लिये उत्तरदायी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Responsible Artificial Intelligence for Youth)
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च, एनालिटिक्स एंड नॉलेज एसिमिलेशन प्लेटफॉर्म (Artificial Intelligence Research, Analytics and Knowledge Assimilation Platform)
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता मिशन (Artificial Intelligence Mission)

निष्कर्ष:

AI की तीव्र प्रगति मानव प्रगति में एक महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो संभावित रूप से जेनरेटिव AI को उस AGI में रूपांतरित करने की ओर ले जाती है जो मानव क्षमताओं का अनुकरण करने में सक्षम है। जब विश्व, भारत एवं कई अन्य देशों सहित, वर्ष 2024 में विभिन्न चुनावों के आयोजन के लिये तैयारी कर रहा है, चुनावी गतिशीलता पर AI के निहितार्थ की उपेक्षा नहीं की जा सकती है।

AI का उपयोग, विशेष रूप से जेनेरेटिव AI जैसे इसके नवीनतम रूप, चुनावी व्यवहार और परिणामों को आकार देने के लिये अवसर एवं चुनौतियाँ दोनों पैदा करता है। AI के प्रभाव में वृद्धि के साथ, विशेष रूप से लोकतांत्रिक चुनावों के विषय में, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की सुरक्षा एवं चुनावी प्रणालियों की अखंडता को बनाए रखने के लिये इसकी विघटनकारी क्षमता को संबोधित करना अपरिहार्य हो गया है।

■■■

MIRV प्रौद्योगिकी को अपनाना

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा 'मिशन दिव्यास्त्र' के तहत अग्नि-5 बैलिस्टिक मिसाइल का हालिया परीक्षण उल्लेखनीय रणनीतिक महत्त्व रखता है। 5,000 किलोमीटर से अधिक की मारक क्षमता वाली अग्नि-5 भारत की अब तक परीक्षण की गई सबसे लंबी दूरी की मिसाइल है। हालाँकि, इसका महत्त्व इसकी मारक क्षमता तक ही सीमित नहीं है और इसकी प्रभावशीलता भारत की परमाणु निवारक क्षमता के लिये एक महत्त्वपूर्ण क्षण है। MIRVs (Multiple Independently Targetable Re-entry Vehicles) के साथ इसके एकीकरण से यह प्रभावशीलता और बढ़ गई है।

मिशन दिव्यास्त्र:

- DRDO द्वारा मिशन दिव्यास्त्र का सफल प्रक्षेपण भारत की परमाणु क्षमताओं के लिये एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है।

नोट :

- यह 5,000 किलोमीटर की रेंज वाली घरेलू स्तर पर विकसित अग्नि-5 परमाणु मिसाइल के प्रथम उड़ान परीक्षण का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें MIRV प्रौद्योगिकी शामिल थी।
  - मिशन दिव्यास्त्र नामक यह उड़ान परीक्षण ओडिशा तट के डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया।
- यह प्रौद्योगिकी मिसाइल को एक ही प्रक्षेपण में विभिन्न स्थानों या एक ही स्थान पर कई स्फोटक शीर्ष या वारहेड्स (warheads) पहुँचाने में सक्षम बनाती है, जिसमें संभावित रूप से शत्रु की बैलिस्टिक मिसाइल सुरक्षा को भ्रमित करने के लिये प्रलोभन देना भी शामिल हैं ।

MIRV प्रौद्योगिकी:

- **परिचय:**
  - MIRV प्रौद्योगिकी की उत्पत्ति संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्ष 1970 में MIRVed इंटरकांटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) की तैनाती के साथ हुई।
  - MIRV एक मिसाइल को कई वारहेड्स (4-6) ले जाने की अनुमति देता है, जिनमें से प्रत्येक स्वतंत्र रूप से विभिन्न स्थानों को निशाना बनाने में सक्षम होते हैं।
  - MIRV प्रौद्योगिकी संलग्न हो सकने वाले संभावित लक्ष्यों की संख्या बढ़ाकर मिसाइल की प्रभावशीलता को बढ़ाती है।
  - MIRV को भूमि-आधारित प्लेटफॉर्मों और समुद्र-आधारित प्लेटफॉर्मों (जैसे कि पनडुब्बियों), दोनों से लॉन्च किया जा सकता है, जिससे उनके परिचालन लचीलेपन और सीमा (रेंज) का विस्तार होता है।
- **वैश्विक अंगीकरण और प्रसार:**
  - MIRV प्रौद्योगिकी रखने वाले देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्राँस, रूस, चीन और भारत जैसी प्रमुख परमाणु शक्तियाँ शामिल हैं, जबकि पाकिस्तान ने भी वर्ष 2017 में इस प्रौद्योगिकी (अबाबील मिसाइल) का परीक्षण किया था।
  - अग्नि-5 की परीक्षण उड़ान के साथ पहली बार भारत में MIRV प्रौद्योगिकी का परीक्षण किया गया, जिसका उद्देश्य एक ही प्रक्षेपण में विभिन्न स्थानों पर कई वारहेड्स की तैनाती करना है।
  - अग्नि-5 हथियार प्रणाली स्वदेशी वैमानिकी प्रणालियों (avionics systems) और हाई-एक्यूरेसी सेंसर पैकेजों से सुसज्जित है, जिसने यह सुनिश्चित हुआ है कि री-एंट्री वाहन वांछित परिशुद्धता के भीतर लक्ष्य बिंदुओं तक पहुँचें।

MIRV प्रौद्योगिकी का महत्त्व:

- **उपग्रहों को कक्षाओं में प्रक्षेपित करना:**
  - MIRV प्रौद्योगिकी का परीक्षण और विकास भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के वर्कहॉर्स रॉकेटों (जैसे PSLV, GSLV) पर उनके उनके वाणिज्यिक प्रक्षेपणों में किया गया, जहाँ एकल रॉकेट के प्रक्षेपण से कई उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करने का ध्येय रखा गया था।
- **हमलावर मिसाइल के लिये कई लक्ष्य विकल्प:**
  - MIRV-टिप्ड मिसाइल – जैसे कि अग्नि-IV या अग्नि-V – का प्रक्षेपण कई सामरिक एवं रणनीतिक लाभ प्रदान करता है। यह हमलावर मिसाइल (Attacker) को अधिक लक्ष्य विकल्प प्रदान करता है।

नोट :

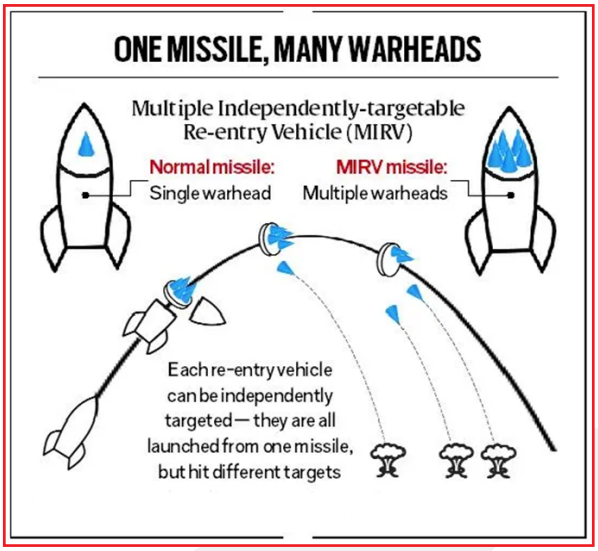

- रक्षक मिसाइल (Defender) को उन सभी का एक साथ बचाव करने के लिये विवश होना पड़ता है, जिससे उसकी मिसाइल-विरोधी सुरक्षा अधिक कार्य बोझ की शिकार होती है। MIRVed मिसाइलों लदे वारहेड्स को मिसाइल से अलग-अलग गति एवं अलग-अलग दिशाओं में छोड़ा जा सकता है।

- **वृहत परिचालनात्मक सीमा:**
  - MIRV प्रौद्योगिकी से लैस अग्नि-V मिसाइल में कई हथियारों को समायोजित करने के लिये एक री-डिज़ाइन किया गया नोज़ कोन (nose cone) होता है। इनकी 5000-5500 किलोमीटर की लक्ष्य सीमा को बनाए रखने के लिये पुराने एवं भारी उप-प्रणालियों को हल्के एवं अधिक विश्वसनीय उप-प्रणालियों से (जहाँ हल्के मिश्रित सामग्रियों से बने घटक शामिल थे) प्रतिस्थापित किया गया है।
    - हाइड्रोलिक से इलेक्ट्रो-मैकेनिकल एक्चुएटर्स (electro-mechanical actuators) की ओर आगे बढ़ने से न केवल हल्के घटकों के उपयोग के माध्यम से वजन कम होता है, बल्कि तेल भंडारण, रिसाव एवं एक संचायक (accumulator) की आवश्यकता जैसे मुद्दों का भी समाधान होता है। इसके अलावा, इलेक्ट्रो-मैकेनिकल एक्चुएटर्स अधिक भरोसेमंद होते हैं और रखरखाव में भी आसान होते हैं।
- **बैलिस्टिक मिसाइलों से बचना:**
  - MIRV से लैस मिसाइलों को एक साथ कई लक्ष्यों को वेधने की उनकी क्षमता और बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा को नाकाम करने में उनकी प्रभावशीलता के कारण आवश्यक माना जाता है।
  - चीन द्वारा HQ-19 जैसे भूमि-आधारित इंटरसेप्टर बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा के विकास से यह आवश्यकता और अधिक उजागर होती है।
    - माना जाता है कि HQ-19 में अग्नि इंटरमीडिएट-रेंज बैलिस्टिक मिसाइल (IRBM) के पुराने संस्करणों को रोकने की क्षमता होगी, विशेष रूप यदि अग्नि को एकल हथियार ले जाने के लिये कॉन्फ़िगर किया गया हो।
    - अब जब भारत ने अग्नि-5 को कई वारहेड्स के साथ एकीकृत कर लिया है तो चीन-भारत परमाणु निवारक संबंधों में अधिक संतुलन की बहाली हुई है।

MIRV प्रौद्योगिकी के अंगीकरण से संबद्ध विभिन्न चुनौतियाँ:

- **प्रतिद्वंद्वियों द्वारा अधिक आक्रामक मुद्रा अपनाने हेतु प्रेरित होना:**
  - रणनीतिक दृष्टि से यह लाभ इतना प्रकट नहीं है। रणनीतिक हलकों में इस बात के अच्छे सबूत और पर्याप्त चर्चा है कि MIRV मिसाइलों का होंना एक दोधारी तलवार जैसा है।
    - MIRVs एक ओर अधिक प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते प्रतीत होते हैं, दूसरी ओर, वे प्रतिद्वंद्वियों को अधिक आक्रामक परमाणु मुद्रा अपनाने के लिये प्रेरित करते हैं ताकि वे इस लाभ का मुकाबला कर सकें। इस प्रकार, MIRVs परमाणु संघर्ष के जोखिमों और सुरक्षा खतरों को बढ़ा सकते हैं।
- **अतिरिक्त विखंडनीय सामग्री की आवश्यकता:**
  - एक अधिक समस्याग्रस्त मुद्दा अतिरिक्त विखंडनीय सामग्री (मुख्य रूप से प्लूटोनियम) से संबंधित है जो नई MIRV मिसाइलों के लिये आवश्यक होगी। भारत पहले से ही प्लूटोनियमकी कमी का सामना कर रहा है जहाँ BARC ध्रुव रिएक्टर से पर्याप्त आपूर्ति प्राप्त नहीं हो रही जबकि इसके बिजली संयंत्रों से थोड़ी मात्रा में ही अपशिष्ट प्लूटोनियम प्राप्त होता है।
- **अत्यधिक मांगपूर्ण तकनीकी मानदंड:**
  - कठोर तकनीकी आवश्यकताओं के कारण MIRV-सक्षम बैलिस्टिक मिसाइलों का विकास करना उल्लेखनीय चुनौतियाँ रखता है। इनमें परमाणु हथियारों को छोटा बनाना, हथियारों के लिये हल्के वजन वाले 'रिसेप्टेकल्स' को

नोट :

सुनिश्चित करना और पोस्ट बूस्ट व्हीकल (PBV) से री-एंट्री वाहनों का सटीक कॉन्फ़िगरेशन एवं सेपरेशन शामिल है, जो संचालन-योग्य होना चाहिये।

- **वारहेड्स की संख्या के संबंध में भ्रम:**
  - MIRV मिसाइल के बारे में एक संदेह इसके द्वारा वहन किये जाने वाले वारहेड्स की संख्या को लेकर है, जिसके बारे में पूरी संभावना है कि यह सूचना 'वर्गीकृत' होगी। अटकलों के अनुसार, यह असंभव है कि यह तीन से अधिक वारहेड्स ले जा सकता है।
    - इसके अलावा, भारत द्वारा कम संख्या में परमाणु परीक्षण किये जाने के कारण परमाणु हथियारों की पैदावार सीमित होने की संभावना है। इसके साथ ही, यह स्पष्ट नहीं है कि अग्नि-5, विशेष रूप से मिसाइल की उड़ान के बूस्ट एवं मध्यवर्ती चरण के दौरान, डिकॉय और चाफ (decoys and chaff) ले जा सकता है या नहीं।

MIVR प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाने के लिये आवश्यक कदम:

- **भारत के परमाणु शस्त्रागार की प्रभावशीलता को बढ़ाना:**
  - भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग (AEC), विशेष रूप से भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC)—जो परमाणु उपकरणों के संबंध में मुख्य अनुसंधान एवं विकास (R&D) के लिये प्रत्यक्ष रूप से ज़िम्मेदार है, ने MIRV क्षमता के लिये पर्याप्त रूप से कॉम्पैक्ट परमाणु हथियार डिज़ाइन करने में अच्छा कार्य किया है।
    - हालाँकि भारत द्वारा लंबी दूरी के सबमेरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल (SLBM) के परीक्षण— जिसे MIRV के साथ एकीकृत भारत की परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियाँ लॉन्च कर सकती हैं, के साथ जब भारत अपने परमाणु शस्त्रागार की क्षमता बढ़ा रहा गई, तब DRDO एवं AEC की ओर से और अधिक योगदान की ज़रूरत है।
- **MIRV मिसाइलों का मार्गदर्शन और सटीकता बनाए रखना:**
  - मार्गदर्शन और सटीकता (Guidance and Accuracy) एक आवश्यकता है क्योंकि री-एंट्री वाहनों को वायुमंडलीय पुन: प्रवेश के दौरान 'स्पिन' को स्थिर करना पड़ता है। एक MIRV-आधारित मिसाइल केवल उन विभिन्न लक्ष्यों पर हमला कर सकती है जो इसके दायरे या भौगोलिक पदचिह्न के भीतर होंगे। भविष्य के परीक्षणों के साथ, भारत को इन मांगपूर्ण तकनीकी आवश्यकताओं को सटीक रूप से पूरा करना होगा।
    - भारत के परिदृश्य में, MIRV का विकास विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है क्योंकि देश के मिसाइल एवं परमाणु इंजीनियरों को उल्लेखनीय चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। MIRV मिसाइलों में मार्गदर्शन और सटीकता का योग इसे महत्त्वपूर्ण वृद्धि प्रदान करेगा, साथ ही इसकी मारक क्षमता को 10,000 किलोमीटर तक बढ़ाएगा।
- **पर्याप्त परमाणु परीक्षण सुनिश्चित करना:**
  - भारत द्वारा अपर्याप्त परमाणु परीक्षण वारहेड्स को छोटा बना सकने और कई लक्ष्यों को वेधने के लिये उन्हें MIRV से लैस करने की क्षमता को सीमित करता है।
  - पर्याप्त परीक्षण की कमी ने उस सीमा को भी कम कर दिया, जिस सीमा तक री-एंट्री वाहनों को हथियार ले जाने के लिये डिज़ाइन किया जा सकता था। इसलिये, एक पूर्ण प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिये पर्याप्त परमाणु परीक्षण अनिवार्य हो जाता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय समझौते:**
  - MIRV प्रौद्योगिकी की उन्नति एवं तैनाती की निगरानी के लिये समझौतों और संधियों की स्थापना कर वैश्विक आशंकाओं का समाधान किया जाना चाहिये।
  - इसमें चीन द्वारा उत्पन्न उभरती चिंताओं और खतरों का हवाला देते हुए मित्र राष्ट्रों से विखंडनीय सामग्री प्राप्त करने के लिये मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (MTCR) और 'वासेनार अरेंजमेंट' से परे भी विकल्प तलाशना शामिल है।

निष्कर्ष:

MIRVs से सुसज्जित अग्नि-5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण भारत की परमाणु निवारक क्षमताओं के लिये एक महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह प्रगति भारत की रणनीतिक स्थिति को, विशेष रूप से चीन के परमाणु एवं मिसाइल कार्यक्रमों से उत्पन्न चुनौतियों के जवाब में, सुदृढ़ करती है। यह उपलब्धि अतीत की चुनौतियों पर काबू पाने में भारत की प्रौद्योगिकीय शक्ति एवं प्रत्यास्थता को भी रेखांकित करती है। लंबी दूरी के SLBM के संभावित विकास सहित मिसाइल प्रौद्योगिकी में भारत की निरंतर प्रगति एक विश्वसनीय परमाणु शक्ति के रूप में इसकी स्थिति को और सुदृढ़ करेगी।

■■■

नेबरहुड फर्स्ट नीति पर पुनर्विचार

अपने पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देना भारत की विदेश नीति का केंद्रीय सिद्धांत रहा है। भारत के लिये एशिया और विश्व स्तर पर अपना प्रभाव बढ़ाने के लिये उपमहाद्वीप में अपने निकटतम क्षेत्र को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना महत्त्वपूर्ण है। पड़ोसी देशों में बार-बार उत्पन्न राजनीतिक या आर्थिक चुनौतियाँ प्राय: भारत के फोकस को पुन: उपमहाद्वीप की ओर ले आती हैं, जिससे व्यापक क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों को संबोधित करने की उसकी क्षमता सीमित हो जाती है।

पड़ोसी देशों के बीच वैश्विक और आंतरिक राजनीतिक एवं आर्थिक परिदृश्य में हालिया बदलाव के साथ, भारत के पास अपनी 'नेबरहुड फर्स्ट नीति' (Neighbourhood First Policy- NFP) को सबल बनाने का एक नया अवसर उत्पन्न हुआ है जिसका उसे पूरा लाभ उठाना चाहिये। यदि भारत इस भूभाग में चीन की चालबाज़ी का मुक़ाबला करना चाहता है तो भूटान के साथ उसके संबंधों में देखी गई गर्मजोशी और निकटता को संपूर्ण निकटतम एवं विस्तारित पड़ोस तक बढ़ाया जाना चाहिये ।

नोट :

भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति:

वर्ष 1947 से ही नेबरहुड फर्स्ट नीति अपने सार में भारत की विदेश नीति का एक महत्त्वपूर्ण अंग रही है, जो निकटतम पड़ोसी देशों के साथ सुदृढ़ संबंध का निर्माण करने, क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और साझा मुद्दों को संबोधित करने पर केंद्रित है।

- **परिचय:**
  - नेबरहुड फर्स्ट नीति की अवधारणा वर्ष 2008 में अस्तित्व में आई। भारत अपनी नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत सभी पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण एवं पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंध विकसित करने के लिये प्रतिबद्ध है। भारत एक सक्रिय विकास भागीदार है और इन पड़ोसी देशों में कई परियोजनाओं के क्रियान्वयन से संलग्न रहा है।
  - पड़ोसी देशों के साथ संलग्नता का भारत का दृष्टिकोण परामर्श, गैर-पारस्परिकता और ठोस परिणाम प्राप्त करने पर केंद्रित रहा है। यह दृष्टिकोण कनेक्टिविटी, आधारभूत संरचना, विकास सहयोग, सुरक्षा और लोगों के बीच बेहतर संपर्क को बढ़ावा देने को प्राथमिकता देता है।
- **भारत का पड़ोस:**
  - निकटतम पड़ोस:
    - भारत दक्षिण एशियाई क्षेत्र में अपने निकटतम पड़ोसियों के साथ भौगोलिक भूमि एवं समुद्री सीमाएँ साझा करता है। इन देशों में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं।
    - भारत इन देशों के साथ सभ्यतागत संबंध साझा करता है, जो साझा इतिहास, संस्कृति और लोगों के परस्पर व्यापक संपर्कों से चिह्नित होता है।
  - विस्तारित पड़ोस:
    - विस्तारित पड़ोस में वे देश शामिल हैं जो भौगोलिक रूप से तो भारत से कुछ दूर अवस्थित हैं, जैसे कि हिंद महासागर क्षेत्र, दक्षिण-पूर्व एशिया या पश्चिम एशिया के देश, लेकिन भारत के साथ उल्लेखनीय राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं रणनीतिक संबंध रखते हैं।

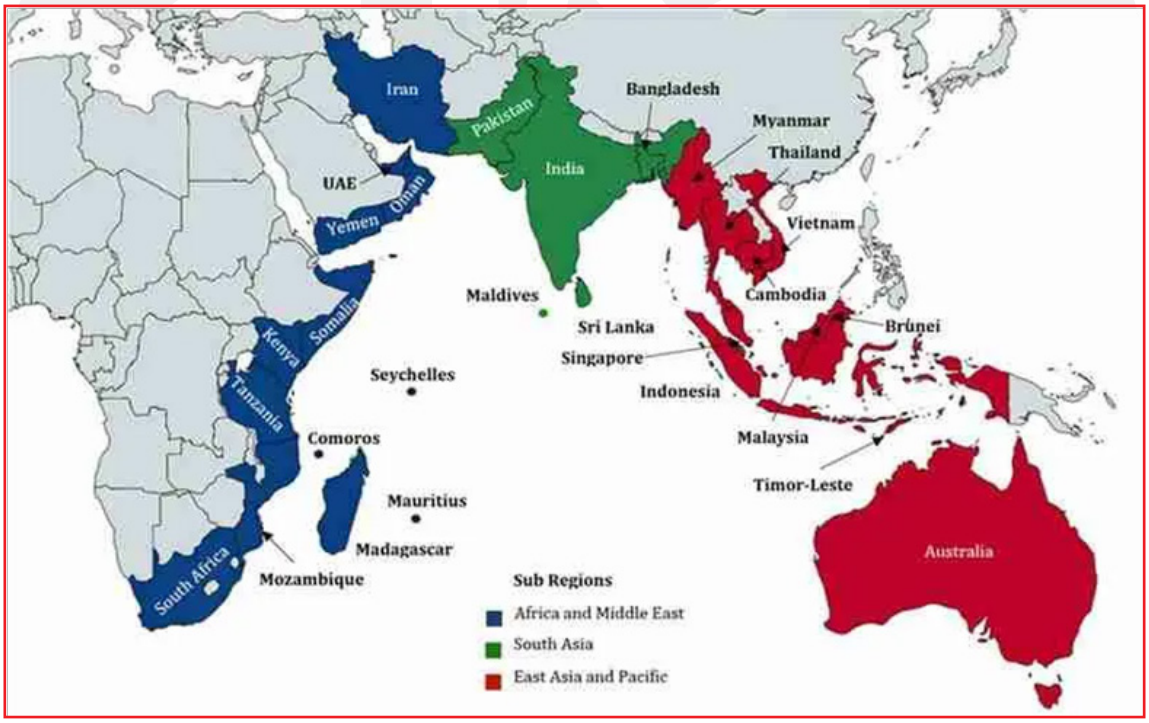

- **उद्देश्य:**
  - कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना:
    - भारत ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) के सदस्यों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं। ये समझौते सीमाओं के पार संसाधन, ऊर्जा, माल, श्रम और सूचना का मुक्त प्रवाह सुनिश्चित करते हैं।

नोट :

- पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में सुधार लाना:
  - निकटतम पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में सुधार को प्राथमिकता दी गई है क्योंकि विकास के एजेंडे को साकार करने के लिये दक्षिण एशिया में शांति आवश्यक है।
  - यह पड़ोसी देशों के साथ संलग्न होने और संवाद के माध्यम से राजनीतिक संपर्क बनाने के रूप में सशक्त क्षेत्रीय कूटनीति पर केंद्रित है।
- आर्थिक सहयोग:
  - यह पड़ोसी देशों के साथ व्यापार संबंधों को बढ़ाने पर केंद्रित है। भारत ने क्षेत्र में विकास के एक माध्यम के रूप में 'सार्क' में भागीदारी की है और पर्याप्त निवेश किया है।
  - ऐसा ही एक उदाहरण ऊर्जा विकास (मोटर वाहन, जलशक्ति प्रबंधन और इंटर-ग्रिड कनेक्टिविटी) के लिये बांग्लादेश-भूटान-भारत-नेपाल (BBIN) समूह का गठन है।

भारत के लिये नेबरहुड फर्स्ट नीति का महत्त्व:

- **चीनी प्रभाव का मुक़ाबला करना:**
  - पड़ोसी देशों के साथ सहयोग हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में चीनी प्रभाव का मुक़ाबला करने में भारत के रणनीतिक हितों की पूर्ति करता है। यह सहयोग क्षेत्र में 'शुद्ध सुरक्षा प्रदाता' बनने की भारत की आकांक्षा के अनुरूप है, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता एवं सुरक्षा बढ़ेगी।
- **बहुपक्षीय मंचों पर समर्थन:**
  - UNSC, WTO और IMF जैसे विभिन्न बहुपक्षीय मंचों पर 'ग्लोबल साउथ' के प्रतिनिधि के रूप में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका के लिये पड़ोसी भागीदारों के साथ सहयोग आवश्यक है।
  - भारत बहुपक्षीय मंचों पर संलग्नता के माध्यम से द्विपक्षीय संबंधों में एक क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय आयाम पेश करता है, जिससे क्षेत्र की गहरी समझ को बढ़ावा मिलता है।
- **क्षेत्रीय अखंडता सुनिश्चित करना:**
  - क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने और अलगाववादी खतरों से निपटने के भारत के प्रयासों के लिये पड़ोसी देशों का सहयोग महत्त्वपूर्ण है।
  - उदाहरण के लिये, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद को संबोधित करने के लिये म्यांमार के साथ सहयोग महत्त्वपूर्ण है, जो संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता के लिये पारस्परिक सम्मान के महत्त्व को उजागर करता है।
- **समुद्री सुरक्षा बढ़ाना:**
  - समुद्री सुरक्षा को सशक्त करने के लिये मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों के साथ प्रभावी सहयोग आवश्यक है।
  - समुद्री क्षेत्र में खतरों के प्रति संवेदनशीलता को देखते हुए, इस तरह का सहयोग भारत को अपने जल क्षेत्र की प्रभावी ढंग से निगरानी करने और आतंकवाद जैसी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों का मुक़ाबला करने में सक्षम बनाता है।
- **ऊर्जा सुरक्षा को संबोधित करना:**
  - नेपाल एवं भूटान जैसे उत्तरी पड़ोसियों के साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के साथ सहयोग भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये महत्त्वपूर्ण है।
  - चूँकि भारत के तेल एवं गैस आयात का एक बड़ा भाग समुद्री मार्गों से होकर गुज़रता है, ऊर्जा आपूर्ति में किसी व्यवधान पर रोक के लिये पड़ोसी देशों के साथ सहयोग अपरिहार्य है।
- **विकास की कमी को दूर करना:**
  - पड़ोसी देशों के साथ सक्रिय संलग्नता से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के विकास में भी मदद मिलती है।
  - उदाहरण के लिये, पूर्वोत्तर भारत में माल के पारगमन और ट्रांस-शिपमेंट के लिये बांग्लादेश द्वारा अपने बंदरगाहों के उपयोग की मंज़ूरी देना विकास अंतराल को दूर करने के लिये क्षेत्रीय सहयोग की क्षमता को उजागर करता है।
- **'सॉफ्ट पावर' कूटनीति का लाभ उठाना:**
  - पड़ोसी देशों के साथ भारत के समृद्ध सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक संबंध इसकी 'सॉफ्ट पावर' कूटनीति की आधारशिला के रूप में कार्य करते हैं। सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने और साझा विरासत पर बल देने के रूप में भारत लोगों के परस्पर संबंधों को सुदृढ़ करता है और क्षेत्र में अपने प्रभाव की वृद्धि करता है। यह राजनयिक संबंधों को सुदृढ़ करने में सॉफ्ट पावर कूटनीति की क्षमता का परिचायक है।

भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति के लिये भारत-भूटान संबंधों से प्राप्त अनुभव:

- **परस्पर सम्मान एवं समन्वय:**
  - दोनों राष्ट्र एक-दूसरे को बराबरी से देखते हैं, एक-दूसरे के साथ अत्यंत सम्मान का व्यवहार करते हैं और लंबे समय से यह मानते रहे हैं कि आकार (क्षेत्रफल, जनसंख्या के संदर्भ में) वास्तव में दो संप्रभु राष्ट्रों के बीच संबंधों में कोई भूमिका नहीं रखता है।

नोट :

- इस प्रकार, भारत ने भूटानी अस्मिता, भूटान की अनूठी धार्मिक प्रथाओं और अपनी जीवन शैली को बनाये रखते हुए आर्थिक रूप से समृद्ध होने की उसकी इच्छा का लगातार सम्मान किया है।
  - दूसरी ओर, भूटान को लंबे समय से यह भरोसा रहा है कि उसके दक्षिणी पड़ोस (भारत) से उसकी संप्रभुता या अस्मिता को कोई वास्तविक खतरा नहीं है। इसने अपनी वृद्धि, विकास और समृद्धि में सहायता के लिये भारत की ओर हाथ आगे बढ़ा रखा है।

- **सतत् परियोजना- गेलेफू में सहयोग:**
  - विदेशी निवेश को आकर्षित करने और भूटान की समृद्धि को आगे बढ़ाने के लिये गेलेफू को एक विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) की तरह विकसित करने की योजना है। स्वाभाविक रूप से, भारत (और उसकी व्यावसायिक इकाइयों) से इस प्रयास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद की जा रही है।
  - इसके साथ ही, 'गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी' (GMC) का उद्देश्य संवहनीयता, कल्याण और पर्यावरण संबंधी चिंताओं को सबसे आगे रखना है। ऐसी परियोजना से भूटान के लोगों को उच्च आय स्तर तक ले जाने की उम्मीद है, साथ ही कार्बन नकारात्मक देश के रूप में भूटान पर इसके प्रभाव के बारे में किसी भी चिंता को दूर किया जा सकेगा।

- **लगातार और नियमित संवाद:**
  - यह सामान्य समझ है कि किसी भी संबंध को—चाहे वह दो व्यक्तियों के बीच हो या दो देशों के बीच—निरंतर परिपालन, नियमित संवाद और बहुत अधिक देखभाल एवं सहयोग की आवश्यकता होती है।
    - भूटान और भारत के प्रधानमंत्रियों की एक-दूसरे के देशों की लगातार यात्राएँ दोनों सरकारों द्वारा संबंधों पर दिये जा रहे गंभीर ध्यान को उजागर करती हैं।
    - यह भारत-भूटान संबंधों की निरंतर वृद्धि एवं विकास के लिये एक अच्छा संकेत है। यह भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति दृष्टिकोण का प्रतीक है।

- **जलविद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग:**
  - जलविद्युत सहयोग भूटान के साथ भारत के संबंधों का प्रमुख आधार है। दोनों देशों की सरकारों द्वारा कई सहकारी पनबिजली परियोजनाओं (जैसे 1,020 मेगावाट क्षमता की ताला पनबिजली परियोजना) को क्रियान्वित किया गया है, जो भारत को स्वच्छ बिजली की आपूर्ति करती है और थिम्पू को राजस्व का एक नियमित प्रवाह प्रदान करती है, जिसके कारण भूटान अल्प-विकसित देशों की श्रेणी से बाहर आ गया है।
    - विलंबित पुनात्सांगचू-II जलविद्युत परियोजना (Punatsangchhu-II hydropower project) के वर्ष 2024 में पूरा होने की उम्मीद है, जो जलविद्युत के क्षेत्र में सहयोग के सरकार-सरकार मॉडल का एक और सफल उदाहरण है।

- **भारत की विकास सहायता:**
  - भारत भूटान के लिये एक प्रमुख विकास सहायता भागीदार भी रहा है और हाल ही में समाप्त हुई उसकी 12वीं पंचवर्षीय योजना में 5,000 करोड़ रुपये का योगदान दिया है।
  - विकास सहायता की इस प्रक्रिया में महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि भारत केवल उन परियोजनाओं पर कार्य शुरू नहीं करता जो उसके लिये लाभकारी हैं, बल्कि भूटानी लोगों की प्राथमिकताओं पर भी गंभीर ध्यान देता है ताकि उनके लिये प्रत्यक्ष लाभकारी परियोजनाओं का निर्माण किया जा सके।

नेबरहुड फर्स्ट नीति से संबद्ध प्रमुख चुनौतियाँ:

- **निकटतम बनाम विस्तारित पड़ोस:**
  - कई विशेषज्ञों का तर्क है कि पड़ोसी देशों के प्रति भारत का दृष्टिकोण मौजूदा संबंधों को आकार देने के बजाय उन्हें प्रबंधित करने के बारे में अधिक रहा है। स्पष्ट नीति ढाँचे की इस कमी ने क्षेत्रीय नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न की है।
  - भारत के निकटतम एवं विस्तारित पड़ोसी देशों दोनों पर दोहरे फोकस ने दक्षिण एशियाई पड़ोसी देशों पर स्पष्ट एवं एकल रूप से बल देने में बाधा उत्पन्न की है , जिससे अपूर्ण लक्ष्य और अनिश्चित परिणाम की स्थिति बनी है।

- **द्विपक्षीय संबंधों में चुनौतियाँ:**
  - क्षेत्र के कुछ देशों के बीच तनावपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों ने क्षेत्रीय नीतियों को लागू करने में उल्लेखनीय चुनौतियाँ उत्पन्न की हैं। उदाहरण के लिये, पिछले सार्क शिखर सम्मेलन में तीन प्रस्तावित समझौतों में से केवल एक पर हस्ताक्षर किये गए क्योंकि पाकिस्तान द्वारा अन्य दो पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया गया था।

- **सुरक्षा संबंधी चिंताएँ:**
  - पारगम्य सीमाओं का अस्तित्व, पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों से समर्थन और क्षेत्र में उग्रवाद का उदय भारत के अंदर आतंकवादी गतिविधियों के उद्भव में योगदान देता है। इसके

नोट :

अतिरिक्त, 'गोल्डन ट्राइएंगल' और 'गोल्डन क्रिसेंट' से भारत की निकटता इसकी नशीली दवाओं की तस्करी संबंधी समस्याओं को बढ़ाती है।

- **चीन की OBOR पहल का प्रभाव:**
  - वन बेल्ट वन रोड (OBOR) पहल के कारण सार्क देशों के साथ चीन का व्यापार तेज़ी से बढ़ा है। श्रीलंका, मालदीव और नेपाल जैसे भारत के पड़ोसियों ने वैकल्पिक साझेदारी की तलाश में कई बार भारत के विरुद्ध 'चाइनीज़ कार्ड' का इस्तेमाल किया है।
- **असमान व्यवहार की धारणाएँ:**
  - भारत के पड़ोसी देशों को प्राय: यह महसूस होता रहा है कि भारत उनके साथ बराबरी का व्यवहार नहीं करता है। बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव जैसे देशों में भारत की सैन्य भागीदारी को अभी भी क्षेत्रीय आशंकाओं के प्रमाण के रूप में देखा जाता है।
- **कमज़ोर अवसंरचना का प्रभाव:**
  - सीमावर्ती क्षेत्रों में कमज़ोर अवसंरचना मुक्त व्यापार और निवेश सौदों के प्रभाव को सीमित कर देती है। उदाहरण के लिये, 1960 के दशक में भारत और पूर्वी पाकिस्तान के बीच आज के बांग्लादेश की तुलना में अधिक रेलवे संपर्क मौजूद थे।
- **घरेलू-राजनीतिक पहलू:**
  - भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति प्राय: घरेलू राजनीतिक कारकों एवं जातीय पहलुओं से प्रभावित होती रही है। उदाहरण के लिये, बांग्लादेश के साथ तीस्ता जल समझौते में पश्चिम बंगाल के विरोध के कारण देरी हुई और श्रीलंकाई तमिल संघर्ष के लिये समर्थन जातीय संबंधों से प्रेरित था।
- **भारत की ऋण सहायता के कार्यान्वयन की चुनौतियाँ:**
  - हालाँकि पड़ोसी देशों के लिये भारत की लाइन ऑफ क्रेडिट (LOC) परियोजनाओं में व्यापक वृद्धि हुई है, लेकिन उनके कार्यान्वयन में देरी हो रही है। इससे निराशा एवं अविश्वास की स्थिति बन सकती है और क्षेत्र में भारत के प्रभाव में कमी आ सकती है।
  - इसके अतिरिक्त, प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रति क्षेत्र की संवेदनशीलता विकास प्रयासों के लिये अन्य महत्त्वपूर्ण चुनौतियाँ खड़ी करती हैं।

भारत के NFP को और अधिक प्रभावी बनाने के लिये सुझाव:

विदेश मामलों की स्थायी समिति ने जुलाई 2023 में भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति पर अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसमें नीति को अधिक प्रभावी बनाने के लिये निम्नलिखित प्रमुख टिप्पणियाँ और अनुशंसाएँ शामिल हैं:

- **आतंकवाद और अवैध प्रवासन:**
  - पिछले तीस वर्षों में भारत को अपने पड़ोसी देशों से खतरों, तनाव और संभावित आतंकवादी हमलों का सामना करना पड़ा है। अवैध प्रवासन, हथियार तस्करी और मादक पदार्थों की तस्करी जैसी चुनौतियाँ उन्नत सीमा सुरक्षा अवसंरचना की आवश्यकता को उजागर करती हैं।
  - समिति ने अवैध प्रवासन के परिणामस्वरूप हो रहे जनसांख्यिकीय बदलावों की निगरानी करने का सुझाव दिया है और इस मुद्दे से निपटने के लिये विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय एवं राज्य सरकारों के बीच घनिष्ठ सहयोग की वकालत की है।
- **चीन और पाकिस्तान के साथ संबंध:**
  - चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध विवादास्पद मुद्दों से ग्रस्त रहे हैं, जिनमें पाकिस्तान से उत्पन्न आतंकवाद चिंता का एक प्रमुख विषय है। समिति ने आतंकवाद को बढ़ावा देने में पाकिस्तान की भूमिका के बारे में क्षेत्रीय और बहुपक्षीय संगठनों को सुग्राही बनाने के लिये उनके साथ संलग्नता की सिफ़ारिश की है।
  - नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत आतंकवाद से मुक़ाबले के लिये एक साझा मंच स्थापित करने का प्रयास किया जाना चाहिये। समिति ने यह भी अनुशंसा की है कि भारत सरकार को पाकिस्तान के साथ आर्थिक संबंध स्थापित करने चाहिये।
- **सीमा अवसंरचना में निवेश:**
  - समिति ने भारत के सीमावर्ती अवसंरचना में कमी और सीमावर्ती क्षेत्रों को स्थिर एवं विकसित करने की आवश्यकता पर भी ध्यान केंद्रित किया। पड़ोसी देशों से संलग्नता के लिये सीमा पार सड़कों, रेलवे और अंतर्देशीय जलमार्ग एवं बंदरगाहों जैसे कनेक्टिविटी अवसंरचना में सुधार की आवश्यकता जताई गई।
  - समिति ने क्षेत्रीय ढाँचे के तहत कनेक्टिविटी अवसंरचना के लिये एक क्षेत्रीय विकास निधि (regional development fund) स्थापित करने की व्यवहार्यता तलाशने की सिफ़ारिश की।
- **भारत की ऋण सहायता परियोजनाओं की निगरानी करना:**
  - पड़ोसी देशों के लिये भारत की ऋण सहायता या लाइन

नोट :

ऑफ क्रेडिट वर्ष 2014 में 3.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2020 में 14.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई। समिति ने यह भी दर्ज किया कि भारत का 50% वैश्विक नरम ऋण (global soft lending) इसके पड़ोसी देशों को जाता है।

- इसने विदेश मंत्रालय को नियमित निगरानी के माध्यम से ऐसी LOC परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिये प्रभावी कदम उठाने की अनुशंसा की। संयुक्त परियोजना निगरानी समितियों और निरीक्षण तंत्र को सशक्त कर पड़ोसी देशों में विकास परियोजनाओं को निश्चित समयसीमा में पूरा किया जाना चाहिये।

- **रक्षा और समुद्री सुरक्षा:**
  - रक्षा सहयोग भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों की कुंजी है । मालदीव, म्यांमार और नेपाल जैसे विभिन्न देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किये जाते हैं।
  - समिति ने अनुशंसा की है कि मंत्रालय को भारत के विस्तारित पड़ोस में समुद्री डोमेन जागरूकता बढ़ाने के लिये पहल करनी चाहिये।
- **पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास:**
  - भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति (Act East policy) एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अपने विस्तारित पड़ोस पर केंद्रित है। भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र कई पड़ोसी देशों के साथ भूमि सीमा साझा करता है।
    - पूर्वोत्तर राज्यों का आर्थिक विकास नेबरहुड फर्स्ट नीति और एक्ट ईस्ट नीति की सफलता का अभिन्न अंग है।
  - समिति ने मंत्रालय से इन दोनों नीतियों के बीच तालमेल बनाए रखने की सिफ़ारिश की। इससे पूर्वोत्तर क्षेत्र की कनेक्टिविटी, आर्थिक विकास और सुरक्षा में सुधार लाने में मदद मिल सकती है।
- **पर्यटन का संवर्द्धन:**
  - वर्ष 2020 से भारत मालदीव जैसे दक्षिण एशियाई देशों में पर्यटक आगमन का सबसे बड़ा स्रोत रहा है। बांग्लादेश से बड़ी संख्या में पर्यटक चिकित्सा उपचार के लिये भारत आते रहे हैं।
  - कई भारतीय धार्मिक पर्यटन के लिये नेपाल जाते हैं। समिति ने नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत पर्यटन क्षेत्र में (चिकित्सा पर्यटन सहित) निवेश को बढ़ावा देने की सिफ़ारिश की।
- **बहुपक्षीय संगठन:**
  - पड़ोसी देशों के साथ भारत की संलग्नता बहुपक्षीय और क्षेत्रीय तंत्रों द्वारा संचालित है। इसमें सार्क और बिम्सटेक जैसे संगठन शामिल हैं।
  - समिति ने माना कि नेबरहुड फर्स्ट नीति का प्रभाव ज़मीनी स्तर पर व्यापक रूप से अनुभव किया जाना चाहिये। इसके लिये संस्थागत और बहुपक्षीय/क्षेत्रीय तंत्र को मज़बूत करने की आवश्यकता है। समिति ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंध ढाँचे की समय-समय पर समीक्षा करने की अनुशंसा की।

निष्कर्ष:

निस्संदेह पिछले दो दशकों में भारत के समक्ष अपने पड़ोस में मौजूद चुनौतियाँ और अधिक जटिल एवं संभावित रूप से खतरनाक हो गई हैं। भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति राजनीतिक और लोगों के परस्पर संपर्क, दोनों स्तरों पर लगातार संलग्नता पर आधारित होनी चाहिये। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को वृहत उत्साह के साथ आगे बढ़ाया जाना चाहिये जबकि सुरक्षा चिंताओं को विश्व के अन्य भागों में प्रयुक्त लागत प्रभावी, कुशल एवं विश्वसनीय तकनीकी उपायों के माध्यम से संबोधित किया जाना चाहिये।

■■■

गैर व्यक्तिगत डेटा का पुनर्वलोकन

5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में डिजिटलीकरण का अत्यंत महत्त्व है। NASSCOM की एक रिपोर्ट के अनुसार, डेटा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) वर्ष 2025 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 450-500 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दे सकते हैं।

सरकारी कार्यों के तीव्र डिजिटलीकरण से नागरिक डेटा उत्पन्न होने की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। यह डेटा आम तौर पर दो श्रेणियों में आता है- व्यक्तिगत डेटा, जिसमें ऐसी सूचना शामिल होती है जो व्यक्तियों की पहचान कर सकती है और गैर-व्यक्तिगत डेटा (NPD) जिसमें व्यक्तिगत सूचना अपवर्जित रहती है।

अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में NPD में उच्च मूल्ययुक्त एनालिटिक्स एवं AI के अनुप्रयोग से सामाजिक और आर्थिक रूप से अच्छे परिणामों का पूर्वानुमान लगा सकने में मदद मिल सकती है। वे विषय, जहाँ इस तरह की डेटा-संचालित अंतर्दृष्टि शासन एवं सार्वजनिक कार्यों को बेहतर ढंग से सूचना-संपन्न कर सकती है, उनमें मौसम संबंधी एवं आपदा पूर्वानुमान, अवसंरचना संबंधी क्षमता एवं नागरिक उपयोग-पैटर्न, गतिशीलता (मोबिलिटी) एवं आवास पैटर्न और रोज़गार के रुझान शामिल हैं।

नोट :

गैर-व्यक्तिगत डेटा (Non Personal Data):

- **परिचय:**
  - कोई भी डेटा जो व्यक्तिगत डेटा (Personal Data) नहीं है, उसे गैर-व्यक्तिगत डेटा के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उत्पत्ति के संदर्भ में, गैर-व्यक्तिगत डेटा वह डेटा हो सकता है जो कभी भी प्राकृतिक व्यक्तियों से संबंधित नहीं हो (जैसे कि मौसम या आपूर्ति श्रृंखला संबंधी डेटा) या ऐसा डेटा जो आरंभ में व्यक्तिगत डेटा था, लेकिन इसे अनामिक या अज्ञात कर दिया गया हो (ऐसी तकनीकों के माध्यम से जो सुनिश्चित करे कि जिन व्यक्तियों से वह डेटा संबंधित है, उनकी पहचान नहीं की जा सकती)।
- **प्रकार:**
  - सार्वजनिक गैर-व्यक्तिगत डेटा (Public Non-Personal Data): सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित कार्यों के दौरान सरकार द्वारा संग्रहित या उत्पन्न किया गया डेटा। उदाहरण के लिये भूमि रिकॉर्ड या वाहन पंजीकरण के अनामिक डेटा को सार्वजनिक गैर-व्यक्तिगत डेटा माना जा सकता है।
  - सामुदायिक गैर-व्यक्तिगत डेटा (Community Non-Personal Data): कच्चा या तथ्यात्मक डेटा (बिना किसी प्रसंस्करण के) जो प्राकृतिक व्यक्तियों के समुदाय से प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिये नगर निगमों या सार्वजनिक विद्युत उपयोगिताओं द्वारा संग्रहित डेटासेट।
  - निजी गैर-व्यक्तिगत डेटा (Private Non-Personal Data): वह डेटा जो निजी संस्थाओं द्वारा निजी स्वामित्व वाली प्रक्रियाओं (व्युत्पन्न अंतर्दृष्टि, एल्गोरिदम या स्वामित्वपूर्ण ज्ञान) के माध्यम से संग्रहित या उत्पन्न किया जाता है।
- **दायरा/स्कोप:**
  - NPD सरकार द्वारा प्राप्त प्राथमिक प्रकार का नागरिक डेटा है, जो 'सार्वजनिक हित' (public good') के रूप में सेवा करने की क्षमता रखता है। तालमेल के निर्माण और 'स्केलेबल' समाधान तैयार करने के लिये, सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में NPD के एकीकरण की वकालत की जा रही है।
- **भारतीय संदर्भ:**
  - उदाहरण के लिये, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिये राष्ट्रीय रणनीति (National Strategy for Artificial Intelligence) भारत के AI पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर सीमित डेटा पहुँच की बाधा को दूर करने के साधन के रूप में 'सार्वजनिक भलाई' के लिये कुछ प्रकार के सरकारी डेटा को उपलब्ध कराने और निगमों के लिये एकत्रित डेटा की साझेदारी को अनिवार्य करने का विचार रखती है।

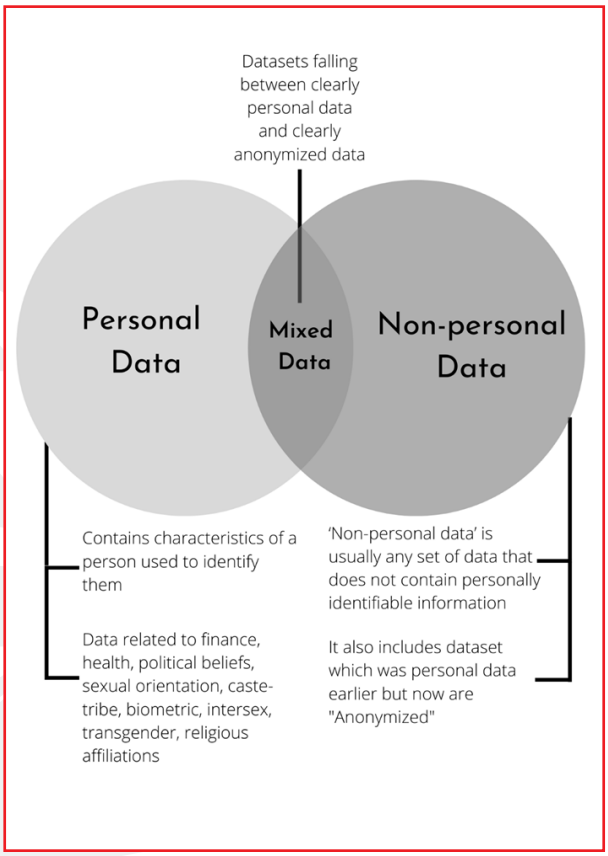

- वर्ष 2018-2019 के भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण ने डेटा की तुलना एक प्राकृतिक संसाधन से की और कहा कि व्यक्तिगत डेटा, एक बार अनामिक हो जाने पर , एक 'सार्वजनिक हित' बन जाता है जिसका उपयोग सार्वजनिक लाभ के लिये किया जाना चाहिये।
- इसके बाद, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeiTY) ने राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क नीति जारी की, जिसे डेटा-संचालित शासन को अधिकतम करने के लिये डिजिटल स्थापत्य के पहले 'बिल्डिंग ब्लॉक' के रूप में देखा गया।
- इसमें 'डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन' के अंतर्गत एक 'इंडिया डेटा मैनेजमेंट ऑफिस (IDMO) की

नोट :

स्थापना का भी प्रस्ताव है, जो नीति तैयार करने, प्रबंधन करने और समय-समय पर उसकी समीक्षा और इसमें संशोधन लाने के लिये ज़िम्मेदार होगा।

गैर-व्यक्तिगत डेटा से संबद्ध विभिन्न चिंताएँ:

- **संलग्न संवेदनशीलता के मुद्दे:**
  - व्यक्तिगत डेटा—जिसमें किसी व्यक्ति के नाम, आयु, लिंग, यौन अभिविन्यास, बायोमीट्रिक्स और अन्य आनुवंशिक विवरणों के बारे में स्पष्ट जानकारी होती है—के विपरीत गैर-व्यक्तिगत डेटा के अनामिक रूप में होने की अधिक संभावना होती है।
    - हालाँकि कुछ श्रेणियों में, जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा या रणनीतिक हितों से संबंधित डेटा (जैसे कि सरकारी प्रयोगशालाओं या अनुसंधान सुविधाओं के स्थान), भले ही अनामिक रूप में प्रदान किया गया हो, खतरनाक सिद्ध हो सकता है।
    - इसी तरह, भले ही डेटा किसी समुदाय या समुदायों के समूह के स्वास्थ्य के बारे में हो, भले ही वह अनामिक रूप में हो, फिर भी यह खतरनाक सिद्ध हो सकता है।
- **प्रभावी विनियमन का अभाव:**
  - दुर्भाग्य से, व्यक्तिगत डेटा के विपरीत, NPD के लिये विनियमन का घोर अभाव है। इसके लिये शासन नीतियाँ बनाने के लिये कार्यकारी स्तर पर बहुत कम प्रयास किये गए हैं।
  - 'गैर-व्यक्तिगत डेटा शासन ढाँचे' पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट' ने प्रभावी विनियमन की कमी पर प्रकाश डाला और भारत में व्यक्तिगत डेटा की तर्ज पर गैर-व्यक्तिगत डेटा के भी प्रभावी विनियमन की तात्कालिकता पर बल दिया।
    - विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि गैर-व्यक्तिगत डेटा प्रशासन ढाँचे के अंतिम मसौदे में सभी प्रतिभागियों—जैसे डेटा प्रिंसिपल, डेटा कस्टडियन और डेटा ट्रस्टी की भूमिकाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिये।
- **बिग टेक को अनुचित लाभ:**
  - वर्ष 2020 में इंफोसिस के सह-संस्थापक क्रिस गोपालकृष्णन की अध्यक्षता वाली एक सरकारी समिति ने सुझाव दिया है कि देश में सृजित गैर-व्यक्तिगत डेटा को विभिन्न घरेलू कंपनियों और संस्थाओं द्वारा उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिये, जो गंभीर चिंताएँ उत्पन्न करती है:
    - ये डेटा सेट बिग टेक या बड़ी तकनीकी कंपनियों के पक्ष में अत्यधिक झुके होंगे। केवल बिग टेक कंपनियों के पास ही इतनी बड़ी मात्रा में डेटा सृजन के लिये पूंजी एवं अवसंरचना होती है। अन्य के लिये इन प्रौद्योगिकी दिग्गजों की क्षमताओं से मुक़ाबला करना कठिन होगा।
- **मिश्रित डेटासेट से संबद्ध मुद्दे:**
  - मिश्रित डेटासेट (जिसमें व्यक्तिगत और गैर-व्यक्तिगत दोनों डेटा शामिल होते हैं) की वास्तविकता और इनमें दोनों तरह के डेटा के बीच अपरिहार्य 'ओवरलैप' का अर्थ है कि एक स्पष्ट सीमांकन संभव नहीं है।
    - डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा (DPDP) अधिनियम 2023 की भाषा यूरोप में जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन (GDPR) के अनुप्रयोग की तरह व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा मानकों के दायरे में आने वाले मिश्रित डेटासेट की ओर इशारा करती है।
  - हालाँकि डेटा का गैर-मानवीय और गैर-व्यक्तिगत होना संभव हो सकता है, लेकिन जब डेटा किसी व्यक्ति से प्राप्त किया जाता है तो यह अंतर अस्पष्ट हो जाता है, विशेष रूप से यदि अनामिकता की चुनौतियों पर विचार किया जाए।
    - यह मुद्दा GDPR ढाँचे के भीतर भी विवाद का विषय रहा है, लेकिन प्रतीत होता है कि प्रस्तावित विधिक ढाँचे में इसे नज़रअंदाज़ किया गया है, जो DPDP अधिनियम 2023 में मौजूद अनिवार्य डेटा साझाकरण को देखते हुए चिंताजनक है।
- **NFD के प्रभावी उपयोग का अभाव:**
  - उपर्युक्त कानूनों में से कोई भी (DPDP अधिनियम 2023 और NPD ढाँचा) भारत में NPD के लिये एक प्रवर्तनीय व्यवस्था प्रदान नहीं करता है। इसी कारण NPD के विशाल भंडार अनियमित हैं और अपने प्रसार, उपयोग या विनिमय में केवल सीमित मार्गदर्शन द्वारा समर्थित हैं।
    - इस तरह के डी-साइलो (de-siloed) संचय के परिणामस्वरूप उप-इष्टतम कानूनी एवं नीतिगत निर्णय की स्थिति बनती है और क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर मानक से नीचे की रणनीतियाँ उत्पन्न होती हैं।
- **विभागों के बीच असुरक्षित अंतर्प्रवाह:**
  - सरकारी विभागों, तीसरे पक्षों (third-parties) और नागरिकों के बीच NPD का असुरक्षित अंतर्प्रवाह गोपनीयता उल्लंघनों के कारण NPD के संवेदनशील पहलुओं को असुरक्षित बना सकता है। इससे बिग टेक जैसे क्षमतावान अभिकर्ताओं को अनुचित लाभ प्राप्त हो सकता है।

नोट :

- महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक रुझानों के अपूर्ण विश्लेषण के परिणामस्वरूप दोषपूर्ण निर्णय उत्पन्न हो सकते हैं। डेटा का ऐसा आदान-प्रदान अक्षमता भी रखता है क्योंकि यह अंत:विषयक विधायी और नीति-निर्माण की शक्ति को 'अनलॉक' करने या इसका अवसर उठा सकने में विफल रहता है।

- **NPD ढाँचे से जुड़े मुद्दे:**
  - एक अग्रणी कदम के रूप में NPD ढाँचा कई कमियाँ भी प्रदर्शित करता है। यह NPD प्रशासन के लिये अमूर्त उच्च-स्तरीय सिद्धांतों और उद्देश्यों को तैयार करता है लेकिन उन्हें प्राप्त करने के लिये ठोस, कार्रवाई योग्य मार्गदर्शन का अभाव पाया जाता है।
  - जबकि इस विषय में विधान की अपेक्षा की जाती है, व्यावहारिक संचालन की उपेक्षा की जाती है, जिससे सभी क्षेत्रों में हितधारक अधिकारों और दायित्वों के बारे में आवश्यक प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं।
    - इसके अतिरिक्त, डेटा के मूल्य निर्धारण के तंत्र और डेटा विनिमय के लिये उपयुक्त कानूनी संरचनाओं पर ध्यान नहीं दिया जाता है। मानकीकृत शासन उपकरणों की अनुपस्थिति इन चुनौतियों को और बढ़ा देती है।

NFD का प्रभावी लाभ उठा सकने के लिये कौन-से उपाय करने की आवश्यकता है?

- **NPD ढाँचे का गंभीर मूल्यांकन करना:**
  - मौजूदा कमियों को संबोधित करने के लिये NPD ढाँचे का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना लाभप्रद होगा। यह NPD को विनियमित करने के लिये MeiTY' के प्रयास को पूरकता प्रदान करेगा और NPD को सभी क्षेत्रों में इंटर-ऑपरेबल बनाने के लिये उपयुक्त माध्यम के रूप में डेटा विनिमय के निर्माण में मदद करेगा।
  - भारत में डेटा विनिमय के लिये एक नियामक डिज़ाइन का निर्माण कर सार्वजनिक कल्याण कार्यों को काफी हद तक डिजिटल एवं स्वचालित किया जा सकता है। यह प्रशासनिक बोझ को कम करता है, अंतर-क्षेत्रीय एकीकरण की सुविधा देता है, NPD के उपयोग/साझेदारी के लिये सुरक्षा उपाय का निर्माण करता और नागरिक कार्यों के डिजिटलीकरण को प्रकृति में अधिक भागीदारीपूर्ण बनाता है।
- **डेटा विनिमय के शासन के लिये ब्लूप्रिंट तैयार करना:**
  - डेटा विनिमय स्केलेबल पारितंत्र हैं जो कई हितधारकों को प्रेरित करते हैं। यह उन्हें परिणाम-उन्मुख निर्णय लेने के लिये उन्नत विश्लेषण तैनात करने के लिये एक उर्वर भूमि बनाता है और 'इकोनॉमिज़ ऑफ स्केल' हासिल करने में मदद करता है।
  - भारत में तेलंगाना ने एक कृषि डेटा एक्सचेंज का निर्माण किया है और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने भारतीय विज्ञान संस्थान के साथ साझेदारी में इंडियन अर्बन डेटा एक्सचेंज की स्थापना की है।
    - विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भी राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति के विभिन्न पहलुओं को लागू करने के लिये डेटा एक्सचेंज स्थापित करने की योजना बना रहा है।
  - डेटा विनिमय संरचनाओं में बढ़ती रुचि के साथ, भारत में उन्हें नियंत्रित करने के लिये एक ब्लूप्रिंट विकसित करना महत्त्वपूर्ण है। यह प्रगति डेटा विनिमयों को विनियमित करने पर वैश्विक चर्चाओं के अनुरूप होगी और भारत में गैर-व्यक्तिगत डेटा (NPD) को नियंत्रित करने में MeiTY एवं अन्य निकायों के प्रयासों का समर्थन करेगी।
- **यूरोपीय संघ (EU) से प्राप्त सबक:**
  - वर्ष 2019 में यूरोपीय संघ यूरोपीय संघ में गैर-व्यक्तिगत डेटा के मुक्त प्रवाह के लिये एक विनियमन ढाँचा लेकर आया, जिसमें उसने सुझाव दिया कि डेटा साझाकरण के मामले में सदस्य देश एक-दूसरे के साथ सहयोग करेंगे।
  - यूरोपीय संघ ने तब निर्णय लिया था कि ऐसे डेटा को बिना किसी बाधा के सदस्य राज्यों द्वारा साझा किया जाएगा और उन्हें ऐसे किसी भी मसौदा अधिनियम के बारे में यूरोपीय आयोग को सूचित करना होगा जो एक नई डेटा स्थानीयकरण आवश्यकता पेश करता है या मौजूदा डेटा स्थानीयकरण आवश्यकता में परिवर्तन करता है।

विशेषज्ञ समिति की सिफ़ारिशें:

- **NPD से संबद्ध विभिन्न मुद्दों पर विचार करने के लिये MeiTY द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने जुलाई 2020 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें समिति ने निम्नलिखित सिफारिशें कीं:**
  - NPD शासन ढाँचे में भूमिकाएँ तय करना: डेटा प्रिंसिपल (data principal) वह इकाई है जिससे गैर-व्यक्तिगत डेटा संबंधित होता है। यह इकाई कोई व्यक्ति, समुदाय या एक कंपनी हो सकती है। डेटा प्रिंसिपल एक प्रतिनिधि इकाई, जिसे डेटा ट्रस्टी कहा जाता है, के माध्यम से अपने डेटा पर अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं।

नोट :

- समिति ने देश में व्यवसाय की एक नई श्रेणी के रूप में 'डेटा बिजनेस' स्थापित करने की सिफ़ारिश की। वे संस्थाएँ (सरकारी एजेंसियों सहित) जो एक सीमा (नियामक द्वारा निर्दिष्ट) से परे डेटा संग्रहित, संसाधित या भंडारित करती हैं, उन्हें डेटा व्यवसायों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

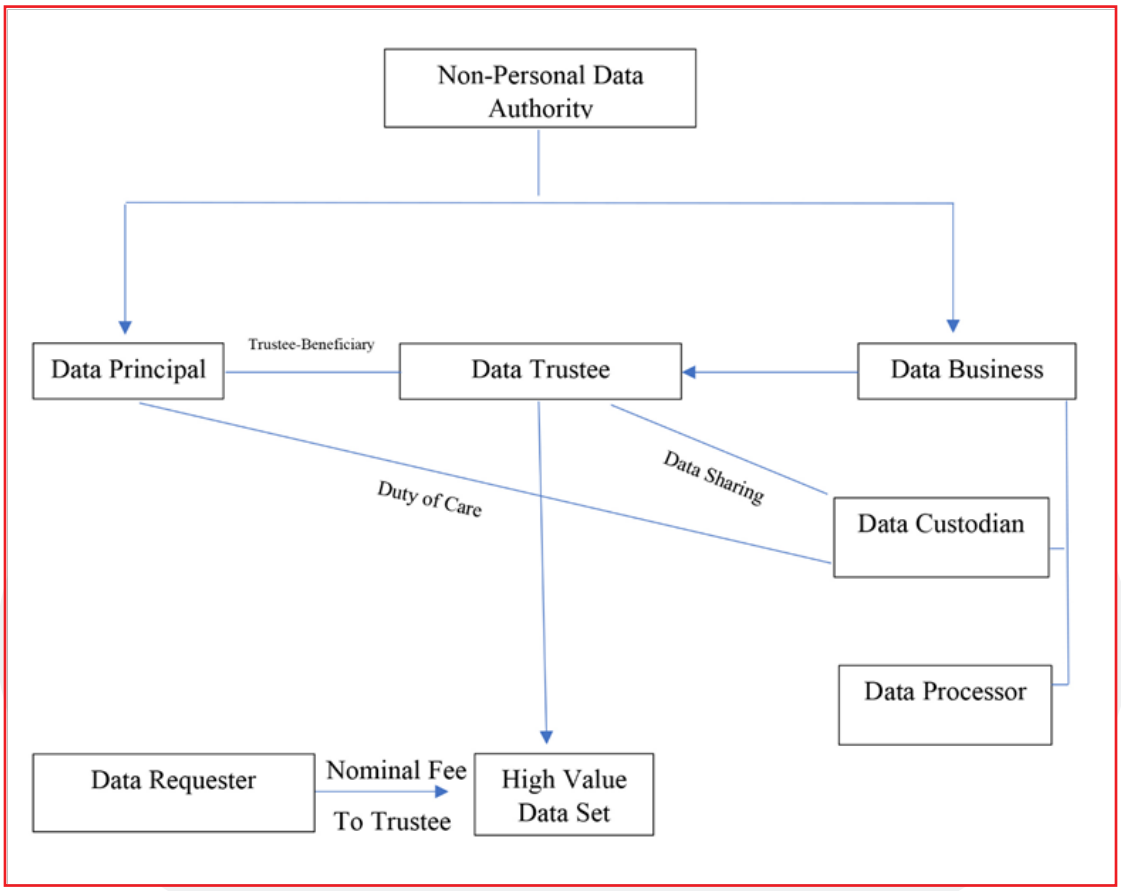

- **गैर-व्यक्तिगत डेटा प्राधिकरण:**
  - गैर-व्यक्तिगत डेटा के प्रशासन के लिये रूपरेखा तैयार करने के लिये एक नियामक प्राधिकरण स्थापित किया जाएगा। इसमें डेटा शासन और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होंगे।
  - प्राधिकरण डेटा साझाकरण और गैर-व्यक्तिगत डेटा से जुड़े जोखिमों के संबंध में दिशानिर्देश तैयार करने के लिये ज़िम्मेदार होगा।
- **गैर-व्यक्तिगत डेटा की साझेदारी:**
  - कोई भी इकाई निम्नलिखित मामलों में डेटा साझेदारी का अनुरोध कर सकती है: (i) संप्रभु उद्देश्य (जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा या कानूनी आवश्यकताएँ), (ii) सार्वजनिक हित उद्देश्य (नीति निर्माण या सेवाओं की बेहतर आपूर्ति), या (iii) आर्थिक उद्देश्य (समान अवसर प्रदान करने या मौद्रिक प्रतिफल प्रदान करने के लिये)।
  - समिति ने सिफ़ारिश की है कि सार्वजनिक डेटा, सामुदायिक डेटा या निजी डेटा (एक निजी संस्था द्वारा एकत्र किये गए कच्चे/तथ्यात्मक डेटा तक सीमित) का अनुरोध बिना किसी प्रतिफल (remuneration) के किया जा सकता है।
- **NPD के ऊपर समुदाय के अधिकार:**
  - समिति ने माना कि एक समुदाय गैर-व्यक्तिगत डेटा के ऊपर अधिकार का प्रयोग कर सकता है। यह समुदाय को ऐसे लोगों के समूह के रूप में परिभाषित करता है जो समान हितों एवं उद्देश्यों से बंधे हैं और सामाजिक या आर्थिक संबंधों में शामिल हैं।
  - समुदाय एक भौगोलिक समुदाय या पूर्णत: आभासी (वर्चुअल) समुदाय हो सकता है।
- **डेटा कस्टडियन और डेटा प्रोसेसर:**
  - डेटा कस्टडियन एक सार्वजनिक या निजी इकाई है जो डेटा

नोट :

का संग्रहण, भंडारण, प्रसंस्करण एवं उपयोग करती है। डेटा कस्टडियन के पास संबंधित समुदाय की हानि को कम करने का कर्तव्य होगा।

- डेटा प्रोसेसर को एक ऐसी कंपनी के रूप में परिभाषित किया जाता है जो डेटा कस्टडियन की ओर से गैर-व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करता है। ढाँचे के तहत डेटा प्रोसेसर को डेटा कस्टडियन नहीं माना जाएगा।

निष्कर्ष:

जबकि NPD 'सार्वजनिक हित' के रूप में आशाजनक है और सार्वजनिक सेवाओं को उन्नत बना सकता है, इसकी अनियमित स्थिति कुछ संस्थाओं के लिये अनामिकता एवं अनुचित लाभ के रूप में जोखिम पैदा करती है। राष्ट्रीय डेटा शासन ढाँचा नीति सहित वर्तमान शासन ढाँचे में प्रवर्तनीयता और परिचालन स्पष्टता का अभाव है, जिससे NPD काफी हद तक अनियमित है तथा इसके संभावित लाभों में बाधा आ रही है।

इन चुनौतियों का समाधान करने और NPD की क्षमता का लाभ उठाने के लिये, डेटा विनिमयों के लिये एक व्यापक नियामक डिज़ाइन आवश्यक है। भारत डेटा विनिमयों को नियंत्रित करने के लिये एक ब्लूप्रिंट तैयार कर सार्वजनिक-कल्याण कार्यों के डिजिटलीकरण को बेहतर बना सकता है।

■■■

विश्व जल दिवस, 2024

प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाने वाला विश्व जल दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा समर्थित एक वैश्विक पहल है जो वर्ष 1993 से मनाया जा रहा है। इस दिवस के बहाने विभिन्न केंद्रीय विषयों या थीम के साथ मीठे जल के महत्त्व के बारे में हितधारकों के बीच जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया गया है। जैसा कि ज्ञात है, एक समय था जब कुओं, तालाबों, नालों, नदियों और अन्य जल स्रोतों में साफ जल उपलब्ध होता था, लेकिन अब स्थिति व्यापक रूप से बदल गई है। मात्रा या गुणवत्ता के संबंध में जल की उपलब्धता की समस्या उत्पन्न हुई है, जो जल की कमी या जल संकट के रूप में प्रकट होती है।

जल इतिहास के हर खंड में कुछ प्राचीनतम सभ्यताओं—जैसे सिंधु, नील, दजला और फरात नदी के आसपास विकसित हुई सभ्यताएँ—के लिये एक महत्त्वपूर्ण संसाधन रहा है। यह भी सच है कि इन सभ्यताओं में जल संसाधन के कारण संघर्ष भी उत्पन्न हुए, जैसे कि मेसोपोटामिया के लगश और उम्मा शहरों के बीच तनाव का स्पष्ट लिखित साक्ष्य प्राप्त होता है। यह संघर्ष, जो मानव इतिहास के सबसे पुराने ज्ञात युद्धों में से एक है, भूमि और जल संसाधनों के एक उर्वर खंड के आसपास केंद्रित था।

नोट:

22 मार्च 2024 को 31वाँ विश्व जल दिवस मनाया गया, जिसका थीम था- 'शांति के लिये जल का लाभ उठाना' (Leveraging water for peace)। उल्लेखनीय है कि 'विश्व जल मूल्यांकन कार्यक्रम' (World Water Assessment Programme) के तहत यूनेस्को ने 'समृद्धि और शांति के लिये जल' (Water for Prosperity and Peace) शीर्षक विश्व जल विकास रिपोर्ट के वर्ष 2024 के संस्करण के विकास में प्रमुख भूमिका निभाई। यह रिपोर्ट यूएन-वाटर (UN Water) के एक भाग के रूप में तैयार की जाती है जो 35 यूएन निकायों के साथ ही 48 अन्य अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों का जल एवं स्वच्छता पर एक इंटर-एजेंसी समन्वय तंत्र है।

विश्व जल दिवस (World Water Day) क्या है?

- **लक्ष्य:** यह दिवस 'सतत् विकास लक्ष्य 6 : वर्ष 2030 तक सभी के लिये जल एवं स्वच्छता' की प्राप्ति को समर्थन देने का लक्ष्य रखता है।
- **केंद्रीय विषय या थीम:** वर्ष 2024 का थीम गई- 'शांति के लिये जल' (Water for Peace)
- **पृष्ठभूमि:**
  - इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विचार वर्ष 1992 में सामने आया, जिस वर्ष रियो डी जनेरियो में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन किया गया था।
  - उसी वर्ष, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव अंगीकृत किया जिसके द्वारा प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस घोषित किया गया, जिसे वर्ष 1993 से मनाया जाना था।
  - बाद में, इसके साथ अन्य उत्सव और कार्यक्रम जोड़े गए। उदाहरण के लिये, जल क्षेत्र में सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2013 और सतत विकास के लिये जल पर कार्रवाई हेतु वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय दशक 2018-2028।
- **महत्त्व:**
  - इस दिवस का उद्देश्य दुनिया भर के लोगों को जल से संबंधित मुद्दों के बारे में अधिक जानने और बदलाव लाने के लिये कार्रवाई करने हेतु प्रेरित करना है।
  - जबकि जल पृथ्वी के लगभग 70% हिस्से को कवर करता है, मीठे जल की मात्रा मात्र 3% है, जिसमें से दो-तिहाई जमे हुए रूप में या दुर्गम और उपयोग के लिये अनुपलब्ध है।

- ऐसे प्रयास इस बात की पुष्टि करते हैं कि जल एवं स्वच्छता संबंधी उपाय गरीबी में कमी लाने, आर्थिक विकास और पर्यावरणीय संवहनीयता के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।

कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण दिवस:

- 22 अप्रैल: पृथ्वी दिवस (Earth Day)
- 22 मई: विश्व जैव विविधता दिवस (World Biodiversity Day)

भारत में विद्यमान जल संकट के विभिन्न पहलू क्या हैं?

- **जल संकट के बहुआयामी अर्थ:**
  - जल संकट को भौतिक या आर्थिक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है जो तीव्र शहरीकरण, औद्योगीकरण, असंवहनीय कृषि पद्धतियाँ, जलवायु परिवर्तन, अप्रत्याशित वर्षा पैटर्न, अत्यधिक जल उपभोग सहित कई कारकों से उत्पन्न होता है।
  - इनके अलावा, अकुशल जल प्रबंधन, प्रदूषण, अपर्याप्तअवसंरचना, हितधारकों की भागीदारी की कमी और भारी वर्षा, मृदा के कटाव एवं तलछट के निर्माण से बढ़ा हुआ अपवाह भी उल्लेखनीय भूमिका निभाते हैं। जल की कमी पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यों को बाधित करती है, खाद्य एवं जल सुरक्षा को खतरे में डालती है और अंततः शांति को प्रभावित करती है।
- **जल तनाव (water stress) के मुद्दे:**
  - विश्व संसाधन संस्थान (World Resources Institute) के अनुसार, 17 देश जल तनाव के 'अत्यंत उच्च' स्तर का सामना कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप लोगों के बीच संघर्ष, असंतोष और शांति का खतरा उत्पन्न कर सकता है। भारत भी इन समस्याओं से अछूता नहीं है।
    - भारत में जल की उपलब्धता पहले से ही इतनी कम है कि इसे जल संकट के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, जबकि अनुमान किया जाता है इसमें और कमी आएगी और यह घटकर वर्ष 2025 तक 1341 घनमीटर तथा वर्ष 2050 तक 1140 घन मीटर रह जाएगा। इसके अलावा, कुल जल निकासी (भूजल या सतह जल से) का 72% कृषि में, 16% नगरपालिकाओं द्वारा घरों एवं सेवाओं के लिये और 12% उद्योगों द्वारा उपयोग किया जाता है।
- **भूजल स्तर में गिरावट:**
  - भारत के लगभग प्रत्येक राज्य और मुख्य शहरों में भूजल स्तर में कमी आ रही है। बेंगलुरु इसका प्रमुख उदाहरण है। पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा में भूजल उपभोग एवं उपलब्धता का अनुपात क्रमशः 172%, 137%, 137% और 133% है, जो चिंताजनक है।
    - इसके विपरीत, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में यह क्रमशः 77%, 74%, 67%, 57%, और 53% है। अधिकांश बारहमासी नदियों/धाराओं के प्रवाह में कमी आई है या वे सूख गई हैं। अप्रैल-मई माह के बाद अधिकांश क्षेत्रों में पेय और अन्य उपयोग के लिये जल की उपलब्धता कम हो जाती है।
- **जलाशयों और आर्द्रभूमियों में गाद जमा होना:**
  - भारत के पहाड़ी इलाकों में झरने लगभग सूख चुके हैं। भारत में जल निकायों की कुल संख्या 5,56,601 है जिनकी सिंचाई क्षमता 62,71,180 हेक्टेयर है। लेकिन, जलग्रहण

नोट :

उपचार उपायों की कमी या अनुचित, अकुशल डिज़ाइन एवं जल निकायों के खराब रखरखाव के कारण, अधिकांश जलाशयों/जल निकायों/आर्द्रभूमियों में गाद जमा हो गई है, जिसके परिणामस्वरूप इनकी भंडारण क्षमता एवं प्रभावकारिता घट गई है।

- **एक संसाधन के रूप में जल का कुप्रबंधन:**
  - अधिकांश क्षेत्रों में ट्यूबवेल घनत्व और नेटवर्क में वृद्धि हुई है। भूजल पुनर्भरण की तुलना में भूजल निर्वहन अब अधिक हो गया है। सीवरेज जल और अन्य स्रोतों के गंदे जल को जल निकायों और नदियों में छोड़े जाने से जल की गुणवत्ता में गिरावट आ रही है।
    - उपयुक्त सतही जल एवं भूजल प्रबंधन का अभाव है। भारत में वर्षा-सिंचित क्षेत्र, जिसमें 48% से अधिक भूमि शामिल है, सकल कृषि उत्पाद के लगभग 45% का उत्पादन करते हैं।
- **घरेलू और कृषि क्षेत्रों में सुव्यवस्थित दृष्टिकोण का अभाव:**
  - प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY), वाटरशेड प्रबंधन, मिशन अमृत सरोवर और जल शक्ति अभियान जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के तहत 'प्रति बूंद अधिक फसल, 'गाँव का जल गाँव में', 'खेत का जल खेत में', 'हर मेड़ पर पेड़' पर सरकार द्वारा बल दिया जा रहा है जहाँ जल के घरेलू एवं उपयोगों के संबंध में एक साइलो दृष्टिकोण (siloed approach) अपनाया गया है।
    - इस परिदृश्य में, विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप व्यापक एवं समकालिक स्थानीय हस्तक्षेप को अपनाना अनिवार्य है जो जल के उपयोग एवं संरक्षण के सभी पहलुओं पर समान बल देता है।
- **मौसम संबंधी चरम स्थितियों का अनुभव:**
  - वर्तमान में विश्व अनगिनत मौसम संबंधी चरम स्थितियों का भी सामना कर रहा है जिसमें तीव्र ग्रीष्म लहरों से लेकर प्रचंड बाढ़ तक शामिल हैं, जो जलवायु संकट के साथ-साथ जल असुरक्षा पर इसके निरंतर प्रभाव के बारे में चिंताओं की वृद्धि करते हैं।
    - उदाहरण के लिये, भारत में पिछले कुछ वर्षों में मानसून अनियमित हो गया है और कृषि के लिये (जो भारत की 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था के केंद्र में है) बड़ी अनिश्चितताओं का कारण बना है।
- **जल भेदभाव में विद्यमान मुद्दे:**
  - साफ जल तक पहुँच के मामले में आयु और लिंग भेदभाव के सबसे प्रमुख कारण हैं। महिलाएँ और बच्चे सबसे अधिक प्रभावित आबादी हैं। वस्तुत: गंदे जल के कारण बच्चे बीमारियों की चपेट में अधिक आते हैं।
  - जल भेदभाव के अन्य कारणों में मूलवंश, जातीयता, धर्म, जन्म, जाति, भाषा और राष्ट्रीयता शामिल हैं। कुछ लोग नि:शक्तता, आयु, स्वास्थ्य और आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति के कारण विशेष रूप से वंचना के शिकार होते हैं।
    - पर्यावरणीय क्षरण, जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि, संघर्ष, बलपूर्वक विस्थापन एवं प्रवासन भी कुछ ऐसे कारण हैं जिनके कारण समाज के हाशिये पर स्थित समूह अधिक पीड़ित हैं।
- **जलग्रहण क्षेत्रों का निरंतर अतिक्रमण:**
  - झील, तालाब और नदियों जैसे छोटे जल निकाय (small water bodies- SWMs) उनके जलग्रहण क्षेत्रों के अतिक्रमण के कारण लगातार खतरे का सामना कर रहे हैं। जैसे-जैसे शहरीकरण का विस्तार हो रहा है, लोग इन जल निकायों के जलग्रहण क्षेत्रों में और उसके आसपास घर, वाणिज्यिक भवन और अन्य अवसंरचना का निर्माण कर रहे हैं।
    - 1990 के दशक से उभरे शहरी समुच्चय ने SWMs को गंभीर रूप से प्रभावित किया है और उनमें से कई को 'डंपिंग ग्राउंड' या कूड़ा-स्थल में बदल दिया है। जल संसाधन पर स्थायी समिति (2012-13) ने अपनी 16वीं रिपोर्ट में रेखांकित किया कि देश के अधिकांश जल निकायों पर स्वयं राज्य एजेंसियों द्वारा अतिक्रमण किया गया था।

जल संकट को कम करने के लिये आवश्यक विभिन्न कदम क्या होंगे?

- **पारंपरिक और नई प्रौद्योगिकियों के विवेकपूर्ण मिश्रण को अपनाना:**
  - भारत में खाद्यान्न की बड़ी मात्रा वर्षा-सिंचित क्षेत्र से प्राप्त होती है। सरकार 'मृदा स्वास्थ्य में सुधार और जल के संरक्षण के लिये पारंपरिक स्वदेशी और नई प्रौद्योगिकियों के विवेकपूर्ण मिश्रण' पर बल देती है और जल की प्रत्येक बूँद के कुशल उपयोग पर ज़ोर देती है। इसलिये इन बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है।

नोट :

- **गुणवत्ता और मात्रा, दोनों पर बल देना:**
  - मात्रा और गुणवत्ता दोनों के संदर्भ में जल की उपलब्धता बढ़ाना और नीले जल (सतह जल एवं भूजल) एवं हरे जल (मृदा में नमी) दोनों संसाधनों पर विचार करना महत्त्वपूर्ण है। ऐसा इसलिये है क्योंकि जल केवल बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा और भी बहुत कुछ के लिये आवश्यक है। जल शांति-निर्माण का एक साधन भी है और जीवन की समग्र गुणवत्ता को बढ़ाता है। संवहनीय कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना, जल सुरक्षा सुनिश्चित करना और पर्यावरणीय अखंडता बनाए रखना तेज़ी से महत्त्वपूर्ण मुद्दे बनते जा रहे हैं।
- **विभिन्न संसाधन संरक्षण उपायों को अपनाना:**
  - सामान्य रूप से विभिन्न संसाधन संरक्षण उपायों और वर्षा जल संचयन (स्व-स्थाने एवं बाह्य-स्थाने) को अपनाकर तथा विशेष रूप से छत के ऊपर वर्षा जल संचयन सुनिश्चित कर जल संकट का शमन संभव बनाया जा सकता है।
  - वर्षा जल संचयन (Rain water harvesting-RWH) पुनर्भरण को बढ़ाकर और सिंचाई में सहायता कर जल की कमी एवं सूखे के विरुद्ध प्रत्यास्थता को सक्षम बनाता है। बड़े पैमाने के RWH संरचनाओं द्वारा सतह जल का इष्टतम उपयोग, भूजल के साथ संयुक्त उपयोग और अपशिष्ट जल का सुरक्षित पुनः उपयोग खाद्यान्न उत्पादन के वर्तमान स्तर को बढ़ावा देने तथा इसे बनाए रखने के लिये एकमात्र व्यवहार्य समाधान हैं।
- **जल निकायों के पुनरुद्धार के लिये एक प्रोटोकॉल की आवश्यकता:**
  - तालाबों/जलस्रोतों के पुनरुद्धार के लिये एक प्रोटोकॉल की आवश्यकता है। इन सभी समस्याओं से निपटने के लिये प्रत्येक जलाशय की स्थिति, उसकी जल की उपलब्धता, जल की गुणवत्ता और उसके द्वारा समर्थित पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की स्थिति का अध्ययन करने की महती आवश्यकता है। प्रत्येक जल निकाय के जलग्रहण-भंडारण-कमांड क्षेत्र पर ध्यान देकर प्रत्येक गाँव में और अधिक जल निकायों का निर्माण करने तथा पहले से मौजूद जल निकायों का पुनरुद्धार करने की भी आवश्यकता है।
- **राष्ट्रों के बीच सहयोगात्मक शासन को बढ़ावा देना:**
  - जलवायु परिवर्तन से संबंधित अतिरिक्त दबावों के बीच, दुनिया को जल-बँटवारे पर बेहतर सहयोग को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय जल कानून के लिये सार्वभौमिक सिद्धांतों को अपनाने की ज़रूरत है। विश्व साझा जल के उपयोग को नियंत्रित कर और जल के निरंतर उपयोग को प्रोत्साहित कर बेहतर जल कूटनीति के लिये प्रयास कर सकता है जहाँ जल को शांति के लिये एक हथियार बनाया जा सकता है।
    - यह साझा मान्यता कि गुणवत्ता एवं उपलब्धता की सीमाओं के साथ जल एक महत्त्वपूर्ण संसाधन है, राष्ट्रों के बीच प्रभावी एवं न्यायसंगत जल आवंटन सुनिश्चित करने, क्षेत्रीय स्थिरता एवं शांति को बढ़ावा देने और जल, जलवायु एवं अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता के बीच जटिल संबंधों की समझ सुनिश्चित करने के लिये सहयोगी शासन की आवश्यकता है।
- **समावेशी दृष्टिकोण अपनाना:**
  - जल कूटनीति के लिये समावेशी दृष्टिकोण की भी आवश्यकता है, जहाँ स्वदेशी एवं स्थानीय समुदायों के व्यापक सीमा-पार नेटवर्क को चिह्नित करने के साथ-साथ नागरिक समाज एवं शैक्षिक जगत नेटवर्क को संलग्न करना शामिल है, जो जल संबंधी विवाद को रोकने, इसे कम करने और इसका समाधान करने के लिये राजनीतिक प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
- **ग्रामीण मुद्दों को संबोधित करना और निवेश को बढ़ावा देना:**
  - भारत में, जहाँ कृषि आजीविका का प्रमुख स्रोत बनी हुई है, 70% ग्रामीण आबादी अपने भरण-पोषण के लिये जल पर निर्भर है। यह और भी अधिक चिंताजनक है क्योंकि हम जानते हैं कि विश्व स्तर पर मीठे जल के कुल उपयोग का 70% कृषि में व्यय होता है।
    - बेहतर जल पहुँच के साथ इन अंतरों को मिटाया जा सकता है और ग्रामीण क्षेत्रों में जल निवेश में वृद्धि से स्वास्थ्य, शिक्षा एवं रोज़गार के क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने की संभावना है, जबकि बुनियादी मानवीय ज़रूरतों और गरिमा के लिये तो यह अनिवार्य है ही।
- **कृषि क्षेत्र के साथ प्रौद्योगिकी एकीकरण को बढ़ावा देना:**
  - कृषि क्षेत्र में, जल के संरक्षण में उभरती कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) प्रौद्योगिकी का कुशल उपयोग—फसल और खाद्य नुकसान से निपटने से लेकर रसायनों एवं उर्वरकों का प्रयोग कम करने और जल की बचत करने तक—यह दिखाने लगा है कि इससे उत्पादक एवं संवहनीय आउटपुट को सक्षम किया जा सकता है।

नोट :

- **सीमा-पार नदियों के मुद्दों का समाधान:**
  - भारत सहित विश्व के मीठे जल के संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा सीमा-पार जल से प्राप्त होता है। भारत के विशाल भूभाग के साथ यहाँ लंबी नदियों का एक नेटवर्क मौजूद है, जो न केवल देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है बल्कि इसके पड़ोसी देशों के साथ भी साझा होता है।
    - लेकिन दक्षिण एशियाई भूभाग में हाल के वर्षों में, विशेषकर मेघना, ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु नदियों में, जल प्रदूषण की स्थिति व्यापक रूप से बिगड़ गई है।
  - इन समस्याओं को हल करने के लिये, विश्व को सीमा-पार जल प्रशासन के एक परिष्कृत रूप की आवश्यकता है, जो जल संसाधनों को साझा करने वाले देशों के बीच प्रभावी एवं न्यायसंगत जल आवंटन को बढ़ावा दे।
- **छोटे जल निकायों का रखरखाव:**
  - भारत में तालाबों, झीलों और जलकुंडों जैसे छोटे जल निकायों का एक विशाल नेटवर्क मौजूद है, जो भूजल के पुनर्भरण और सिंचाई के लिये जल उपलब्ध कराने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 5वीं लघु सिंचाई गणना में उल्लेख किया गया है कि भारत में कुल 6.42 लाख छोटे जल निकाय मौजूद हैं। उचित रखरखाव के अभाव में इनकी भंडारण क्षमता में गिरावट आ रही है।
  - इसके परिणामस्वरूप, तालाबों/जलकुंडों द्वारा सिंचित क्षेत्र वर्ष 1960-61 में 45.61 लाख हेक्टेयर से तेज़ी से घटकर 2019-20 में 16.68 लाख हेक्टेयर रह गया है। भारत इन छोटे जल निकायों का पुनरुद्धार एवं रखरखाव सुनिश्चित कर जल संरक्षण में मदद कर सकता है और आस-पास के समुदायों के लिये जल की उपलब्धता की स्थिति में सुधार कर सकता है।
- **बहु-आयामी हस्तक्षेप अपनाना:**
  - निम्नलिखित समाधानों से विश्व जल दिवस 2024 की 'थीम' को सशक्त किया जा सकता है और भारत जल सुरक्षित देश बन सकता है। संयुक्त राष्ट्र जल विकास रिपोर्ट 2024 के अनुसार ये अधिक शांतिपूर्ण विश्व के निर्माण के लिये भी आवश्यक कदम होंगे:
    - जल उपयोग का मूल्य निर्धारण;
    - चक्रीय जल अर्थव्यवस्था का निर्माण करना;
    - सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों और IOT आधारित स्वचालन के साथ जल संसाधनों को एकीकृत करने जैसी कुशल सिंचाई तकनीकों को सुनिश्चित करना; एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन का होना;
    - घरेलू उद्देश्यों के लिये जल के उपयोग को कम करने के लिये जल मीटर लगाना;
    - कोई मुफ़्त बिजली नहीं; लाइन विभागों का अभिसरण और लिंकेज;
    - सामुदायिक जागरूकता और लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देना, जल संरक्षण के बारे में जागरूकता अभियान;
    - भूजल उपयोग तटस्थता सुनिश्चित करना;
    - भूमि तटस्थता; जल की कम आवश्यकता रखने वाली फसलें उगाना;
    - एकीकृत कृषि प्रणाली मॉडल वाली इष्टतम फसल योजना;
    - जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध प्रत्यास्थता का निर्माण और जल (जो कि एक सीमित संसाधन है) के प्रबंधन के लिये एक एकीकृत एवं समावेशी दृष्टिकोण अपनाकर बढ़ती आबादी की ज़रूरतों की पूर्ति करना;
    - जल वितरण प्रणालियों में होने वाली जल हानि को कम करना और सुरक्षित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग, अलवणीकरण एवं उचित जल आवंटन; ट्यूबवेल/बोरवेल का विकास सुनिश्चित करना;
    - विभिन्न उन्नत एवं नई प्रौद्योगिकियों को प्रवर्तित करने के लिये अनुसंधान, उद्योग एवं शिक्षा जगत के एकीकरण और सहयोग को सक्षम करना।

जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिये कौन-सी पहलें की गई हैं?

- **जल संरक्षण के लिये संयुक्त राष्ट्र की पहलें:**
  - संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन (1977), अंतर्राष्ट्रीय पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता दशक (1981-1990), जल एवं पर्यावरण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (1992) और पृथ्वी शिखर सम्मेलन (1992)—ये सभी एक महत्त्वपूर्ण संसाधन जल पर केंद्रित थे।
  - 'जीवन के लिये जल' अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दशक 2005-2015 ('Water for Life' International Decade for Action 2005-2015) ने विकासशील देशों में लगभग 1.3 बिलियन लोगों को सुरक्षित पेयजल तक पहुँच प्राप्त करने में मदद की और सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों (Millennium Development Goals) को पूरा करने के प्रयास के एक अंग के रूप में स्वच्छता को बढ़ावा दिया।

नोट :

- इस क्रम में नवीनतम पहल 'सतत विकास के लिये 2030 का एजेंडा' (2030 Agenda for Sustainable Development) है जिसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक सभी के लिये जल की उपलब्धता एवं संवहनीय प्रबंधन सुनिश्चित करना है।

- **भारतीय पहलें:**
  - स्वच्छ भारत मिशन
  - जल जीवन मिशन
  - जल क्रांति अभियान
  - राष्ट्रीय जल मिशन
  - राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम
  - नीति आयोग समग्र जल प्रबंधन सूचकांक
  - जल शक्ति अभियान
  - अटल भूजल योजना।
  - राष्ट्रीय जल नीति, 2012
  - प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
  - प्रति बूंद अधिक फसल

निष्कर्ष:

प्राचीन काल से ही विश्व ने शांति को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण प्रगति की है; हालाँकि, यदि मीठे जल की कमी हो जाती है तो यह हमारे सामूहिक हित एवं शांति के लिये खतरा उत्पन्न कर सकता है। यह 2030 एजेंडा और SDGs की प्राप्ति के लिये भी महत्त्वपूर्ण है। विश्व जल के संवहनीय प्रबंधन पर सीमा-पार सहयोग एवं अन्य हस्तक्षेपों के माध्यम से स्वास्थ्य, खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा, प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा, शिक्षा, बेहतर जीवन स्तर, रोज़गार, आर्थिक विकास और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में लाभ का अनुभव कर सकता है।

■■■

निर्वाचन आयोग को सशक्त बनाना

हाल में दो सेवानिवृत्त नौकरशाहों ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को त्वरित रूप से निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। ये नियुक्तियाँ वर्ष 2024 में आयोजित आम चुनाव की निर्धारित तिथियों की घोषणा के ठीक दो दिन पूर्व की गईं। वे अब भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission of India-ECI) के तीन सदस्यीय पैनल में मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार को सहयोग प्रदान करेंगे।

भारत निर्वाचन आयोग के सदस्यों के लिये एक स्वतंत्र चयन प्रक्रिया पर एक संवैधानिक पीठ द्वारा जारी विचारण के बीच निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे से एक बहस छिड़ गई। इसके साथ ही, आम चुनाव हेतु तिथियों की घोषणा के ठीक पहले बिना किसी स्पष्टीकरण के अरुण गोयल के इस्तीफे से आयोग के कार्यकरण की पारदर्शिता एवं स्वयत्तता के मामले में आशंकाओं की वृद्धि हुई है।

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) क्या है?

- **परिचय:**
  - भारतीय निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के प्रशासन के लिये उत्तरदायी है।
    - इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को संविधान के उपबंधों के अनुरूप की गई थी। उल्लेखनीय है कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस (National Voters' Day) के रूप में मनाया जाता है। आयोग का सचिवालय नई दिल्ली में है।
  - ECI लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य विधानसभाओं के चुनाव के साथ ही राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनाव का आयोजन कराता है।
    - राज्यों में पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनावों से उसका कोई संबंध नहीं है; इनके लिये भारत के संविधान में एक पृथक राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) का प्रावधान किया गया है।

- **संवैधानिक उपबंध:**
  - भाग XV (अनुच्छेद 324-329): यह चुनावों से संबंधित है और इन मामलों के लिये एक आयोग के गठन का प्रावधान करता है।
  - अनुच्छेद 324: निर्वाचनों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होगा।
  - अनुच्छेद 325: कोई भी व्यक्ति धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी विशेष निर्वाचक नामावली या मतदाता सूची में सम्मिलित किये जाने के लिये अपात्र नहीं होगा या इसमें सम्मिलित किये जाने का दावा नहीं करेगा।
  - अनुच्छेद 326: लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार पर आधारित होंगे।
  - अनुच्छेद 327: विधान-मंडल के लिये निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति।
  - अनुच्छेद 328: किसी राज्य के विधानमंडल के लिये निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति।
  - अनुच्छेद 329: निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन।

नोट :

- **ECI की संरचना:**
  - आरंभ में आयोग में केवल एक निर्वाचन आयुक्त होता था लेकिन निर्वाचन आयुक्त संशोधन अधिनियम 1989 के बाद इसे एक बहु-सदस्यीय निकाय बना दिया गया।
  - निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने अन्य निर्वाचन आयुक्तों से, यदि कोई हों, जितने राष्ट्रपति समय-समय पर नियत करे, मिलकर बनेगा।
  - वर्तमान में, इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) और दो निर्वाचन आयुक्त (ECs) शामिल हैं।
- **आयुक्तों की नियुक्ति एवं कार्यकाल:**
  - राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पद की अवधि) अधिनियम, 2023 के अनुसार CEC और ECs की नियुक्ति करता है।
  - उनका कार्यकाल छह वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, निर्धारित है।
  - CEC और ECs का वेतन और सेवा की शर्तें कैबिनेट सचिव के समकक्ष होंगी।
- **पद से हटाया जाना:**
  - वे कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं या कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी हटाए जा सकते हैं।
  - CEC को केवल संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान ही एक प्रक्रिया से पद से हटाया जा सकता है, जबकि ECs को केवल CEC की अनुशंसा पर ही हटाया जा सकता है।

भारत निर्वाचन आयोग की अब तक क्या उपलब्धियाँ रही हैं?

- **स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव आयोजित कराना:**
  - भारत निर्वाचन आयोग ने देश भर में कई चुनावों का सफलतापूर्वक आयोजन किया है, जहाँ यह सुनिश्चित किया है कि वे निष्पक्ष और बिना पूर्वाग्रह के संपन्न हों।
  - इसने वर्ष 1947 के बाद से अब तक 17 राष्ट्रीय और 370 से अधिक राज्य चुनावों की अखंडता (स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता) सुनिश्चित की है।
- **'अन-डॉक्यूमेंटेड वंडर' के रूप में प्रतिष्ठित:**
  - यह वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े और सबसे लंबे चुनावों में से कुछ का आयोजन करता रहा है। उदाहरण के लिये, वर्ष 2019 के संसदीय चुनावों में 900 मिलियन पात्र मतदाता थे और इसे 39 दिनों में नौ चरणों में संपन्न कराया गया था।
  - 'अन-डॉक्यूमेंटेड वंडर' (Undocumented Wonder) के रूप में प्रतिष्ठित ECI सार्वजनिक मूल्य के संरक्षक के रूप में उभरा है, जो भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों की अखंडता सुनिश्चित करता है।
- **समावेशी भागीदारी के लिये पहलें:**
  - ECI द्वारा उठाए गए कदमों ने यह सुनिश्चित किया है कि गरीब और हाशिये पर स्थित लोग भी उत्साही मतदाता बने रहे हैं और उच्च स्तर वाले एवं अधिक शक्तिशाली समूहों द्वारा किसी धमकी के भय के बिना अधिकाधिक संख्या में चुनावों में भागीदारी करते हैं।
  - इसने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों जैसे विशेष प्रावधानों को लागू किया है, साथ ही बूथ कैप्चरिंग, मतदाताओं को डराने-धमकाने और रिश्वतखोरी जैसे चुनावी कदाचार को रोकने के उपाय भी किये हैं; इस प्रकार लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुचारू बनाने में योगदान किया है।
- **मतदाता पहचान पत्र का प्रयोग:**
  - भारतीय मतदाता पहचान पत्र (Voter ID Cards), जिसे आधिकारिक तौर पर निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (Elector's Photo Identity Card-EPIC) के रूप में जाना जाता है, पहली बार वर्ष 1993 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त टी.एन. शेषन के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया था ।
  - मतदाता पहचान पत्र पहचान और पते के प्रमाण के रूप में कार्य करते हैं, जिससे मतदाता सूची की अखंडता बनाए रखने और प्रतिरूपण की घटनाओं को कम करने में मदद मिलती है।
- **इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVMs) का उपयोग:**
  - ECI द्वारा EVMs का उपयोग शुरू करने से मतदान प्रक्रिया व्यापक रूप से सुव्यवस्थित हो गई है, जहाँ इसकी दक्षता बढ़ी है और चुनावी धोखाधड़ी की संभावना कम हो गई है।
  - EVMs मतों की गिनती में सटीकता सुनिश्चित करते हैं और इससे भारत में चुनावों की पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता बढ़ी है।
- **आदर्श आचार संहिता का कार्यान्वयन:**
  - ECI सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिये समान अवसर सुनिश्चित करने के लिये चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct- MCC) लागू करता है।

नोट :

- MCC चुनावी प्रक्रिया के दौरान आचरण के लिये दिशानिर्देश तय करती है, जिसमुं चुनाव प्रचार, राजनीतिक विज्ञापन और सरकारी संसाधनों के उपयोग पर विभिन्न नियम शामिल होते हैं, जिससे निष्पक्ष एवं नैतिक चुनाव अभ्यासों को बढ़ावा मिलता है।

- **प्रौद्योगिकी का अभिनव उपयोग:**
  - ECI ने चुनावी प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिये प्रौद्योगिकीय प्रगतियों को अपनाया है, जैसे कि मतदाता पंजीकरण पोर्टल, ऑनलाइन मतदाता सत्यापन प्रणाली और मतदाता शिक्षा एवं सूचना प्रसार के लिये मोबाइल ऐप की शुरूआत।
  - इन पहलों ने चुनावी प्रक्रिया को अधिक अभिगम्य, पारदर्शी और कुशल बनाया है।
  - भारत निर्वाचन आयोग द्वारा डिज़ाइन किया गया cVIGIL (Citizen Vigilance) एक मोबाइल एप्लीकेशन है, जो नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने का अवसर देता है।
- **मतदाता शिक्षा कार्यक्रमों का कार्यान्वयन:**
  - ECI ने मतदाता जागरूकता और चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी को बढ़ाने के लिये व्यापक मतदाता शिक्षा अभियान शुरू किये हैं।
  - इन पहलों का उद्देश्य नागरिकों को उनके मतदान के अधिकार, मत डालने के महत्त्व और चुनाव के दौरान सूचित विकल्प चुनने के महत्त्व के बारे में शिक्षित करना है।

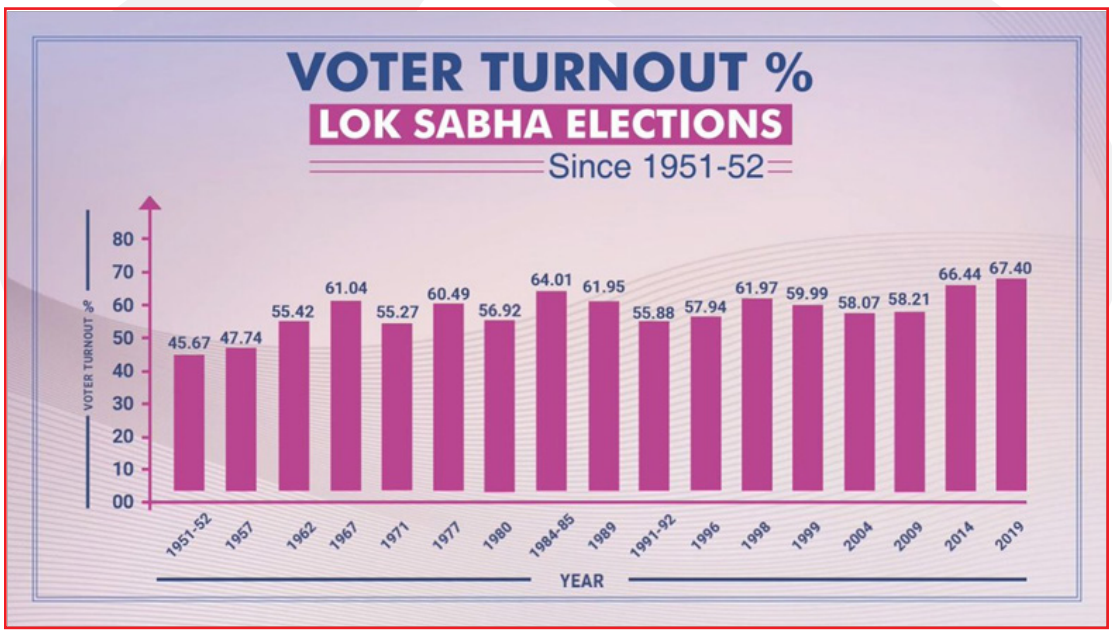

भारत निर्वाचन आयोग से संबद्ध विभिन्न मुद्दे क्या हैं?

- **संवैधानिक सीमाएँ:**
  - संविधान ने निर्वाचन आयोग के सदस्यों की योग्यता (विधिक, शैक्षणिक, प्रशासनिक या न्यायिक) निर्धारित नहीं की है।
  - संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों का कार्यकाल निर्दिष्ट नहीं किया गया है।
  - संविधान ने सेवानिवृत्त निर्वाचन आयुक्तों को सरकार द्वारा किसी भी आगे की नियुक्ति से अवरुद्ध नहीं किया है।
- **चयन समिति में सरकार का प्रभुत्व:**
  - मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पद की अवधि) अधिनियम, 2023 के तहत एक चयन समिति का गठन किया गया है जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं।
  - इस प्रकार, चयन समिति में तत्कालीन सरकार के सदस्यों का बहुमत होता है, जो ECI की स्वतंत्रता को कमज़ोर कर सकता है।

नोट :

- **कार्यकाल की सुरक्षा:**
  - निर्वाचन आयुक्तों के लिये कार्यकाल की सुरक्षा की गारंटी नहीं है क्योंकि उन्हें औपचारिक महाभियोग प्रक्रिया के बजाय मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अनुशंसा पर सत्तारूढ़ सरकार द्वारा हटाया जा सकता है। इससे वे असुरक्षित हो जाते हैं और संभावित रूप से उनकी स्वतंत्रता पर असर पड़ता है।
- **वित्तीय स्वतंत्रता का अभाव:**
  - निर्वाचन आयोग की वित्तीय स्वतंत्रता सीमित है क्योंकि यह वित्तीय मामलों के लिये केंद्र सरकार पर निर्भर है।
  - विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से इसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के प्रयासों के बावजूद, निर्वाचन आयोग का व्यय भारत की संचित निधि से प्राप्त नहीं किया जाता है, जिससे केंद्र सरकार पर उसकी निर्भरता और बढ़ जाती है।
- **चुनावी कदाचार:**
  - मतदाता सूची में अनियमितताएँ एवं विसंगतियाँ (जैसे डुप्लिकेट प्रविष्टियाँ, अशुद्धियाँ एवं अपवर्जन) ऐसे नियमित रूप से बने रहे मुद्दे हैं जो नागरिकों को मताधिकार से वंचित कर सकते हैं और चुनाव की निष्पक्षता को प्रभावित कर सकते हैं।
  - इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के साथ छेड़छाड़, मतदाता प्रतिरूपण और मतदाता सूचियों में हेरफेर सहित चुनावी धोखाधड़ी के विभिन्न मामले चुनाव की अखंडता के लिये खतरा पैदा करते हैं।
  - चुनावी हिंसा, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता या सांप्रदायिक तनाव का इतिहास रहा है, एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा बनी हुई है।
- **राजनीतिक पूर्वाग्रह के आरोप:**
  - ECI को उसकी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में राजनीतिक पूर्वाग्रह और पक्षपात के आरोपों का सामना करना पड़ा है।
  - आयोग के आदेश द्वारा राज्य सरकारों के अधीन कार्यरत वरिष्ठ अधिकारियों के अचानक स्थानांतरण के उदाहरण सामने आते रहे हैं।
  - राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा MCC के उल्लंघन (जैसे घृणास्पद भाषण, सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग और नकदी एवं उपहारों का वितरण) के मामले अधिक प्रभावी प्रवर्तन तंत्र की आवश्यकता को उजागर करते हैं।
  - कुछ राजनीतिक दलों और हितधारकों द्वारा ECI पर सत्तारूढ़ दल से प्रभावित होने या चुनावी विवादों एवं शिकायतों को संबोधित करने में निष्पक्ष रूप से कार्य करने में विफल रहने के आरोप लगाये जाते रहे हैं।
- **राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने की शक्ति का अभाव:**
  - जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29A के तहत नामांकन प्राधिकारी के रूप में अपनी भूमिका के बावजूद, निर्वाचन आयोग के पास गंभीर उल्लंघन के मामलों में भी राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने की शक्ति नहीं है।
  - इसके अतिरिक्त, ECI के पास दलों में आंतरिक लोकतंत्र को लागू करने या दलों के वित्त को विनियमित करने की शक्ति नहीं है।
- **अभिगम्यता और समावेशिता:**
  - मतदाता अभिगम्यता एवं समावेशिता को बढ़ाने के प्रयासों के बावजूद, यह सुनिश्चित करने में चुनौतियाँ बनी हुई हैं कि सभी पात्र नागरिक मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकें।
  - दिव्यांग मतदाताओं के लिये अपर्याप्त अवसंरचना, भाषा संबंधी बाधाएँ और दूरदराज या वंचित क्षेत्रों में लॉजिस्टिक्स संबंधी चुनौतियें जैसे मुद्दे मतदाता भागीदारी में बाधक बन सकते हैं।

भारत निर्वाचन आयोग को सशक्त करने के लिये कौन-से कदम उठाये जाने चाहिये?

- **स्वतंत्र चयन समिति का गठन:**
  - एक स्वतंत्र चयन समिति का गठन किया जाए जिसमें सरकारी अधिकारियों के अलावा विभिन्न हितधारकों के प्रतिनिधि शामिल हों। इस समिति को नियुक्ति प्रक्रिया की निगरानी करनी चाहिये और निष्पक्षता सुनिश्चित करनी चाहिये।
  - अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ, 2023 मामले में सर्वोच्च न्यायालय की पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से निर्णय दिया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जानी चाहिये जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) शामिल हों।
- **निर्वाचन आयुक्तों को सांविधिक सुरक्षा प्रदान करना:**
  - ऐसा विधान लाया जाए जो उन शर्तों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करे जिनके तहत निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाया जा सकता है।
  - इस विधान में मनमाने ढंग से बर्खास्तगी को रोकने के लिये कड़े मानदंड और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय शामिल होने चाहिये।

नोट :

- **पारदर्शी वित्तपोषण तंत्र:**
  - ECI को धन आवंटित करने के लिये पारदर्शी तंत्र लागू किया जाए, जैसे कि संसदीय विनियोग प्रक्रिया या एक स्वतंत्र बजटीय निरीक्षण समिति के माध्यम से।
  - इससे जवाबदेही बढ़ेगी और यह सुनिश्चित होगा कि वित्तपोषण संबंधी निर्णय उचित एवं निष्पक्ष तरीके से लिये गए हैं।
- **आनुपातिक दंड की शक्ति:**
  - उल्लंघन के दोषी पाए जाने वाले राजनीतिक दलों के विरुद्ध विभिन्न तरह के प्रतिबंध एवं दंड लागू कर सकने के लिये (जैसे उनके विशेषाधिकारों का निलंबन और अस्थायी या स्थायी रूप से उनका पंजीकरण रद्द करना) ECI को सशक्त बनाया जाए।
  - दंड की गंभीरता उल्लंघन की गंभीरता के अनुरूप होनी चाहिये।
- **चुनावी अखंडता बढ़ाना:**
  - चुनावी प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करने के लिये तंत्र को सुदृढ़ करना सर्वोपरि महत्त्व रखता है।
  - इसमें चुनावी धोखाधड़ी, मतदाता भयादोहन और कदाचार को रोकने के उपायों को बढ़ावा देने के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम, मतदाता पंजीकरण डेटाबेस और मतपत्र गिनती प्रक्रियाओं की सुरक्षा एवं विश्वसनीयता में सुधार लाना शामिल है।
- आयोग को अधिक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में वोटर वेरिफ़िएबल पेपर ऑडिट ट्रेल सिस्टम (VVPATS) स्थापित कर लोगों के बीच अपना विश्वास स्थापित करने की आवश्यकता है।
- **प्रौद्योगिकीय एकीकरण:**
- प्रौद्योगिकीय प्रगति को अपनाने और चुनावी अवसंरचना के आधुनिकीकरण में निवेश करने से चुनावी प्रक्रिया की दक्षता, पारदर्शिता एवं अखंडता में सुधार हो सकता है।
- इसमें सुरक्षा बढ़ाने और छेड़छाड़ या धोखाधड़ी के जोखिम को कम करने के लिये ब्लॉकचेन-आधारित वोटिंग सिस्टम जैसी उन्नत वोटिंग तकनीकों को अपनाना शामिल है।
- **समावेशी भागीदारी:**
- चुनावी प्रक्रिया में समावेशी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिये मतदाता दमन, भेदभाव एवं मताधिकार से वंचना जैसे मुद्दों के समाधान हेतु सक्रिय उपाय करने के साथ ही चुनाव संबंधी निर्णयकारी निकायों में विविध समुदायों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना आवश्यक है।
- सुनिश्चित किया जाए कि मतदान केंद्र दिव्यांगजनों सहित सभी मतदाताओं के लिये अभिगम्य हों। इसमें रैंप, व्हीलचेयर अनुरूप प्रवेश द्वार, ब्रेल संकेत और स्पर्शनीय वोटिंग मशीनें प्रदान करना शामिल हो सकता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:**
- अंतर्राष्ट्रीय चुनावी प्रबंधन निकायों एवं संगठनों के साथ सहकार्यता एवं सहयोग को सुदृढ़ करने से ज्ञान के आदान-प्रदान, क्षमता-निर्माण पहलों और चुनावी प्रशासन में सर्वोत्तम अभ्यासों के अंगीकरण की सुविधा मिल सकती है।
- इससे वैश्विक मंच पर ECI की विश्वसनीयता, प्रभावशीलता और प्रतिष्ठा बढ़ सकती है।

निष्कर्ष:

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) का भविष्य प्रौद्योगिकीय प्रगति को अपनाने, नियामक ढाँचे को सुदृढ़ करने, समावेशी भागीदारी को बढ़ावा देने और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखने की इसकी क्षमता में निहित है। निर्वाचन आयोग को सशक्त बनाकर और चुनावों को प्रभावी ढंग से विनियमित करने एवं निगरानी करने की उसकी क्षमता को बढ़ाकर, भारत लोकतांत्रिक शासन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि कर सकता है तथा चुनावी प्रणाली में अपने नागरिकों के बीच भरोसे एवं आत्मविश्वास को बढ़ावा दे सकता है।

■■■

भारत में क्षय रोग (TB)

24 मार्च को विश्व तपेदिक/क्षयरोग दिवस (World TB Day) मनाया जाता है। इसे वर्ष 1882 में डॉ. रॉबर्ट कोच (Dr. Robert Koch) द्वारा टीबी का कारण बनने वाले जीवाणु माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस (Mycobacterium tuberculosis) की खोज की याद में मनाया जाता है। उल्लेखनीय है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के आकलन के अनुसार, प्रत्येक दिन दुनिया भर में 3,500 लोग टीबी से अपनी जान गँवाते हैं और लगभग 30,000 लोग टीबी बेसिली से संक्रमित होते हैं।

वैश्विक स्तर पर टीबी के 27% मामले अकेले भारत में हैं। यह आश्चर्यजनक है, क्योंकि टीबी एक पता लगाने योग्य एवं आरोग्य-साध्य बीमारी (detectable and curable disease) है और टीबी निदान एवं उपचार प्रोटोकॉल लंबे समय से मौजूदा स्वास्थ्य प्रणालियों का अंग रहे हैं।

नोट :

नोट:

- पीछे मुड़कर देखें तो टीबी के विरुद्ध भारत का संघर्ष इसकी स्वतंत्रता से पहले ही शुरू हो गई थी:
  - वर्ष 1929 में भारत 'इंटरनेशनल यूनियन अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस' में शामिल हुआ था। टीबी नियंत्रण के लिये 'किंग जॉर्ज V थैंक्सगिविंग फंड' की स्थापना टीबी शिक्षा एवं रोकथाम, क्लीनिकों की स्थापना और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिये की गई थी।
  - वर्ष 1947 में स्वतंत्रता के बाद केंद्र सरकार ने योजना की देखरेख के लिये स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के तहत एक टीबी प्रभाग की स्थापना की।
  - वर्ष 1959 में सरकार ने WHO की मदद से बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्षय रोग संस्थान (National TB Institute) की स्थापना की। इसके बाद वर्ष 1962 में राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम (National Tuberculosis Control Programme-NTP) तैयार किया गया।
  - वर्ष 1963 में NTP में कमी की पहचान के साथ फिर संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम विकसित किया गया। वर्ष 2023 की अद्यतन स्थिति पर विचार करें तो भारत का राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम सतत विकास लक्ष्यों से पाँच वर्ष पूर्व वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन के लक्ष्य को पूरा करने के प्रयास का नेतृत्व कर रहा है।
- उल्लेखनीय है कि वर्ष 2030 तक टीबी महामारी को समाप्त करना संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के स्वास्थ्य लक्ष्यों में से एक है।
- नवंबर 2023 में WHO ने दो प्रमुख मोर्चों पर भारत की सफलता को चिह्नित किया: वर्ष 2015 से 2022 के बीच टीबी के मामलों को 16% कम करने में (वैश्विक स्तर पर टीबी के मामलों में गिरावट से लगभग दोगुनी गति से) और उसी दौरान टीबी मृत्यु दर को 18% तक कम करने में, जहाँ भारत वैश्विक रुझान के अनुरूप बना रहा है।
- प्रधानमंत्री ने वाराणसी में आयोजित 'वन वर्ल्ड टीबी समिट' को संबोधित किया, जहाँ उन्होंने 'टीबी मुक्त पंचायत' और वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निवारक उपचार पर तीन माह की लघु उपचार अवधि शुरू करने जैसी पहलों की घोषणा की।
  - प्रधानमंत्री ने टीबी का खतरा रखने वाले लोगों के लिये 3 माह के निवारक उपचार की राष्ट्रव्यापी शुरुआत करने की भी घोषणा की। इससे पूर्व के छह माह की उपचार अवधि का समय कम हो जाएगा और दैनिक रूप से गोलियाँ खाने के स्थान पर सप्ताह में एक बार दवा दी जाएगी।

तपेदिक/क्षय रोग/यक्ष्मा/टीबी क्या है?

- **परिचय:**
  - टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है, जो माइकोबैक्टीरियासी परिवार से संबंधित जीवाणु है, जिसमें लगभग 200 अन्य जीवाणु शामिल हैं।
  - कुछ माइकोबैक्टीरिया मनुष्यों में टीबी और कुष्ठ रोग (Leprosy) जैसी बीमारियों का कारण बनते हैं और अन्य जंतुओं की एक विस्तृत श्रृंखला को संक्रमित करते हैं।
  - मनुष्यों में, टीबी सबसे अधिक फेफड़ों (pulmonary TB) को प्रभावित करती है, लेकिन यह अन्य अंगों (extra-pulmonary TB) को भी प्रभावित कर सकती है।
  - टीबी एक बहुत ही प्राचीन बीमारी है और मिस्र में 3000 ईसा पूर्व से ही इसके मौजूद होने को दर्ज किया गया है। यह एक उपचार योग्य और आरोग्य-साध्य बीमारी है।
- **संक्रमण की व्यापकता:**
  - प्रति वर्ष 10 मिलियन लोग टीबी से बीमार पड़ते हैं। रोकथाम योग्य और साध्य बीमारी होने के बावजूद, हर वर्ष 1.5 मिलियन लोगों की टीबी से मौत हो जाती है, जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी जानलेवा संक्रामक बीमारी बनाता है।
  - टीबी एचआईवी से पीड़ित लोगों की मृत्यु का प्रमुख कारण है और रोगाणुरोधी प्रतिरोध में भी एक प्रमुख योगदानकर्ता है।
  - टीबी से बीमार पड़ने वाले अधिकांश लोग निम्न और मध्यम आय वाले देशों में पाए जाते हैं, लेकिन टीबी का अस्तित्व पूरी दुनिया में देखा जाता है। टीबी से संक्रमित सभी लोगों में से लगभग आधे इन 8 देशों में पाए जाते हैं: बांग्लादेश, चीन, भारत, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस और दक्षिण अफ्रीका।

नोट :

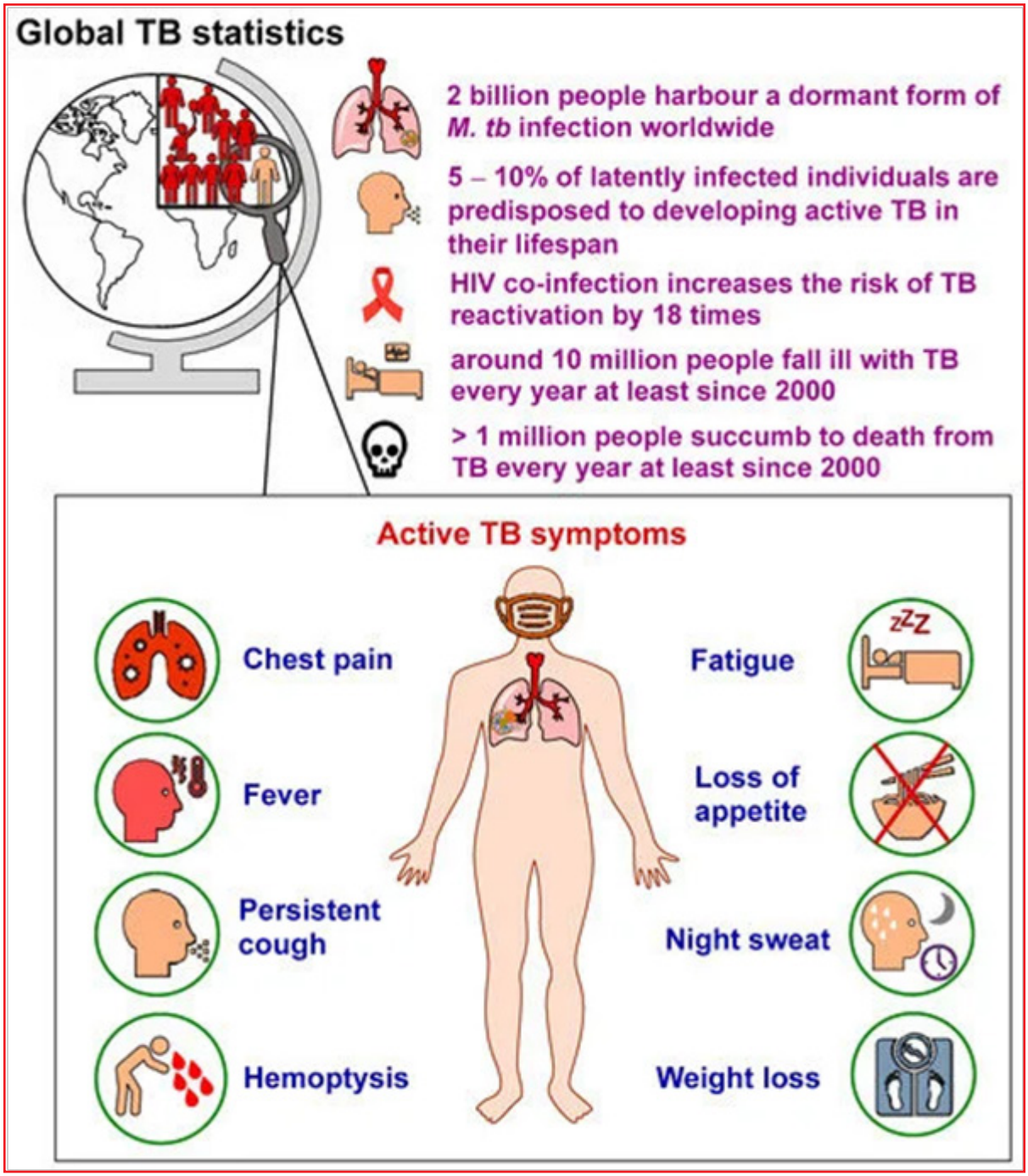

- **उपचार:**
  - टीबी का इलाज 4 रोगाणुरोधी दवाओं के 6 माह के मानक कोर्स के साथ किया जाता है, जहाँ स्वास्थ्य कार्यकर्ता या प्रशिक्षित स्वयंसेवक द्वारा रोगी को जानकारी, पर्यवेक्षण एवं सहायता भी प्रदान की जाती है।
  - टीबी रोधी दवाओं का उपयोग दशकों से किया जा रहा है और सर्वेक्षण किये गए प्रत्येक देश में एक या अधिक दवाओं के प्रति प्रतिरोधी उपभेदों (स्ट्रेन) की उपस्थिति को दर्ज किया गया है।

नोट :

- बहुऔषध-प्रतिरोधक तपेदिक (Multidrug-resistant tuberculosis- MDR-TB) टीबी का एक रूप है जो ऐसे जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है जो दो सबसे प्रभावशाली और प्रथम पंक्ति की टीबी-रोधी दवाओं आइसोनियाज़िड (isoniazid) एवं रिफैम्पिसिन (rifampicin) पर प्रतिक्रिया नहीं करता है। MDR-TB का उपचार बेडाक्विलिन (Bedaquiline) जैसी दूसरी पंक्ति की दवाओं के उपयोग से संभव है।
- व्यापक दवा प्रतिरोधी तपेदिक (Extensively drug-resistant TB- XDR-TB) MDR-TB का एक अधिक गंभीर रूप है जो ऐसे जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है जो सबसे प्रभावी दूसरी पंक्ति की टीबी-रोधी दवाओं पर भी प्रतिक्रिया नहीं करता है, जिससे प्राय: रोगियों के पास किसी अन्य उपचार का विकल्प नहीं बचता।

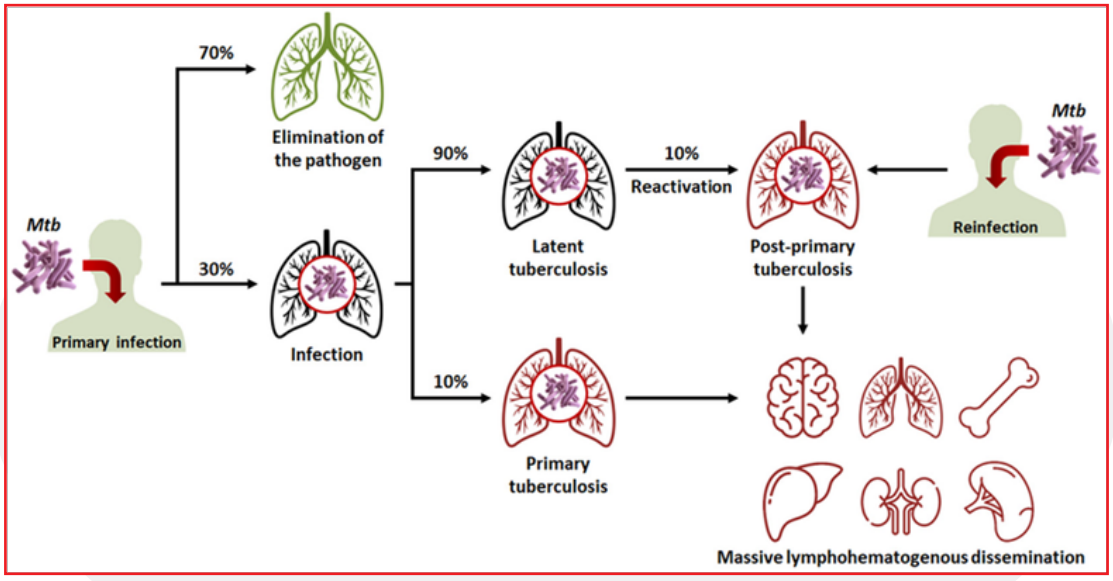

भारत में टीबी के उपचार से संबद्ध विभिन्न मुद्दे क्या हैं?

- **केवल चिकित्सा पहलू पर ध्यान देना:**
  - सबसे बड़ी कमी टीबी से प्रभावित और जूझ रहे व्यक्तियों के वास्तविक जीवन के अनुभवों को समझने में रही है। हमारे लिये उनकी आवश्यकताओं, कठिनाइयों और प्रत्याशाओं के बारे में अनुमान लगाना बहुत आम बात है।
  - कई बार तंत्र ने इस बीमारी का अत्यधिक चिकित्साकरण कर गलती की है, जैसा कि प्राय: चिकित्सकों और सार्वजनिक स्वास्थ्य पेशेवरों के मामले में देखा जाता है।
    - यह टीबी को एक मानवीय संकट—जो लिंग-विशिष्ट निहितार्थ, आर्थिक प्रभाव और व्यापक सामाजिक एवं पर्यावरणीय प्रभाव रखता है, के रूप में चिह्नित करने में प्राय: विफल रहा है।
- **हाशिये पर स्थित वर्ग पर असंगत रूप से प्रभाव:**
  - हालाँकि टीबी किसी भी वर्ग, धर्म, जातीयता और सामाजिक-आर्थिक स्थिति के लोगों को प्रभावित कर सकती है, लेकिन यह समाज में सबसे वंचित लोगों को, जिनमें बच्चे, शहरी गरीब, क़ैदी और एचआईवी/एड्स से पीड़ित लोग शामिल हैं, असंगत रूप से प्रभावित करती है।
  - यह बीमारी केवल एक स्वास्थ्य संकट होने तक सीमित नहीं है। यह एक आर्थिक संकट भी है जो कुछ अनुमानों के अनुसार, भारत को हर वर्ष अरबों रुपए की हानि पहुँचाती है और परिवारों एवं समुदायों को कर्ज और गरीबी में धकेल देती है।
- **'एंटीबायोटिक्स' का अत्यधिक उपयोग:**
  - टीबी में दवा प्रतिरोध एक मानव निर्मित घटना बनी हुई है। एंटीबायोटिक दवाओं के अनियमित उपयोग और उपचार

नोट :

के नियमों का अनुपालन न करने से बैसिलस जीवाणु पर चयनात्मक विकासवादी दबाव पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप उनमें दवा प्रतिरोध विकसित होता है।

- दवा नियंत्रण के लिये कमज़ोर नियामक तंत्र और उपचार के नियमों का गैर-अनुपालन दवा प्रतिरोध के ऐसे उच्च स्तर के प्रमुख कारण हैं।

- **दवा प्रतिरोधी टीबी की सीमा का आकलन:**
  - रिफैम्पिसिन-प्रतिरोधी तपेदिक (RR-TB) और MDR-TB से संक्रमित लोगों के अनुपात पर आँकड़े की आवश्यकता है। उल्लेखनीय है कि रिफैम्पिसिन और आइसोनियाज़िड दोनों के लिये प्रतिरोध रखने वाले टीबी को संयुक्त रूप से MDR/RR-TB कहा जाता है।
    - इससे नियंत्रण कार्यक्रम के बेहतर योजना-निर्माण एवं डिज़ाइन, निदान के लिये संसाधन आवंटन, उपचार व्यवस्था के साथ-साथ DR-TB के लिये निर्दिष्ट प्रशिक्षित कर्मचारियों की उपलब्धता में मदद मिलेगी।
- **स्क्रीनिंग प्रक्रियाओं का पुनर्मूल्यांकन:**
  - लैंसेट (Lancet) के एक अध्ययन के साथ-साथ भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के 'भारत में राष्ट्रीय क्षय रोग प्रसार सर्वेक्षण' से पता चला है कि लक्षणों के लिये लोगों की स्क्रीनिंग या जाँच करना उपयुक्त कदम तो है, लेकिन यह पुष्ट आधार नहीं रखता है।
  - अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि कई मामलों में, कोई भी स्पष्ट लक्षण न दिखने के बावजूद लोगों में संक्रामक टीबी हो सकती है और वे इसे प्रसारित भी कर सकते हैं। 'एक्स-रे इमेजिंग' इन रोगियों का पता लगाने का एक त्वरित और कुशल तरीका है।
- **उच्च लागत और पहुँच संबंधी समस्याओं के कारण सीमित परीक्षण:**
  - पुराने थूक परीक्षण या स्प्यूटम माइक्रोस्कोपी टेस्ट (sputum microscopy test) की अपनी सीमाएँ हैं जिन्हें नए आणविक परीक्षणों (molecular tests) द्वारा दूर किया जाता है जो त्वरित एवं सटीक होते हैं और यहाँ तक कि दवाओं के विरुद्ध प्रतिरोध का भी पता लगा सकते हैं। भारत ने आणविक निदान क्षमता में भी उल्लेखनीय वृद्धि की है।
    - भारत में NAAT (nucleic acid amplification test) मशीनों की संख्या वर्ष 2017 में 651 से बढ़कर वर्ष 2022 में 5,000 से अधिक हो गई है। लेकिन इन परीक्षणों की उपयोगिता उनकी उच्च लागत और पहुँच संबंधी समस्याओं के कारण सीमित है।
- **थूक संग्रह पर निर्भर आणविक परीक्षण में चुनौतियाँ:**
  - सर्वप्रथम, हर किसी के लिये, विशेषकर छोटे बच्चों के लिये, थूक का नमूना देना आसान नहीं भी हो सकता है । दूसरा, इस नमूने का परिवहन, विशेष रूप से दूरदराज और पहाड़ी ज़िलों में, एक चुनौती बना हुआ है।
    - कोविड-19 महामारी के दौरान, जब नासिका ग्रसनी स्राव (nasopharyngeal swabs) का एक विकल्प सरल नासिका स्राव, लार और स्व-संग्रह के रूप में पेश किया गया तो परीक्षण कवरेज में व्यापक वृद्धि हुई।
- **डायबिटीज मेलिटस (Diabetes Melitus-DM) और टीबी का दोहरा बोझ:**
  - DM प्रतिकूल टीबी उपचार परिणामों (जैसे कि उपचार विफलता, पुनरावृत्ति/पुन: संक्रमण और यहाँ तक कि मृत्यु भी) की संभावना को बढ़ा देता है। रोगियों में टीबी और DM का सह-अस्तित्व टीबी के लक्षणों, रेडियोलॉजिकल निष्कर्षों, उपचार, अंतिम परिणामों और पूर्वानुमान को भी बदल सकता है।
    - DM और टीबी का दोहरा बोझ न केवल व्यक्तियों के स्वास्थ्य और अस्तित्व को प्रभावित करता है, बल्कि स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली, परिवारों और समुदायों पर भी उल्लेखनीय बोझ डालता है।

टीबी संकट को कम करने के लिये कौन-से कदम उठाये जाने चाहिये?

- **रोगियों और समुदायों की आवश्यकताओं एवं हितों को प्राथमिकता देना :**
  - देखभाल प्रतिमान और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के भीतर रोगियों और समुदायों की आवश्यकताओं एवं हितों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। उत्तरजीवी लोगों, समुदायों, स्वास्थ्य विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं द्वारा प्रतिध्वनित यह सिद्धांत, टीबी देखभाल और प्रबंधन के लिये एक व्यक्ति-केंद्रित दृष्टिकोण की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
- **व्यक्ति-केंद्रित दृष्टिकोण का पालन:**
  - टीबी के उत्तरजीवी लोगों (TB survivors) के बीच प्रभावशाली पैरोकारों का उदय हुआ है जिन्होंने विमर्श में प्रभावित समुदायों की आवश्यकताओं को शामिल करने पर

अत्यंत बल दिया है। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में बदलाव की वकालत की है, जिससे सरकारों को इन सामुदायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अपने दृष्टिकोण को समायोजित करना पड़ा है।

- उदाहरण के लिये, भले ही सीमित रूप से लेकिन पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने में कुछ प्रगति हुई है, जो एक महत्त्वपूर्ण उन्नति का प्रतीक है।

- **नीतिगत मंशा और ज़मीनी वास्तविकता के बीच के अंतराल को दूर करना:**
  - नीतिगत मंशा और ज़मीनी वास्तविकता के बीच के अंतराल को दूर करने की ज़रूरत है। उदाहरण के लिये, भारत को टीबी निदान एवं उपचार तक पहुँच में सुधार और विस्तार के उद्देश्य से लक्षित हस्तक्षेपों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।
  - टीबी परीक्षण सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिये, विशेष रूप से ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में, और नि:शुल्क, सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण टीबी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिये।
    - आणविक परीक्षण एक स्वर्ण मानक है लेकिन लक्षणयुक्त रोगियों के एक चौथाई से भी कम को अपने पहले परीक्षण के रूप में इसकी सुविधा मिला पा रही है।
- **टीबी देखभाल को और अधिक मानवीय बनाना:**
  - समुदाय-आधारित टीबी देखभाल मॉडल को सुदृढ़ करने (जहाँ अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं को व्यापक देखभाल प्रदान करने के लिये सशक्त बनाना शामिल है) के लिये वृहत प्रयासों की आवश्यकता है, जो न केवल उपचार को बल्कि सामाजिक, आर्थिक एवं मानसिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं को भी संबोधित करे तथा यह मरीजों को उनके अपने क्षेत्र में ही उपलब्ध हो।
  - यह महत्त्वपूर्ण है क्योंकि उत्तरजीवी की कहानियाँ हमें बताती हैं कि वे किस कलंक, भेदभाव और मानसिक तनाव से गुज़रते हैं, जबकि उपचार के दुष्प्रभाव भी एक गंभीर विषय है।
- **बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाना:**
  - टीबी के सामाजिक-आर्थिक निर्धारकों को संबोधित करने के लिये बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण की आवश्यकता है। गरीबी उन्मूलन, पोषण संबंधी स्थिति में सुधार, अच्छे हवादार आवास और बेहतर वायु गुणवत्ता—ये सभी टीबी को कम करने में योगदान देंगे।
  - टीबी के अंतर्निहित मूल कारणों से निपटकर, भारत इस बीमारी का उन्मूलन करने और अपनी आबादी के समग्र स्वास्थ्य एवं कल्याण में सुधार करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण प्रगति कर सकता है।
- **प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना:**
  - प्रौद्योगिकी और नवाचार का लाभ उठाने से भारत में टीबी देखभाल प्रयासों को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। टीबी निदान, अनुपालन एवं निगरानी के लिये AI और डिजिटल स्वास्थ्य समाधानों को अपनाने से देश में टीबी देखभाल प्रदान करने एवं इस तक पहुँच के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है। बेहतर टीके विकसित करने में निवेश कर, हम अंतत: इस वायुजनित बीमारी का उन्मूलन करने की उम्मीद कर सकते हैं।
    - एक्स-रे प्रौद्योगिकी व्यापक रूप से उन्नत हो गई है। अब हमारे पास न केवल पोर्टेबल हैंड-हेल्ड डिवाइस हैं, बल्कि AI द्वारा संचालित सॉफ्टवेयर भी है जो डिजिटल एक्स-रे छवियों को पढ़ सकता है और उच्च स्तर की निश्चितता के साथ संभावित टीबी का पता लगा सकता है।
- **टीबी के बोझ को दूर करने के लिये 8-सूत्रीय एजेंडा लागू करना:**
  - शीघ्र पता लगाना (Early Detection): टीबी की प्रकृति या व्याधि-निदान विज्ञान (aetiology) को देखते हुए, इसका शीघ्र पता लगाना महत्त्वपूर्ण है। इसके लक्षणों की प्राय: उपेक्षा की जाती है और भ्रमवंश उन्हें अन्य सामान्य बीमारियाँ समझ लिया जाता है, जिससे रिपोर्ट करने में देरी होती है। प्रत्येक प्रथम मामले या इंडेक्स केस में उसके परिवार और अन्य संपर्कों के लिये अनिवार्य जाँच आवश्यक है, जिसके लिये स्वास्थ्य प्रणालियों के भीतर प्रयोगशाला सुविधाओं और कुशल अनुवर्ती तंत्र की उपलब्धता आवश्यक है।
  - सटीक उपचार वर्गीकरण: DR-TB की वृद्धि के साथ, निदान के समय प्रतिरोध की स्थिति का ज्ञात होना अनिवार्य है ताकि उनकी फेनोटाइपिक संवेदनशीलता के अनुसार उचित उपचार पथ्य निर्धारित किये जा सकें।
  - उपचार का पालन और अनुवर्ती कार्रवाई: अन्य जीवाणुजन्य रोगों के विपरीत, टीबी के लिये लंबे समय तक निरंतर उपचार की आवश्यकता होती है। इससे प्राय: गैर-अनुपालन की स्थिति बनती है, जो स्वास्थ्य की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार या निवास स्थान में परिवर्तन, राज्यों एवं ज़िलों के बीच आवाजाही आदि के कारण प्रेरित हो सकता है।

नोट :

- शून्य मृत्यु दर: टीबी (चाहे वह DR-TB हो या नॉन-पल्मोनेरी टीबी) के कारण मृत्यु दर को कम करना वर्ष 2025 तक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये आवश्यक है।
- उपयुक्त दवाओं की उपलब्धता: टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के तहत सुनिश्चित चिकित्सा आपूर्ति निर्दिष्ट है। हालाँकि DR-TB दवाओं (जैसे कि बेडाक्विलिन और डेलामेनिड) की खरीद से जुड़ी चुनौतियों का समाधान किया जाना चाहिये और इसके साथ ही सभी DR-TB मामलों के लिये (जहाँ रोगी भर्ती देखभाल की आवश्यकता होती है) उपचार सुविधाओं का पता लगाया जाना चाहिये।
- बड़ी स्वास्थ्य प्रणालियों में एकीकरण: सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों और निजी स्वास्थ्य प्रणालियों के विभिन्न स्तरों के भीतर तथा उनके बीच रेफरल नेटवर्क को सुदृढ़ करना यह सुनिश्चित करने के लिये महत्त्वपूर्ण है कि (a) कोई भी लक्षणसूचक मामला छूटे नहीं, (b) कोई भी मरीज अपनी खुराक लेने से चूक न जाए और गैर-अनुपालन न करे, और (c) फुफ्फुसीय टीबी मामलों (DR or non-DR) के सभी पॉजिटिव मामलों के लिये संपर्कों की भी स्क्रीनिंग हो।
- सक्षम अधिसूचना प्रणाली: एक मज़बूत अधिसूचना प्रणाली स्वास्थ्य प्रणाली कर्मियों के बोझ को कम करेगी। इस क्रम में 'निक्षय' का विकास किया गया है लेकिन इसमें क्षेत्रों, चिकित्सकों, समय और स्थानों के बीच रियल-टाइम टीबी डेटा को प्राप्त कर सकने के लिये सुधार की ज़रूरत है। उल्लेखनीय है कि निक्षय (नि= अंत, क्षय= टीबी) राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (NTEP) के तहत टीबी नियंत्रण के लिये वेब सक्षम रोगी प्रबंधन प्रणाली है।
- जनसंख्या गतिशीलता और प्रवासन पर विचार करना: प्राय: बीमारी और स्वास्थ्य देखभाल की मांग पर चर्चा करते समय (विशेष रूप से टीबी के संदर्भ में जो सामाजिक और सांस्कृतिक कलंक से ग्रस्त है) जीवन के उत्पादक पहलुओं की उपेक्षा कर दी जाती है। उल्लेखनीय है कि एक बार जब टीबी का निदान हो जाता है और इसके सकारात्मक मामलों को उपचार के अंदर रखा जाता है तो रोगी का स्वास्थ्य त्वरित रूप से पुनर्बहाल होने लगता है जिससे वह अपनी दैनिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने में सक्षम होने लगता है। इसलिये, देश के भीतर टीबी उपचार की सुवाह्यता (portability) नीति स्तर पर अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

टीबी से निपटने के लिये कौन-सी पहलें की गई हैं?

- **वैश्विक प्रयास:**
  - विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation-WHO) ने ग्लोबल फंड और 'स्टॉप टीबी पार्टनरशिप' के साथ "Find. Treat. All. #EndTB" नामक संयुक्त पहल शुरू की है।
  - WHO 'ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट' भी जारी करता है।
- **भारत के प्रयास:**
  - प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान
  - क्षय रोग उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय रणनीतिक योजना (2017-2025)।
  - टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान
  - निक्षय पोषण योजना

निष्कर्ष:

भारत में टीबी उन्मूलन की राह में व्यक्ति-केंद्रित देखभाल को प्राथमिकता देने, स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों को संबोधित करने और नवाचार को अपनाने के लिये ठोस प्रयास करने की आवश्यकता है। भारत समग्र और व्यक्ति-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाकर टीबी नियंत्रण की राह में मौजूद बाधाओं को दूर कर सकता है और अपने सभी नागरिकों के लिये एक स्वस्थ भविष्य का निर्माण कर सकता है।

आवश्यकता इस बात की है कि कार्यान्वयन में सुधार किया जाए और नई प्रौद्योगिकियों को तैनात करने में अधिक सक्रिय हुआ जाए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि नई प्रौद्योगिकियों को सुव्यवस्थित किया जाए और तेज़ी से लागू किया जाए तथा आवश्यकतानुसार नैदानिक परीक्षणों करने के लिये उप-ज़िला स्तर पर क्षमता का निर्माण किया जाए।

■■■

गाज़ा में युद्ध विराम

इज़रायल द्वारा गाज़ा पर हमला शुरू करने के साढ़े पाँच माह बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) द्वारा 25 मार्च 2024 को 'तत्काल युद्धविराम' (immediate ceasefire) का आह्वान किया गया। इसके साथ ही, UNSC ने हमास द्वारा बंधक रखे गए इज़रायली नागरिकों की रिहाई का भी आह्वान किया।

संयुक्त राज्य अमेरिका, जो अब तक गाज़ा में तत्काल युद्ध विराम के संयुक्त राष्ट्र के हर प्रस्ताव को वीटो करता रहा था, इस बार अनुपस्थित रहा, जो संघर्ष के प्रति बाइडेन प्रशासन के दृष्टिकोण में बदलाव का संकेत देता है।

नोट :

ISRAEL-PALESTINE CONFLICT

The Israel-Palestine conflict is a long-standing geopolitical dispute over territory and self-determination in the Middle East.

BEGINNING

- UN adopted **Resolution 181** - the Partition Plan in 1947
- State of Israel created in 1948, sparking the **first Arab-Israeli War** (Israel won)
  - Palestinians displaced
  - Division of territory into - State of Israel, West Bank and Gaza Strip

INITIAL TENSIONS AND CONFLICTS (1956-1979)

- **Suez Crisis** and Israeli **invasion of Sinai Peninsula** in 1956
- **Six-Day War (1967) -** Israel gained control over Sinai Peninsula, Gaza Strip, West Bank, East Jerusalem and Golan Heights

Controversy over Jerusalem as Capital

- **Israel view:** Complete and united Jerusalem
- **Palestinians view:** East Jerusalem future capital

- **Yom Kippur War (1973) -** Surprise attack by Egypt and Syria
- **Camp David Accords (1979)** b/w Egypt and Israel

Intifada (Arabic for 'shake off')

- **First Intifada -** 1987 to 1993
  - Led to the foundation of Hamas (1987) - a Palestinian political party designated as a foreign terrorist org by US
  - Response - **Madrid Conference 1991** (chaired by the US and Russia)
- **Second Intifada -** 2000-2005
- The latest escalation (2023) is being called the beginning of "Third Intifada"

OSLO ACCORDS (MEDIATED BY US)

- **First (1993)**
  - Estd framework for **Palestinian self-governance** in West Bank and Gaza
  - Enabled mutual recognition between Israel and Palestine
- **Second (1995)**
  - Expanded on Oslo I Accords
  - Mandated **complete Israeli withdrawal** from several cities and towns **in West Bank**

POST 2000 CONFLICT AND RESPONSES

- **2013 -** US-led peace process began
- **2014-18 -** Gaza Conflict (2014)
  - Palestine announced break from territorial divisions under Oslo Accords (2015)
- **2018-20 -** US Cancelled funding for Palestinian refugees under UN Relief and Works Agency (UNRWA)
  - US proposed **"Peace to Prosperity"** plan
- **2020 - Abraham Accords**
- **2022-2023:**
  - Israel raids on **Jenin refugee camp**
  - Hamas launched **"Operation Al-Aqsa Flood"** and Israel launched "Operation Iron Swords" (both in 2023)
    - Israel declared a **State of War**
  - **India's Stand:**
    - Supports a **Two State solution** for Israel and Palestine
    - **Condemned the recent attack** by Hamas on Israel

Drishti IAS

नोट :

UNSC द्वारा पारित प्रस्ताव क्या था?

- **परिचय:**
  - प्रस्ताव में रमज़ान माह के लिये तत्काल युद्धविराम का आह्वान किया गया जिसका सभी पक्षों द्वारा सम्मान किया जाए ताकि एक स्थायी एवं सतत् युद्धविराम की ओर बढ़ा जा सके। इसमें 7 अक्तूबर 2023 को हमास द्वारा बंधक बनाये गए इज़रायली बंदियों की रिहाई और गाज़ा में अधिक मानवीय सहायता की आवश्यकता एवं अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन पर भी बल दिया गया।

- **प्रस्ताव/संकल्प की प्रकृति:**
  - UNSC के सभी प्रस्तावों को अमेरिका द्वारा अनुमोदित संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 25 के अनुसार बाध्यकारी माना जाता है। हालाँकि, अमेरिका ने नवीन प्रस्ताव को गैर-बाध्यकारी बताया है।
    - यदि UNSC के इस प्रस्ताव का पालन नहीं किया जाता है तो वह उल्लंघन को संबोधित करने वाले अनुवर्ती प्रस्ताव पर मतदान कर सकती है और प्रतिबंधों या यहाँ तक कि एक अंतर्राष्ट्रीय बल के प्राधिकरण के रूप में दंडात्मक कार्रवाई कर सकती है।
- **पूर्व के प्रस्ताव:**
  - वर्ष 2016 में UNSC ने फिलिस्तीन में इज़रायल की बस्तियों को अवैध और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन मानते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था। यह प्रस्ताव 14 वोटों से पारित हुआ था और अमेरिका मतदान से अनुपस्थित रहा था। इज़रायल द्वारा इस प्रस्ताव की उपेक्षा की गई थी।

नोट :

- अभी हाल ही में दिसंबर 2023 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक 'मानवीय युद्धविराम' का आह्वान करते हुए भारी बहुमत से मतदान किया था। यह एक गैर-बाध्यकारी प्रस्ताव था और इज़रायल ने इस पर कार्रवाई करने से इनकार कर दिया था।
- इज़रायल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जाँच के दायरे में भी है, जहाँ दक्षिण अफ्रीका द्वारा उस पर गाज़ा में नरसंहार (genocide) के कृत्य का आरोप लगाया गया है।

युद्धविराम का आह्वान करने वाले प्रस्ताव के पारित होने में अमेरिका की क्या भूमिका रही?

- **रूस की तुलना में अमेरिका की भूमिका:**
  - अमेरिका ने इज़रायल को सैन्य सहायता की आपूर्ति नहीं रोकी है और बलपूर्वक कहा है कि इज़रायल की सुरक्षा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता दृढ़ बनी हुई है। वस्तुत: अमेरिका ने स्पष्ट रूप से और बलपूर्वक कहा है कि उनका वोट उनकी नीति में बदलाव का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। उल्लेखनीय है कि अमेरिका ने प्रस्ताव के विरुद्ध अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि इस पर मतदान से अनुपस्थित रहा।
    - मतदान से कुछ समय पूर्व आम सहमति बनाने के प्रयास में प्रस्ताव के पाठ से 'स्थायी' (permanent) शब्द को हटा दिया गया था।
  - रूस ने 'स्थायी' शब्द के उपयोग पर बल देने का प्रयास करते हुए कहा था कि इस शब्द का उपयोग नहीं करने से इज़रायल को रमादान के बाद "किसी भी समय गाज़ा पट्टी में अपना सैन्य अभियान पुन: शुरू करने" की अनुमति मिल सकती है।
- **अमेरिका द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव:**
  - UNSC के समक्ष अमेरिका द्वारा भी एक मसौदा प्रस्ताव रखा गया था और सदस्यों ने उस पर मतदान किया। इसे रूस और चीन द्वारा वीटो कर दिया, अल्जीरिया ने इसके विरुद्ध मतदान किया तथा गुयाना अनुपस्थित रहा। ग्यारह सदस्यों ने इस मसौदा प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जो वर्तमान प्रस्ताव से पूर्व लाया गया था।
    - अमेरिका के प्रस्ताव में युद्धविराम की मांग नहीं की गई थी, बल्कि "बंधकों की रिहाई के लिये समझौते के एक हिस्से के रूप में तत्काल और सतत् युद्धविराम स्थापित करने के अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक प्रयासों" का समर्थन किया गया था।
- **अमेरिकी प्रस्ताव में हमास की निंदा:**
  - संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रस्ताव ने UNSC के सदस्य देशों से "हमास के वित्तपोषण को प्रतिबंधित करने सहित आतंकवाद के वित्तपोषण पर अंकुश लगाने" का आग्रह किया। प्रस्ताव में हमास की निंदा भी की गई और कहा गया कि हमास को "कई सदस्य देशों द्वारा एक आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया गया है।"
    - अमेरिका के वक्तव्य में आगे कहा गया कि वर्तमान प्रस्ताव हमास की निंदा करने में विफल रहा है, जो प्रस्ताव की भाषा में शामिल होना चाहिये और अमेरिका इसे आवश्यक मानता है।
- **अमेरिका-इज़राइल संबंधों पर प्रभाव:**
  - युद्धविराम का आह्वान करने वाले पिछले तीन मसौदा प्रस्तावों पर वीटो करने के बाद नवीन प्रस्ताव पर मतदान से अमेरिका अनुपस्थित रहा है। इसकी प्रतिक्रिया में इज़राइली प्रधानमंत्री ने एक प्रतिनिधिमंडल की वाशिंगटन यात्रा को रद्द कर दिया और असंतोष जताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में अपनी पूर्व नीति का त्याग कर दिया है।

नवीन युद्धविराम प्रस्ताव पर इज़राइल की क्या प्रतिक्रिया रही?

- **संघर्ष विराम में बंधकों की रिहाई के शर्त का अभाव:**
  - UNSC के सभी सदस्यों (अमेरिका को छोड़कर) ने, जिसमें ब्रिटेन भी शामिल था (जो अब तक युद्धविराम का समर्थन करने के आह्वान का विरोध करता रहा था), प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। युद्धविराम के लिये हमास के कब्जे में मौजूद इज़राइली बंधकों की रिहाई की शर्त को बलपूर्वक शामिल नहीं करने के लिये इज़राइल ने असंतोष व्यक्त करते हुए इस प्रस्ताव की आलोचना की है।
- **राफ़ा पर हमले की योजना:**
  - हाल के समय में इज़राइल बार-बार कहता रहा है कि वह सुदूर दक्षिणी शहर राफ़ा (जहाँ लगभग 1.4 मिलियन फ़िलिस्तीनियों ने शरण ले रखी है) पर आक्रमण की योजना रखता है। UNSC के 14 सदस्यों द्वारा तत्काल युद्धविराम का आह्वान करने वाले प्रस्ताव के समर्थन के बाद अब इज़राइल द्वारा राफ़ा पर हमला करना (जो भारी रक्तपात का कारण बन सकता है) अत्यंत अनुपयुक्त सिद्ध होगा।
- **आगे की योजना में दीर्घकालिक समाधान का अभाव:**
  - इस युद्ध ने इज़राइल के अलगाव को बढ़ा दिया है, जहाँ अमेरिका और ब्रिटेन सहित अपने निकट सहयोगियों के

नोट :

साथ भी उसके संबंधों में तनाव बढ़ गया है। यदि इज़राइल बिना किसी स्पष्ट परिणाम के युद्ध जारी रखता है तो इससे उसके समक्ष विद्यमान घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियाँ और गंभीर हो जाएँगी, जबकि रक्षाहीन, पस्त, घिरे हुए, बमबारी से ग्रस्त गाज़ा में और अधिक फ़िलिस्तीनी मौत के शिकार होंगे।

- नवीन प्रस्ताव से इज़राइल को कोई सांत्वना नहीं मिली है और वह इस युद्ध में और अधिक गहराई से फँस सकता है, जबकि निकट या अल्पकालिक भविष्य में कोई अनुकूल परिणाम प्राप्त होता भी नज़र नहीं आ रहा है।

- **अमेरिका की तथाकथित 'रेड-लाइन' का अनादर:**
  - अमेरिका की कथित 'रेड लाइन' (कि इज़राइल को ज़मीनी हमले में शामिल नहीं होना चाहिये) का सम्मान करने के बजाय इज़राइल ने अपनी बयानबाज़ी और तेज़ कर दी है। वस्तुत: अब उसने 'दो-राज्य समाधान' (two-state solution) के सिद्धांत को भी नकार दिया है।
  - इस तरह की अतिशयवादी स्थितियाँ—वर्तमान संघर्ष और व्यापक इज़राइल-फिलिस्तीन मुद्दे दोनों के संदर्भ में—अस्थिर सिद्ध होंगी। वे इज़राइल के दीर्घकालिक हितों को भी क्षति पहुँचाएँगी।
- **एकतरफा कार्रवाई या निर्णय:**
  - संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि यह प्रस्ताव इज़राइल पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है, लेकिन हमास पर नहीं, क्योंकि फिलिस्तीनी समूह एक राज्य का दर्जा नहीं रखता है। इस पर इज़राइल राज्य की ओर से अत्यंत तीखी प्रतिक्रिया आई है, जिसने इसे भेदभावपूर्ण और आंशिक समाधान बताया है जो इज़राइलियों की चिंताओं की उपेक्षा करता है। इज़राइल का तर्क है कि इज़राइल ने नहीं बल्कि हमास ने यह युद्ध छेड़ा है।

वर्तमान में इज़राइल के पास कौन-से विकल्प मौजूद हैं?

- **दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य का पालन करना:**
  - देश को स्थायी रूप से युद्ध की स्थिति में बनाये रखने के बजाय इज़राइल को UNSC के संदेश को गंभीरता से लेना चाहिये, युद्ध समाप्त करना चाहिये, गाज़ा में तत्काल मानवीय सहायता की अनुमति देनी चाहिये और सभी बंधकों की रिहाई तथा क्षेत्र से अपने सैनिकों की वापसी के लिये अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थों के माध्यम से हमास के साथ वार्ता जारी रखनी चाहिये।
- **अब्राहम समझौते के मूल्यों का पालन करना:**
  - युद्ध शुरू होने से पहले इज़राइल अपने पड़ोस और व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष एक तार्किक स्थिति रखता था—विशेष रूप से अब्राहम समझौते के बाद, जिसने इज़राइल और विभिन्न अरब राज्यों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने का प्रयास किया था।
    - तेज़ी से अलग-थलग पड़ती जा रही इज़राइल सरकार को अपने मित्र देशों की बात सुननी चाहिये और यह शत्रुता रोकनी चाहिये। अन्यथा इससे केवल इस दृष्टिकोण को ही बल प्राप्त होगा कि इसका प्रधानमंत्री अपने राजनीतिक हितों को राष्ट्रीय हित से ऊपर रख रहा है।
- **हमास के साथ सहयोग:**
  - गाज़ा पर शासन करने वाले और 7 अक्टूबर को इज़राइल पर अभूतपूर्व हमले के साथ युद्ध भड़काने वाले फिलिस्तीनी इस्लामी समूह हमास ने नवीन प्रस्ताव का स्वागत किया है।
    - इसने कहा कि वह "तत्काल बंदी विनिमय प्रक्रिया में शामिल होने के लिये तैयार है जिससे दोनों पक्षों के बंदियों की रिहाई हो सके।" समूह ने इज़राइली बंधकों की रिहाई को इज़राइली जेलों में बंद फिलीस्तीनियों की रिहाई के साथ सशर्त बना दिया है।
- **अमेरिका के रुख के साथ तालमेल :**
  - अमेरिका पर संयुक्त राष्ट्र में इज़राइल की रक्षा के लिये अपनी वीटो शक्ति का उपयोग करने का आरोप लगाया जाता रहा है। हालाँकि गाज़ा में बढ़ती मौतों को लेकर, जहाँ 32,000 से अधिक लोग मारे गए जिनमें महिलाओं एवं बच्चों की बड़ी संख्या शामिल थी, अब वह इजराइल के प्रति आलोचनात्मक होता जा रहा है।
    - अमेरिका ने इज़राइल पर यह दबाव भी बनाया है कि वह गाज़ा में सहायता की आपूर्ति के लिये अधिक प्रयास करे जहाँ पूरी आबादी भारी खाद्य असुरक्षा से गंभीर रूप से पीड़ित है।
- **संतुलित दृष्टिकोण को बढ़ावा देने में भारत की भूमिका:**
  - दुनिया को वृहत रूप से शांतिपूर्ण समाधान के लिये एक साथ आने की ज़रूरत है लेकिन इज़राइली सरकार और अन्य संबंधित पक्षों की अनिच्छा ने इस मुद्दे को और गंभीर बना दिया है।
  - इस प्रकार भारत के लिये एक संतुलित दृष्टिकोण अरब देशों के साथ-साथ इज़राइल के साथ भी अनुकूल संबंध बनाए

नोट :

रखने में मदद करेगा। भारत ने मध्य-पूर्वी देशों और इज़राइल के साथ लगातार अच्छे संबंध बनाए रखे हैं, जिसका वह प्रभावी ढंग से लाभ उठा सकता है।

- भारत को वर्ष 2022-24 के लिये मानवाधिकार परिषद में पुन: निर्वाचित किया गया है। भारत को इज़राइल-फिलिस्तीन मुद्दे को सुलझाने के लिये मध्यस्थ के रूप में कार्य करने हेतु इन बहुपक्षीय मंचों का उपयोग करना चाहिये।

निष्कर्ष:

हाल के UNSC प्रस्ताव में अमेरिका का अनुपस्थित रहना इज़राइल-फिलिस्तीन संघर्ष पर उसके रुख में एक महत्त्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। जबकि आलोचकों का तर्क है कि प्रस्ताव की गैर-बाध्यकारी प्रकृति इसके प्रभाव को कम कर देती है और अमेरिका के इस कदम को चुनाव से पूर्व की एक राजनीतिक रणनीति के रूप में देखा जा रहा है, यह अमेरिकी प्रशासन और इज़राइल सरकार के बीच बढ़ते तनाव को रेखांकित करता है। राफ़ा में ज़मीनी हमले के विरुद्ध अमेरिका की चेतावनियों पर ध्यान देने से इज़राइल का इनकार उनके बीच बढ़ते मतभेद को उजागर करता है। इज़राइल की अतिशयवादी स्थिति आगे उसके लिये और अलगाव का जोखिम उत्पन्न करती है तथा उसके दीर्घकालिक हितों को खतरा पहुँचाती है। यह परिदृश्य आवश्यक बनाता है कि क्षेत्रीय स्थिरता के लिये और अपने स्वयं के राष्ट्रीय हितों के लिये इज़राइल इस संघर्ष के प्रति अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करे।

■■■

चीन-ताइवान संघर्ष

चीन द्वारा ताइवान पर अपनी संप्रभुता का दावा करना जारी है, जहाँ वह इसे अपने भूभाग के एक अंग के रूप में देखता है और यदि आवश्यक हो तो बलपूर्वक मुख्य भूमि में इसके पुन:एकीकरण पर बल देता है। इस क्रम में चीन ने ताइवान के आसपास अपनी सैन्य गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि की है, जिसमें ताइवान के वायु रक्षा पहचान क्षेत्र (ADIZ) में नियमित हवाई एवं नौसैनिक घुसपैठ करना भी शामिल है। चीन की बढ़ती मुखरता की प्रतिक्रिया में संयुक्त राज्य अमेरिका ने ताइवान की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है और हथियारों की बिक्री एवं सैन्य सहयोग सहित अपना समर्थन बढ़ाया है।

नोट :

दूसरी ओर, ताइवान अपनी अलग पहचान और लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाए रखना चाहता है, जहाँ इसकी अधिकांश आबादी वास्तविक स्वतंत्रता की यथास्थिति का समर्थन करती है। ताइवान ने चीन की सैन्य धमकियों के जवाब में अपनी सुरक्षा मज़बूत की है और अपनी अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति एवं साझेदारियों को सशक्त करने का प्रयास कर रहा है।

चीन-ताइवान संघर्ष का वर्तमान संदर्भ क्या है?

- **ऐतिहासिक संदर्भ:**
  - ताइवान चिंग राजवंश (Qing dynasty) के दौरान चीन के नियंत्रण में आ गया था लेकिन वर्ष 1895 में चीन-जापान युद्ध में चीन की हार के बाद यह जापान के नियंत्रण में आ गया।
  - द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद वर्ष 1945 में चीन ने ताइवान पर फिर से कब्ज़ा कर लिया, लेकिन राष्ट्रवादियों और कम्युनिस्टों के बीच छिड़े गृहयुद्ध के कारण वर्ष 1949 में राष्ट्रवादियों ने भागकर ताइवान में शरण ली।
  - ताइवान मुद्दे की जड़ें नेशनलिस्ट पार्टी (कुओमितांग) और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना (CPC) के बीच चले गृह युद्ध (1927-1950) में देखी जा सकती हैं।
  - वर्ष 1949 में कम्युनिस्टों की जीत के बाद राष्ट्रवादी सरकार ताइवान में शरण लेने के लिये विवश हुई और वहाँ रिपब्लिक ऑफ चाइना (ROC) की स्थापना की, जबकि CPC ने मुख्य भूमि पर पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (PRC) की स्थापना की घोषणा की।
- **'वन-चाइना' नीति:**
  - PRC और ROC दोनों ही संपूर्ण चीन की वैध सरकार का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं। PRC ताइवान पर संप्रभुता का दावा करता है और इस बात पर बल देता है कि केवल एक चीन है और ताइवान उसका हिस्सा है। 'वन-चाइना' नीति (One-China Policy) में यह दृष्टिकोण समाहित है।
- **अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता:**
  - संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अधिकांश देश PRC को चीन की वैध सरकार के रूप में मान्यता प्रदान करते हैं और वन-चाइना नीति को स्वीकार करते हैं।
  - हालाँकि, आधिकारिक तौर पर ताइवान की संप्रभुता को मान्यता दिए बिना, मुख्यत: आर्थिक एवं सांस्कृतिक संबंधों के रूप में ताइवान के साथ उनका अनौपचारिक संबंध बना रहा है।
- **ताइवान की पहचान:**
  - ताइवान ने दशकों से अपनी स्वयं की सरकार, संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ अपनी एक अलग पहचान विकसित की है। कई ताइवानी लोग स्वयं को चीनी के बजाय ताइवानी के रूप में चिह्नित करते हैं।
- **'क्रॉस-स्ट्रेट' संबंध:**
  - गुज़रते वर्षों में ताइवान और मुख्य भूमि चीन के बीच संबंधों में उतार-चढ़ाव आता रहा है। उनके संबंधों में तनाव और शत्रुता के दौर आए हैं तो साथ ही, विशेष रूप से आर्थिक क्षेत्र, में गैर-शत्रुता और सहयोग के दौर भी आए हैं।
- **सैन्य धमकियाँ:**
  - चीन ने शांतिपूर्ण उपाय विफल होने पर ताइवान को मुख्य भूमि के साथ फिर से जोड़ने के लिये बल प्रयोग से भी इनकार नहीं किया है। उसने अपनी नौसेना और मिसाइल बलों के निर्माण सहित अपनी सैन्य क्षमताओं का आधुनिकीकरण किया है, जिससे ताइवान और क्षेत्र के अन्य देशों के लिये चिंताओं की वृद्धि हुई है।
- **अंतर्राष्ट्रीय समुदाय:**
  - ताइवान का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक संवेदनशील और विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है। विभिन्न देश चीन के साथ अपने संबंधों और ताइवान की सुरक्षा एवं लोकतंत्र के लिये अपने समर्थन के बीच एक नाजुक संतुलन बनाए रखना चाहते हैं।

ताइवान का सामरिक महत्त्व:

- **भू-राजनीतिक अवस्थिति:**
  - ताइवान पश्चिमी प्रशांत महासागर में चीन, जापान और फिलीपींस के निकट रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण स्थान पर स्थित है। इसकी अवस्थिति दक्षिण-पूर्व एशिया और दक्षिण चीन सागर के लिये एक प्राकृतिक प्रवेश द्वार प्रदान करती है, जो वैश्विक व्यापार एवं सुरक्षा के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।
- **सैन्य महत्त्व:**
  - मुख्य भूमि चीन से ताइवान की निकटता इसे चीन और अन्य क्षेत्रीय शक्तियों, दोनों के लिये सैन्य योजना में एक महत्त्वपूर्ण कारक बनाती है।
  - ताइवान पर नियंत्रण से पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में शक्ति प्रदर्शित करने की चीन की क्षमता बढ़ेगी और संभावित रूप से जापान और दक्षिण कोरिया जैसे प्रमुख अमेरिकी सहयोगियों के लिये खतरा उत्पन्न होगा।

नोट :

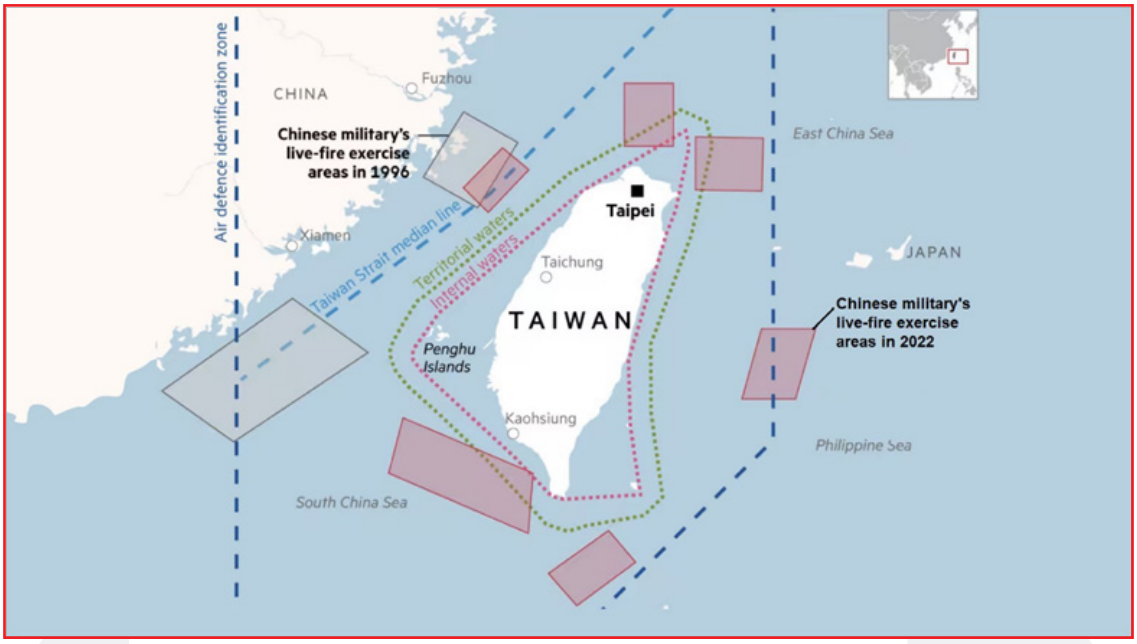

- **आर्थिक महत्त्व:**
  - ताइवान वैश्विक बाज़ार में, विशेष रूप से सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में, एक प्रमुख आर्थिक खिलाड़ी है।
  - इसकी अर्थव्यवस्था क्षेत्रीय और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है, जो इसे क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक सुरक्षा के लिये रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण बनाती है। ताइवान विश्व के 60% से अधिक सेमीकंडक्टर और 90% से अधिक सबसे उन्नत सेमीकंडक्टर का उत्पादन करता है।

वर्तमान समय में चीन-ताइवान संघर्ष के विभिन्न पहलू कौन-से हैं?

- **चीन की चिंताएँ:**
  - वन-चाइना नीति को चुनौती:
    - इसका अभिप्राय यह है कि मुख्य भूमि चीन के पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (PRC) के साथ राजनयिक संबंध चाहने वाले देशों को ताइवान के रिपब्लिक ऑफ चाइना (ROC) के साथ आधिकारिक संबंध तोड़ने होंगे, जबकि ROC के साथ राजनयिक संबंध चाहने वाले देशों को PRC के साथ संबंध तोड़ने होंगे।
    - ताइवान के मौजूदा राजनयिक संबंध और अंतर-सरकारी संगठनों में उसकी सदस्यता वन-चाइना नीति को चुनौती देती है:
    - ताइवान के ROC के 15 देशों के साथ राजनयिक संबंध हैं और जबकि वह ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ के देशों, जापान और न्यूज़ीलैंड जैसे कई अन्य देशों के साथ भी ठोस संबंध रखता है।
  - चीन का मुक़ाबला करने के लिये समझौते और सैन्य अभ्यास:
    - अमेरिका ने हिंद-प्रशांत के लिये ऑस्ट्रेलिया, यू.के. और यू.एस. (AUKUS) के बीच एक नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी की घोषणा की है, जिसे चीन का मुक़ाबला करने के एक प्रयास के रूप में भी देखा जा रहा है।
    - मालाबार अभ्यास (अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया) भी एक स्थायी हिंद-प्रशांत गठबंधन के निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम है, ताकि आर्थिक एवं सैन्य रूप से शक्तिशाली चीन द्वारा उत्पन्न बड़े पैमाने के रणनीतिक असंतुलन को संबोधित किया जा सके।
  - अमेरिका द्वारा ताइवान को सामरिक और रक्षा सहायता:
    - ताइवान ने उन्नत F-16 लड़ाकू जेट, सशस्त्र ड्रोन, रॉकेट सिस्टम और हार्पून मिसाइलों सहित विभिन्न अमेरिकी हथियारों की खरीद के साथ अपनी सुरक्षा व्यवस्था में सुधार का प्रयास किया है।

नोट :

- युद्धपोत थियोडोर रूजवेल्ट के नेतृत्व में एक अमेरिकी विमान वाहक समूह ने समुद्र की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने और समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने वाली साझेदारी के निर्माण के लिये दक्षिण चीन सागर में प्रवेश किया है।

- **मुद्दे पर भारत का रुख:**
  - वन-चाइना नीति को मान्यता:
    - वर्ष 1949 से ही भारत वन-चाइना नीति को मान्यता देता रहा है जहाँ ताइवान और तिब्बत को चीन के अंग के रूप में स्वीकार करता है।
    - हालाँकि, भारत इस नीति का उपयोग एक कूटनीतिक तर्क के निर्माण के लिये करता है, अर्थात, यदि भारत 'वन-चाइना' नीति में विश्वास करता है तो चीन को भी 'वन-इंडिया' नीति में विश्वास करना चाहिये।
  - राजनयिक संबंध आरंभ करना:
    - भले ही भारत ने वर्ष 2010 से संयुक्त वक्तव्यों और आधिकारिक दस्तावेजों में वन-चाइना नीति के पालन का उल्लेख करना बंद कर दिया है, लेकिन चीन के साथ संबंधों के ढाँचे के कारण ताइवान के साथ इसकी संलग्नता अभी भी सीमित है।
    - भारत और ताइवान के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं हैं लेकिन वर्ष 1995 से दोनों पक्षों ने एक-दूसरे की राजधानियों में प्रतिनिधि कार्यालय बना रखे हैं जो वास्तविक दूतावासों के रूप में कार्य करते हैं।
  - भारत में तीसरा TECC केंद्र खोलना:
    - ताइवान ने भारत में, विशेष रूप से मुंबई में, अपना तीसरा प्रतिनिधि ताइपे आर्थिक एवं सांस्कृतिक केंद्र (Taipei Economic and Cultural Centre- TECC) खोलने की योजना की घोषणा की है।
    - यह कदम, जिसमें TECC की स्थापना शामिल है, ताइवान और भारत के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ाने और द्विपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ करने पर लक्षित है।

- **ताइवान पर अमेरिका बनाम चीन:**
  - चीन की सरकार ने वर्ष 2005 में एक अलगाव-विरोधी कानून पारित किया, जो ऐसी शर्तें प्रदान करता है जिसके तहत चीन ताइवान को मुख्य भूमि चीन से स्थायी रूप से अलग होने से रोकने के लिये गैर-शांतिपूर्ण साधन अपना सकता है।
    - दूसरी ओर, ताइवान संबंध अधिनियम (Taiwan Relations Act- TRA),1979 के तहत ताइवान पर चीन द्वारा दबाव बढ़ाने या आक्रमण करने की स्थिति में अमेरिका ताइवान की सहायता करने के लिये बाध्य है।
  - अमेरिका का रुख: हाल की चीनी घुसपैठ और उस पर अमेरिका का विरोध ताइवान पर अमेरिका और चीन के इस विरोधाभासी रुख की अभिव्यक्ति है।
    - इसने चीन से ताइवान के विरुद्ध अपना सैन्य, राजनयिक एवं आर्थिक दबाव बंद करने और इसके बजाय ताइवान के लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रतिनिधियों के साथ सार्थक संवाद आगे बढ़ाने का आग्रह किया है।

- **हाल की प्रगति:**
  - वर्ष 2016 में राष्ट्रपति के रूप में त्साई इंग-वेन (Tsai Ing-wen) के निर्वाचन के साथ ताइवान में एक तीव्र स्वतंत्रता-समर्थक चरण की शुरुआत हुई जो वर्ष 2020 में उनके पुन: निर्वाचित होने से और प्रखर हो गया।
  - ताइवान अब चीन में निवेश सहित महत्त्वपूर्ण आर्थिक हित रखता है। स्वतंत्रता-समर्थक समूहों को चिंता है कि यह आर्थिक निर्भरता उनके लक्ष्यों में बाधा बन सकती है।
    - ताइवान के साथ-साथ चीन में भी पुन:एकीकरण के समर्थक समूहों को उम्मीद है कि लोगों के बीच बढ़ते परस्पर संपर्कों से अंतत: स्वतंत्रता समर्थक लॉबी की स्थिति कमज़ोर होगी।

भारत क्यों नहीं चाहता कि संघर्ष बढ़े?

- **व्यापारिक और आर्थिक चिंताएँ:**
  - भारत और ताइवान के व्यापार में वर्ष 2001 के बाद से सात गुना वृद्धि हुई है और वे एक संभावित मुक्त व्यापार समझौते की तलाश कर रहे हैं। ताइवानी फर्म 'पावरचिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन' ने भारत के पहले सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट के निर्माण के लिये टाटा समूह के साथ साझेदारी की है।
  - भारतीय कामगारों को ताइवान भेजने के लिये हाल ही में एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गए। भारतीय उद्योग, महत्त्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाएँ और प्रवासी आबादी सभी ताइवान स्ट्रेट में स्थायी शांतिपूर्ण यथास्थिति में अपना हित देखते हैं।

- **युद्ध के कारण व्यवधान:**
  - ताइवान के विरुद्ध कोई भी चीनी आक्रामकता भारत के लिये

नोट :

अत्यंत नुकसानदेह सिद्ध होगी। ऐसा परिदृश्य वस्तुत: चीन और ताइवान के साथ वैश्विक व्यापार को बाधित कर देगा, जो पूरे एशिया और पश्चिम एशिया में व्यवधान उत्पन्न करेगा।

- ब्लूमबर्ग के एक हालिया अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि इस संघर्ष की लागत वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 10% से अधिक होगी। भारत की अर्थव्यवस्था को अमेरिकी अर्थव्यवस्था से भी बड़ा झटका लगेगा और इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर फार्मास्यूटिकल्स तक इसके सबसे मूल्यवान क्षेत्रों में घटकों एवं सामग्रियों की कमी हो जाएगी।

- **सीमाओं के पार 'स्पिल-ओवर इफ़ेक्ट':**
  - चीन और अमेरिका के बीच एक लंबा या सामान्य युद्ध ताइवान से परे अन्य क्षेत्रों में भी फैल सकता है। यह पहले से ही तनावपूर्ण भारत-चीन भूमि सीमा को भी उत्तेजित कर सकता है।
  - यह चीन, अमेरिका और अन्य क्षेत्रीय देशों की औद्योगिक क्षमता के एक बड़े हिस्से को नष्ट कर सकता है, जिस पर दुनिया निर्भर करती है। यह अकल्पनीय परमाणु खतरे की वृद्धि का भी जोखिम रखता है।
- **भारत की दीर्घकालिक अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में गिरावट:**
  - हालाँकि कोई भी संघर्ष स्वयं में विनाशकारी होगा, इसके परिणाम भारत की दीर्घकालिक अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को और कमज़ोर कर सकते हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि कौन-सा पक्ष प्रबल सिद्ध होता है।
  - एक सीमित संघर्ष, जहाँ चीन को ताइवान के पास बल संकेंद्रित करने का सापेक्षिक लाभ प्राप्त होगा, ताइवान पर चीन की जीत और अमेरिका एवं उसके सहयोगियों की हार जैसे संभावित परिदृश्य में परिणत हो सकता है।
  - यदि चीन, इस युद्ध के परिणामस्वरूप, क्षेत्र की प्रमुख सैन्य शक्ति के रूप में अमेरिका को विस्थापित कर देता है, तो यह क्षेत्र की संपूर्ण सुरक्षा संरचना को कमज़ोर कर देगा।
- **पड़ोस में हथियारों की होड़ को बढ़ावा:**
  - इस परिदृश्य में अमेरिकी सुरक्षा गारंटी कम विश्वसनीय होगी, पड़ोसी देश अधिक हथियारों या आक्रामक मुद्राओं के साथ अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास कर सकते हैं और चीन की सेना हिंद महासागर सहित अन्य भूभागों में अपने अनियंत्रित प्रभाव को आगे बढ़ाने के लिये स्वतंत्र होगी।
  - यहाँ तक कि अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा जताने का चीन का साहस भी बढ़ सकता है। हालाँकि भारत अमेरिका का निकट सहयोगी (ally) नहीं है, लेकिन अपने सैन्य आधुनिकीकरण और मोटे तौर पर सौम्य रणनीतिक माहौल के लिये अमेरिका पर निर्भर करता है।

बढ़ते संघर्ष को प्रबंधित कर सकने में भारत के पास कौन-से विकल्प उपलब्ध हैं?

- **ताइवान स्ट्रेट में सैन्य संतुलन बनाए रखना:**
  - बीजिंग ताइवान के प्रति अपनी रणनीति में अंतर्राष्ट्रीय कानून, आर्थिक लाभ की स्थिति और राजनीतिक प्रभाव जैसे विभिन्न साधनों का उपयोग करता है तथा जहाँ तक संभव हो सैन्य बलप्रयोग से बचता है। चीन लागत और व्यवधानों को न्यूनतम रखने तथा सैन्य कार्रवाई के लिये तब आगे बढ़ने का लक्ष्य रखता है जब उसे विश्वास हो कि जीत सुनिश्चित है।
    - ताइवान स्ट्रेट में संघर्ष रोकने के लिये सैन्य संतुलन महत्त्वपूर्ण है, लेकिन भारत जैसे देश बीजिंग को यह समझाने में भी योगदान दे सकते हैं कि सैन्य कार्रवाई करने की उसकी शर्तों की पुष्टि नहीं हो रही है।
- **विभिन्न नीति विकल्पों की खोज:**
  - भारत के पास छह प्रकार के नीति विकल्प उपलब्ध हैं: अंतर्राष्ट्रीय कानून संबंधी तर्क; आक्रामकता के विरोध में आख्यान का निर्माण; समन्वित राजनयिक संदेश; आर्थिक जोखिम कम करना; ताइवानी लोगों का समर्थन करने के लिये सक्रिय सूचना संचालन; और हिंद महासागर में अमेरिकी सेना को सैन्य सहायता।
    - इनमें से प्रत्येक विकल्प को महत्वाकांक्षा और राजनीतिक इच्छा के विभिन्न स्तरों पर समायोजित किया जा सकता है तथा उन्हें कई अन्य देशों द्वारा भी अनुकूलित एवं लागू किया जा सकता है।
  - ये विकल्प, चीन-ताइवान विवाद पर उनके प्रभाव की परवाह किये बिना, भारत की भव्य रणनीतिक स्थिति को भी आगे बढ़ा सकते हैं:
    - इन नीतियों को लागू करने से, सबसे पहले और सबसे महत्त्वपूर्ण, चीन के साथ बढ़ती रणनीतिक प्रतिस्पर्द्धा में भारत को अधिक लाभ की स्थिति प्राप्त होगी।
    - ये विकल्प भारत को अमेरिका के साथ अपने सहयोग को गहरा करने के लिये अतिरिक्त अवसर भी प्रदान करते हैं, जिससे इसके राष्ट्रीय उत्थान को गति प्राप्त होगी।

नोट :

- ये भारतीय अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व के लिये, विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण के देशों के बीच, एक व्यापक एजेंडा भी पेश करते हैं, जो अन्यथा अधिक व्यापक रूप से चीनी आक्रामकता को रोकने में निष्क्रिय या असंयमित सिद्ध होगा।

- **वन-चाइना नीति पर पुनर्विचार करना:**
  - भारत वन-चाइना नीति पर पुनर्विचार भी कर सकता है और मुख्य भूमि चीन के साथ अपने संबंध को ताइवान के साथ संबंध से पृथक कर सकता है। यह ऐसा ही होगा जैसे चीन अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना ' चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) के माध्यम से भारतीय संवेदनशीलता की उपेक्षा करते हुए पाक-अधिकृत कश्मीर (PoK) में अपनी भागीदारी बढ़ा रहा है।
- **सहयोगात्मक दृष्टिकोण का पालन:**
  - भारत और अन्य शक्तियों को ताइवान पर बलपूर्वक कब्जा करने के किसी भी चीनी प्रयास के विरुद्ध एक 'रेडलाइन' तय करनी होगी। ताइवान का मुद्दा केवल एक सफल लोकतंत्र के विनाश की अनुमति देने का नैतिक प्रश्न नहीं है या महज अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता का प्रश्न नहीं है जहाँ विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने के सिद्धांत का पालन किया जाता है।
    - वस्तुत: यह 'रेडलाइन' तय करना ताइवान के लिये नहीं, बल्कि ताइवान पर चीनी आक्रमण के भारत और शेष एशिया पर परिणाम के दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण है।

निष्कर्ष:

भारत के विस्तारित राष्ट्रीय हित ताइवान के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने के मज़बूत तर्क प्रस्तुत करते हैं। भारत के आर्थिक और सुरक्षा हितों के कारण ताइवान पर किसी भी संघर्ष में उसके संलग्न होने की संभावना बहुत कम है। इस तरह के संघर्ष की लागत विनाशकारी होगी, जिससे वैश्विक व्यापार प्रभावित होगा और संभावित रूप से व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष उत्पन्न हो सकते हैं। भारत ऐसे परिदृश्य के उभार को रोकने के लिये विभिन्न नीतिगत विकल्पों का उपयोग कर सकता है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कानूनी तर्क, राजनयिक संदेश, आर्थिक रणनीति, सूचना संचालन और हिंद महासागर में अमेरिका को सैन्य समर्थन देना शामिल है।

■■■

चंडीगढ़ का मेयर चुनाव: नगर निगम सुधारों का उत्प्रेरक

चंडीगढ़ मेयर चुनाव के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के हाल के निर्णय ने नगर निकाय चुनावों पर व्यापक रूप से विचार करने की आवश्यकता को प्रेरित किया है। जबकि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव अपने समयबद्ध अभ्यास, संगठनात्मक दक्षता और सत्ता के निर्बाध हस्तांतरण के कारण सराहनीय लोकतांत्रिक अभ्यासों के रूप में सामने आते हैं, पंचायतों और नगर निकायों जैसे स्थानीय सरकारों के चुनावों पर हमेशा यही बात लागू होती नज़र नहीं आती।

न्यायालय के हस्तक्षेप ने एक शहर में एक विशिष्ट मुद्दे को तो संबोधित कर दिया, लेकिन यह पूरे भारत में स्थानीय सरकारों को सुदृढ़ करने के लिये पर्याप्त सुधारों की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

चंडीगढ़ मेयर चुनाव, 2024 से संबद्ध विवाद:

- **चुनाव का महत्त्व:** चंडीगढ़ मेयर चुनाव का अत्यंत महत्त्व रहा था क्योंकि इसने प्रमुख विपक्षी दलों के बीच एक आरंभिक गठबंधन का संकेत दिया था, जो सत्तारूढ़ दल के लिये एक एकीकृत चुनौती पेश कर रहा था। आगामी लोकसभा चुनावों के लिये अन्य राज्यों में भी संभावित सहयोग के लिये चंडीगढ़ मेयर चुनाव एक आधार प्रदान कर रहा था।
- **आरंभिक स्थगन:** सर्वप्रथम, मूल रूप से 18 जनवरी को निर्धारित मतदान तिथि को पीठासीन अधिकारी के बीमार होने के आधार पर स्थगित कर दिया गया। इसके बाद, UT प्रशासन ने 6 फ़रवरी को नई मतदान तिथि के रूप में पेश किया। हालाँकि, विपक्षी दलों ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग की, जिसके परिणामस्वरूप 30 जनवरी को चुनाव कराना तय किया गया।
- **चुनाव के दिन अवव्यवस्था:** चुनाव के दिन सत्तारूढ़ दल की 16 वोटों के साथ जीत और विपक्षी दलों की 12 वोटों के साथ हार की घोषणा से विवाद छिड़ गया। पीठासीन पदाधिकारी द्वारा आठ मतों को अवैध घोषित कर दिया गया था। विपक्ष ने पीठासीन अधिकारी पर वोटों को गलत तरीके से अमान्य करने का आरोप लगाते हुए चुनाव परिणाम पर अपनी चिंता जताई।
- **कानूनी लड़ाई:** न्याय की तलाश में विपक्षी दलों ने तुरंत उच्च न्यायालय का रुख किया। उसके निर्णय से असंतुष्ट होकर फिर वे सर्वोच्च न्यायालय के पास पहुँचे जिसने लोकतंत्र को अक्षुण्ण रखने के प्रति अपने समर्पण की पुष्टि करते हुए मामले में आलोचनात्मक टिप्पणियाँ जारी कीं।
- **मेयर का इस्तीफा:** बढ़ते विवाद के बीच नवनिर्वाचित मेयर ने इस्तीफा देने का विकल्प चुना।
- **सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय:** 20 फ़रवरी 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय दिया, जहाँ इसने पूर्व के चुनाव परिणाम को पलट दिया और विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार को असल विजेता घोषित किया।

नोट :

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव परिणामों को पलटने के लिये संविधान के अनुच्छेद 142 का उपयोग किया।

चंडीगढ़ मेयर चुनाव के बारे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय:

- **आठ मतपत्रों को अवैध करने का जानबूझकर किया गया प्रयास:** चंडीगढ़ मेयर चुनाव के पीठासीन अधिकारी ने गलत तरीके से विजयी हुए दल के पक्ष में जानबूझकर आठ मतपत्रों को अवैध/अमान्य करने का प्रयास किया।
- **पीठासीन अधिकारी का गैर-कानूनी आचरण:** न्यायालय ने कहा कि पीठासीन अधिकारी के आचरण की दो स्तरों पर निंदा की जानी चाहिये।
  - सबसे पहले, अपने आचरण से उसने गैर-कानूनी तरीके से मेयर चुनाव का परिणाम बदल दिया।
  - दूसरा, न्यायालय के समक्ष बयान दर्ज कराने में अधिकारी ने 'स्पष्ट रूप से झूठ' (patent falsehood) व्यक्त किया जिसके लिये उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिये।
- **कारण पृच्छा नोटिस:** न्यायिक रजिस्ट्रार को निर्देश दिया गया है कि वह पीठासीन अधिकारी को समान कर पूछे कि उसके विरुद्ध क्यों नहीं कार्रवाई की जानी चाहिये।
- **चुनावी लोकतंत्र की रक्षा करना:** सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वह यह सुनिश्चित करने के लिये बाध्य है कि चुनावी लोकतंत्र की प्रक्रिया विफल न हो। लोकतंत्र की पूरी इमारत सिद्धांतों पर ही निर्भर करती है।
  - न्यायालय को यह सुनिश्चित करने के लिये कदम उठाना चाहिये कि चुनावी लोकतंत्र का मूल जनादेश संरक्षित रहे।

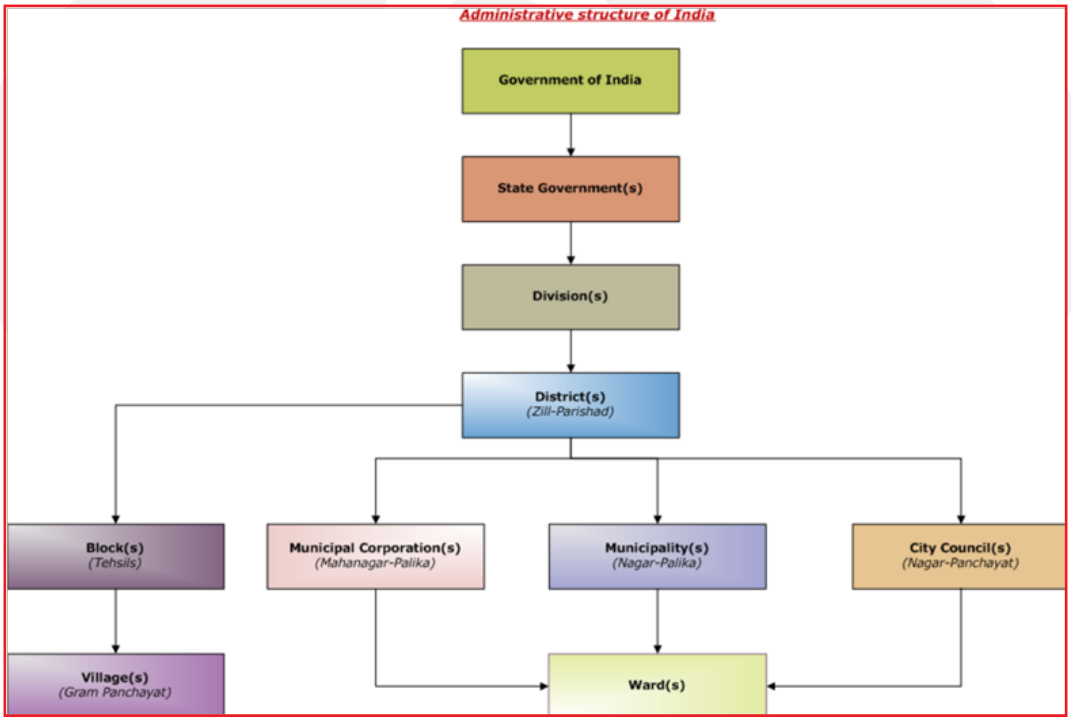

भारत में शहरी स्थानीय सरकार के लिये प्रमुख प्रावधान:

- **74वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992:** भारत में 'शहरी स्थानीय सरकार' (Urban Local Government) शब्द लोगों द्वारा अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से शहरी क्षेत्र के शासन को दर्शाता है। शहरी सरकार की प्रणाली को वर्ष 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से संवैधानिक बनाया गया था।
- **संवैधानिक अधिदेश:**
  - 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग IX-A शामिल किया। इस भाग को 'नगरपालिकाएँ' (The Municipalities) कहा गया है और इसमें अनुच्छेद 243-P से 243-ZG तक के प्रावधान शामिल हैं।

नोट :

- इसके अलावा, इस अधिनियम ने संविधान में एक नई बारहवीं अनुसूची भी जोड़ी है। इस अनुसूची में नगर निकायों के अठारह कार्यात्मक मद शामिल हैं। यह अनुच्छेद 243-W से संबद्ध है।
- इस अधिनियम ने नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। इसने उन्हें संविधान के न्याययोग्य (justiciable) हिस्से के दायरे में ला दिया है।

- **नगर निकायों के चुनाव:** मतदाता सूची की तैयारी और नगर निकायों के सभी चुनावों के आयोजन का अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है। राज्य विधायिका नगर निकायों के चुनाव से संबंधित सभी मामलों के संबंध में उपबंध कर सकती है।
- **भारत में शहरी स्थानीय सरकार की संरचना: शहरी स्थानीय शासन में आठ प्रकार के शहरी स्थानीय निकाय शामिल हैं:**
  - नगर निगम (Municipal Corporation): नगर निगम आमतौर पर बड़े शहरों, जैसे बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आदि में पाए जाते हैं।
  - नगरपालिका (Municipality): छोटे शहरों/क़स्बों के लिये नगरपालिका का प्रावधान है। नगरपालिकाओं को प्राय: नगरपालिका परिषद, नगरपालिका समिति, नगरपालिका बोर्ड आदि अन्य नामों से भी पुकारा जाता है।
  - अधिसूचित क्षेत्र समिति (Notified Area Committee): अधिसूचित क्षेत्र समितियाँ तेज़ी से विकसित हो रहे क़स्बों और बुनियादी सुविधाओं की कमी रखने वाले क़स्बों के लिये स्थापित की जाती हैं।
  - शहर क्षेत्र समिति (Town Area Committee): यह छोटे क़स्बों में पाई जाती है। इसके पास स्ट्रीट लाइटिंग, जल निकासी सड़कें और साफ-सफाई-रखरखाव जैसे न्यूनतम कार्य होते हैं।
  - छावनी बोर्ड (Cantonment Board): यह आमतौर पर छावनी क्षेत्र में रहने वाली नागरिक आबादी के लिये स्थापित किया गया है।
  - टाउनशिप (Township): टाउनशिप किसी औद्योगिकी प्लांट के पास स्थापित कॉलोनियों में रहने वाले कर्मचारियों एवं कामगारों को बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करने के लिये शहरी सरकार का एक अन्य रूप है।
  - पोर्ट ट्रस्ट (Port Trust): पोर्ट ट्रस्ट मुंबई, चेन्नई, कोलकाता आदि बंदरगाह क्षेत्रों में स्थापित किये गए हैं। यह बंदरगाह का प्रबंधन और देखभाल करता है।
  - विशेष प्रयोजन एजेंसी (Special Purpose Agency): ये एजेंसियाँ नगर निगमों या नगरपालिकाओं से संबंधित निर्दिष्ट गतिविधियों या विशिष्ट कार्यों को पूरा करती हैं।

भारत में शहरी स्थानीय निकायों के समक्ष बाधाएँ:

- **विलंबित चुनाव:**
  - नगर निकाय चुनावों के आयोजन में प्राय: देरी की जाती है जिससे संवैधानिक आदेशों का उल्लंघन होता है।
  - 'जनाग्रह' के 'भारत की शहरी प्रणालियों का वार्षिक सर्वेक्षण' (Annual Survey of India's City-Systems), 2023 शीर्षक अध्ययन के अनुसार, सितंबर 2021 तक 1,400 से अधिक नगर निकायों में निर्वाचित परिषदें मौजूद नहीं थीं।
  - 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन पर 17 राज्यों की CAG ऑडिट रिपोर्ट में पाया गया कि वर्ष 2015-2021 की ऑडिट अवधि के दौरान इन राज्यों में 1,500 से अधिक नगर निकायों में निर्वाचित परिषदें मौजूद नहीं थीं।
- **परिषदों का अपूर्ण गठन:**
  - कई बार चुनाव आयोजित होने के बाद भी परिषदों के गठन और प्रमुख अधिकारियों के निर्वाचन में देरी देखी जाती है।
    - उदाहरण के लिये, कर्नाटक में अधिकांश नगर निगमों में चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद निर्वाचित परिषदों के गठन में 12-24 माह की देरी देखी गई।
  - परिषदों के गठन और मेयर, डिप्टी-मेयर एवं स्थायी समितियों के चुनावों पर वर्णनात्मक आँकड़ा (Summary data) आसानी से उपलब्ध नहीं है।
- **संक्षिप्त कार्यकाल और बार-बार चुनाव:**
  - कुछ शहरी स्थानीय सरकारों में मेयर का कार्यकाल पाँच वर्ष से कम अवधि का है, जिसके कारण बार-बार चुनाव की आवश्यकता होती है। इस परिदृश्य में पाँच वर्ष के मेयर कार्यकाल के मानकीकरण की आवश्यकता है
  - आठ सबसे बड़े शहरों में से पाँच सहित भारत के लगभग 17% शहरों में मेयर का कार्यकाल पाँच वर्ष से कम है।
- **विवेक और अनुचित प्रभाव:**
  - चुनाव कार्यक्रम निर्धारित करने में सरकारी अधिकारियों को सौंपा गया 'विवेक' (Discretion) देरी की संभावना के बारे में चिंता पैदा करता है, जो संभवत: राज्य सरकार से प्रभावित होता है।

नोट :

- इसके अलावा, अधिकारियों द्वारा चुने गए पीठासीन अधिकारियों की निष्पक्षता को लेकर भी आशंका बनी रहती है, क्योंकि उनकी स्वतंत्रता से समझौता किया जा सकता है, जिससे हितों का टकराव हो सकता है। इससे चुनावी प्रक्रिया की स्वायत्तता एवं अखंडता कमज़ोर हो सकती है।

- **अवसंरचना और संसाधन संबंधी बाधाएँ:**
  - कई शहरी स्थानीय निकाय शहरी आबादी की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिये अपर्याप्त अवसंरचना और वित्तीय संसाधनों से जूझ रहे हैं।
  - शहरी स्थानीय सरकार राज्य की समेकित निधि से सहायता अनुदान प्राप्त करने के लिये राज्य सरकारों पर बहुत अधिक निर्भर करती है।
  - इससे जल आपूर्ति, स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जैसी आवश्यक सेवाएँ प्रभावी ढंग से प्रदान करने की उनकी क्षमता बाधित होती है।

- **राज्य चुनाव आयोगों (SECs) के लिये सशक्तीकरण और संसाधनों की कमी:**
  - जबकि नगर निकाय चुनावों का दायित्व SECs को सौंपा गया है, उनके पास प्राय: पर्याप्त सशक्तीकरण और संसाधनों का अभाव होता है।
  - 35 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में से केवल 11 ने SECs को वार्ड परिसीमन करने का अधिकार दिया है, जिससे निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने में उनकी प्रभावशीलता सीमित हो गई है।

- **लोगों की भागीदारी का निम्न स्तर:**
  - साक्षरता और शैक्षिक मानक के अपेक्षाकृत उच्च स्तर के बावजूद, शहरवासी शहरी सरकारी निकायों के कार्यकरण में पर्याप्त रुचि नहीं लेते हैं।
    - विशेष प्रयोजन एजेंसियों और अन्य शहरी निकायों की बहुलता जनता को उनकी भूमिका सीमाओं के बारे में भ्रमित करती है।

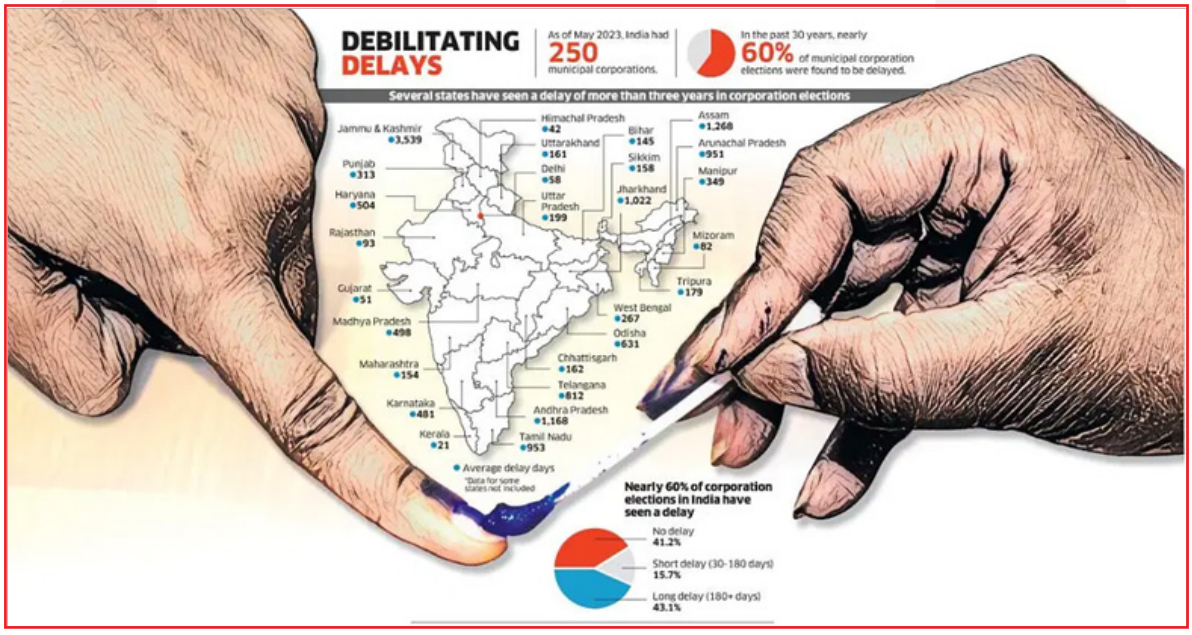

भारत में शहरी स्थानीय सरकारों को सशक्त बनाने के लिये आगे की राह:

- **मानकीकृत चुनाव प्रक्रिया:** एक मानकीकृत चुनाव प्रक्रिया और संरचना को परिभाषित किया जाना चाहिये, जो सभी पहलुओं को नियंत्रित करती हो, जैसे :
  - कार्यकाल समाप्ति से पहले चुनावों का आयोजन, जैसा कि राज्य और संघ चुनावों के लिये गंभीरता से किया जाता है
  - नगर निकाय सीमाओं के उन्नयन एवं विस्तार की प्रक्रिया
  - वार्डों के परिसीमन एवं आरक्षण की व्यवस्था
  - निगमों की संरचना एवं उनकी नेतृत्व संरचना तय करना

नोट :

- **राज्य चुनाव आयोगों (SECs) का सशक्तीकरण:**
  - SECs अधिकारियों को पर्याप्त संसाधन, प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करने के साथ शहरी स्थानीय निकायों के लिये स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं समयबद्ध चुनाव कराने के लिये राज्य चुनाव आयोगों की संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ करना।
  - नगर निकाय चुनावों के आयोजन में SECs को अधिक स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता देने पर विचार किया जाए, जिसमें मतदाता पंजीकरण से लेकर परिणाम घोषणा तक पूरी चुनावी प्रक्रिया की निगरानी करने का अधिकार भी शामिल है।
- **जवाबदेही तंत्र:**
  - नगर निकाय चुनावों के आयोजन में किसी भी देरी या अनियमितता के लिये चुनाव अधिकारियों और प्राधिकारों को ज़िम्मेदार ठहराना। यह पारदर्शी जाँच प्रक्रियाओं और उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई के माध्यम से किया जा सकता है।
  - सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2022) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रत्येक पाँच वर्ष पर स्थानीय निकायों के लिये नए चुनाव कराने की संवैधानिक आवश्यकता पर बल दिया था। यह संवैधानिक दायित्व स्वयं में पूर्ण (absolute) है और इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता।
- **वित्तीय सशक्तीकरण:**
  - शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्वायत्तता बढ़ाने के लिये वित्त आयोग की सिफ़ारिशों को लागू किया जाए, जिसमें स्थानीय सरकारों के लिये केंद्र और राज्य के राजस्व का उच्च हिस्सा आवंटित करना शामिल है।
    - 13वें वित्त आयोग ने राज्यों की प्रदर्शन अनुदान पात्रता (performance grant eligibility) के लिये आवश्यक शर्तों में से एक के रूप में राज्य संपत्ति कर बोर्ड (State Property Tax Board) की स्थापना को निर्दिष्ट किया था।
  - अवसंरचना विकास और सेवा वितरण के लिये अतिरिक्त संसाधन जुटाने हेतु म्यूनिसिपल बॉण्ड, सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) और प्रभाव शुल्क (impact fees) जैसे नवीन वित्तपोषण तंत्र की शुरूआत की जाए।
- **क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण:**
  - योग्य पेशेवरों की भर्ती, प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन प्रणालियों की स्थापना और पारदर्शी भर्ती प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन के साथ शहरी स्थानीय निकायों की प्रशासनिक क्षमता को सुदृढ़ करने के लिये प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) की सिफ़ारिशों को स्वीकार किया जाए।
  - व्यापक शहरी विकास नीतियों के सूत्रीकरण, क्षेत्रीय पहलों का समन्वयन एवं शहरी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिये राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर विशेष शहरी विकास समितियों की स्थापना की जाए।
- **नागरिक भागीदारी:**
  - सहभागी बजटिंग, टाउन हॉल बैठकें और नागरिक सलाहकार बोर्ड जैसे तंत्रों के माध्यम से स्थानीय निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में वृहत नागरिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जाए।
  - यह सुनिश्चित करने के लिये कि स्थानीय सरकारें नागरिकों की आवश्यकताओं एवं चिंताओं के प्रति उत्तरदायी हैं, पारदर्शिता, जवाबदेही और शिकायत निवारण के तंत्र को सुदृढ़ किया जाए।
- **सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) समाधान:**
  - शहरी सेवाओं की दक्षता, पारदर्शिता और पहुँच में सुधार के लिये ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म, डिजिटल सेवा वितरण चैनल और भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) जैसे ICT समाधानों का लाभ उठाया जाए।
  - वित्त आयोग ने संपत्ति कर प्रशासन में सुधार के लिये भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) और डिजिटलीकरण के उपयोग को प्रोत्साहित किया है।

निष्कर्ष:

शहरी स्थानीय सरकारों का सशक्तीकरण केवल प्रशासनिक सुधार का मामला नहीं है; यह समावेशी एवं सतत शहरी विकास के दृष्टिकोण को साकार करने के लिये एक बुनियादी अनिवार्यता है। सशक्त शहरी स्थानीय सरकारें अपने निवासियों की विविध आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से संबोधित करने की शक्ति, संसाधनों और क्षमता के साथ परिवर्तन को आगे बढ़ाने वाली इंजन सिद्ध होंगी।

■■■

नोट :

दृष्टि एडिटोरियल अभ्यास प्रश्न

- भारत में प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता और पहुँच में सुधार लाने से संबंधित चुनौतियों एवं इस दिशा में की गई पहलों पर चर्चा कीजिये। इसमें प्रौद्योगिकी क्या भूमिका निभा सकती है?
- भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली, न्याय प्रदान करने में किस प्रकार निष्पक्षता एवं प्रभावशीलता सुनिश्चित करती है? हाल के सुधारों एवं चुनौतियों के संदर्भ में चर्चा कीजिये।
- आरक्षण नीति की प्रभावशीलता समाज के सबसे वंचित वर्गों का वास्तविक उत्थान कर सकने की क्षमता पर निर्भर करती है। सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिये महाराष्ट्र राज्य आरक्षण विधेयक 2024 के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिये।
- ताज़े जल के स्रोतों और जैव विविधता पर प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रभाव को देखते हुए भारतीय हिमालय क्षेत्र किस प्रकार इसका प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर सकता है? मौजूदा नीतियों और चुनौतियों के संदर्भ में चर्चा कीजिये।
- स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्त्वपूर्ण खनिजों के महत्त्व और इन संसाधनों की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने में भारत के समक्ष विद्यमान चुनौतियों की चर्चा कीजिये।
- भारत में महिला शहरी रोज़गार गारंटी अधिनियम को लागू करने की आवश्यकता और आगे की राह की संभावित बाधाओं पर विचार कीजिये। देश में महिलाओं के प्रभावी आर्थिक सशक्तीकरण हेतु आवश्यक रणनीतियाँ बताइये।
- विश्व व्यापार संगठन (WTO) के 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की उपलब्धियों एवं विफलताओं पर विचार कीजिये। उभरते वैश्विक परिदृश्य में इसकी निरंतर प्रासंगिकता सुनिश्चित करने के लिये WTO सुधार हेतु रणनीतियों के प्रस्ताव कीजिये।
- भारत में भूजल संकट की गंभीरता का मूल्यांकन कीजिये और इसके प्रभाव को कम करने के लिये प्रभावी रणनीतियाँ सुझाइए।
- भारत में सर्वाइकल कैंसर से संघर्ष की तात्कालिक आवश्यकता की पड़ताल कीजिये; इससे संबद्ध चुनौतियों पर विचार कीजिये और उन्हें संबोधित करने के उपाय प्रस्तावित कीजिये।
- आधुनिक चिकित्सा के साथ आयुष एवं पारंपरिक चिकित्सा का एकीकरण, भारत में स्वास्थ्य सेवा वितरण और रोगी से संबंधित सकारात्मक परिणामों में किस प्रकार सुधार ला सकता है?
- घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण (HCES) भारत में नीति निर्माण और आर्थिक योजना को किस प्रकार प्रभावित करता है? उदाहरण सहित चर्चा कीजिये।
- अनुसूचित जातियों का उप-वर्गीकरण सामाजिक कल्याण नीतियों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को कैसे प्रभावित करता है? भारतीय संदर्भ में उदाहरण सहित चर्चा कीजिये।
- आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति के लिये इसके निहितार्थों का आकलन करते हुए भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों और तकनीकी सफलताओं पर R&D व्यय के प्रभाव पर विचार कीजिये।
- भारत-EFTA समझौता दोनों पक्षों के लिये एक संभावित 'गेम-चेंजर' की स्थिति रखता है, जो आर्थिक विकास, रोज़गार अवसरों और द्विपक्षीय संबंधों की सुदृढ़ता का आशाजनक वादा करता है। टिप्पणी कीजिये।
- उन ऐतिहासिक कारकों की चर्चा कीजिये जिन्होंने प्राचीन काल से भारत और भूटान के बीच घनिष्ठ एवं मैत्रीपूर्ण संबंधों को आकार दिया है। दोने देशों के संबंधों को सशक्त करने में आर्थिक सहयोग और विकास सहायता की भूमिका का भी मूल्यांकन कीजिये।
- मतदाता व्यवहार को प्रभावित करने की इसकी क्षमता और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के लिये इसके द्वारा उत्पन्न चुनौतियाँ पर विचार करते हुए चुनावी प्रक्रियाओं पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के निहितार्थों की चर्चा कीजिये।
- MIRV प्रौद्योगिकी की अवधारणा और आधुनिक युद्ध में इसके महत्त्व की चर्चा कीजिये। वैश्विक हथियार नियंत्रण एवं अप्रसार प्रयासों के लिये MIRV प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का विश्लेषण कीजिये।
- भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति के उद्देश्यों और राजनयिक संबंधों में इसके महत्त्व की व्याख्या कीजिये। नेबरहुड फर्स्ट नीति को लागू करने में भारत के समक्ष विद्यमान चुनौतियों की भी चर्चा कीजिये और उन्हें दूर करने के उपाय सुझाइये।

नोट :

- गैर-व्यक्तिगत डेटा (NPD) को परिभाषित कीजिये और डिजिटल अर्थव्यवस्था के संदर्भ में इसके महत्त्व की व्याख्या कीजिये। डेटा के विनियमन और रखरखाव से संबंधित चुनौतियों की चर्चा कीजिये।
- जल संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में विश्व जल दिवस के महत्त्व की चर्चा कीजिये। जल संरक्षण प्रयासों में व्यक्तिगत स्तर पर किस प्रकार योगदान दिया जा सकता है?
- भारत निर्वाचन आयोग की परिचालनात्मक प्रभावकारिता से जुड़ी उपलब्धियों एवं चुनौतियों का विश्लेषण कीजिये। भारत निर्वाचन आयोग को सुदृढ़ और सशक्त बनाने के लिये आवश्यक सुधारों का सुझाव दीजिये।
- विकासशील देशों में सार्वजनिक स्वास्थ्य पर तपेदिक (टीबी) के प्रभाव की चर्चा कीजिये, उनके समक्ष विद्यमान चुनौतियों पर विचार कीजिये और इसके रोकथाम एवं नियंत्रण की रणनीतियाँ सुझाइये।
- इज़राइल-फिलिस्तीन संघर्ष में तत्काल युद्धविराम के लिये संयुक्त राष्ट्र के हालिया आह्वान के निहितार्थों पर, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के बदलते रुख को देखते हुए, चर्चा कीजिये।
- क्षेत्रीय स्थिरता और राष्ट्रीय हितों पर चीन-ताइवान संघर्ष के प्रभाव पर विचार करते हुए इस संबंध में भारत के रणनीतिक पहलुओं एवं नीतिगत विकल्पों की चर्चा कीजिये।
- भारत में शहरी स्थानीय शासन चुनावों के दौरान सामने आने वाली बाधाओं का परीक्षण कीजिये। देश में नगर निकाय स्तर पर पारदर्शी एवं न्यायसंगत चुनावी प्रक्रिया की गारंटी देने के उद्देश्य से आवश्यक सुधारों के सुझाव दीजिये।

■■■

दृष्टि The Vision

नोट :